FOR REFERNCE ONLY

NOT TO BE ISSUED

त्रयोदश माला, खंड 10, अंक 21

गुरुवार, 24 अगस्त, 2000
2 भाद्रपद, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 61
Date 12/4/2001

(खण्ड 10 में अंक 21 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे०एस० वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनु प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 10, चौथा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 21, गुरुवार, 24 अगस्त, 2000/2 भाद्रपद, 1922 (शक)

विषय		कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख		
अध्यक्ष महोदय		1
श्री अटल बिहारी वाजपेयी		1
श्रीमती सोनिया गांधी		2
श्री सोमनाथ चटर्जी		3
डा० एस० वेणुगोपाल		4
श्री मुलायम सिंह यादव		5
श्री चन्द्रशेखर		5
श्री पूर्णो०ए० संगमा		5
श्री राशिद अलवी		6
श्री पी०एच० पांडियन		7
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह		8
श्री वैको		8
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	421 और 440	9-30
अतारांकित प्रश्न संख्या	4687 से 4912	31-219
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1		219-222

लोक सभा

गुरुवार, 24 अगस्त, 2000/2 भाद्रपद, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं दुख के साथ सभा को अपने सम्माननीय सहयोगी, श्री पी०आर० कुमारमंगलम के अचानक और असमय निधन की जानकारी देना चाहता हूं।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम, लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे और वे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वे 1984 से 1996 तक आठवीं, नौवीं तथा दसवीं लोक सभा के सदस्य तथा 1998-99 के दौरान बारहवीं लोक सभा के भी सदस्य थे। उन्होंने तमिलनाडु के सलेम एवं तिरुचिरापल्ली संसदीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

श्री कुमारमंगलम एक योग्य एवं प्रख्यात प्रशासक थे और उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में अनेक महत्वपूर्ण विभागों में कार्य किया। वर्तमान में वह विद्युत मंत्री थे।

वे एक योग्य संसदविद् थे तथा वे आम लोगों की समस्याओं को उठाने का कोई भी अवसर नहीं चूकते थे। वर्ष 1989-90 के दौरान, वे कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य थे तथा 1998 में संसदीय वेतन समिति के भी सदस्य थे। उन्होंने श्रम और कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान कीं।

साहित्य में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने ''द स्टूडेंट मूवमेंट इन इंडिया'' नामक पुस्तक लिखी तथा 'द अदर साइड ऑफ ग्रैविटेशन' एवं 'द नुएन्सेस ऑफ डाइरेक्टिव प्रिंसिपल' नामक लेख भी लिखे।

पेशे से वकील होने के साथ-साथ, वे एक जाने-माने ट्रेड यूनियन नेता भी थे। वे श्रमिकों, दलितों एवं समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के प्रति सतत प्रयत्नशील रहे। उन्होंने शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए भी अथक प्रयास किए।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम की मृत्यु 48 वर्ष की आयु में अल्पकालिक बीमारी के बाद, 23 अगस्त, 2000 को नई दिल्ली में हुई।

हम इस मित्र के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सदन शोकसंतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है, दोनों का अटूट नाता है। लेकिन क्या यह जरूरी है कि मौत इतनी उच्छृंखलता से आए? कल हमने जन्माष्टमी मनाई। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि मृत्यु पर शोक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे फटे हुए कपड़े बदलकर मनुष्य नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह से जीर्ण-शीर्ण शरीर को छोड़कर नया जन्म लेने की तैयारी में मनुष्य होता है, उसमें शोक कैसा, क्या यह बात सही है?

कुमारमंगलम की उम्र ही क्या थी? कल तक हमारे बीच में थे, आज नहीं हैं। जैसे बिना बादलों के बिजली गिरती है, उसी तरह से उनका निधन हुआ। वे केवल राजनीतिक प्राणी नहीं थे। यद्यपि राजनीति में सक्रिय थे, विचारों के आधार पर जब परिवर्तन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने परिवर्तन भी किए, लेकिन सबके ऊपर उनका जो सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्तित्व था जिसमें चेहरे पर मुस्कान रहती थी और किसी से कठोर बात कहने में संकोच होता था, वे कुमारमंगलम जी हमारे बीच में नहीं हैं। वे संसदीय पटु थे, अच्छे वक्ता थे, कुशल संगठक थे, अच्छे वकील थे। उनका बहुमुखी व्यक्तित्व था। अभी उन्होंने और लम्बा रास्ता तय करना था। लेकिन कभी-कभी कारवां में दुर्घटना हो जाती है, मंजिल पर पहुंचने से पहले ही साथी बिछड़ जाते हैं। आज ऐसी ही स्थिति है।

हम सब उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार वालों के साथ अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। रंगा हरेक रंग में जीवित रहेंगे, यह मेरा निश्चय है।

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : अध्यक्ष महोदय, श्री कुमारमंगलम को नियति के क्रूर हाथों ने असमय ही हमारे बीच से उठा लिया, जबकि उन्हें लम्बा रास्ता तय करना था। वे अचानक ही हमारे बीच से चले गए। यह एक भारी क्षति है। यह हमें उन शक्तियों का अहसास कराती है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है।

हम उनके परिवार से पिछली तीन पीढ़ियों से जुड़े रहे हैं और मैं स्वयं रंगा को कई वर्षों से जानती हूं। इसलिए, यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति भी है। मैं उनकी युवा पत्नी और बच्चों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं।

श्री रंगा का कुशल व्यवहार हमें हमेशा याद रहेगा। उनमें सहज स्नेहवश लोगों तक पहुंचने की विलक्षण क्षमता थी और वे सभी को अपना बना लेते थे। इसके कारण उनके असंख्य मित्र थे और मेरी उन सभी के प्रति भी सहानुभूति है।

यद्यपि श्री रंगा का निधन 50 वर्ष से भी कम आयु में हो गया, लेकिन उन्होंने अपने राजनैतिक जीवन एवं वकालत के पेशे में अनेक उपलब्धियां प्राप्त कीं। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में वे एन०एस०यू०आई०, जो कांग्रेस पार्टी का छात्र संघ है, के संस्थापकों में से एक थे। वे ट्रेड यूनियन आन्दोलन से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे।

अपने दादा और पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए 20 वर्ष पूर्व वे संसद में पहली बार चुन कर आए थे। वे सलेम और त्रिरुची संसदीय क्षेत्र से कई बार निर्वाचित हुए। वे केवल एक बार संसद में चुनकर

नहीं आ पाए। उनकी संसदीय पटुता ने उन्हें तुरन्त एक पहचान दी। मेरे पति का उनके प्रति विशेष लगाव था।

मैं समझती हूं कि रंगा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजीव गांधी के 21वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रगति करने के सपने को समझा था।

लगातार दो सरकारों में विद्युत मंत्री के रूप में उन्होंने एक प्रगतिशील और नवीनतम एवं खुले विचारों वाले मंत्री के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। वे लगातार नई संभावनाओं की तलाश में लगे रहते थे।

लोकतांत्रिक बहस में भाग लेने के लिए वे हमेशा उत्सुक एवं तैयार रहते थे। उनका यह गुण हमारे लिए अमिट स्मृति है और इस नौजवान को देश के लिए बहुत कुछ करना था।

इसलिए, मैं श्री रंगा के निधन पर दुख व्यक्त करती हूं। एक बार फिर, मैं अपनी तथा कांग्रेस पार्टी की ओर से शोक संतप्त परिवार, उनके मित्रों और समर्थकों के प्रति संवेदना प्रकट करती हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुखद और हृदय-विदारक बात है कि हम यहां एक और प्रतिभाशाली युवा नेता के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, जो कल तक हमारे साथ थे।

इस सत्र के आरम्भ में ही हमने एक और युवा नेता श्री राजेश पायलट के निधन पर शोक व्यक्त किया था। श्री रंगा की ही तरह उनसे भी देश को अपार अपेक्षाएं थीं।

महोदय, मेरा विश्वास है कि यह मेरे लिए और अन्य लोगों के लिए व्यक्तिगत क्षति है। जब भी हमारी मुलाकात होती थी तो वह मुझे अंकल कह कर संबोधित करते थे। विशेष रूप से संसदीय कार्य मंत्री के रूप में, उन्होंने विपक्ष को अपने साथ लेकर चलने को बेहतरीन क्षमता का परिचय दिया था। हमारी रोजाना बातचीत के दौरान हमारे बीच गलतफहमी की स्थिति कभी भी पैदा नहीं हुई। वे दूसरों को भी अपने साथ चलने के लिए मना लेते थे। उनका यह गुण और संसदीय लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था ही उनकी सफलता का आधार था।

मुझे याद है, कई वर्ष पहले, जब मै कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा था तब मुझे उन्होंने चेन्नई से फोन किया था। तब मैं उन्हें जानता नहीं था। उन्होंने कहा था "आप कलकत्ता का वह मामला जीत गए हैं जिसमें न्यायालय ने हड़ताल को जायज और कानूनी बताते हुए, मजदूरों को हड़ताल के दौरान का वेतन दिया है। मेरे यहां भी एक ऐसी ही समस्या है इसलिए क्या आप मुझे उस निर्णय की एक प्रति भेज सकते हैं?" मैंने उनसे पूछा "आप कौन हैं?" तब उन्होंने अपना परिचय दिया। मैं उनके पिताजी को अच्छी तरह जानता था। समस्याओं में उलझे मजदूरों की सहायता की यह उनकी वचनबद्धता थी। वे जाने-माने मजदूर नेता थे। इसी तरह उनकी कई बातें याद आ रही हैं।

1984 में लोक सभा के लिए चुने जाने के बाद से ही हमारी कई मुलाकातें हुईं। हमारे व्यक्तिगत संबंधों के कारण वे कई बार मेरे घर आ जाया करते थे। यद्यपि वे एक प्रतिष्ठित परिवार से संबद्ध थे, जिसने एक विशिष्ट राजनीतिक रास्ता अथवा राजनीतिक विचारधारा को अपनाया था, किन्तु हाल ही में उन्होंने अपने राजनैतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन किया था। इसके बावजूद हमारे बीच न तो सदन में और न सदन से बाहर, संबंधों में किसी प्रकार की बाधा आई।

अभी हाल ही में करीब 15 रोज पहले हम मिले थे। जब मैं गेट नं० 4 से बाहर निकल रहा था तो वे मुझसे मिले और कहा "मामा, अभी भी मोटे हो रहे हो।" मैंने उनसे प्रश्न पूछा था, "आपको क्या हो गया है, आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो?"

मगर उन्होंने यह नहीं कहा कि वे बीमार हैं। संभावनाओं से परिपूर्ण एक युवा नेता असमय ही हमारे बीच से चला गया। मैं यह महसूस करता हूं, जैसा मैंने कल भी कहा था कि देश को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमें अपने युवा साथियों पर ही निर्भर रहना होगा जिनमें धैर्य, उत्साह, सोच, वचनबद्धता, गंभीरता और पारदर्शिता जैसे गुण हैं। देश को ये, वे सभी चीजें दे सकते हैं जिनकी वे हमसे आशा रखते हैं। यह बड़े ही दुख की बात है कि हमने उन्हें खो दिया है। इस शून्य को भरा जाना बहुत ही कठिन है। मैं उनके परिवार के दुख में शामिल हूं। उनकी पत्नी किट्टी भी वकालत के पेशे से जुड़ी हुई हैं। मैं उनके साथ और उनके बच्चों के साथ अपनी और अपनी पार्टी की संवेदना प्रकट करता हूं। मुझे विश्वास है कि संसद ही नहीं, बल्कि पूरा देश, राष्ट्र और जनता की सेवा में लगे ऐसी विलक्षण बुद्धि, तत्पर और वचनबद्धता वाले युवा नेता के असमय निधन पर अपना शोक व्यक्त कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल की इस दुखद घटना के प्रति शोक व्यक्त करने में, मैं और मेरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के साथ हैं।

डा० एस० वेणुगोपाल (आदिलाबाद) : महोदय, एक महीने की अवधि में हमने दो अत्यन्त नौजवान, होनहार नेताओं को खो दिया है। यह राष्ट्र के लिए बड़ी क्षति है। श्री कुमारमंगलम अत्यधिक क्षमता वाले ओजस्वी नेता थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक राजनीतिक लड़ाइयां लड़ीं और अधिकांश में विजयी रहे। लेकिन वह अन्तिम लड़ाई नहीं जीत सके। मेरे विचार में उनके अन्तिम लड़ाई न जीत पाने में हमारी पराजय हुई। राष्ट्र की पराजय हुई। जब मैं विद्युत राज्य मंत्री था, तो हमने विद्युत क्षेत्र के लिए संयुक्त न्यूनतम कार्रवाई योजना का प्रारूप तैयार किया था। इस कार्रवाई योजना का अनुमोदन सभी मुख्यमंत्रियों द्वारा किया गया था। इस संदर्भ में मुझे विद्युत क्षेत्र में सुधारों के विभिन्न मुद्दों के संबंध में माननीय रंगाजी से मिलने का अवसर मिला था। उनके अंदर केवल कल्पनाशक्ति ही नहीं बल्कि लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यक क्षमता भी थी। कभी-कभी वह बहुत विवादग्रस्त हो जाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वे कार्य करने वाले थे। उन्होंने देश के हित के लिए बोला और कार्य किया। मेरी राय में केवल कार्य करने वाले व्यक्ति ही विवादों के घेरे में आते हैं। महोदय, अध्यक्ष के रूप में आपने भी देखा है कि श्री रंगाजी एक हंसमुख एवं सक्षम व्यक्ति थे। उनकी मित्रता सभी दलों के लोगों से थी। उनके निधन से मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश तथा सामान्य तौर पर पूरे राष्ट्र की क्षति हुई है। सबसे अच्छी श्रद्धांजलि जो कि हम रंगाजी को दे सकते हैं वह यही होगी कि हम उनके द्वारा शुरू किए गए सुधार के कार्यों को आगे बढ़ाएं।

मैं अपनी ओर से और तेलुगुदेशम पार्टी की ओर से शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उन्हें इस दुख से उबरने की शक्ति प्रदान करे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, श्री पी०आर० कुमारमंगलम जी का निधन इस देश के लिए, सदन के लिए और हम सबके लिए बहुत ही दुखद है। श्री पी०आर० कुमारमंगलम एक योग्य, प्रतिभावान और समझदार नेता थे। दूर से मेरा जरूर सम्पर्क रहा। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री के रूप में सदन में बहुत मौके आए। वे जिस क्षमता, सहजता, व्यवहार कुशलता और सबसे मिल-जुलकर रहते थे, उससे राजनैतिक दूरियों को कम करने में बहुत मदद मिलती थी। उनमें विशेष क्षमता थी। उनमें योग्यता और सबको साथ लेकर चलने की जो क्षमता थी, उससे लगता था कि वे देश की राजनैतिक उंचाइयों पर जाने वाले देश के नौजवान थे। हमारे देश के लिए यह बहुत बड़ी क्षति हुई है। आज हम सब दुखी हैं। मैं कुछ देर से लखनऊ से आ चुका था। जब हम यात्रा में साथ चल रहे थे तो मैं देख रहा था कि चाहे कोई भी दल, वर्ग या समाज हो, सभी चर्चा कर रहे थे और दुखी थे। अपने-अपने तरीके से हर क्षेत्र में उनकी प्रशंसा हो रही थी। अभी उनकी राजनैतिक उम्र बहुत बड़ी थी। वे देश की सेवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे लेकिन नहीं निभा सके। हम आपके माध्यम से हमारी ओर से और समाजवादी पार्टी की ओर से उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदना पहुंचाने की प्रार्थना करते हैं।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, श्री रंगराजन कुमारमंगलम हमारे बीच नहीं रहे, यह सारे राष्ट्र के लिए और विशेष रूप से संसद के लिए एक बड़ी भारी विपदा है। उसको हम किस तरह सहन करेंगे, हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि सहन करने की विवशता है। श्री कुमारमंगलम एक युवक थे। उनसे राजनीति में, संसद में बड़ी आशाएं थीं और कार्य क्षेत्र के बाहर भी उन्होंने राष्ट्र की राजनीति में अपना एक स्थान बना लिया था। वह आशा इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगी, इसकी हमें अपेक्षा नहीं थी। श्री कुमारमंगलम के जाने से जो स्थान रिक्त हुआ है, उसे पूरा करना कठिन होगा। उनकी स्मृति को मेरी श्रद्धांजलि, उनके परिवार के प्रति मेरे संवेदना।

[अनुवाद]

श्री पूर्णो ए० संगमा (तुरा) : अध्यक्ष महोदय, अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से मैं अपने को सदन के नेता, विपक्ष के नेता और अन्य नेताओं द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं से जोड़ता हूं।

इस महान सभा में बैठे हुए हममें से प्रत्येक यह महसूस कर रहा है कि हमने एक व्यक्तिगत मित्र खो दिया है। यह भावना इस सभा के बाहर भी हजारों लोगों के अन्दर मौजूद है। श्री रंगा में मित्र बनाने की असाधारण क्षमता थी। मैं उन्हें एक ट्रेड यूनियन नेता के रूप में जानता था। श्रम मंत्री के रूप में सात वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान मुझे उनसे मिलने और बातचीत करने का कई बार मौका मिला क्योंकि वह हमारे पास मजदूर वर्ग की समस्याएं लेकर आया करते थे। वह हमारे कार्यालय में अनेक प्रतिनिधिमंडलों के साथ आते थे। उनके अन्दर अपनी बात मनवाने की इतनी क्षमता थी कि अधिकांश अवसरों पर मेरे पास उनकी बात मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं होता था।

मुझे एक बार की बात याद आती है जब श्री रंगा लगभग 50 मजदूरों के प्रतिनिधिमंडल के साथ आए। उनके पास मांगों की एक लम्बी सूची थी। हमने तीन घंटे तक लम्बी वार्ता की। तीन घंटे की लम्बी बार्ता, तर्क-प्रतितर्क के बाद मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा, "श्री संगमा, क्या मैं अपनी सारी मांगें वापस ले लूं? क्या आप मुझे यह ज्ञापन वापस लेने की अनुमति प्रदान करेंगे? श्रम मंत्री के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान यही एक अवसर था जब कि किसी ट्रेड यूनियन नेता ने तीन घंटे की लम्बी वार्ता के बाद तत्काल मांगों को वापस ले लिया था। श्री रंगा इतने विचारवान व्यक्ति थे।

वह गतिशील थे। वह युवा थे। उनके अन्दर अपने विचार व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता थी। श्री राजेश पायलट के हमें छोड़कर जाने के तीन महीने की अवधि में देश ने एक अत्यन्त प्रतिभावान युवा नेता खो दियाा है। मैं उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। मैं आपके माध्यम से अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इस तकलीफदेह मौके पर अपने अफसोस को जाहिर करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह दुनिया बिल्कुल रेलगाड़ी की तरह से है। इसमें सफर कर रहे मुसाफिरों को खुद यह मालूम नहीं है कि किसे किस स्टेशन पर उतर जाना है, किसको कब चले जाना है, इसका एहसास हममें से किसी को भी नहीं है।

सैशन शुरू हुआ था तो राजेश पायलट जी के लिए हमने अपने खयालात का इजहार किया था, अपनी तकलीफ का इजहार किया था। अब सैशन खत्म होने जा रहा है तो इस मुल्क के एक और नौजवान लीडर कुमारमंगलम साहब के बारे में इजहार-ए-अफसोस करने के लिए हम खड़े हुए हैं। मुझे याद है कि राजेश पायलट साहब ने भी कहा था कि अभी तो मेरी राजनीति बहुत लम्बी है, अभी बहुत वक्त है, अभी जिंदगी में बहुत मवाके आने वाले हैं। कुमारमंगलम साहब भी एक दिन प्रधान मंत्री जी के आफिस से निकलते हुए मुझसे कह रहे थे कि अभी तो हमारे पास राजनीति करने के लिए बहुत वक्त है। अब तो यह कहते हुए डर लगने लगा है, अगर हममें से कोई यह कहे कि हमारे पास बहुत वक्त है, हमें नहीं मालूम कि हममें से किसको कब जाना पड़ जाए।

वे एक जहीन आदमी थे, उनके पास शराफत, जहानत, जकावत ये सारी चीजें थीं। मैंने उन्हें देखा है कि जब उनसे सवालात किए जाते थे और बाज औकात उनके पास सवाल का मुनासिब जवाब नहीं होता था तो वे अपनी जुबान में उबूर की वजह से, अपने चुनिन्दा अल्फाज की वजह से, अपनी कॉम्पीटेंस और अपनी जहानत की वजह से मुश्किल सवालों के बीच से हंसते हुए निकल जाते थे, जिससे उनकी कॉम्पीटेंस और उनकी जहानत का अंदाजा होता था।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उन्हें खिराजे अकीदत पेश करता हूं। इसके साथ-साथ मैं प्रधान मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि उनके इन्तकाल के मौके पर तरह-तरह की बातें अखबारात के अन्दर आई कि उनका ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ है। मुझे इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हिन्दुस्तान के एक केबिनेट मंत्री के बारे में इस तरह किया जा सकता है कि उनका इलाज ठीक तरीके से न हुआ हो तो एक गरीब आदमी के लिए तो इस मुल्क के अन्दर बहुत दुश्वारी होगी। मैं प्रधान मंत्री जी से कहूंगा कि इसकी तरफ तवज्जह दें और इसकी इन्क्वायरी कराएं और देखें कि क्या ऐसा तो नहीं हुआ है कि उनको इस तरीके से किसी अस्पताल में नजरअंदाज किया गया हो। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से हमारे अहसासात उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, अपनी तरफ तथा अन्नाद्रमुक पार्टी की तरफ से मैं प्रधान मंत्री, विपक्ष की नेता तथा अन्य पार्टी नेताओं द्वारा अपने प्रिय मित्र, श्री रंगराजन कुमारमंगलम के असामायिक निधन पर व्यक्त किए गए विचारों और भावनाओं से संबद्ध करता हूं।

मैं चेन्नई उच्च न्यायालय में उनको विगत 20 वर्षों से जानता हूं। मैं उनके पिताजी को जानता हूं। महोदय, श्री रंगराजन को संसद में 'रंगा' या 'रंगराजन' के नाम से जाना जाता है। लेकिन चेन्नई उच्च न्यायालय में वकीलों के बीच उन्हें 'तम्बु' के नाम से जाना जाता था। वह एक योग्य श्रमिक वकील तथा श्रमिक वर्ग के लिए संघर्ष करने वाले थे। वह अपनी पत्नी के साथ चेन्नई उच्च न्यायालय तथा अन्य श्रमिक न्यायालयों में श्रमिक वर्ग के लिए संघर्ष करते थे। राजनीति में प्रवेश करते समय, वे कहा करते थे कि व्यक्ति को अपने विचार तथा निर्णय लेने में स्पष्ट तथा दृढ़ होना चाहिए।

महोदय, वह सदैव मुसकुराते रहते थे। कोई भी उनका हंसमुख चेहरा नहीं भूल सकता। एक अद्भुत संयोग से, 1995 में, हमारे और उनके नाम पर वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए चेन्नई उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया और उसी दिन हमें नामित कर दिया गया। मैंने चेन्नई से श्री रंगराजन से दूरभाष पर संपर्क किया और उन्हें बताया कि मेरे साथ उन्हें भी वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया गया है। तब उन्होंने कहा कि वे श्रमिक वर्ग के हितों की वकालत करते रहे हैं, चाहे जो भी, वे केवल दलित और श्रमिक वर्ग की भलाई में अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे। हमने ऐसे व्यक्तित्व को उसकी युवावस्था में ही खो दिया है। भाग्य ने 13वीं लोक सभा से श्री रंगराजन कुमारमंगलम को छीन लिया है।

वे सोचने, व्यवहार और कार्य में तेज थे। वे किसी बात को छिपाते नहीं थे। वे जहां भी रहे कोई उनका शत्रु नहीं होता था।

1998 में, जब उन्हें सलेम से चुनाव लड़ने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि वे त्रिची से चुनाव लड़ना अधिक पसंद करेंगे। हमारी पार्टी के नेता ने श्री रंगराजन के मुस्कराते चेहरे को देखकर उनकी बात मान ली। वह प्रत्येक के मन की बात समझने में तथा प्रत्येक का प्रेम पाने में सक्षम थे। प्रत्येक ने उनकी प्रशंसा की है। हमने एक योग्य एवं युवा प्रशासक, सक्षम संसदविद् और देश के भावी नेता को खो दिया है।

महोदय, आपके साथ और अन्य नेताओं के साथ मैं उनके निधन पर शोक व्यक्त करता हूं और वकील श्रीमती किट्टी कुमारमंगलम को हार्दिक संवेदना भेजता हूं।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, आपने, सदन के नेता ने, विपक्ष के नेता ने और अन्य नेताओं ने जो महान दिवंगत आत्मा के प्रति शोक उद्गार व्यक्त किए हैं, हम सभी उसके साथ हैं। प्रकृति की अजीब विडम्बना है कि आज सवाल नम्बर 1 और 2 के सम्बन्ध में कुमारमंगलम साहब उत्तर देते। हम बराबर सदन में उनसे जूझते थे और आज फिर जूझते। लेकिन वह मौका हाथ नहीं आया। कुमारमंगलम साहब मृत्यु से जूझते-जूझते कल पराजित हो गए, और कल ही जन्माष्टमी थी। कहते हैं कि इलाज ठीक ढंग से नहीं हुआ, उसके बाद भी दादागिरि की कि सरकार को कागज-पेपर नहीं देंगे, मेडिकल कौंसिल को देंगे।

सरकार के मंत्रियों की यह दुर्दशा है तो आम लोगों का क्या होगा? ये सब बातें वह पीछे छोड़ गए हैं। बिहार में बिजली के संबंध में उनसे सवाल जवाब हुआ था। कंसलटेटिव कमेटी में भी मैं उनके साथ सदस्य था। उन्होंने वचन दिया था कि बिहार में बिजली का मामला हम अलग से पूरी तरह आपके साथ बैठकर करेंगे लेकिन वह दिन अब आने वाला नहीं है। बिजली का क्या होगा और देश में जो बिजली संकट है, उसे दूर करने के लिए वह बराबर सक्रिय रहते थे। बिजली का क्या होगा, यह चिन्ता का विषय है। ठीक है माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि मृत्यु सत्य है और भगवान कृष्ण का उपदेश भी है कि शोक करना ठीक नहीं है लेकिन जिस समाज में हम हैं, जब अपने बीच से कोई उठ जाता है तो दुख अनिवार्य हो जाता है और सम्पूर्ण सदन शोकाकुल है। इस महान दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आपसे प्रार्थना है कि सदन की ओर से और सभी पार्टियों की ओर से शोक संवेदना उनके परिवार तक भी पहुंचा दी जाए ताकि उनका परिवार इस घोर विपत्ति का सामना कर सके और दुख से निवारण पा सके।

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी) : अध्यक्ष महोदय, गहरे दुख और भरे मन से मैं अपने प्रिय मित्र श्री रंगराजन कुमारमंगलम के असामायिक और दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। उनके अचानक अस्वस्थ होने तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जीवन के लिए संघर्ष का समाचार हमारे लिए ऐसा लगा जैसे बज्रपात हो गया हो। लोकतंत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले एक ओजस्वी और जुझारू व्यक्ति, अपने बेहतरीन प्रदर्शन से मंत्री के रूप में अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को सिद्ध करने वाले एक सक्षम संसदविद् के रूप में वे हर दल के सदस्यों के प्रिय थे। वे एक अथक संघर्षशील व्यक्ति थे जो कि दलितों, गरीबों, श्रमिकों तथा प्रजातंत्र की लड़ाई के लिए समर्पित थे। मित्रता के तौर पर वे दूसरों के लिए एक उदाहरण थे। उनकी अपनी दृष्टि

थी। उनका अपना स्वप्न था। उनकी विशिष्ट निष्पादन की सफलता में अति सावधानी से बनाई गई योजनाओं, स्पष्ट चिन्तन, पूर्ण ज्ञान, अथक परिश्रम, अपनी धारणा के प्रति प्रतिबद्धता तथा इन सबसे अधिक मानवीय भावना जैसे तत्वों का योगदान था।

वे समृद्ध परम्परा वाले परिवार-कुमारमंगलम-जर्मी से संबद्ध थे। उनके पितामह स्वर्गीय डा० सुब्रार्यन तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी में एक मंत्री थे तथा पंडित नेहरू मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे। उनके पिता स्वर्गीय मोहन कुमारमंगलम एक विशिष्ट बैरिस्टर थे। वे श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में एक मंत्री के रूप में सेवा किए थे तथा वायु दुर्घटना में उनकी अचानक मौत से पूरे देश को गहरा धक्का लगा था। यदि श्री रंगराजन कुमारमंगलम जीवित रहे होते तो वे और ऊंचाई पर पहुंचे होते। लेकिन मृत्यु के क्रूर एवं निर्दयी हाथों ने उन्हें हमसे छीन लिया है।

सभी को ज्ञात है कि जीवन क्षणभंगुर है। महान कवि टामस ग्रे ने अपनी एक कविता 'इलेजी रीटेन इन् ए कन्ट्री चर्चयार्ड' में कहा है, "हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कब्र की तरफ।" अत: जीवन क्षणभंगुर है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, "उस अनन्त की शान्ति में जीवन एक छोटे बुलबुले की तरह है।" जब कोई अपना नजदीकी और प्रिय बिछड़ जाता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपना परम अनुयायी खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सशक्त कार्यकर्ता खो दिया है। मेरे राज्य, तमिलनाडु राज्य ने एक सच्चा और आदर्श जनसेवक खो दिया है। संसद ने एक अच्छा संसदविद् तथा मैंने एक अभिन्न मित्र खो दिया है।

मेरे हृदय में श्री रंगराजन कुमारमंगलम की प्रिय पत्नी और उनके प्रिय बेटे और बेटी के प्रति सहानुभूति है। मैं इस युवा और जुझारू नेता को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी स्मृति हमारे दिलों में सदा बनी रहेगी।

मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी एम.डी.एम.के. की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.41 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में विदेशी सहायता

•421. **श्री मानसिंह पटेल : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत का उत्पादन करने के लिए प्राप्त हुई विदेशी सहायता का समुचित उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त हुई और उसका कितना उपयोग किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राप्त की गई विदेशी सहायता का समुचित रूप से उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता का समुपयोजन बहुत अच्छा रहा है। यह समुपयोजन 1997-98 में 88.4 प्रतिशत, 1998-99 में 100.2 प्रतिशत और 1999-2000 में 103.3 प्रतिशत था। परियोजना के लिए प्रतिबद्ध निधियों को व्यय संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में विदेशी सहायता का संशोधित अनुमान एवं वास्तविक समुपयोजन संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	संशोधित अनुमान (करोड़ रुपये)	वास्तविक समुपयोजन (करोड़ रुपये)	प्रतिशत समुपयोजन
1997-98	4372.85	3868.21	88.4
1998-99	4004.00	4012.09	100.2
1999-2000	3138.58	3242.94	103.33

(ग) सरकार सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं तथा इम्पावर्ड कमेटी और क्षेत्रीय कार्य बलों समेत विभिन्न मानीटरिंग कमेटियों के जरिए विदेशी सहायता प्राप्त कर रही परियोजनाओं का नियमित रूप से मानीटरिंग करती है।

1000 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजना को काउंटर गारंटी

•422. **डा० अशोक पटेल :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1000 मेगावाट क्षमता की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए काउंटर गारंटी देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) भारत सरकार (जीओआई) ने वर्ष 1991 में एक विद्युत नीति की घोषणा की थी जिसका उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित करना है। ऐसा अन्य कारणों के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र में अधिक निवेश की आवश्यकता के सम्मुख घटती बजटीय सहायता और अपर्याप्त संसाधन उत्पादन के कारण किया गया। निजी विद्युत विकासकों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए भारत सरकार ने शीघ्र विकास हेतु अभिज्ञात की गई निजी विद्युत परियोजनाओं को काउंटर गारंटी जारी

करने पर विचार किया है। यह काउंटर गारंटी निवेशकों के लिए एक वित्तीय सुविधा थी कि यदि राज्य विद्युत बोर्डों, निजी विद्युत उत्पादकों से विद्युत खरीद के बदले विद्युत क्रय करार के अनुसार भुगतान नहीं कर पाते हैं और संबंधित राज्य सरकार अपनी गारंटी के लिए भुगतान नहीं करती है तो केन्द्रीय सरकार इस संबंध में भुगतान करेगी और राज्य के केन्द्रीय सहायता से इसे कम करेगी।

भारत सरकार की काउंटर गारंटी स्कीम का विकास निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में किया गया था और वर्ष 1994 में यह निर्णय लिया गया था कि आठ आरंभिक परियोजनाओं को भारत सरकार की काउंटर गारंटी प्रदान की जाएगी जिन्हें विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश लाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इनमें 1000 मे.वा. से अधिक की क्षमता वाली तीन परियोजनाएं शामिल हैं। इन तीन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है :-

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित सम्पूर्ण लागत (के.वि.प्रा. द्वारा प्रदान की गई तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के अनुसार)
1.	विशाखापटनम ताप विद्युत परियोजना, आंध्र प्रदेश	1040	943.75 मिलियन अमरीकी डालर + 1324.993 करोड़ रुपये (1 अमरीकी डालर = 35.00 रुपये)
2.	मंगलौर ताप विद्युत परियोजना, कर्नाटक	1013.2	751.574 मिलियन अमरीकी डालर + 1580.89 करोड़ रुपये (1 अमरीकी डालर = 35.00 रुपये)
3.	भद्रावती ताप विद्युत परियोजना, महाराष्ट्र	1082	5187 करोड़ रुपये

सरकार ने एक संशोधित प्रक्रिया के माध्यम से आंध्र प्रदेश में मै. हिन्दुजा नेशनल पावर कम्पनी लिमिटेड (एचएनपीसीएल) की विशाखापटनम ताप विद्युत परियोजना (1040 मे.वा.) महाराष्ट्र में, मै. सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी (सिपको) की भद्रावती ताप विद्युत परियोजना (1082 मे.वा.) को काउंटर गारंटी प्रदान करने का अनुमोदन 16.5.1998 को प्रदान कर दिया है। इन परियोजनाओं को भारत सरकार की काउंटर गारंटी अगस्त, 1998 में जारी की गई है। भारत सरकार की काउंटर गारंटी कर्नाटक में मै. कोंजेंट्रिक्स एनर्जी इंक. की मंगलौर ताप विद्युत परियोजना (1013.2 मे.वा.) के मामले में 22.12.1999 को अनुमोदित की गई है।

[अनुवाद]

रक्षा प्रतिष्ठानों पर पाकिस्तान द्वारा हमले

•423. **श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'आपरेशन विजय' के बाद आज तक जम्मू-कश्मीर और अन्य स्थानों पर आतंकवादियों ने सेना के शिविरों और प्रतिष्ठानों पर कितने हमले किए हैं;

(ख) इन हमलों में भारतीय सेना के कितने अधिकारी और जवान मारे गए और घायल हुए;

(ग) इनमें कितने आतंकवादी मारे गए, घायल हुए और पकड़े गए; और

(घ) सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना के शिविरों, संस्थापनों और प्रतिष्ठानों की कड़ी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) 'संक्रिया विजय' के बाद से 19 अगस्त, 2000 तक सेना/आर आर कैम्पों पर आठ हमले किए गए हैं।

(ख) इन हमलों में भारतीय सेना के 3 अफसर और 21 जवान मारे गए तथा 1 अफसर और 53 जवान घायल हुए।

(ग) 19 आतंकवादी मारे गए। कोई आतंकवादी पकड़ा नहीं गया।

(घ) सैन्य चौकियों और संस्थापनाओं पर इस तरह के हमले रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

रसोई गैस की मांग और आपूर्ति

•424. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001 के अन्त तक रसोई गैस की मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या होगी;

(ख) क्या रसोई गैस की वर्तमान मूल्य निर्धारण प्रणाली तेल क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों की स्थिति सुधारने में सरकार के लिए मददगार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कम्पनियों द्वारा वर्ष 2001-02 के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की पूरी की जाने वाली मांग 8,516 हजार मीट्रिक टन (टीएमटी) होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2001-02 के लिए स्वदेशी स्रोतों से एलपीजी का उत्पादन 7,071 टीएमटी होने का अनुमान है। 1,445 टीएमटी की अनुमानित कमी आयात के माध्यम से पूरी की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने निजी पक्षकारों को समानान्तर विपणन योजना (पीएमएस) के तहत एलपीजी का आयात करने की अनुमति दे दी है।

(ख) और (ग) फिलहाल घरेलू एलपीजी एक राजसहायता प्राप्त पेट्रोलियम उत्पाद है। घरेलू एलपीजी पर राजसहायता का वर्तमान स्तर 125 रुपये प्रति सिलेन्डर है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए एलपीजी बाजार निर्धारित मूल्यों पर बेची जाती है। सरकार ने नवम्बर, 1997 में प्रशासित मूल्य निर्धारण प्रणाली (एपीएम) को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने का निर्णय लिया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्दिष्ट था कि घरेलू एलपीजी पर राजसहायता वर्ष 2000-01 तक इसके आयात समता मूल्य के 15 प्रतिशत तक कम कर दी जाएगी।

जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट

•425. डा० रमेशचन्द तोमर :
श्री चन्द्र विजय सिंह :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों की खंडपीठें स्थापित किए जाने के बारे में जसवंत सिंह आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जसवंत सिंह आयोग की सभी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) जसवंत सिंह आयोग ने तारीख 30 अप्रैल, 1985 की अपनी रिपोर्ट में संसदीय विधान द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ आगरा में और उसकी दो सर्किट न्यायपीठें नैनीताल और देहरादून में स्थापित करने की सिफारिश की। आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, मध्य प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों की सर्किट न्यायपीठें कमशः, रायपुर और मदुरै में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(3) के अधीन अपने-अपने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा अधिसूचनाएं जारी करके स्थापित करने और पांच वर्ष के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 51(2) के अधीन राष्ट्रपतीय अधिसूचना द्वारा उनको स्थायी न्यायपीठों में परिवर्तित करने पर विचार-विमर्श करने की सिफारिश की थी। आयोग ने किसी उच्च न्यायालय की प्रधान न्यायपीठ से दूर उसकी किसी स्थायी न्यायपीठ की स्थापना के औचित्य और आवश्यकता का निर्धारण करने में अनुसरण किए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों और मानदंडों का सुझाव दिया है और साथ ही उसमें उक्त न्यायपीठ के स्थान के चयन के मामले में जिन बातों को ध्यान में रखना होगा उनका उल्लेख किया है।

मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और तमिलनाडु सरकार इस बात पर सहमत हो गए हैं कि राज्य सरकार द्वारा न्यायालय भवनों, न्यायाधीशों के लिए निवास-स्थान, आदि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान किए जाने के पश्चात् मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ स्थापित की जा सकेगी।

इस संबंध में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों से, संबद्ध उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के परामर्श से, कोई विनिर्दिष्ट पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल के नए राज्यों के लिए पृथक् उच्च न्यायालयों के सृजन के लिए संसद द्वारा पारित मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 में उपबंध किए गए हैं।

जैव-उर्वरकों का उत्पादन

•426. श्री राजो सिंह :
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में जैव-उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में जैव-उर्वरकों का उत्पादन किया जा रहा है और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जैव-उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि तथा सहकारिता विभाग, भारत सरकार 9वीं योजना के दौरान "जैव उर्वरकों का विकास और उपयोग संबंधी राष्ट्रीय नीति" नामक निरन्तर केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को कार्यान्वित कर रही है। इस परियोजना के तहत गाजियाबाद में एक राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना की गई है जिसके 6 केन्द्र अर्थात् हिसार, जबलपुर, बंगलौर, नागपुर, भुवनेश्वर और इम्फाल प्रत्येक जगह एक केन्द्र है। ये केन्द्र अपने एक्सटेंशन कामगारों, डीलरों और कृषकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये केन्द्र उर्वरक के उपयोग के बारे में खेत (क्षेत्र) प्रदर्शन भी आयोजित करते हैं। ये केन्द्र देश में जैव उर्वरक उत्पादकों के बीच वितरण हेतु जैव उर्वरकों के अन्नत स्टेन्स भी प्रतिधारित करते हैं। जैव उर्वरकों की उपयोगिता के बारे में साहित्य भी तैयार किया जाता है और एक्सटेंशन कामगारों, जैव उर्वरक उत्पादकों, डीलरों और कृषकों द्वारा उपयोग के लिए वितरित किया जाता है।

इस योजना के तहत 150 टन प्रति वर्ष क्षमता के जैव उर्वरक उत्पादन एकक की स्थापना हेतु 20 लाख रुपये तक की अनावृति अनुदान सहायता दी जाती है। छोटी क्षमता के लिए यथानुपात कम सहायता दी जाती है। 9वीं योजना के दौरान जैव उर्वरक एककों की स्थापना हेतु 6.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ग) सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार, देश में जैव उर्वरक एककों की स्थापना के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उद्यमी देश में कहीं भी जैव उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

स्थापित/स्थापित किए जा रहे जैव उर्वरक उत्पादन एककों, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित/वित्तपोषित और भारत सरकार से अनुदान के बिना स्थापित किए गए की राज्यवार संख्या विवरण-I में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। गत 3 वर्षों के दौरान कुछ राज्यों में जैव उर्वरक एककों की स्थापना के लिए 301.00 लाख रुपये की सहायता दी गई है। ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। इसके अलावा, उर्वरक विभाग ने 1997-98 के दौरान मै. एचएफसी लिमिटेड की दुर्गापुर, बरौनी, सिन्दरी और नामरूप में जैव उर्वरक उत्पादन सुदृढ़ीकरण हेतु 10.00 लाख रुपये की अनुदान सहायता भी दी है।

विवरण-I

भारत सरकार तथा अन्यों द्वारा सृजित की गई जैव-उर्वरक उत्पादन की क्षमताओं के राज्य-वार ब्यौरे

क्षमता/वार्षिक (टन)

क्रम सं०	राज्य का नाम	जैव-उर्वरक			
		उत्पादन भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एककों की संख्या	क्षमता	अन्य एककों की संख्या	क्षमता
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3	225	1	70
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	75		
3.	आसाम	2	300		
4.	बिहार	4	375	1	11
5.	मेघालय	1	75		
6.	मिजोरम	1	75		
7.	नागालैंड	1	150		
8.	उड़ीसा	4	525		
9.	पश्चिम बंगाल	3	300	2	234
10.	हरियाणा	1	75		
11.	हिमाचल प्रदेश	1	75		
12.	उत्तर प्रदेश	4	225	10	300
13.	कर्नाटक	8	1050	3	430
14.	केरल	3	300		
15.	तमिलनाडु	7	600	7	459
16.	पाण्डिचेरी	1	75		
17.	गुजरात	6	1200		
18.	मध्य प्रदेश	6	1025		
19.	महाराष्ट्र	15	1950	20	6048
20.	राजस्थान	2	225	3	1052
21.	पंजाब	1	175		
22.	दिल्ली			1	3
23.	त्रिपुरा			1	140
	योग	75	9075	49	8617
	भारत सरकार एवं अन्य द्वारा जैव-उर्वरक उत्पादन की सृजित क्षमता				17692
	भारत सरकार एवं अन्य इकाइयों की कुल संख्या				124

विवरण-II

जैव-उर्वरक के उत्पादन एककों को स्थापित करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि

क्रम सं.	राज्य का नाम	वर्ष (लाख रु. में)			कुल
		1997-1998	1998-1999	1999-2000	
कृषि और सहकारिता विभाग की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना					
1.	गुजरात	40.00	—	15.00	55.00
2.	मध्य प्रदेश	20.00	—	—	20.00
3.	उत्तर प्रदेश	20.00	—	—	20.00
4.	महाराष्ट्र	—	30.00	90.00	120.00
5.	मेघालय	—	10.00	—	10.00
6.	तमिलनाडु	—	10.00	—	10.00
7.	कर्नाटक	—	—	42.50	42.50
8.	केरल	—	—	5.00	5.00
9.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	5.00	5.00
	योग	80.00	50.00	157.50	287.50
उर्वरक विभाग की योजना					
1.	आंध्र प्रदेश	6.50	—	—	6.50
2.	कर्नाटक	7.00	—	—	7.00
	योग	13.50	—	—	13.50
	महा योग	93.50	50.00	157.50	301.00

[हिन्दी]

भारतीय अर्थव्यवस्था पर विद्युत की कमी का प्रभाव

•427. **प्रो० दुर्गा भगत** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर विद्युत की कमी का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रभाव का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विद्युत की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) आर्थिक विकास हेतु ऊर्जा एक आवश्यक निवेश है और विद्युत की कमियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पिछले पचास वर्षों में विद्युत क्षेत्र में सार्थक विकास हुआ है। अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता वर्ष 1947 में लगभग 1350 मे.वा. से बढ़कर 31 जुलाई, 2000 को 99,000 मे.वा. से अधिक हो गई है। इसी प्रकार देश में ऊर्जा का उत्पादन गत 10 वर्षों की अवधि के भीतर वर्ष 1989-90 के दौरान 245.4 बिलियन यूनिट से दोगुना होकर वर्ष 1999-2000 के दौरान 480 बिलियन यूनिट हो गया है। यद्यपि विद्युत क्षेत्र में विकास पूर्ण रूप से प्रभावशाली रहा है लेकिन इसकी गति बढ़ती मांग के अनुसार नहीं है। वर्ष 1999-2000 के दौरान ऊर्जा की कमी लगभग 6.2 प्रतिशत थी और व्यस्ततमकालीन कमी 12.4 प्रतिशत थी। विभिन्न राज्य सरकारों ने प्रतिबंध लगाने और विशेषत: व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान उद्योग और कृषि क्षेत्रों में विद्युत की कटौती की है। इन बाधाओं के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर सकारात्मक विकास दर प्रदर्शित हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 1999-2000 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का वार्षिक औसत विकास, वर्ष 1957-58, 1965-66, 1972-73 और 1979-80 को छोड़कर, सकारात्मक रहा है।

देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय किए गए हैं।

अल्पकालीन उपाय :

(i) आवश्यक पारेषण नेटवर्क की अधिष्ठापना करके विद्युत के अन्तर-क्षेत्रीय अंतरण को सुविधाजनक बनाना।

(ii) विद्युत उत्पादन को अधिकतम करने के लिए ताप और जल विद्युत स्टेशनों की विद्यमान पुरानी यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार।

(iii) कम निर्माणावधि वाली विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

(iv) मांग पक्ष प्रबंधन।

(v) विभिन्न उपायों को कार्यान्वित करके पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी।

दीर्घकालीन उपाय :

(i) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहन।

(ii) तीव्र गति से जल विद्युत शक्यता का दोहन करने के लिए अगस्त, 1998 में जल विद्युत नीति तैयार किया जाना और लघु व मिनी जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना।

(iii) पारेषण और वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना और प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार लाना।

(iv) विद्युत क्षेत्र का सुधार और पुनर्संरचना।

(v) ऊर्जा दक्षता और संवर्धन को प्रोत्साहन।

(vi) देश में बड़े आकार के विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए बड़ी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु नवंबर, 1998 में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए गए।

[अनुवाद]

रेशम का आयात/निर्यात

•428. **श्री अनन्त नायक :**
श्री पी०डी० एलानगोवन :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान देश-वार कुल कितना और कितने मूल्य के कच्चे रेशम का आयात और निर्यात किया गया;

(ख) रेशम का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कुछ रेशम उद्योगों ने रेशम का निर्यात घटाने/रोकने के बारे में अभ्यावेदन दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने आयातित रेशम पर पाटन रोधी शुल्क लगाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) वर्ष 1997-98 से 2000-01 (अप्रैल-मई) तक अपरिष्कृत रेशम के देश-वार और वर्ष-वार आयात को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। देश से अपरिष्कृत रेशम का निर्यात नहीं किया जाता है।

(ख) रेशम उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए मुख्य कदम हैं :-

(1) सरकार भारतीय रेशम निर्यात संवर्द्धन परिषद्, मुंबई को अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में सहभागिता करने, "टैक्सस्टाइल्स इंडिया" जैसे देशी मेलों में जननिक संवर्द्धन मंडप आयोजित करने, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में प्रचार करने, "सिल्क इंडिया" पत्रिका का प्रकाशन करने और घरेलू रेशम निर्माताओं के लिए रंग का पूर्वानुमान कार्ड प्रचारित करने, निर्यातकों में विदेशी व्यापार सूचना का प्रसार करने आदि जैसे विभिन्न निर्यात संवर्द्धन क्रियाकलाप शुरू करने के लिए बाजार विकास सहायता प्रदान कर रही है।

(2) सरकार ने एग्जिम नीति के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य संवर्द्धन/इनपुट-आऊटपुट के मानदण्डों को सुव्यवस्थित किया है; अग्रिम

लाइसेंस योजना के अन्तर्गत निर्यातकों को कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात करने की सुविधा प्रदान की है; निर्यात उत्पाद के लिए शुल्क की रियायती दर पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति आदि दी गई है।

(3) प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वस्त्र क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत लागू दर से 5 प्रतिशत बिन्दु कम पर ऋण की सुविधा रेशम क्षेत्र को भी उपलब्ध है।

(ग) और (घ) मंत्रालय को रेशम निर्यात कम/बंद करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, इस मंत्रालय को स्पन सिल्क मिलों से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें रेशम अपशिष्ट की उपलब्धता कम होने और अपशिष्ट रेशम के निर्यात कम/बंद करने के बारे में कहा गया है। रेशम डीलरों और निर्यातक भी ऐसे अभ्यावेदन भेज रहे हैं जिनमें कहा गया है कि निर्यात को कम/प्रतिबंधित न किया जाए।

दोनों पक्षों की कठिनाइयों और विचारों को सुनने के लिए मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर डीलरों, निर्यातकों और स्पन सिल्क मिलों की एक बैठक आयोजित की गई है।

(ङ) और (च) रेशम के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क नहीं लगाया गया है।

विवरण

अपरिष्कृत रेशम का आयात

(मूल्य लाख रु. में, मात्रा टन में)

देश	1997-98		1998-99		1999-2000 (अनंतिम)		2000-2001 अप्रैल-मई (अनंतिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आस्ट्रेलिया	–	–	–	–	13	106.53	–	–
आस्ट्रिया	–	–	–	–	8	67.79	–	–
ब्राजील	71	776.84	170	1737.23	130	1015.35	21	62.67
बुलगारिया	–	–	4	33.58	–	–	–	–
चिली	3	34.08	–	–	1	12.55	31	268.39
चीन ताइपेई	61	535.57	94	785.49	39	321.99	2	4.47
चीन पी.आर.पी.	1795	16932.85	2203	20327.03	6409	38205.81	594	4927.33
कोलम्बिया	19	184.86	–	–	–	–	–	–
जर्मनी	1	11.77	–	–	4	22.37	–	–
हांगकांग	180	1491.51	144	1319.00	2	12.66	36	311.03
होण्डुरस	–	–	–	–	–	–	1	7.4
इटली	नगण्य	1.24	–	–	–	–	–	–
जापान	–	–	2	14.55	189	1273.98	–	–
कजाकस्तान	–	–	–	–	2	23.41	–	–
कोरिया डी.पी.आर.	7	63.46	4	30.15	2	10.69	–	–
कुवैत	1	8.93	–	–	–	–	–	–
किर्जिस्तान	–	–	–	–	10	60.33	1	4.05
कोरिया आर.पी.	38	284.93	98	780.08	1	6.79	4	35.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मलेशिया	—	—	—	—	—	—	9	68.82
नेपाल	1	9.21	2	21.40	63	363.94	—	—
परागुवे	9	91.98	—	—	—	—	—	—
रूस	21	169.53	5	44.74	10	83.09	—	—
सिंगापुर	31	294.88	28	273.84	1	6.63	—	—
दक्षिण अफ्रीका	—	—	—	—	4	36.44	—	—
श्रीलंका	—	—	5	52.30	1	12.19	—	—
स्विटजरलैंड	—	—	—	—	3	24.03	—	—
तुर्की	7	58.55	6	51.84	2	17.32	—	—
यू.ए.ई.	35	283.19	14	104.66	—	—	3	23.83
यू.के	6	51.08	4	40.37	4	26.78	—	—
यू.एस.ए.	8	50.09	12	115.48	1	4.41	—	—
उजबेकिस्तान	62	457.02	21	141.06	27	201.68	—	—
वियतनाम सो. रिपब्लिक	5	45.59	8	63.62	10	68.05	—	—
कुल	2361	21833.16	2824	25936.42	6915	41810.49	702	5713.65

भद्रावती विद्युत परियोजना को ईंधन की आपूर्ति

•429. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा 1.2 बिलियन डालर वाली उस "फास्ट ट्रैक भद्रावती विद्युत परियोजना" के लिए ईंधन की आपूर्ति के मुद्दे को कोयला मंत्रालय के साथ उठाए जाने की संभावना है जिससे फ्रांसीसी कम्पनी इलेक्ट्रिक डी. फ्रांस (ई.डी.एफ.) ने हाल ही में विलम्ब के कारण अपने को अलग कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कोल इंडिया लि. द्वारा इस परियोजना स्थल को कोयले की आपूर्ति में अत्यधिक जोखिम संबंधी प्रीमियम के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) मै. सेंट्रल इंडिया पावर कम्पनी लिमिटेड (सिपको) की 1082 मे.वा. क्षमता वाली भद्रावती विद्युत परियोजना को कोयले की आपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर 5 अगस्त, 2000 को भुम्बई में आयोजित बैठक में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय एवं कोयला विभाग), महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी) मै. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), मै. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) एवं सिपको के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

(ख) उक्त बैठक में कोयले की आपूर्ति, मूल्य निर्धारण एवं रिस्क प्रीमियम से जुड़े मसलों पर चर्चा की गई थी तथा यह मामला अभी भी विचाराधीन है।

रेल परियोजनाएं

•430. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसाधनों की अनुपलब्धता के आधार पर अनेक महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं में देरी की जा रही है और दूसरी ओर ऐसी परियोजनाओं पर सैकड़ों करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं जिनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है; और

(ख) इस राशि से लम्बित पड़ी रेल परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, नहीं। रेलवे परियोजनाएं सामान्यत: प्रणाली की परिचालनिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए आरम्भ की जाती हैं, लेकिन ऐसी अनेक परियोजनाएं भी हैं जिन्हें सामाजिक रूप से वांछनीय समझा जाता है, भले ही वे वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद न हों, विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन का आबंटन उनकी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण किया जाता है।

(ख) नई लाइन और आमान परिवर्तन की परियोजनाओं की संख्या बहुत बड़ी है जिनके लिए कमश: 22000 करोड़ रुपये और 9000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। रेलों ने संसाधनों के विवेकपूर्ण आबंटन में सहयोग देने के लिए, नई लाइनों और आमान परिवर्तन की इन परियोजनाओं को उनकी वास्तविक प्रगति, परिचालनिक महत्ता, राष्ट्रीय और सामरिक महत्व और उनके सामाजिक प्रयोजन के आधार पर प्राथमिकता दी है।

भारत-पाक सीमा पर स्थिति

•431. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री विजय गोयल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा वर्तमान में भारत-पाक सीमा के विभिन्न स्थानों पर देखी गई पाकिस्तानी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) हाल ही में पाकिस्तानी सेना द्वारा नियंत्रण रेखा के जिन विभिन्न स्थानों पर गोलाबारी की गई, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) गोलाबारी की प्रत्येक घटना में दोनों देशों के नागरिकों तथा सशस्त्र बलों के मारे गए जवानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा के सुरक्षण हेतु उठाए गए और प्रस्तावित ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) भारत-पाकिस्तान सीमा के आसपास पाकिस्तान द्वारा की जा रही गतिविधियों में तोपों और छोटे शस्त्रों से की जाने वाली गोलाबारी, आतंकवादियों की घुसपैठ तथा नियंत्रण रेखा के आसपास दूर-दूर स्थित हमारी नाजुक सैन्य चौकियों पर सुनियोजित हमले करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, ऐसी रिपोर्ट भी मिली हैं कि पाकिस्तानी सेना की रिजर्व विरचनाएं जम्मू-कश्मीर के सामने की ओर आ गई हैं और पाकिस्तानी सेना की ये विरचनाएं वहीं पर प्रशिक्षण आयोजित कर रही हैं।

जम्मू-कश्मीर में वास्तविक भू-स्थिति रेखा, नियंत्रण रेखा तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास गोलीबारी की घटनाएं नियमित रूप से होती रहती हैं। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से घुसपैठ कराने और विश्व समुदाय के सामने जम्मू-कश्मीर को एक ज्वलंत मुद्दा बनाए रखने के लिए पाकिस्तानी सैन्य बल अकारण गोलीबारी करते रहते हैं।

1 जनवरी, 2000 से 30 जून, 2000 के दौरान नियंत्रण रेखा पर दोनों ओर से हुई गोलीबारी में हमारे 47 सेना कार्मिक मारे गए हैं। बताया गया है कि इस गोलीबारी में पाकिस्तान के 502 सैनिक मारे गए/जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के सिविलियन हताहतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे सिविलियन हताहतों के बारे में पता लगाया जा रहा है।

वाणिज्यिक उपयोग हेतु रेलवे की फालतू पड़ी भूमि की पहचान

•432. **श्री पी० कुमारासामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने संसाधन बढ़ाने के उपायों के एक भाग के रूप में रेलवे की फालतू पड़ी भूमि और आकाश-क्षेत्र के वाणिज्यिक उपयोग का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पलानी, डिण्डीगुल, ओइडंछत्रम, उडुमलपेड, पोल्लाची, कोयम्बटूर और मदुरै में वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) रेलों ने अपनी विकासपरक योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए अपनी जमीन/स्टेशनों के ऊपर के आकाश-क्षेत्र का वाणिज्यिक उपयोग करने का निश्चय किया है। कुछ वर्ष पहले नियुक्त की गई एक विशेषज्ञ समिति ने संपत्ति के विकास के लिए 69 संभावित स्थलों की पहचान की है, जिनमें से रेलों ने मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलूरु और हैदराबाद में पहले चरण में 24 स्थलों को लिया गया है।

(ग) और (घ) पहले चरण में लिए गए स्थलों पर अनुभव प्राप्त करने के बाद ही अन्य स्थलों पर रेलवे की जमीन/आकाश-क्षेत्र का व्यावसायिक दृष्टि से विकास-कार्य विभिन्न चरणों में शुरू किया जाएगा।

प्रतिबंधित कीटनाशकों का उत्पादन और उपयोग

•433. **श्री सी०पी० राधाकृष्णन** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उर्वरकों और कीटनाशकों से नदियों, समुद्र तथा भूमिगत जल में लगातार प्रदूषण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का कई अन्य देशों में प्रतिबंधित कीटनाशकों का उत्पादन और उपयोग अभी भी जारी रखने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो देश में प्रतिबंधित कीटनाशकों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) सरकार इस बात से अवगत है कि उर्वरकों के अधिक उपयोग से भूमिगत जल प्रदूषित हो सकता है, तथापि, भारत में उर्वरक उपयोग का मौजूदा स्तर अभी भी बहुत से विकासशील देशों की अपेक्षा कम है और इसे अधिक नहीं कहा जा सकता है। कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों के उपयोग में अन्तर्निहित जल बहाव की समस्याएं जो नदियों, समुद्र एवं भूमिगत जल को प्रदूषित कर सकती है। पर्यावरण पर कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव के बारे में विश्वव्यापी चिन्ता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने समग्र फसल उत्पादन कार्यक्रम में एकीकृत कीट प्रबन्धन को अपनाया है। जिसमें गैर-रसायनिक तथा जैव कीटनाशकों पर जोर दिया गया है। एकीकृत कीट प्रबन्धन की अवधारणा को बढ़ावा देकर, भारत सरकार कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों की न्यूनतम प्रयोग के साथ पर्यावरण मैत्री

अवधारणा को बढ़ावा दे रही है जिससे नदियों, समुद्र तथा भूमिगत जल को प्रदूषित करने की किसी समस्या के पैदा होने की सम्भावना नहीं है।

(ग) से (ङ) भारत में, कीटनाशकों का उत्पादन कीटनाशक अधिनियम 1968 के अन्तर्गत पंजीकृत करने के बाद ही सम्भव है। पंजीकरण समिति यह सुनिश्चित करती है कि अन्य देशों में प्रतिबंधित कीटनाशकों को सामान्य रूप से पंजीकृत नहीं किया जाता है सिवाय कुछ अतिविशिष्ट अणुओं के जो भारत कृषि-जलवायु परिस्थिति के अन्तर्गत कोई नकारात्मक विषवैज्ञानिक अथवा परिस्थितिकी जोखिम पैदा नहीं करती है। भारत में पंजीकृत करने के बाद अन्य देशों द्वारा कीटनाशकों पर प्रतिबन्ध के संबंध में सरकार में सुधारात्मक कार्रवाही करने के लिए उसका पुनरीक्षण करने के लिए विशेषज्ञ समितियां गठित की हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय नीति

•434. **श्री रामजी लाल सुमन :**
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाने के बारे में विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह नीति कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) विद्युत मंत्रालय एक नए विधेयक अर्थात् विद्युत विधेयक, 2000 पर विचार कर रहा है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्तावित करता है कि विद्युत की आपूर्ति सभी क्षेत्रों जिसमें गांव और बस्तियां शामिल हैं, को सुनिश्चित की जाएगी जिसके लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके केन्द्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जाएगी। प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप, जो इस समय विचाराधीन है में उपरोक्त संघों, सहकारी समितियों, फ्रेंचाइसी अथवा पंचायत संस्थानों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की वृहद् खरीद और स्थानीय वितरण के प्रबंध को प्रदान किए जाने हेतु राष्ट्रीय नीति की भी परिकल्पना की गई है। यह भी परिकल्पना की गई है कि यह नीति ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अपारम्परिक स्टैंड-अलोन ऊर्जा प्रणालियों की अनुमति प्रदान करेगी।

विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श किया है जिनका गैर-विद्युतीकृत गांवों की समस्या के प्रति होलिस्टिक दृष्टिकोण है। विचार-विमर्श के दौरान निम्नलिखित मुद्दे सामने आए :-

(i) आधारभूत न्यूनतम सेवा के एक हिस्से के रूप में ग्रामीण विद्युतीकरण को शामिल करना क्योंकि टैरिफ की वर्तमान दरों तथा निधियों की लागत पर राज्य विद्युत बोर्डों के लिए यह हमेशा आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकता है।

(ii) 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए दलित बस्तियों और आदिवासी गांवों पर विशेष बल।

(iii) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में गैर-सरकारी भागीदारी को प्रोत्साहन।

(iv) निजी पार्टियों के उपभोक्ताओं को विद्युत के उत्पादन/खरीद और बिक्री की अनुमति प्रदान करना क्योंकि केवल रा.वि. बो. के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को गुणवत्ता वाली विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है।

(v) दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित गांवों, जहां ग्रिड का विस्तार करना व्यवहार्य नहीं होगा, के लिए अपारम्परिक स्रोत।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों में केवल विद्युत आवश्यकताओं का समाधान करने की बजाए एक सरल एवं लागत दक्ष रूप में सम्पूर्ण ऊर्जा आवश्यकताओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

(vii) ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति की मीटरिंग और पूरा लेखा-जोखा।

(viii) विशेष रूप से दूर-दराज और अगम्य गांवों, दलित बस्तियों और आदिवासी क्षेत्रों को एक सुस्पष्ट तथा केन्द्रभूत रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना।

इन पर तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा गठित मंत्रियों के दल द्वारा विचार किया जा रहा है। इस दल का गठन दलित बस्तियों तथा आदिवासी गांवों के विद्युतीकरण तथा अन्य कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने और विद्युतीकरण की गति को तेज करने हेतु संशोधन सुझाने की विद्यमान स्कीमों की समीक्षा करने के लिए किया गया है ताकि वे जनता के अन्य क्षेत्रों/वर्गों के समान ही विद्युतीकरण के लाभों को उठा सकें।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद

•435. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारगिल संघर्ष के बाद जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई है;

(ख) गत वर्ष के दौरान आज तक जम्मू और कश्मीर में सक्रिय विभिन्न उग्रवादी संगठनों से कितनी मात्रा में आरडीएक्स, अन्य विस्फोटक पदार्थ, हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया; और

(ग) उग्रवाद पर काबू पाने में सुरक्षा बलों को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) कारगिल संघर्ष के बाद जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई है।

2. वर्ष 1999 तथा जनवरी, 2000 से 16 अगस्त, 2000 तक के दौरान राज्य में सक्रिय विभिन्न आतंकवादी गुटों से बरामद किए गए आरडीएक्स/अन्य विस्फोटकों/शस्त्रों एवं गोला बारूद की मात्रा के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

1999		2000 (जनवरी-16 अगस्त)	
आरडीएक्स	1161 किलो	आरडीएक्स	1263 किलो
अन्य विस्फोटक	1644 किलो	अन्य विस्फोटक	1376 किलो
राकेट	836	राकेट	470
पिका तोप	31	पिका तोप	24
मोर्टार	74	मोर्टार	98
राकेट लांचर	195	राकेट लांचर	129
ग्रेनेड लांचर	235	ग्रेनेड लांचर	79
ए.के. राइफल	1365	ए.के. राइफल	855
गोला बारूद	258471	गोला बारूद	148198

3. राज्य में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए समुचित उपाय किए गए हैं और इस अवधि के दौरान भारी संख्या में आतंकवादियों के मारे जाने व गिरफ्तार किए जाने से इन उपायों की सफलता परिलक्षित होती है। जनवरी, 1999 से 16 अगस्त, 2000 के दौरान इन संक्रियाओं में 1857 आतंकवादी मारे गए हैं और 438 गिरफ्तार किए गए हैं।

रक्षा नीति

•436. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा विशेषज्ञों का यह मत है कि भारतीय सेना की प्रतिक्रियात्मक रक्षा नीति सैन्य दृष्टि से अलाभकारी है और देश को आक्रामक रक्षा नीति अपनानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रबंधन के लिए अधिक प्रभावी व्यवस्था बनाने के लिए कारगिल समीक्षा समिति जैसी विशेष समितियों सहित विभिन्न स्रोतों से बहुत से सुझाव/सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। सरकार ने संपूर्ण सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा करने और खास तौर से कारगिल पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने तथा कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के लिए 17 अप्रैल, 2000 को मंत्रियों के एक दल का गठन किया है। मंत्रियों के दल ने आसूचना तंत्र, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन तथा रक्षा प्रबंधन के क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक-एक कार्य दल का गठन किया है। मंत्रियों के इस दल द्वारा अपने गठन की तारीख से छह माह की अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है।

यूरिया में दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि

•437. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरिया पर दी जाने वाली राजसहायता में वर्षवार कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि के कारण राजसहायता में कितनी वृद्धि हुई?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वदेशी यूरिया पर सब्सिडी में हुई वृद्धि की मात्रा इस प्रकार है :-

वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान दी गई सब्सिडी की तुलना में स्वदेशी यूरिया पर सब्सिडी में हुई वृद्धि की मात्रा
1997-98	1823 करोड़ रुपये
1998-99	1050 करोड़ रुपये
1999-2000	1101 करोड़ रुपये

(ख) फीड-स्टाक की लागत में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि आदि जैसे विभिन्न पहलुओं के कारण सब्सिडी में वृद्धि की मात्रा के ब्यौरे अलग से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सब्सिडी की मात्रा में वृद्धि और फीड-स्टाकों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि मुख्य कारण है।

नौवीं योजना के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में कमी

•438. **श्री अशोक ना० मोहोल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के मध्यावधि समीक्षा-पत्र के अनुसार नौवीं योजना के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से 15 मिलियन टन कम होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या गैस का उत्पादन भी लक्ष्य से 12 प्रतिशत कम होने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा नौवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के

दौरान यह प्रकट हुआ है कि योजना अवधि के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 180.82 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) के मूल लक्ष्य के विपरीत 169.78 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) होने की संभावना है।

कच्चा तेल उत्पादन में इस संभावित कमी के कारण ये हैं :-

(1) मुंबई हाई समेत प्रमुख तेल क्षेत्र अपनी कालावधि के साथ स्वाभाविक ह्रासोन्मुखी चरण में है।

(2) विगत अनेक वर्षों से किसी महत्वपूर्ण अथवा तेल क्षेत्र की खोज नहीं हुई है।

(3) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सतत पर्यावरण समस्याएं तथा इसका क्रम-प्रपाती प्रभाव मन्द वेधन एवं वर्क-ओवर क्रियाकलापों के कारण कम आधारभूत संभाव्यता में परिणामित हुआ है।

(4) उत्तरी गुजरात की भारी तेल पट्टी में बर्द्धित तेल निकासी योजनाएं चालू करने में विलंब।

(5) नीलम क्षेत्र के उत्पाद भण्डारों का प्रमुख अधोगामी संशोधन।

(घ) मध्यावधिक मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि गैस उत्पादन में लक्ष्य से लगभग 5 प्रतिशत तक की कमी होने की संभावना है।

(ङ) प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी के लिए निम्नांकित कारण हैं :-

(1) मुंबई हाई में "उच्च गैस तेल अनुपात" (जीओआर) कूपों की बन्दी।

(2) उनके संयंत्र चालू होने के दौरान कम खरीद के अलावा उपभोक्ताओं द्वारा गैस की अनियमित खरीद।

(3) बसई तथा मुंबई हाई क्षेत्रों में नई सुविधाएं जुटाने के लिए शट डाउन।

(4) कच्चे तेल के समनुरूपी अपेक्षाकृत कम उत्पादन के कारण कम सहबद्ध गैस उत्पादन।

(च) कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम निम्न प्रकार हैं :-

(1) अपेक्षाकृत अच्छे रिजर्वायर प्रबंधन, त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षणों, इनफिल वेधन, दबाव, रख-रखाव, कृत्रिम लिफ्ट प्रणाली के प्रतिष्ठान/इष्टतमीकरण तथा उन्नत एवं लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों के उपयोग एवं निकासी कारक में सुधार के माध्यम से विद्यमान क्षेत्रों से उत्पादन इष्टतमीकरण।

(2) नए खोजे गए तेल क्षेत्रों का अपेक्षाकृत तेजी से विकास।

(3) सघन अन्वेषण क्रियाकलापों के माध्यम से नए हाइड्रोकार्बन भण्डारों की खोज करना, यथा :-

- विद्यमान क्षेत्रों के अन्तर्गत अपेक्षाकृत अधिक गहराइयों में अन्वेषण।
- गहन जल क्षेत्रों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण क्रियाकलाप विस्तारित करना।
- नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के क्रियान्वयन के माध्यम से अन्वेषण क्रियाकलापों के अन्तर्गत बर्द्धित निजी प्रतिभागिता।

आई०सी०पी०एल० को हुए घाटे

•439. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पेट्रो रसायन लिमिटेड इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड कब से घाटे में चल रही है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हुए घाटे का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने पिछले कुछ वर्षों में शुद्ध लाभ कमाया है, इन वर्षों में 1997-98 से 1999-2000 तक के तीन वर्ष तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष का 30 जून, 2000 को समाप्त तिमाही शामिल है।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रेल सुधार आयोग

•440. **श्री बी०के० पार्थसारथी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेलवे की समस्याओं का अध्ययन करने और उपचारात्मक उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए रेलवे सुधार आयोग का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) 25.10.1999 को माननीय राष्ट्रपति जी ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में अपने भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा की थी कि "संसाधन जुटाने की नई नीति तैयार करने, टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने, परियोजना-सूची की प्राथमिकता का निर्धारण करने और रेलवे संरक्षा की अधूरी आवश्यकताओं को तत्काल पूरा करने के लिए एक रेलवे सुधार आयोग का गठन किया जाएगा।"

इस बीच रेल परिवहन के इष्टतम उपयोग के लिए अनुमानित निवेशों के वित्तपोषण के स्रोतों की पहचान करने तथा रेल परिवहन सुविधाओं आदि की संरचना और स्वामित्व के मॉडल अध्ययन करने हेतु डॉ. राकेश मोहन, महानिदेशक, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में एक रेल विशेषज्ञ दल का गठन किया गया जिसमें वित्तीय संस्थानों, उद्योग, आर्थिक अनुसंधान केन्द्रों के सदस्य शामिल हैं। इस रेल विशेषज्ञ दल द्वारा अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 2000 के अन्त तक प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है। विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही प्रस्तावित रेल सुधार आयोग के विचारार्थ विषयों पर राय व्यक्त की जाएगी।

[हिन्दी]

तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के माध्यम से उर्वरकों का उत्पादन

4687. श्री जयप्रकाश : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस के माध्यम से उर्वरक उत्पादन बढ़ाने की योजना को रद्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बारे में अवस्थी समिति की रिपोर्ट की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) श्री यू.एस. अवस्थी, प्रबंध निदेशक, इंडियन फार्मर्स को-आपरेटिव लिमिटेड (इफको) की अध्यक्षता में कोर ग्रुप द्वारा उर्वरकों के विनिर्माण के लिए एलएनजी के आयातों पर प्रस्तुत की गई व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच कर ली गई है। इस कोर ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में, मूलत: उर्वरक फीडस्टाक के लिए 21832 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से साढ़े सात वर्ष की अवधि में दो चरणों में कार्यान्वित की जाने वाली 7 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता की एलएनजी परियोजना स्थापित करने की सिफारिश की थी जो ऊर्जा, घरेलू गैस आदि जैसे अनुपूरक क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा कर सकती है।

(ङ) आगामी वर्षों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में सम्भाव्य गिरावट से संबंधित मुद्दों से निपटने के उद्देश्य से सरकार ने देश में एलएनजी की आपूर्ति करने के लिए एक एकीकृत श्रृंखला की स्थापना हेतु उर्वरक कंपनियों के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोर ग्रुप को निर्देश दिया है।

[अनुवाद]

एचएफसी/एफसीआई में परिचरों/परामर्शदाताओं के रूप में रोजगार

4688. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 1999-2000 के दौरान एचएफसी/एफसीआई में सेवानिवृत्ति के बाद परिचरों/परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) प्रतिमाह उन्हें कितना पारिश्रमिक मिलता है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान उन पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(घ) उनको दिए गए कार्य-भार का ब्यौरा क्या है जिसे एचएफसी/एफसीआई के मौजूदा कर्मचारियों द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (घ) एचएफसी और एफसीआई में परिचरों/परामर्शदाताओं के रोजगार के ब्यौरे विवरण I और II में दिए गए हैं।

विवरण I

एच०एफ०सी० में परिचरों/परामर्शदाताओं के ब्यौरे

क्रम सं०	1999-2000 के दौरान परामर्शदाता के रूप में रखे गए कर्मचारियों के नाम	मासिक परिलब्धियां	किया गया कुल व्यय	उनको सौंपे गए कार्य के ब्यौरे
1	2	3	4	5
1.	श्री जे.पी. कटाकई	रु. 10,000/-	रु. 30,000/-	श्री कटाकई नामरूप एकक के कार्मिक विभाग में प्रभारी के रूप में कार्यरत थे।
2.	श्री ए. तालुकदार	रु. 6,600/-	रु. 59,400/-	श्री तालुकदार नामरूप पुनरूद्धार परियोजना में देख-भाल जैसे अन्य उपकरणों के प्रचालन में थे। श्री राय चौधरी विवरणिकाएं तथा रिपोर्ट तैयार करने के लिए परिचर के रूप में कार्यरत थे। तकनीकी विभाग में परिचर के रूप में कार्यरत थे।
3.	श्री एन.जी. राय चौधरी	रु. 10,390/-	रु. 1,15,817/-	श्री चौधरी विवरणिकाएं तथा रिपोर्ट तैयार करने के लिए परिचर के रूप में कार्यरत थे।

1	2	3	4	5
4.	श्री आई.एस. कंवर	रु. 11,540/-	रु. 52,231/-	श्री कंवर तकनीकी विभाग में परिचर के रूप में कार्यरत थे।
5.	श्री एस.पी. डे	रु. 12,000/-	रु. 53,667/-	श्री डे विपणन प्रभाग आदि के प्रस्तावों जैसे कतिपय विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए परिचर के रूप में कार्यरत थे।
6.	श्री बी.सी. पाण्डे	रु. 11,940/-	रु. 32,938/-	श्री पाण्डे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निरन्तर सम्पर्क और समन्वय करने के लिए सीएमडी कार्यालय में एकमात्र अनुभवी व्यक्ति थे।
7.	श्री डी. प्रसाद	रु. 10,675/-	रु. 64,050/-	वह बरौनी एकक के हित में 6 माह की अवधि के लिए परिचर के रूप में कार्यरत थे।

विवरण II

एफ०सी०आई० में परिचरों/परामर्शदाताओं के रोजगार के ब्यौरे

क्रम सं०	1999-2000 के दौरान परामर्शदाता के रूप में रखे गए कर्मचारियों के नाम	मासिक परिलब्धियां	किया गया कुल व्यय	उनको सौंपे गए कार्य के ब्यौरे
1.	श्री जे.एस. दास	रु. 10,200/-	रु. 28,105/-	श्री दास की सेवाओं का उपयोग तलचर से सिन्दरी में अमोनिया के स्थानान्तरण जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया गया था।
2.	श्री ओ.पी. शर्मा	रु. 4,800/-	रु. 1,15,200/-	श्री शर्मा कम्प्यूटर एडिड साफ्टवेयर सिस्टम के साथ बजट में एफ.सी.आई.एल. में कार्यरत हैं।
3.	श्री एस.पी. वर्मा	रु. 7,500/-	रु. 14,700/-	श्री वर्मा को रेलवे पर एफ.सी.आई.एल. के दीर्घ लम्बित दावों के निपटान के लिए रखा गया है।
4.	डा. के.एन. सिंह	रु. 5,300/-	रु. 45,741/-	डा. सिंह एफ.सी.आई.एल. अस्पताल में परामर्शदाता चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं।

छोटे निवेशकों को संरक्षण

4689. श्री के० येरननायडु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय संस्थाओं और अन्य निकायों द्वारा परिपक्वता की अवधि के पश्चात् जमा पैसा और ब्याज न लौटाने और नवीकरण पर जोर देने की घटनाओं से छोटे जमाकर्ताओं को बचाने हेतु कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार तदनुसार कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 क्यू ए के अन्तर्गत जहां जमाराशि का भुगतान करने में गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों द्वारा चूक होती है और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क के अन्तर्गत गैर-बैंककारी गैर-वित्तीय कम्पनियों द्वारा चूक के मामले में कम्पनी विधि बोर्ड को शक्तियां दी गई हैं। कम्पनी विधि बोर्ड कम्पनी को ऐसी जमाराशि या उसने भाग या ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों के तहत जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट हों का पुनर्भुगतान करने का निदेश दे सकता है। कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश के गैर-अनुपालन के तीन वर्ष के कारावास का दण्ड तथा जुर्माना भी हो सकता है।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रस्ताव है कि लघु जमाकर्ताओं के बारे में एक नई धारा जोड़कर भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 को संशोधित किया जाए। इससे कम्पनी पर कम्पनी विधि बोर्ड को कम्पनी द्वारा जमाराशि का या उसके भाग या उस पर किसी ब्याज को पुनर्भुगतान करने में की गई चूक को चूक करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचित करने का दायित्व होगा। कम्पनी विधि बोर्ड सूचना के प्राप्त होने पर इस सूचना के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक उपयुक्त आदेश पारित करेगा। लघु जमाकर्ता के लिए यह आवश्यक

नहीं होगा कि वह कार्यवाही की सुनवाई में उपस्थित हो। यह भी प्रस्ताव है कि धारा 58 क क की धारा 58 क के अन्तर्गत जमाराशि स्वीकार करने से संबंधित या उत्पन्न अपराध को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध बनाया जाए।

होविट्जर तोपों के लिए गोला-बारूद का उत्पादन

4690. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तोपखाना यूनिट में प्रयुक्त होने वाले होविट्जर तोपों के लिए गोला-बारूद के उत्पादन हेतु आयुध कारखानों की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या उक्त क्षमता का सैनिक इकाइयों को युद्ध क्षेत्र के लिए हमेशा तैयार रखने हेतु पूरा उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सैनिक इकाइयों द्वारा दिए गए आदेशों के बावजूद यह आयुध कारखाने गोला-बारूद की समय पर आपूर्ति क्यों नहीं कर पाते?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) आयुध निर्माणियां सेना द्वारा दिए गए वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार 155 मि.मी. होविट्जर गोला-बारूद की विभिन्न किस्मों अर्थात् एच.ई., एम 107, 77 बी, हीर और स्मोक सेलों की आपूर्ति कर रही हैं। गोला-बारूद की विभिन्न किस्मों के समायोजन के माध्यम से 1.2 लाख राउंडों की अधिकतम क्षमता को प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है। आयुध निर्माणियां वर्ष 1999-2000 में कारगिल संक्रियाओं के दौरान दिए गए उच्चतर लक्ष्यों सहित सशस्त्र सेनाओं की वार्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम रही हैं।

जिमखाना और बिसन पोलो मैदान आंध्र प्रदेश को हस्तांतरित करना

4691. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय से वर्ष 2002 के दौरान 'ट्विन सिटी' में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय खेलों को ध्यान में रखकर हैदराबाद में जिमखाना और बिसन पोलो मैदानों को लंबी लीज पर शीघ्र हस्तांतरित करने और स्टेडियमों के निर्माण की अनुमति देने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2002 के राष्ट्रीय खेलों के लिए स्टेडियम काम्प्लेक्स के निर्माण करने के लिए रक्षा भूमि पट्टे पर दिए जाने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें सिकन्दराबाद में जिमखाना मैदान और बिसन पोलो मैदान शामिल हैं। सरकार ने इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

एन.एफ.एल. अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

4692. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. के विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध मार्च, 1999 तक 7 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से अधिकांश की जांच पूरी हो चुकी है और ये मामले एनएफएल तथा सरकार के विचारार्थ/कार्रवाई के लिए विभिन्न स्तरों पर हैं।

[अनुवाद]

निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष

4693. श्री किरीट सोमैया : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'निवेशक' रक्षा कोष के नियमों और दिशानिर्देशों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम्पनी कार्य विभाग निवेशक शिक्षा और जागरूकता के संबंध में पैकेज और प्रस्तावों पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त विभाग निवेशक एसोसिएशन और इसके कार्यकरण को बढ़ावा देगा; और

(च) निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष को कब तक प्रभावी बना दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) जी, नहीं। कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 205ग की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को शासित करने और अलग लेखा और उस निधि से संबंधित अन्य रिकार्डों को, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके यथानिर्धारित ऐसे कार्यों में रखे जाने हेतु एक समिति का गठन किया है।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि पर गठित समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में निवेशक संरक्षण निधि नियम, 1999 को तैयार

कर लिया गया है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके अनुमोदनार्थ भेज दिया गया है। मामला अभी भी उनके विचाराधीन है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) निवेशक संरक्षण निधि नियम, 1999 के प्रारूप में यह प्रावधान है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि नियम पर गठित समिति समय-समय पर निवेशक जागरूकता शिक्षा एवं संरक्षण से संबंधित गतिविधियों में लिप्त विभिन्न एसोसिएशनों/वाणिज्य मंडलों/संस्थानों/संगठनों/व्यक्तियों का पुनर्गठन करेगी, जिनको प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा कार्यक्रमों को चलाने; सेमिनार सिम्पोजियम आयोजित करने; अनुसंधान गतिविधियों सहित निवेशक संरक्षण के लिए विशिष्ट परियोजनाओं को चलाने तथा वास्तविक निवेशक मुकदमेबाजों को कानूनी सहायता देने के लिए फंड दिया जाएगा।

(च) निवेशक शिक्षा व संरक्षण निधि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद प्रभावी होगी।

विद्युत क्षेत्र में भारत अमरीका समझौता

4694. श्री साहिब सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में अमरीका और भारत के बीच 4 बिलियन डालर के किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका किस प्रकार उपयोग करने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दो संयुक्त वक्तव्यों पर हस्ताक्षर किए थे, पहला अक्टूबर, 99 के दौरान जब श्री बिल स्पिर्डसन, यूएस ऊर्जा सचिव भारत आए थे और दूसरा श्री बिल क्लिंटन के मार्च, 2000 में भारत आगमन पर। दोनों वक्तव्यों में पारम्परिक ऊर्जा परियोजनाओं, नवीकरण ऊर्जा, क्लीन कोल टेक्नालाजी ऊर्जा क्षमता तथा संबद्ध पर्यावरण पहलुओं के क्षेत्र में दो देशों के बीच सहयोग की परिकल्पना की गई है। मार्च, 2000 के वक्तव्य में भी क्लीन एनर्जी तथा एनवायरमेंट, सरकारों के बीच में पत्र-व्यवहार और इन सेक्टरों से सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र सहयोग को दिए गए प्रोत्साहन पर संयुक्त परामर्शदात्री दल स्थापित करने की परिकल्पना की गई है संयुक्त परामर्शदात्री दल अन्य बातों के साथ-साथ दो देशों के बीच में संस्थागत ढांचे को सुनिश्चित करेगा, ताकि अनुसंधान विकास अन्तरण उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन एवं प्रसारण, क्लीन एनर्जी नवीकरण ऊर्जा, ऊर्जा क्षमता तथा विद्युत क्षेत्र सुधार के क्षेत्रों की समीक्षा और पहचान की जा सके और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सहयोग वाली परियोजनाओं को मानीटर किया जा सके। संयुक्त वक्तव्यों में किसी विशिष्ट वित्तीय प्रतिबद्धता का उल्लेख नहीं है।

असम में ताप विद्युत संयंत्र का बंद किया जाना

4695. श्री राजेन गोहेन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की असम में किसी ताप विद्युत संयंत्र को बंद करने की कोई योजना है;

(ख) क्या सरकार की असम में चन्द्रपुर विद्युत संयंत्र को कोयले की कमी और इसकी अधिक लागत के कारण इसके आकार को आधे से कम करके इसकी प्रचालन क्षमता को घटाने पर दिए जा रहे दबाव की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संकट से उबारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) असम में चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र को एक वर्ष से अधिक समय के लिए अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है।

(ख) असम में चन्द्रपुर विद्युत संयंत्र को तरल ईंधन पर चलाया जा रहा है न कि कोयले पर, इस संयंत्र की दो यूनिटों (2 × 30 मे०वा०) को बंद किया जा रहा है क्योंकि तरल ईंधन की उच्च लागत के कारण विद्युत उत्पादन महंगा हो गया है।

(ग) असम में विद्युत की कमी की पूर्ति अन्य जल विद्युत तथा गैस आधारित केन्द्रों और पूर्वी क्षेत्र से आयात करके की जा रही है।

[हिन्दी]

अजमेर-चितौड़गढ़-उदयपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

4696. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अजमेर-चितौड़गढ़-उदयपुर की मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई और अभी तक इस पर कितना खर्च हुआ;

(घ) आमान परिवर्तन का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने नई रेल लाइन का निर्माण करके पुष्कर को अजमेर से जोड़ने का निर्णय भी लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस कार्य को चरणबद्ध आधार पर शुरू किया गया है। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के बीच पहले चरण के कार्य में मिट्टी और पुल-निर्माण संबंधी कार्य प्रगति पर है। अजमेर और चित्तौड़गढ़ के बीच दूसरे चरण का कार्य आगामी वर्षों में शुरू किया जाएगा।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित की गई और खर्च की गई राशि से संबंधित स्थिति निम्नानुसार है :-

वर्ष	आबंटित राशि (करोड़ रुपयों में)	खर्च की गई राशि (करोड़ रुपयों में)
1997-98	05.00	0.50
1998-99	20.00	2.47
1999-2000	25.00	6.21
2000-01	10.00	1.05 जून, 2000 तक

(घ) कोई लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। अजमेर से पुष्कर तक नई रेल लाइन के निर्माण-कार्य को 2000-01 के बजट में शामिल किया गया है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है। इसके बाद भूमि अभिग्रहण किया जाएगा और इस कार्य को भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित बकाया रिक्तियां

4697. श्री अशोक प्रधान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति ने वर्ष 1993 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस पर क्या कार्यवाही की है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) 1 जनवरी, 1993 को स्थिति के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उसके अधीन स्वायत्त/सांविधिक/सम्बद्ध कार्यालयों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े थे; और

(घ) 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित बकाया रिक्तियों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) रिक्तियां यथावत् कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सूचित कर दी गई थी तथा इसके परिणाम अच्छे निकले।

(ग) 1.1.1993 को स्थिति निम्नवत् थी :-

	श्रेणी 1	शून्य
	श्रेणी 2 (राज०)	1
	श्रेणी 2 (अराज०)	3
	श्रेणी 3	1
	श्रेणी 4	3
(घ)	श्रेणी 1	शून्य
	श्रेणी 2 (राज०)	शून्य
	श्रेणी 2 (अराज०)	1
	श्रेणी 3	1
	श्रेणी 4	शून्य

हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय में जांच

4698. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हथकरघा विकास आयुक्त, कलकत्ता के कार्यकलापों, विशेषत: बुनकर सेवा केन्द्र के उपनिदेशक द्वारा समितियों को घटिया कच्चे माल, उपकरण और मशीनरी की डिलीवरी देने और अनुमोदित पूर्ण आपूर्ति हुए बिना पूरी मात्रा की प्राप्ति पर हस्ताक्षर करने के लिए जोर डालने की जांच कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या समितियों के पक्ष में झूठे बिल/वाउचर दिल्ली कार्यालय में मंजूरी के लिए ज़मा कराए जाते हैं, जिनका भुगतान वह लेते हैं;

(ग) यदि हां, तो सभी समितियों से अवैध रूप से धन एकत्र करने के आरोपों की जांच कर दोषियों को सजा देने के लिए जांच करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) जी, नहीं। बुनकर सेवा केन्द्र कलकत्ता के क्रिया-कलापों के सम्बद्ध में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

आंतरिक रेल व्यवस्था का स्वामित्व

4699. श्री रामदास आठवले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार देश के प्रमुख पत्तनों में आंतरिक रेल व्यवस्था का संचालन और स्वामित्व अपने हाथ में लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पत्तन-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) पोर्ट रेल प्रणाली का भारतीय रेलवे नेटवर्क के साथ विलय का मामला भूतल परिवहन मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच विचाराधीन है। यह निर्णय लिया गया है कि इस संबंध ने अंतिम निर्णय लेने से पहले प्रस्तावित विलय के तौर-तरीकों को सुझाने के लिए परामर्शदाता द्वारा अध्ययन कराया जाए।

[अनुवाद]

ट्रैन्सजेनिक कॉटन का फील्ड परीक्षण

4700. **श्री ए० नरेन्द्र :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रैन्सजेनिक कॉटन के बड़े पैमाने पर फील्ड परीक्षण के लिए अनुमति देने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सरकार ने देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में ट्रैन्सजेनिक कपास पर क्षेत्रीय प्रयोग करने और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के आंकड़े सृजित करने के लिए मैसर्स महाराष्ट्र हाईब्रिड सीड कंपनी (एम०ए०एच०वाई०सी०ओ०) को अनुमति दी है। फर्म को केवल 85 हैक्टेयर भूमि और 150 हैक्टेयर में बीज उत्पादन में बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। तथापि, इस प्रकार से उत्पादित बीजों को वाणिज्यिक बिक्री के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। 43 देशों के पहले से ही ट्रैन्सजेनिक फसल पर क्षेत्रीय प्रयोग किए जा चुके हैं। यू०एस०ए०, चीन, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेन्टीना जैसे देशों में ट्रैन्सजेनिक कपास को पहले से ही वाणिज्यिकीकृत किया गया है। तथापि, ऐसा महसूस किया गया है कि बायो-सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मुद्दों को पूरी तरह से हल करने के बाद ही नई प्रौद्योगिकी की अनुमति दी जा सकती है। जिन फसलों का जननिक रूप से महत्वपूर्ण परीक्षण किया गया है वे हैं—फफूंदी और कृषि संबंधी प्राथमिकताओं के अतिरिक्त हरबीसाइड टोलरेंस, इन्सैक्ट रेसीसटैन्स, उत्पाद गुणवत्ता और वायरल रेसीसटैन्स।

कम्पनी लॉ न्यायाधिकरण

4701. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक 'कम्पनी लॉ न्यायाधिकरण' गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस न्यायाधिकरण को कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) कम्पनी लॉ न्यायाधिकरण का गठन संबंधी समस्त मामला सरकार के सक्रिय विचाराधीन है। किसी भी कम्पनी लॉ न्यायाधिकरण के गठन या वर्तमान कम्पनी विधि बोर्ड को सुदृढ़ बनाने पर अन्तिम निर्णय प्रस्तुतीकरण/विवेचन/डिबेट के माध्यम से सभी संबंधित पक्षों के विचारों का पता लगाने और मूल्यांकन करने के बाद ही लिया जाएगा।

तलचर सुपर ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार

4702. **श्री त्रिलोचन कानूनगो :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में विद्युत संयंत्र के स्थलों के पिट हेड पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) द्वारा तलचर सुपर ताप विद्युत संयंत्रों के विस्तार करने के फायदों की पहचान करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रति यूनिट विद्युत की लागत कितनी है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) तलचर सुपर थर्मल पावर परियोजना का अभिकल्पन नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा दो चरणों में क्रियान्वयन करने के लिए किया गया जहां इसकी कुल क्षमता 3000 मे०वा० है। परियोजना का चरण एक (2× 500 मे०वा०) पहले से ही पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लाभ हेतु वाणिज्यिक रूप से कार्यरत है।

उक्त परियोजना के विभिन्न लाभों के मद्देनजर इसके चरण दो (4 × 500 मे०वा०) द्वारा दक्षिणी क्षेत्र को पूरी बिजली की आपूर्ति करने के संबंध में प्रस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की गई और परियोजना को अक्टूबर, 1997 में तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई।

परियोजना का दूसरा चरण (2000 मे०वा०) क्रियान्वयन की अग्रिम अवस्था में है। इसका मुख्य संयंत्र पैकेज मैसर्स भेल को सौंपा गया है। परियोजना के 500 मे०वा० क्षमता के प्रथम यूनिट के 10वीं योजना के आरंभ में चालू हो जाने की आशा है।

सीईए द्वारा स्वीकृत परियोजना की लागत के आधार पर (1997 की तीसरी तिमाही के मूल्य स्तर पर) चरण दो के बिजली की प्रति यूनिट लागत लगभग 184.05 पैसे आता है।

परामर्शदाताओं की सेवाएं लिया जाना

4703. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे ने रेलगाड़ी सेवाओं विशेषकर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों को तर्कसंगत करने के लिए यात्री यातायात प्रणाली का संपूर्ण अध्ययन कराने हेतु एक परामर्शदाता नियुक्त करने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। दक्षिण पूर्व रेलवे का मांग और पूर्ति के साथ-साथ विभिन्न मार्गों पर पूरी न की गई मांग और कोचिंग सेवाओं को युक्तिसंगत बनाने सहित यात्री यातायात पैटर्न का संपूर्ण अध्ययन करने का प्रस्ताव

है ताकि यात्रियों की मांग पूरी करने के लिए उन्हें यथासंभव सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जा सकें। प्रस्तावित योजना की प्रमुख विशेषताएं सभी मांगों को पूरा करने के लिए गाड़ी सेवाओं, गाड़ियों की संख्या और उनका संयोजन विशेषकर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के संबंध में, को युक्तिसंगत बनाना है। अध्ययन मुख्यत: यात्री आरक्षण प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों के अधार पर करने का प्रस्ताव है। चूंकि दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा स्वयं इस विस्तृत अध्ययन को संतोषजनक ढंग से करना संभव नहीं है अत: इस उद्देश्य के लिए प्रतिष्ठित परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रस्ताव है। बहरहाल, अभी किसी को परामर्श संविदा नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

भारत-पाकिस्तान सीमा पर चौकसी टावर

4704. डा० जसवंत सिंह यादव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जैसलमेर के आसपास भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थापित चौकसी टावर में कुछ फेरबदल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाकिस्तानी रैंजरों की बढ़ती हुई गतिविधियों पर अंकुश लगाने में ये फेरबदल कहां तक सहायक होंगे?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की उत्पादन क्षमता

4705. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में और विशेष तौर पर महाराष्ट्र में, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की स्थापित उत्पादन क्षमता का मिलवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मिलों की स्थापित उत्पादन क्षमता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो मांग को पूरा करने के लिए कितनी स्थापित उत्पादन क्षमता अपेक्षित है और इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जहां तक राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) की कंपनी समूह का संबंध है, पिछले तीन वर्षों के लिए महाराष्ट्र में स्थित मिलों सहित राज्यवार स्थापित मिलों तथा प्रत्येक मिल की चालू क्षमता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) कपड़े की कुल मांग (जिसमें निर्यात मांग शामिल है) की पूर्ति सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्थित मिलों विद्युतकरघा और हथकरघा द्वारा की जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड

क्रम सं०	राज्य/मिलों का नाम	स्थापित क्षमता						चालू क्षमता					
		तकुए			करघे			तकुए			करघे		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	पंजाब												
1.	दयालबाग स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	18360	18360	18360	0	0	0	18360	18360	18360	0	0	0
2.	खरार टेक्सटाइल मिल्स	25220	25220	25220	0	0	0	25220	25220	25220	0	0	0
3.	पानीपत वूलन मिल्स	5600	5600	5600	48	48	48	4400	3800	3800	48	48	48
4.	सूरज टेक्सटाइल मिल्स	19696	19696	19696	0	0	0	19696	19696	19696	0	0	0
	राजस्थान												
5.	*एडवर्ड मिल्स	19080	19080	19080	0	0	0	14196	0	0	0	0	0

नोट—*मार्च, 2000 के दौरान इन मिलों ने कोई क्रियाकलाप नहीं किया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	महालक्ष्मी मिल्स	15640	15640	15640	56	56	56	13400	13400	14200	0	0	0
7.	श्री विजय कॉटन मिल्स	22172	22172	22172	0	0	0	16720	16720	16720	0	0	0
8.	उदयपुर कॉटन मिल्स	25180	25180	25180	0	0	0	25180	25180	25180	0	0	0
	मध्य प्रदेश												
9.	*बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स	28232	28232	28232	360	360	360	28232	28232	28232	360	360	360
10.	बुरहानपुर तप्ती मिल्स	7040	7040	7040	244	244	244	7040	7040	7040	244	244	244
11.	*हीरा मिल्स उज्जैन	18000	18000	18000	0	0	0	18000	14000	14000	0	0	0
12.	*इंदौर माल्वा यूनाइटेड मिल्स	17432	17432	17432	336	336	336	17432	17432	17432	336	336	336
13.	*कल्याणमल मिल्स	19888	19888	19888	340	340	340	14096	14096	14096	340	340	340
14.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	25592	25592	25592	84	84	84	19536	19536	19536	84	84	84
15.	*स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स	14000	14000	14000	108	108	108	11200	11200	11200	108	108	108
	उत्तर प्रदेश												
16.	*आथर्टन मिल्स	39680	39680	39680	898	898	898	31528	31528	31528	697	697	697
17.	*बिजली कॉटन मिल्स	24800	24800	24800	0	0	0	7920	7920	7920	0	0	0
18.	*लक्ष्मीरत्तन कॉटन मिल्स	60756	60756	60756	1125	1125	1125	40616	40616	40616	819	819	819
19.	*लार्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स	44392	44392	44392	307	307	307	44392	44392	44392	307	307	307
20.	*मूइर मिल्स कानपुर	43376	43376	43376	1106	1106	1106	37136	37136	37136	1106	1106	1106
21.	*न्यू विक्टोरिया मिल्स	30272	30272	30272	792	792	792	30272	30272	30272	756	756	756
22.	*रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स	11900	11900	11900	0	0	0	9996	9996	9996	0	0	0
23.	*श्री विक्रम कॉटन मिल्स	13648	13648	13648	0	0	0	13648	13648	13648	0	0	0
24.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, मऊ	20000	20000	20000	0	0	0	20000	20000	20000	0	0	0
25.	*स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर	34580	34580	34580	864	864	864	34580	34580	34580	864	864	864
26.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, नैनी	64620	64620	64620	0	0	0	44524	44524	44524	0	0	0
	महाराष्ट्र												
27.	अपोलो टेक्सटाइल मिल्स	37852	37852	37852	220	200	200	37852	36472	36472	140	133	133
28.	औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स	21656	216546	21656	0	0	0	16560	16560	11040	—	—	—
29.	बरशी टेक्सटाइल मिल्स	21440	21440	21440	0	0	0	19520	19616	19616	—	—	—
30.	भारत टेक्सटाइल मिल्स	41584	41584	41584	456	456	456	37984	37984	31736	144	144	96
31.	चालीसगांव टेक्सटाइल मिल्स	25664	25664	25664	302	302	302	24840	24840	21808	160	160	160
32.	धुले टेक्सटाइल मिल्स	40708	40708	40708	491	491	491	35864	35864	26792	181	181	155

नोट—*मार्च, 2000 के दौरान इन मिलों ने कोई क्रियाकलाप नहीं किया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.	दिग्विजय टेक्सटाइल मिल्स	31572	31572	31572	524	524	524	31572	31572	22200	524	336	336
34.	एलफिन्सटोन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	54648	54648	54648	935	935	935	20148	18654	18654	338	343	343
35.	फिनले मिल्स	72668	72668	72668	958	958	958	27240	27240	27324	491	341	341
36.	गोल्ड मोहर मिल्स	66652	66652	66652	1142	1142	1142	36104	36104	36104	384	352	256
37.	जुपिटर टेक्सटाइल मिल्स	59644	59644	59644	824	824	824	30699	25963	25963	32	32	32
38.	मुंबई टेक्सटाइल मिल्स	39152	39152	39152	649	649	649	20972	20792	20972	198	25	25
39.	नांदेड टेक्सटाइल मिल्स	40712	40712	40712	192	192	192	34172	20620	20620	128	90	96
40.	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैनु० मिल्स	56260	56260	56260	623	623	623	47176	46184	38728	324	260	231
41.	न्यू हिन्द टेक्सटाइल मिल्स	38024	33496	33496	441	441	441	24784	24784	24784	164	164	164
42.	पोदार प्रोसेसर्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	श्री मधुसूदन मिल्स	95412	95412	5412	1534	1534	1534	23472	23472	23472	48	48	48
44.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं० 1	38304	36000	39000	538	510	510	38304	36000	36000	538	502	502
45.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं० 2	24336	24336	24336	512	416	416	24336	24336	24336	512	416	416
46 व 47.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं० 3 और 4*	30496	30496	30496	523	523	523	30496	30496	30496	523	522	522
48.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं० 5	25364	25364	25364	282	245	245	25364	25364	25364	282	222	222
49.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स डाई वर्क्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	जाम मैनु० मिल्स	52000	52000	52000	1072	1072	1072	27880	27880	27880	80	48	48
51, 52 व 53.	कोहिनूर मिल्स नं० 1, 2* और 3*	130000	130000	130000	1608	1608	1608	28216	28216	28216	192	192	192
54.	पोदार मिल्स	50000	50000	50000	240	200	200	45116	35000	35000	240	200	200
55.	मॉडल मिल्स	30128	30128	30128	446	446	446	30128	30128	30128	446	446	446
56.	आर०बी०बी०ए० मिल्स	23184	23184	23184	144	144	144	23184	23184	23184	144	120	120
57.	आर०एस०आर०जी० मिल्स	13120	13120	13120	260	260	260	13120	13120	13120	260	260	260
58.	सावतराम रामप्रसाद मिल्स	14464	14464	14464	164	164	164	14464	14464	14464	164	164	164
59.	श्री सीताराम मिल्स	62000	62000	62000	960	960	960	19592	19592	19592	0	0	0
60.	टाटा मिल्स मुंबई	92000	92000	92000	1939	1939	1939	28600	28600	28600	348	348	348
61.	विदर्भ मिल्स	19000	19000	19000	120	120	120	19000	19000	19000	120	120	120
	गुजरात												
62.	*अहमदाबाद जुपिटर टेक्सटाइल मिल्स	41664	41664	41664	696	696	696	41664	41664	41664	696	696	696

नोट—*मार्च, 2000 के दौरान इन मिलों ने कोई क्रियाकलाप नहीं किया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63.	अहमदाबाद न्यू टेक्सटाइल मिल्स	33616	33616	33616	792	792	792	33616	33616	33616	792	792	792
64.	हिमादरी टेक्सटाइल मिल्स	16640	16640	16640	384	384	384	16640	16640	16640	384	384	384
65.	*जहांगीर टेक्सटाइल मिल्स	30612	30612	30612	560	560	560	30612	30612	30612	560	560	560
66.	*महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स	28616	28616	28616	624	624	624	28616	28616	28616	624	624	624
67	*न्यू मानकचौक टेक्सटाइल मिल्स	32552	32552	32552	450	450	450	32552	32552	32552	450	450	450
68.	*पेटलाड टेक्सटाइल मिल्स	19240	19240	19240	441	441	441	19240	19240	19240	441	441	441
69.	*राजकोट टेक्सटाइल मिल्स	16160	16160	16160	268	268	268	16160	16160	16160	268	268	268
70 व 71(2*)	राजगनर टेक्सटाइल मिल्स 1 व 2	50268	50268	50268	1096	1096	1096	50268	50268	50268	1096	1096	1096
72.	*विरम्गम टेक्सटाइल मिल्स	22980	22980	22980	512	512	512	22980	22980	22980	512	512	512
	आंध्र प्रदेश												
73.	*अदोनी कॉटन मिल्स	20800	20800	20800	0	0	0	20800	20800	20800	0	0	0
74.	*अनंतपुर कॉटन मिल्स	29596	29596	29596	0	0	0	29596	29596	29596	0	0	0
75.	*आजम जाही मिल्स	34688	34688	34688	192	192	192	34688	34688	34688	192	192	192
76.	*नटराज स्पिनिंग मिल्स	17520	17520	17520	0	0	0	17520	17520	17520	0	0	0
77.	*नेथा स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	16112	16112	16112	0	0	0	16112	16112	16112	0	0	0
78.	*तिरुपति कॉटन मिल्स	27860	27860	27860	0	0	0	27860	27860	27860	0	0	0
	कर्नाटक												
79.	*एम०एस०के० मिल्स	18280	18280	18280	96	96	96	18280	18280	18280	96	96	96
80.	मिनर्वा मिल्स	32540	32540	32540	219	219	219	32540	32540	32540	219	219	219
81.	*मैसूर स्पिनिंग एंड मैनु० मिल्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	श्री यलम्मा कॉटन मिल्स	29264	29264	29264	0	0	0	29264	29264	29264	0	0	0
	केरल												
83.	अलगप्पा टेक्सटाइल मिल्स	44480	44480	44480	0	0	0	44480	42752	42752	0	0	0
84.	कन्नानोर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, कन०	24800	24800	24800	0	0	0	24800	24800	24800	0	0	0
85.	केरल लक्ष्मी मिल्स	41328	41328	41328	0	0	0	41328	41328	41328	0	0	0
86.	पार्वती मिल्स	25400	25400	25400	180	180	180	25400	25400	25400	180	180	180
87.	विजयमोहिनी मिल्स	28796	28796	28796	0	0	0	28796	28796	28796	0	0	0
	पांडिचेरी												
88.	कन्नानोर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, माहे	30240	30240	30240	0	0	0	30240	30240	30240	0	0	0

नोट—*मार्च, 2000 के दौरान इन मिलों ने कोई क्रियाकलाप नहीं किया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89.	स्वदेशी कॉटन मिल्स	19840	19840	19840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	श्री भारती मिल्स	17000	17000	17000	0	0	0	17000	17000	17000	48	0	0
	तमिलनाडु												
91.	बालारामवर्मा टेक्सटाइल मिल्स	25376	25376	25376	0	0	0	25376	25376	25376	0	0	0
92.	कम्बोडिया मिल्स	40704	40704	40704	0	0	0	40704	40704	40704	0	0	0
93.	कोयम्बटूर मुरुगन मिल्स	22800	16000	16000	120	120	120	22800	16000	16000	0	0	0
94.	किशनदेनी टेक्सटाइल मिल्स	25148	25148	25148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95.	ओम पराशक्ति मिल्स	25448	25448	25448	0	0	0	25448	25448	25448	0	0	0
96.	पंकज मिल्स कोयम्बटूर	29800	29800	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97.	पायोनीर स्पिनर्स मिल्स	24624	24624	24624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.	श्री रंगाविलास स्पि० एंड वीविंग मिल्स	42608	42608	42608	0	0	0	42608	42608	42608	0	0	0
99.	सोमसुन्दरम मिल्स	25744	21000	21000	112	112	112	25744	21000	21000	0	0	0
100.	कालीसवरार मिल्स 'बी' यूनिट	37664	37664	37664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.	श्री सारदा मिल्स	27560	27560	27560	0	0	0	27560	27560	27560	0	0	0
102.	कोयम्बटूर स्पि० एंड वी० मिल्स	34576	34576	34576	48	0	0	34576	34576	34576	48	0	0
103.	कालसवरार मिल्स 'ए' यूनिट	31472	31472	16000	0	0	0	31472	31472	16000	0	0	0
	असम												
104.	एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज	20984	20984	20984	0	0	0	20984	20984	20984	0	0	0
	बिहार												
105.	*बिहार को-ऑप० वीवर्स स्पि० मिल्स	13200	13200	13200	0	0	0	12400	12400	12400	0	0	0
106	*गया कॉटन एंड जूट मिल्स	17600	17600	17600	0	0	0	17600	17600	17600	0	0	0
	उड़ीसा												
107.	*उड़ीसा कॉटन मिल्स	24668	24668	24668	0	0	0	21364	21364	21364	0	0	0
	पश्चिम बंगाल												
108.	अराती कॉटन मिल्स	20044	20044	20044	0	0	0	16044	16044	16044	0	0	0
109.	*बंगाश्री कॉटन मिल्स	16704	16704	16704	396	396	396	10800	10800	10800	0	0	0
110.	बंगाल फाईन स्पि० एंड वी० मिल्स नं० 1	27720	27720	27720	0	0	0	24920	24920	24920	0	0	0
111.	*बंगाल फाईन स्पि० एंड वी० मिल्स नं० 2	12960	12960	12960	0	0	0	12960	12960	12960	0	0	0

नोट—*मार्च, 2000 के दौरान इन मिलों ने कोई क्रियाकलाप नहीं किया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112.	बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल्स	33012	30516	30516	451	451	451	10416	8480	8480	0	0	0
113.	*मनिन्द्रा बी०टी० मिल्स	19076	19076	19076	180	180	180	12680	12680	12680	0	0	0
114.	ज्योति वीविंग फैक्टरी	0	0	0	160	160	160	0	0	0	40	40	40
115.	लक्ष्मीनारायण कॉटन मिल्स	29132	29132	29132	0	0	0	18066	18066	18066	0	0	0
116.	रामपुरिया कॉटन मिल्स	21280	21280	21280	298	298	298	16240	16240	16240	192	192	192
117.	*सेन्ट्रल कॉटन मिल्स	35464	35464	35464	416	416	416	18200	18200	18200	0	0	0
118.	*श्री महालक्ष्मी कॉटन मिल्स	15640	15640	15640	300	300	300	11676	11676	11676	0	0	0
119.	सोडेपुर कॉटन मिल्स	11508	11508	11508	0	0	0	11508	11508	11508	0	0	0

नोट—*मार्च, 2000 के दौरान इन मिलों ने कोई क्रियाकलाप नहीं किया है।

सेना से सेवामुक्त किए गए कार्मिकों को मुआवजा

4706. क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में केन्द्र सरकार को सेना से सेवामुक्त किए गए सैन्य-कर्मियों को मुआवजा देने के लिए निदेशित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और साथ ही उन्हें कितने मुआवजे का प्रस्ताव किया गया है;

(ग) क्या सरकार को ऐसे ही और मामलों के बारे में भी जानकारी है जिनमें अस्सी सेवामुक्त कार्मिकों ने केरल उच्च न्यायालय में एक प्रकरण दर्ज कराया था; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त (क) भाग में उल्लिखित उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में उन्हें मुआवजा दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सन् 1968 से चली आ रही सरकारी नीति के अनुसार केरल के उम्मीदवारों को चरित्र एवं पूर्ववृत्तों की विशेष जांच के संतोषजनक पाए जाने के अधीन रक्षा सेनाओं में भर्ती किया जाता था। इस आधार पर भर्ती किए गए केरल के कई भूतपूर्व सैनिकों को विशेष रिपोर्टों के संतोषजनक न पाए जाने पर सेनाओं से कार्यमुक्त कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने 1986 में अपने एक निर्णय में ऐसी विशेष जांच को भेदभावपूर्ण तथा बिना अधिकार क्षेत्र के बताया था।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में डिस्चार्जड सर्विसमैन एसोसिएशन ऑफ केरल तथा 79 अन्य कार्मिकों ने उन्हें सेवा से हटाए जाने के विरुद्ध 1996 में केरल उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने उन्हें सेवा में बहाल किए जाने और मुआवजा दिए जाने का अनुरोध किया था। सेवा से हटाए गए सेना कार्मिकों की इस प्रकार 13 अन्य याचिकाएं थीं जिन्हें उन्होंने उसी उच्च न्यायालय में या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से दायर किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं का निपटान करते हुए सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह उन लोगों के द्वारा नए सिरे से दायर की जाने वाली शिकायतों का उल्लेख करते हुए अभ्यावेदनों पर विचार करे। न्यायालय ने सेवा से हटाए गए सेना कार्मिकों को मुआवजा दिए जाने का कोई आदेश नहीं दिया था। सरकार ने तदनुसार अभ्यावेदनों पर विचार किया था। सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर विचार किए जाने के दौरान किसी भी मामले को बहाली अथवा मुआवजे के लायक नहीं पाया था। तदनुसार ये अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए गए थे।

रूस से मिग युद्धक विमान की खरीद

4707. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' के 30 जुलाई, 2000 में यथाप्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार ने रूस से मिग युद्धक विमान के कई नए मॉडलों जिसमें ऐसे मॉडल भी शामिल हैं जिसके प्रतिदर्श का अभी तक परीक्षण नहीं किया गया है तथा एक विमान वाहक की खरीद पर अपनी वचनबद्धता दे दी है अथवा इस संबंध में वार्ता कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता की वर्तमान स्थिति क्या है और प्रस्तावित समझौते का ब्यौरा क्या है और युद्धक विमान और विमान वाहक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) रूसी संघ सरकार ने भारत को एक वायुयान वाहक एडमिरल 'गोर्शकोव' उपहारस्वरूप देने की पेशकश की है। तथापि, इस पोत को नौसेना की सेवा में शामिल किए जाने से पहले इसकी भारत सरकार की लागत पर मरम्मत करनें, संशोधन करने और आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। इस पोत का मानक विस्थापन 34,000 मीटरी टन होगा और यह मिश्रित वायुयानों को संचालित करने में सक्षम होगा तथा इससे वाहक कार्य बल को समुद्र में एकीकृत हवाई शक्ति मिलेगी। 'मिग-29-के' वायुयान के बारे में इस पोत से संचालित करने के लिए डैक आधारित

वायुयान के रूप में विचार किया जा रहा है। तथापि, इस मामले पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मिग-29-के वायुयान के अर्जन के लिए रूस के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है।

एन०एच०डी०सी० का कार्यालय खोला जाना

4708. **श्री रवि प्रकाश वर्मा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा कल्याण हेतु अधिकांश राज्यों का राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का कार्यालय/विपणन काम्पलैक्स है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि० के कई राज्यों में कार्यालय/विपणन परिसर हैं। कार्यालय निम्नलिखित स्थानों में स्थित हैं :-

क्षेत्रीय कार्यालय	शाखा कार्यालय	
1. लखनऊ	1. जयपुर	11. नागपुर
2. पानीपत	2. पटना	12. सोलापुर
3. कलकत्ता	3. वाराणसी	13. नगारी
4. भोपाल	4. गाजियाबाद	14. चोतुपाल
5. हैदराबाद	5. लुधियाना	15. राजाहमुंदरी
6. कोइमबटूर	6. कुल्लू	16. चेन्नई
7. गुवाहाटी	7. भुवनेश्वर	17. कांचीपुरम
	8. अगरतल्ला	18. बंगलौर
	9. इम्फाल	19. कन्नौर
	10. अहमदाबाद	20. इरोड

निम्नलिखित राज्यों में विपणन परिसर स्थिति हैं :-

1. राजस्थान	6. उत्तर प्रदेश
2. केरल	7. मध्य प्रदेश
3. पश्चिम बंगाल	8. महाराष्ट्र
4. गुजरात	9. नई दिल्ली (विचाराधीन)
5. आन्ध्र प्रदेश	

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नैफ्था के लिए अधिक मूल्य की वसूली

4709. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कंपनियां उर्वरक इकाइयों से नैफ्था ईंधन तेल का अधिक मूल्य वसूल कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां उर्वरक इकाइयों में आयात समता के सिद्धांत पर आकलित मूल्य वसूल करती हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग

4710. **श्री पी०एस० गढ़वी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य विद्युत बोर्डों को बिजली के मीटरों की खरीद हेतु कुल कितनी धनराशि का ऋण मंजूर किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा कुछ धनराशि का दुरुपयोग किया गया अथवा उसे अन्य प्रयोजनों पर खर्च किया गया;

(ग) क्या जारी की गई उक्त धनराशि के उपयोग के बारे में ग्रामीण विद्युत, निगम (आर०ई०सी०) ने हाल में कोई क्रियान्वयन रिपोर्ट मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन राज्यों द्वारा बिजली के मीटरों के आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान कब तक कर दिया जाएगा जिसके लिए आर०ई०सी० द्वारा 31 मार्च, 2000 को अथवा उससे पहले धनराशि जारी की गई थी?

विद्युम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम ने ऊर्जा मीटरों की खरीद के लिए मणिपुर सरकार, विद्युत विभाग को 5.16 करोड़ रुपये की ऋण सहायता और स्वीकृत की है और 31 मार्च, 2000 को बीजकों के आधार पर 3.4 करोड़ रुपये (सामग्री) की लागत के तहत 3.77 करोड़ रुपये का 90% राशि मणिपुर सरकार को जारी की थी। ग्राम विद्युतीकरण निगम (आरईसी) अपने मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मीटरों के प्रापण के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। ऋण के शेष 10% ग्रामवार, तालुका-वार, जिला-वार ब्यौरे (उपकेन्द्र संबंधी ब्यौरे, यदि कोई हों) के साथ रा०वि० बोर्डों से अधिष्ठापना पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जारी किए जाते हैं, के मार्गदर्शी सिद्धांत गुणवत्ता विनिर्देश, कार्य-निष्पादन संबंधी गारंटी, परीक्षण और निरीक्षण प्रक्रिया इत्यादि, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार से उपर्युक्त राशि के समुपयोजन संबंधी रिपोर्ट हेतु अनुरोध किया गया है और यह भी पुष्टि करने के लिए कहा गया है कि क्या राशि को विशेष उद्देश्य हेतु खर्च किया गया है। आपूर्तिकर्त्ता ने अपेक्षित गुणवत्ता के अपेक्षित बिजली मीटरों की आपूर्ति किए गए सामान के बदले उपयुक्त भुगतान की पुष्टि की है।

[हिन्दी]

नई दिल्ली/दिल्ली रेलवे स्टेशनों में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

4711. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोषी कर्मचारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सी०बी०आई० ने 1998 में एक जांच की थी जिसमें सी०बी०आई० ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कार्यरत पांच कर्मचारियो के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की थी।

(ग) जी, हां।

(घ) अनुशासन एवं अपील नियम, 1968 के अंतर्गत सभी पांच दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध बड़ी शास्ति लगाने के लिए चार्ज शीट जारी कर दी गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल संपत्ति की चोरी

4712. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा डिवीजन में रेल संपत्ति की चोरी रोकने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस डिवीजन में चौकसी बढ़ाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। बुक परेषण सहित रेल संपत्ति के संबंध में अपराध पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से निवारक उपाय किए जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप बुक परेषण के संबंध में अपराध 1998-99 में 12 मामलों से घटकर 1999-2000 में 6 मामले रह गया है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं :-

1. जहां तक संभव हो, कीमती और महत्वपूर्ण परेषणों को ले जा रही गाड़ियों का मार्गरक्षण।
2. यार्डों और अन्य प्रभावित क्षेत्रों/खण्डों में गहन बीट गश्त।
3. परेषण ले जा रहे मालडिब्बों/सील की स्थिति को देखने के लिए अंतर्बदल बिन्दुओं पर संयुक्त जांच।
4. जहां तक संभव हो यार्डों में रे०सु०ब० सशस्त्र टुकड़ियां तैनात/नियुक्त की जाती हैं।
5. दोषियों को पकड़ने के लिए आपराधिक आसूचना एकत्रित करने के लिए सादी वर्दी में रे०सु०ब० कार्मिक भी तैनात किए जाते हैं।
6. आपराधिक आसूचना के आधार पर अपराधियों/चुराई गई संपत्ति के प्रापकों के ठिकानों पर उन्हें पकड़ने के लिए छापे मारे जाते हैं और छानबीन की जाती है।
7. अपराधियों और चुराई गई संपत्ति के प्रापकों को पकड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर रे०सु०ब०, रा०रे०पु० और स्थानीय पुलिस के बीच निकट समन्वय बनाए रखा जाता है।
8. यार्डों और भेद्य क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए कुत्ते दस्ते उनकी उपलब्धता के अनुसार लगाए जाते हैं।

आरंभ किए गए कार्यों की समीक्षा

4713. श्री के०पी० सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने दक्षिण पूर्व रेलवे, खुर्दा रोड द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न कार्यों की समीक्षा की है;

(ख) क्या अधिकारियों के चेम्बरों के सौन्दर्यीकरण और सजावट सहित ठेका देते समय और कार्यालय के कार्य पर खर्च करते समय निर्धारित मानदंड का अनुपालन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) प्रत्येक प्रकार के कार्य पर कितना धन खर्च किया गया;

(ङ) क्या उचित लेखा-परीक्षा कर ली गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वाणिज्यिक प्रचार क्षेत्र के घाटे को बढ़ाने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन

4714. श्री तूफानी सरोज : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन का कार्य ठेका आधार पर दिए जाने के कारण पेट्रोलियम टैंकर बेकार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे टैंकरों की संख्या कितनी है जो काम न होने के कारण बेकार पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार को इन टैंकरों के बेकार पड़े रहने के कारण कर के रूप में प्रतिमाह करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें लाभकारी कार्यों में उपयोग किए जाने हेतु उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) तेल विपणन कंपनियां पेट्रोलियम उत्पादों के थोक परिवहन के लिए ठेकेदारी तथा कुछ कंपनी स्वामित्व वाले टैंकरों की सेवाओं का उपयोग करती हैं। तेल विपणन कंपनियों ने बताया है कि सड़क टैंकर सार्वजनिक निविदा प्रक्रियाओं को अपनाते हुए ठेका आधार पर भाड़े पर लिए जाते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गोला-बारूद का अनुचित भण्डारण

4715. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने सेना और आयुध कारखानों के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाली अवधि की अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी की थी कि अनुचित भंडारण स्थितियों और फ्यूज बी-429 के कंटेनरों के खराब डिजायन के कारण 4.33 करोड़ रुपए मूल्य के 2998 फ्यूजों पर खतरनाक कॉपर अजाइड बन जाने के कारण कुप्रभाव पड़ा जिन्हें विस्फोट के कारण 1.19 करोड़ रुपए के मूल्य के फ्यूजों के घाटे के अलावा अयोग्य/बेकार घोषित करना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में जांच की गई और कार्यवाही की गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपरोक्त के कारण आगे और भी नुकसान हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जिन कंटेनरों में फ्यूज बी-429 रखा गया था, उन कंटेनरों को सील करने के वास्ते रबड़ की डिस्क लगाई गई थी ताकि उन्हें नमी से बचाया जा सके। तथापि, अत्यधिक संक्षारण के कारण कॉपर एजाइड बन गया था जिसकी वजह से फ्यूज को अनुपयोगी घोषित करना पड़ा। कंटेनर का डिजाइन 1995 में संशोधित किया गया था और डिस्क की सामग्री रबड़ से बदलकर कैपसैल कर दी गई थी जो एक प्रकार की प्लास्टिक है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सैन्य अभियांत्रिकी सेवा द्वारा की गई अनियमित खरीद

4716. श्री रामजी मांझी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सैन्य अभियांत्रिकी सेवा द्वारा ट्यूबलाइटों, बल्बों इत्यादि जैसी वस्तुओं जो डीजीएस एंड डी की ठेका दर पर उपलब्ध हैं, की देश भर में की जा रही खरीद में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सैन्य अभियांत्रिकी सेवा के कितने अधिकारी अनियमित खरीद और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) ट्यूबलाइटों तथा बल्बों की खरीद अत्यधिक लोकप्रिय और प्रतिष्ठित कंपनियों से नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) एम०ई०एस० में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्ति एवं निबटान महानिदेशालय की दर संविदा पर मदों की खरीद में भ्रष्टाचार की कोई शिकायत सरकार की जानकारी में नहीं आई है। सैन्य इंजीनियरी सेवा द्वारा पूर्ति एवं निबटान महानिदेशालय की दर पर ट्यूब लाइट, बल्ब आदि जैसी मदों की खरीद पूर्ति एवं निबटान महानिदेशालय द्वारा निर्धारित दरों पर की जाती है। मदों को भेजने से पहले उनकी जांच पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय तथा गुणता आश्वासन स्थापनाओं के नियंत्रक द्वारा की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार जो मद पूर्ति एवं निबटान महानिदेशालय की दर संविदा पर उपलब्ध है उसे विनिर्माताओं से खुले बाजार से नहीं खरीदा जा सकता। ट्यूब लाइटों तथा बल्बों के लिए पूर्ति एवं निबटान महानिदेशालय की दर खुले बाजार में प्रतिष्ठित कंपनियों की समान मदों की दरों से कम है।

(घ) (क) से (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण और सैन्य अभियांत्रिकी सेवा के बारे में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

4717. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने सेना और आयुध कारखानों के बारे में वर्ष 1997 की अपनी रिपोर्ट सं० 7 में निर्माण और सैन्य अभियांत्रिकी सेवा पर प्रतिकूल टिप्पणी की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उक्त टिप्पणी के संबंध में कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सैन्य अभियांत्रिकी सेवा के कार्यकरण में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने इस रिपोर्ट में सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं के 13 निर्माण कार्यों के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं।

(ख) और (ग) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां अधिकांशत: निर्माण कार्यों के पूरा होने में विलंब के कारण आई अत्यधिक लागत; घटिया किस्म के निर्माण कार्य किए जाने; संविदाकारों को अधिक मात्रा में दिए गए विभागीय सामानों की वसूली न किए जाने; दोषपूर्ण नियोजन के कारण परिसंपत्तियों का इस्तेमाल न किए जाने तथा अनावश्यक निर्माण की घटनाओं आदि से संबंधित हैं। 9 लेखा परीक्षा पैराओं के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी नोट तैयार करके प्रस्तुत किए जा चुके हैं। शेष 4 लेखा परीक्षा पैराओं के संबंध में भी की गई कार्रवाई संबंधी नोट तैयार किए जा चुके हैं और लेखा परीक्षा द्वारा की जाने वाली अंतिम विधीक्षा के लिए प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

(घ) सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने और उन्हें बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। इस संबंध में सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक तथा अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

तटरक्षक बल को समाप्त करना

4718. **श्री राधामोहन सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना ने तटरक्षक बल को समाप्त करने या इसे नौसेना के नियंत्रणाधीन करने की सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण बताए गए हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) नौसेना मुख्यालय से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तटरक्षक कार्मिकों के वेतनमान

4719. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तटरक्षक कार्मिकों के वेतनमान अभी निर्धारित किए जाने हैं;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उनके वेतनमान कब तक निर्धारित कर दिए जाएंगे;

(ग) क्या तटरक्षक सेवा में सभी वरिष्ठ पदों को नौसेना अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, तटरक्षक कार्मिकों के वेतनमान का संशोधन करते हुए तद्संबंधी आदेश 6 नवंबर, 1997 को जारी कर दिए गए थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) तटरक्षक बल में 24 वरिष्ठ स्तर के पद हैं जिनमें से 15 पदों पर तटरक्षक अधिकारी कार्यरत हैं तथा 9 पदों पर नौसेना अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत हैं। जब और जैसे ही इन पदों को भरने के लिए उपयुक्त तटरक्षक अधिकारी उपलब्ध होंगे, इन पदों पर भी उन्हें तैनात कर दिया जाएगा।

रेलवे खान-पान सेवा

4720. **डा० एस० वेणुगोपाल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली के अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऐसे कर्मचारियों को खान-पान सेवा का प्रभार दे दिया गया है जिन्हें खान-पान सेवा में कार्य का कोई अनुभव नहीं है और न ही वे रेलवे के खान-पान सेवा से हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जो अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेलवे खान-पान सेवा के प्रभारी हैं;

(ग) अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इन्हें रेलवे खान-पान सेवा के प्रभारी बनाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन्हें वहां से हटाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खानपान सेवाओं का प्रबंधन सक्षम और अनुभवी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है जो अनन्य रूप से इस विषय पर कार्रवाई करते रहे हैं और वे एक वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं जो खानपान सहित वाणिज्यिक विभाग की कार्यप्रणाली का गहरा ज्ञान रखता है।

(ख) इस समय अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खानपान इकाइयों के प्रभारी अधिकारियों की सूची उनके खानपान अनुभव के साथ विवरण में उल्लिखित है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के अंतर्गत उल्लिखित कर्मचारी रेलों के अराजपत्रित संवर्ग से संबंधित हैं और कई वर्षों से खानपान इकाइयों में कार्य कर रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) खानपान इकाइयों में कार्य कर रहे अराजपत्रित कर्मचारी खान-पान विभागों में ही कार्य करना जारी रखते हैं और उन्हें रेलों के वाणिज्यिक विभाग के किसी और स्कंध में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

विवरण

अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खान-पान इकाइयों में तैनात अधिकारियों की उनके खान-पान अनुभव के साथ सूची

क्रम सं०	अति महत्वपूर्ण क्षेत्र में खानपान इकाई का नाम	खानपान इकाई के प्रभारी का नाम	कब से कार्य कर रहे हैं
1.	संसद भवन	श्री रमित सिंह रेखी	21.12.1984
2.	संसद भवन सौंध	श्री टी०डी० पाठक	15.7.1968
3.	साऊथ ब्लॉक में प्रधान मंत्री कार्यालय	श्री उन्नी चंद्र मोहन	9.12.1987
4.	संसद भवन स्वागत कार्यालय	श्री अजय यादव	21.11.1984
5.	साऊथ एवेन्यू संसद सदस्य कैंटीन	श्री बंसी लाल	22.1.1981
6.	नार्थ एवेन्यू संसद सदस्य कैंटीन	श्री बी०के० जोशी	22.1.1981
7.	वी आई पी कैंटीन, रेल भवन	श्री मंगलेश चतुर्वेदी	28.1.1981
8.	सैंट्रल हॉल, संसद भवन	श्री इमामुद्दीन	15.7.1968
9.	विशेष खानपान कोष्ठ, नई दिल्ली	श्री संजय कुमार	1986 से

अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति

4721. **श्री हरिभाऊ शंकर महाले** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम लिमिटेड के पास अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के लिए कुछ आवेदन लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन आवेदनों पर अंतिम रूप से कब तक विचार किया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) विद्युत वित्त निगम में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति का केवल एक आवेदन है और इसे भी उपयुक्त रिक्ति उपलब्ध न होने तथा पीएफसी जैसे छोटे संगठन में अनुकम्पा आधार पर रोजगार की कोई नीति न होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सका है।

[हिन्दी]

छपरा से लखनऊ तक इंटर सिटी एक्सप्रेस चलाया जाना

4722. **श्री रामाकांत यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जुलाई, 2000 से मऊ-आजमगढ़ होते हुए छपरा से लखनऊ तक एक इंटर सिटी एक्सप्रेस चलाई जानी थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त गाड़ी को अब तक न चलाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस गाड़ी को कब तक चालू कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) बजट में घोषित गाड़ियां वित्तीय वर्ष के दौरान चलाई जाती हैं। 12.8.2000 से मऊ-आजमगढ़ के रास्ते 5107/5108 छपरा-लखनऊ एक्सप्रेस प्रारंभ कर दी गई है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा हाई स्पीड डीजल की मांग

4723. **श्री जे०एस० बराड़** :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कवास, गांधार, अंता और औरैया विद्युत परियोजनाओं में ईंधन के रूप में तेजी से जलने वाले डीजल की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या तीव्र दहनक्षमता वाले डीजल के प्रापण के लिए संबंधित विभागों के साथ बातचीत की गई है;

(ग) क्या इसके लिए मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसे किस दर पर उपलब्ध कराया जाएगा और यह दर अन्य उपभोक्ताओं की अपेक्षा कितनी अधिक होगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) अपने मौजूदा गैस आधारित संयंत्रों, जो अंता, औरैया, कवास और गांधार में अवस्थित हैं, मै० हाईस्पीड डीजल (एचएसडी) का उपयोग नहीं कर रहे हैं। बहरहाल, अंता, औरैया, कवास तथा गांधार में अपनी भावी विस्तार परियोजनाओं में इस प्रावधान को ध्यान में रखा गया है ताकि नाफ्था अथवा एचएसडी का वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सके।

(ख) से (घ) अंता, औरैया, कवास तथा गांधार में विस्तार परियोजनाओं के लिए एनटीपीसी उचित समय पर एचएसडी आबंटन हेतु पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संपर्क करेगा बशर्ते कि गैस टरबाईन के लिए चयनित वैल्पिक ईंधन एचएसडी हो।

नैफ्था से विलायक का निर्माण

4724. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में नैफ्था से विलायकों का निर्माण करने वाले कारखानों और स्थापित किए गए नए कारखानों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) किन-किन तेल कंपनियों से ये कारखाने नैफ्था खरीदते हैं और तत्संबंधी मात्रा कितनी है;

(ग) वे कौन-कौन सी कंपनियां हैं जो नैफ्था की खरीद विदेशों से करती हैं और खरीद की जा रही नैफ्था की मात्रा कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने कोई मार्ग-निर्देश जारी किए हैं ताकि इन कंपनियों पर रोक लगाई जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो जारी किए गए मार्ग-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नाइट्रोजन उर्वरकों हेतु कम लागत वाली प्रौद्योगिकी

4725. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के उत्पादन हेतु कोई कम लागत वाली प्रौद्योगिकी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) हालांकि नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के विनिर्माण के लिए कई सिद्ध प्रौद्योगिकियां हैं, फिर भी उनकी लागत प्रभावशीलता प्रक्रिया में प्रयुक्त फीडस्टाकों की किस्म व गुणवत्ता समेत कई घटकों पर निर्भर करती है।

(ख) जो यूरिया विनिर्माण प्रौद्योगिकियां अपनाई हैं, उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं :-

(i) टीईसी प्रक्रिया

(ii) सी ओ 2 स्ट्रीपिंग प्रक्रिया

(iii) अमोनिया स्ट्रीपिंग प्रक्रिया

आंध्र प्रदेश में बिजली का अभाव

4726. श्री बी० वेंकटेस्वरलु : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रिड से अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : आंध्र प्रदेश में बिजली के अभाव को दूर करने के लिए इसे दक्षिणी क्षेत्र के अनावंटित कोटे का 40% (ii) पूर्वी क्षेत्र के एनटीपीसी केन्द्रों से 220 मे०वा० बिजली का आवंटन किया गया है। इसके अलावा द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को पूर्वी क्षेत्र के उड़ीसा से 150 मे०वा० एवं गैर व्यस्ततमकालीन अवधि के दौरान पश्चिमी क्षेत्र से सरप्लस बिजली प्राप्त होता है।

मई, जून एवं जुलाई, 2000 में आंध्र प्रदेश को पड़ौसी केन्द्रों से दक्षिण क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्रों के इसके हिस्से के अलावा क्रमश: 203.7 मि०यूनिट, 136.4 मि०यूनिट एवं 167.4 मि०यूनिट की सहायता प्राप्त हुई।

निजी एयरलाइनों को ए०टी०एफ० की बिक्री के लिए सांठ-गांठ

4727. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एयर टरबाइन फ्यूल (ए टी एफ) की बिक्री के मामले में तेल कंपनियों तथा निजी एयर लाइनों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सांठ-गांठ की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की सांठ-गांठ के कारण कितनी राशि का घाटा हुआ;

(ग) क्या सरकार निजी एयर लाइनों से वसूली की कार्रवाई आरंभ करने के अलावा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी बी आई) ने निजी घरेलू एयरलाइनों तथा अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों से बकाया राशि की गैर-वसूली के संबंध में एक आरंभिक जांच शुरू की है।

तेल विपणन कंपिनयों ने बकाया राशि की वसूली के लिए निजी एयरलाइनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आरंभ की है।

केरल में लोको शेड की स्थापना

4728. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव केरल में लोको शेड की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसे कहां स्थापित किया जाएगा;

(ग) उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान लगाया गया है; और

(घ) इसे कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

देश में डीलर चयन बोर्ड

4729. **श्री रघुराज सिंह शाक्य** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने डीलर चयन बोर्ड का गठन किया गया है;

(ख) डीलर चयन बोर्ड (डी एस बी) के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) उनके द्वारा कर्तव्य का निर्वहन करते समय किन-किन मार्ग-निर्देशों का पालन किया जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सरकार ने निम्नांकित संघटन से देश भर में 57 डीलर चयन बोर्ड (डी०च०बो०) गठित किए हैं :-

(1) उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश	अध्यक्ष
(2) उपलब्धता पर निर्भर करते हुए संबंधित तेल कंपनी का उप महाप्रबंधक/मुख्य प्रबंधक के स्तर का एक अधिकारी	सदस्य
(3) उपलब्धता पर निर्भर करते हुए एक अन्य तेल कंपनी का उप महाप्रबंधक/मुख्य प्रबंधक के स्तर का एक अधिकारी	सदस्य

डीलर चयन बोर्डों से खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों, एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों, तथा एस के ओ–एल डी ओ डीलरशिपों के लिए डीलरों/वितरकों का चयन करने की अपेक्षा की जाती है। तेल कंपनियों द्वारा डीलरों/वितरकों के चयन के लिए विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्र छंटनी के पश्चात् साक्षात्कार आमंत्रण पत्र जारी करने के लिए संबंधित डीलर चयन बोर्ड को भेजे जाते हैं। डीलर चयन बोर्ड निम्नांकित के आधार पर उम्मीदवारों की परस्पर उपयुक्तता के विषय में निर्णय करेगा :-

(1) व्यक्तित्व, कार्यव्यापार की सामर्थ्य, विक्रयकला में निपुणता।

(2) वित्त व्यवस्था करने की सामर्थ्य।

(3) शैक्षिक योग्यता एवं बुद्धि का सामान्य स्तर।

(4) आधारभूत सुविधाएं एवं व्यवहार्यता उपलब्ध कराने की सामर्थ्य।

(5) सामान्य अनुमान।

साक्षात्कार के दौरान उम्मीदवारों के कार्यनिष्पादन के आधार पर डीलर चयन बोर्ड द्वारा एक योग्यता सूची तैयार की जाती है तथा संबंधित तेल कंपनी से उम्मीदवारों को आशय पत्र जारी करने की सलाह दी जाती है।

तत्काल रेल आरक्षण

4730. **श्री थावरचन्द गेहलोत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर सक्रिय दलालों की गतिविधियों की जानकारी है जो तत्काल आरक्षण में गड़बड़ी करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उक्त दलालों की गतिविधियों पर सरकार द्वारा किस प्रकार रोक लगाई गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) निजामुद्दीन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 'तत्काल' आरक्षण के नाम से दलालों की गतिविधियों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल 'तत्काल योजना' का दुरुपयोग रोकने के लिए इस योजना के अंतर्गत बुकिंग 'तत्काल योजना' में निर्धारित पहचान के एक प्रमाण के प्राधिकार से की जाती है और यात्री को पहचान का वही प्रमाण जिसके आधार पर उसने टिकट खरीदी होती है, यात्रा के दौरान अपने साथ रखना होता है। गाड़ी में टिकट जांच कर्मचारी द्वारा पहचान के इस प्रमाण की भी जांच की जाती है। इसके अलावा, दलालों द्वारा इस सुविधा का दुरुपयोग रोकने के लिए योजना में यह भी प्रावधान किया गया है कि जब तत्काल सवारी डिब्बा नहीं लगाया गया होगा अथवा गाड़ी तीन घंटे से अधिक विलंब से हो, को छोड़कर 'तत्काल योजना' के अंतर्गत जारी टिकटों के लिए धनवापसी स्वीकार्य नहीं होगी। इसके अलावा, दलालों की धरपकड़ के लिए नियमित अभियान चलाए जाते हैं और उनके विरुद्ध तथा दलालों के साथ आपराधिक सांठगांठ से कदाचार में संलिप्त पाए गए रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध भी उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

सभी राजनीतिक दलों की मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ बैठक

4731. **श्रीमती कान्ति सिंह** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री सभी राजनीतिक दलों की मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ बैठक के बारे में 8 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6393 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना कब तक एकत्र कर ली जाएगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण I और II सदन के पटल पर रख दिए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण-I

29 अप्रैल, 2000 को मान्यताप्राप्त और राज्यीय राजनीतिक दलों के साथ भारत निर्वाचन आयोग की बैठक में हुए विचार-विमर्श का सारांश

कार्यसूची की मुख्य मदें

(i) **निर्वाचन क्षेत्रों का परिसमीन—विकृतियों का निराकरण :** सभी राजनीतिक दल इस बात से सहमत हुए कि विधान-मंडलों में राज्यों को आबंटित स्थानों की कुल संख्या और साथ ही उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग को परिसीमन कार्य सौंपे जाने संबंधी उसके प्रस्ताव के बारे में, भिन्न-भिन्न मत थे।

(ii) **राज्य सभा—निर्वाचन के लिए अर्हता :** किसी व्यक्ति को किसी भी राज्य से राज्य सभा के लिए जैसा कि लोक सभा की दशा में है, निर्वाचित होने में समर्थ बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 3 का संशोधन करने के प्रस्ताव के बारे में भिन्न-भिन्न मत थे।

(iii) **संसद और राज्य विधान-मंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण :** इस मुद्दे पर सामान्यत: और साथ ही आयोग के इस प्रस्ताव पर विशेष रूप से कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में यह उपबंध किया जाए कि कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ऐसी मान्यता को बनाए रखने और उसके सभी विशेष अधिकारों का उपयोग करने के लिए प्रत्येक विधान सभा और संसदीय निर्वाचन में, जो वह लड़े, यह सुनिश्चित करेगा कि महिला अभ्यर्थियों को न्यूनतम सहमत प्रतिशत में खड़ा किया जाता है, पूर्णत: मत वैभिन्य था।

(iv) **निर्वाचनों के संबंध में नियोजित अधिकारियों पर निर्वाचन आयोग की अनुशासनिक अधिकारिता :** यद्यपि इस बाबत कोई आम सहमति नहीं थी। तथापि, सामान्यत: सभी दल इस मुद्दे का समाधान शीघ्रता से किए जाने के इच्छुक थे।

(v) **राजनीति का अपराधीकरण :** निर्वाचन आयोग के इन प्रस्तावों पर कोई आम सहमति नहीं थी कि यह उपबंध करने के लिए (क) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 का संशोधन करके विधि को सरल बनाए जाए ताकि ऐसे व्यक्ति को, जो किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है और छ: मास या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, ऐसे अभिरोपित दंडादेश की अवधि में अतिरिक्त 6 वर्ष जोड़कर, जो कुल अवधि आए, उसमें निर्वाचन लड़ने से विवर्जित किया जाना चाहिए; और (ख) यह कि ऐसे किसी व्यक्ति को, जो पांच वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का अभियुक्त है, भले ही उसका विचारण लंबित हो, निरर्हित किया जाना चाहिए, परंतु यह तब जबकि सक्षम न्यायालय ने अपराध का संज्ञान किया हो और उसके विरुद्ध आरोप विरचित किए हों।

(vi) **निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा कराए जाने वाले निर्वाचनों में एक ही निर्वाचक नामावलियों का प्रयोग :** सभी राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के इस प्रस्ताव से सहमत थे कि संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उन्हीं निर्वाचक नामावलियों को, जो निर्वाचन आयोग के कड़े अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन तथा सम्यक् सावधानी और अवधान के साथ तैयार और पुनरीक्षित की गई थीं, उपर्युक्त रूप से पुन: व्यवस्थित करके स्थानीय निकाय के निर्वाचनों के लिए भी प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

विवरण-II

सरकार को भेजे गए निर्वाचन आयोग के 'निर्वाचन सुधार संबंधी प्रस्ताव'

I. ऐसे प्रस्ताव जिनके लिए संविधान में संशोधन करने होंगे।

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ-साथ अधिकतम दो निर्वाचन आयुक्त होने चाहिए।

2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए नियुक्ति की पद्धति और नियुक्ति के पश्चात् सांविधानिक संरक्षण एक समान होना चाहिए।

3. निर्वाचन आयोग का एक स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए और आयोग का व्यय भारत की समेकित निधि पर भारित व्यय होना चाहिए।

4. दल परिवर्तन विरोधी विधि का संशोधन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि यह बात राष्ट्रपति और संबद्ध राज्यपालों पर छोड़ दी जाए कि निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात् दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता के मामलों का विनिश्चय वे स्वयं करें।

II. ऐसे प्रस्ताव जिनके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन होंगे।

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 संशोधित की जानी चाहिए ताकि ऐसे व्यक्ति को, जो किसी अपराध

के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और छह मास या उससे अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, ऐसे अधिरोपित दंडादेश की अवधि में अतिरिक्त छह वर्ष जोड़कर, जो कुल अवधि आए, उसमें निर्वाचन लड़ने से निरर्हित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ऐसा व्यक्ति, जो पांच वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त है, निरर्हित किया जाना चाहिए भले ही उसका विचारण लंबित ही क्यों न हो परंतु यह तब जबकि सक्षम न्यायालय ने अपराध का संज्ञान किया हो और उकसे विरुद्ध आरोप की विरचना की हो।

2. निर्वाचनों के संबंध में, आयोग में प्रतिनियुक्त निर्वाचन आफिसरों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए निर्वाचन आयोग को नियम बनाने के लिए सशक्त बनाने वाले अभिव्यक्त उपबंध करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13गग और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28ग संशोधित की जानी चाहिए। (इस संबंध में कार्रवाई की जा चुकी है)।

3. राजनीतिक दलों से अपने वार्षिक लेखाओं को प्रकाशित करने की अपेक्षा की जानी चाहिए और इनकी संपरीक्षा निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा की जानी चाहिए।

4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रीकरण और अरजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाले आदेशों को जारी करने के लिए निर्वाचन आयोग को स्पष्ट रूप से प्राधिकृत करने के लिए संशोधित की जानी चाहिए।

5. मान्यताप्राप्त दलों के अभ्यर्थियों के लिए प्रस्तावकों की संख्या भी दस होनी चाहिए जैसा कि निर्दलीय अभ्यर्थियों और अमान्यताप्राप्त दलों के अभ्यर्थियों की दशा में है।

6. परोक्षी मतदान की सुविधा सभी सेवा नियोजित मतदाताओं और उनके पति या पत्नी को दी जानी चाहिए।

7. राजनीतिक दलों द्वारा उपगत व्यय संबद्ध अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों में सम्मिलित किया जाना चाहिए [धारा 77(1) के अधीन स्पष्टीकरण (1) का लोप करके]।

8. धारा 78 के अधीन अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का सही लेखा न रखे जाने या उसकी सही प्रति फाइल न किए जाने को कारावास और जुर्माने से दंडनीय बनाया जाना चाहिए और दोषसिद्धि पर अभ्यर्थी को 6 वर्ष के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए।

9. ऐसे अभ्यर्थी, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अधीन यथाअपेक्षित विहित समय के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहता है, को निर्वाचनों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए स्वत: निरर्हित समझा जाना चाहिए।

10. निर्वाचन आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों के अधीन नियम बनाने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए।

11. निर्वाचन आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58क के अधीन रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट के अभाव में भी बूथों पर बलात् कब्जा करने के कारण निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए।

12. निर्वाचन आयोग को निर्वाचनों के संचालन के संबंध में, किसी अधिकारी को अनुदेश जारी करने और किसी मामले को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी एजेंसी को अन्वेषण करने के लिए निर्दिष्ट करने की सिफारिशें करने तथा किसी ऐसे व्यक्ति, जिसने किसी निर्वाचन से संबंधित अपराध किया है, के अभियोजन के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए।

13. निर्वाचनों के दौरान पुलिस व्यवस्था के बारे में जिला निर्वाचन आफिसरों से परामर्श करना कानूनी तौर पर जरूरी होना चाहिए।

14. निर्वाचनों से पूर्व निर्वाचन आफिसरों के स्थानांतरण पर कानूनी रोक होनी चाहिए।

15. मत पेटियों या इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के अप्राधिकृत कब्जे और मतपत्रों के अप्राधिकृत मुद्रण को संज्ञेय अपराध बनाया जाना चाहिए।

16. निर्वाचनों के संबंध में, मिथ्या घोषणा करने को निर्वाचन संबंधी अपराध बनाया जाना चाहिए।

17. भ्रष्ट आचरण के दोषी ठहराए गए व्यक्ति की निरर्हता के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण–संबद्ध विधान-मंडलों के सचिवों के लिए विद्यमान उपबंध के बजाए भारत निर्वाचन आयोग के सचिव को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क के अधीन, राष्ट्रपति को इसी धारा के अधीन निरर्हता के मामले प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए।

18. निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के कार्य को, परिसीमन आयोग गठित करने के बजाए, निर्वाचन आयोग को सौंपना।

19. आचार संहिता और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा की तारीख से उसे प्रभावी बनाने के लिए उसके प्रवर्तन के उपाय करना ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित हो सकें।

20. निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण आफिसरों के आदेशों के विरुद्ध जिलों में अपील प्राधिकारी की नियुक्ति।

[हिन्दी]

दिल्ली स्टेशन पर अतिविशिष्ट (वीआईपी) यात्री

4732. श्री अखिलेश यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रतिमास औसतन कितने विशिष्ट/अतिविशिष्ट यात्री यात्रा कर रहे हैं;

(ख) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक संख्या में अतिविशिष्ट (वी आई पी) यात्रियों के आगमन के कारण रेलगाड़ियों का सुचारु संचालन और अन्य कार्य प्रभावित होते हैं;

(ग) क्या रेलवे, स्टेशन पर आने वाले अतिविशिष्ट व्यक्तियों के स्वागत के लिए एक प्रोटोकाल अधिकारी को नियुक्त करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अतिविशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा के दौरान आम यात्रियों को हो रही असुविधाओं को कम करने और रेलगाड़ियों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले विशिष्ट/अतिविशिष्ट व्यक्तियों की संख्या के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (ङ) विशिष्ट/अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन से गाड़ियों के आवागमन तथा रेलवे के अन्य कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और साथ ही सामान्य यात्रियों को इस कारण से कोई असुविधा नहीं होती है। विशिष्ट व्यक्तियों की आवभगत उन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा की जाती है जिनका गाड़ियों के आवागमन से कोई संबंध नहीं होता है। नई दिल्ली स्टेशन पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों की देख-रेख के लिए नयाचार अधिकारी नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

बैंजीन उत्पादन संयंत्र

4733. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में किन्हीं बैंजीन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में दो बैन्जीन संयंत्रों की स्थापना की गई है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

कंपनी	राज्य	किस वर्ष में गठन किया गया	स्थापित क्षमता प्रति वर्ष	उत्पादन 1999-2000
1. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि०	जामनगर गुजरात	1999-2000	56000 एमटी	32080 एमटी
2. हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	हल्दिया, पश्चिम बंगाल	1999-2000	77050 एमटी	*शून्य

*उत्पादन अप्रैल, 2000 से ही आरम्भ हुआ।

[हिन्दी]

रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा पेट्रोल का निर्यात

4734. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड को देश से पेट्रोल का निर्यात करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कंपनी से पेट्रोल की कितनी मात्रा का निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या देश से पेट्रोल का निर्यात किए जाने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो पेट्रोल का निर्यात करने की अनुमति प्रदान करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क), (ख) और (ङ) चूंकि घरेलू रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित पेट्रोल फिलहाल घरेलू खपत से अधिक है, इसलिए वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 1.10.1999 की अधिसूचना संख्या 29 (आर ई 99) 1997-2002 के तहत पेट्रोल के निर्यात की सामान्यतया अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात देश में समग्र मांग तथा आपूर्ति स्थिति व उत्पादों की अन्तरराष्ट्रीय मानक/अपेक्षा के साथ समरूपता पर निर्भर करता है।

बिहार में विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

4735. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने तेनुघाट ताप विद्युत केन्द्र चरण-2 (3x 210 मे०वा०) का क्रियान्वयन करने के लिए वर्ष 1998-99 के दौरान जेबीआईसी (पूर्व ओईसीएफ) से विदेशी सहायता मांगने का प्रस्ताव रखा था जिस पर कार्रवाई नहीं की गई थी। बिहार सरकार अब उपरोक्त परियोजना को चीन की एक सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी से सहायता प्राप्त करके क्रियान्वित करने का प्रस्ताव रखती है।

[अनुवाद]

एम आर टी पी आयोग

4736. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापारिक व्यवहार आयोग ने एक अमेरिकी कम्पनी और इसके भारतीय प्रतिनिधि से दिल्ली में निजी नेत्र चिकित्सालय में पुरानी मशीन आपूर्ति करने के आरोपों पर जवाब देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कई मामले लंबित थे और एम आर टी पी आयोग द्वारा कई मामले निपटाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले पर क्या कार्रवाई की गई है और दोषी कम्पनियों को क्या दंड दिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) दिल्ली में विशिष्ट निजी नेत्र चिकित्सालय का नाम देने पर एम आर टी पी आयोग जो कि एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, से आवश्यक सूचना एकत्र कर ली जाएगी।

(ग) एम आर टी पी आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान लंबित तथा निपटान किए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) एम आर टी पी आयोग ने उल्लेख किया है कि इसके समक्ष लंबित या इसके द्वारा निपटान की गई जांचों/आवेदनों की संख्या काफी बड़ी व अधिक है। इसके अतिरिक्त, आयोग के समक्ष लंबित मामले विचार-विमर्श के विभिन्न स्तरों पर हैं। इस प्रकार विस्तृत सूचना जो गतिशील और अस्थिर किस्म की है, को एकत्र करने में लगने वाला समय व श्रम प्राप्त किए जाने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान एम आर टी पी आयोग द्वारा निपटाए गए/लंबित जांचों/आवेदनों की वर्षवार स्थिति दर्शाता विवरण

I. वर्ष : 1997

क्रम सं०	श्रेणी	31.12.1996 को लंबित	वर्ष 1997 के दौरान संस्थित	वर्ष 1997 के दौरान निपटाए गए	31.12.1997 को लंबित
1	2	3	4	5	6
1.	आर०टी०पी० जांचें	990	272	74	1188
2.	यू०टी०पी० जांचें	881	479	93	1267
3.	एम०टी०पी० जांचें	7	1	—	8
4.	व्यादेश के लिए आवेदन	682	410	217	875
5.	प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन	1224	434	220	1438
6.	अवमानना शुरू किए जाने के लिए आवेदन	2	17	17	2

II. वर्ष : 1998

क्रम सं०	श्रेणी	31.12.1997 को लंबित	वर्ष 1998 के दौरान संस्थित	वर्ष 1998 के दौरान निपटाए गए	31.12.1998 को लंबित
1	2	3	4	5	6
1.	आर०टी०पी० जांचें	1188	315	93	1410
2.	यू०टी०पी० जांचें	1267	297	236	1328
3.	एम०टी०पी० जांचें	8	—	—	8
4.	व्यादेश के लिए आवेदन	875	293	455	173
5.	प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन	1438	455	159	1734
6.	अवमानना शुरू किए जाने के लिए आवेदन	2	96	80	18

III. वर्ष : 1999

क्रम सं०	श्रेणी	31.12.1998 को लंबित	वर्ष 1999 के दौरान संस्थित	वर्ष 1999 के दौरान निपटाए गए	31.12.1999 को लंबित
1	2	3	4	5	6
1.	आर०टी०पी० जांचें	1410	218	206	1422
2.	यू०टी०पी० जांचें	1328	206	261	1273
3.	एम०टी०पी० जांचें	8	—	—	8
4.	व्यादेश के लिए आवेदन	713	216	656	273
5.	प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन	1734	477	229	1982
6.	अवमानना शुरू किए जाने के लिए आवेदन	18	27	33	12

[हिन्दी]

आई०डी०पी०एल० कर्मचारियों के वेतन में संशोधन

4737. श्री धर्म राज सिंह पटेल : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले आठ वर्षों के दौरान आई०डी०पी०एल० के कर्मचारियों के वेतन में कितनी बार बढ़ोतरी की गई है;

(ख) क्या उक्त कंपनी के कर्मचारियों का न तो वेतन संशोधन किया गया है और न ही उन्हें केन्द्रीय महंगाई भत्ते और औद्योगिक महंगाई भत्ते कि किश्तों का भुगतान ही किया गया है;

(ग) क्या आई०डी०पी०एल० कर्मचारियों को केन्द्रीय महंगाई भत्ते और औद्योगिक महंगाई भत्ते का भुगतान करने में कई अनियमितताएं बरती गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो सभी कर्मचारियों के मामले में वेतन संशोधन केन्द्रीय महंगाई भत्ते और औद्योगिक महंगाई भत्ते को लागू न करने का क्या कारण है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) आई०डी०पी०एल० के कर्मचारियों का वेतन संशोधन गत 8 वर्षों के दौरान नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) कर्मचारियों को केन्द्रीय महंगाई भत्ता अथवा औद्योगिक महंगाई भत्ता सरकारी मार्गदर्शी नियमों के अनुसार दिया जा रहा है। दोनों सेटों के कर्मचारी वेतन संशोधन आदि से संबंधित अपनी शिकायतों के निवारण के लिए न्यायालय में गए हैं।

[अनुवाद]

हौजरी उत्पादों का निर्यात

4738. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान हौजरी उत्पादों का देश-वार तथा उत्पाद-वार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा वास्तव में उनका कितना निर्यात किया गया तथा उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) हौजरी उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) हौजरी उत्पादों के लिए निर्यात लक्ष्य पृथक रूप से निर्धारित नहीं किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हौजरी उत्पादों के निर्यात नीचे दिए गए हैं :-

(अमरीकी मिलियन डालर में)

उत्पाद	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 (अप्रैल-जुलाई)
निटिड फैब्रिक्स	80.58	71.71	63.34	20.61
निटिड मेड-अप्स	5.86	14.15	12.07	3.07
निटिड सिले-सिलाए वस्त्र	1605.30	1710.50	1958.10	493.6*

*आंकड़े : अप्रैल-जून, 2000-2001 अवधि के लिए।

निर्यात के प्रमुख देश यू०एस०ए०, ई०यू० सदस्य देश, सी०आई०एस० देश, जापान और सऊदी अरब हैं।

सरकार हौजरी उत्पादों सहित वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही है। कुछ महत्वपूर्ण पहल निम्नानुसार हैं :-

(1) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना लागू की गई है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह अधिक प्रतियोगी बन सके।

(2) शुल्क की 5% रियायती दर पर निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल (ई०पी०सी०जी०) योजना के अंतर्गत पूंजीगत माल के आयात की सुविधा।

(3) कुछ श्रेणियों की ट्रिमिंग और अलंकरण का शून्य शुल्क आयात।

(4) सरकार ने हाल ही में कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है। इस मिशन के महत्वपूर्ण अंगों में से एक मौजूदा जिनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियों को उन्नत/आधुनिक बनाकर कपास प्रसंस्करण की सुविधाओं में सुधार लाना है।

(5) कुछ अपवाद से वस्त्र क्षेत्र में स्वचल मार्ग द्वारा 100% तक विदेशी इक्विटी सहभागिता की स्वीकृति देना।

(6) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करके आयात देशों की पारिस्थितिकी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने वस्त्र और परिधान उद्योग को तैयार करना तथा सुग्राही बनाना।

(7) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) अपनी 6 शाखाओं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्रों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहा है जिससे डिजाइन, वाणिज्यिकीकरण और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(8) वस्त्र निर्यातों में प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रोत्साहन देने तथा स्थिरता और निरंतरता प्रदान करने के लिए वर्ष 2000-2004 की अवधि के लिए नव निर्यातक हकदारी (कोटा) नीतियों की घोषणा की गई है।

[हिन्दी]

टिकटों की कालाबाजारी

4739. डा० बलिराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के कल्याण, दादर और मुंबई सेंट्रल स्थित आरक्षण कार्यालयों में टिकटों की खुलेआम कालाबाजारी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) बिना किसी रोक-टोक के टिकटों की कालाबाजारी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, अन्य नामों से खरीदी गई टिकटों पर यात्रा कर रहे व्यक्तियों के कुछ मामले पकड़े गए हैं। इस बुराई पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक और सतर्कता विभागों के द्वारा सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर आरक्षण कार्यालयों में और इनके आस-पास टिकटों की अप्राधिकृत बिक्री को रोकने हेतु नियमित और अचानक जांचें की जाती हैं। अगर कोई रेलवे कर्मचारी कदाचार में संलिप्त अथवा इसमें बढ़ावा देते हुए पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है।

जूट का सामान बनाने के लिए बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षण

4740. श्री पी०आर० खूंटे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और अन्य राज्य सरकारों ने जूट के सामान बनाने के लिए बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षण देने हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सरकार को पटसन की वस्तुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और अन्य राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र (एन०सी०जे०डी०), वस्त्र मंत्रालय 10 राज्यों में स्थित अपने 13 पटसन सेवा केन्द्रों से बेरोजगार महिलाओं सहित विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को पटसन वस्तुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। मध्य प्रदेश में पटसन सेवा केन्द्र एन०सी०जे०डी० की वित्तीय सहायता से मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा चलाया जा रहा है। वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान एन०सी०जे०डी० ने समस्त भारत में विभिन्न राज्यों में पटसन सेवा केन्द्रों द्वारा शुरू किए जा रहे प्रशिक्षण सहित विभिन्न क्रियाकलापों पर क्रमशः 70 लाख रु०, 118.50 लाख रु० और 180 लाख रु० खर्च किए हैं।

[अनुवाद]

निर्वाचन आयोग

4741. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जुलाई, 2000 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार चुनाव कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्यवाही करने के क्षेत्राधिकार के मसले पर सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच सहमति बन गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसका हल कब तक निकाल लिये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री और विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) भारत निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28क और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13गग के अधीन निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के संबंध में, अनुशासनिक अधिकारिता प्रदान करने का मुद्दा भारत संघ और अन्य के विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई सिविल रिट पिटिशन संख्या 606/93 में न्यायाधीन है। तथापि, इस मुद्दे के समाधान का प्रस्ताव करते हुए और समझौते के उन निबंधनों का उल्लेख करते हुए, जिनके द्वारा निर्वाचन आयोग को इस मामले में कुछ शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है, तारीख 26.7.2000 को उच्चतम न्यायालय में एक संयुक्त आवेदन किया गया है।

[हिन्दी]

गैस-भरण संयंत्रों की स्थापना

4742. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में गैस भरण संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) शेष नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों के द्वारा की जाने वाली एल०पी०जी० भरण संयंत्रों की क्षमता वृद्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

शेष नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्यवार भरण क्षमता वृद्धियां

(आंकड़े टी एम टी पी ए में)

भरण संयंत्र	तेल कंपनी	नौवीं योजना (शेष) के तहत क्षमता वृद्धियां
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
चेरलापल्ली*	आईओसी	12
काकीनाडा/राजामुंदरी	बीपीसी	44
खम्माम	एचपीसी	10
विजाग	एचपीसी	44
विजाग	आईओसी	54
चेरलापल्ली	आईबीपी	10
काकानाडा	एचपीसी	22
उप योग		196
असम		
गुवाहाटी	बीपीसी	6
नुमालीगढ़	बीपीसी	6
उप योग		12
बिहार		
औरंगाबाद	बीपीसी	22
पटना	एचपीसी	22
जमशेदपुर	एचपीसी	10
बोकारो	आईओसी	22
पटना	आईओसी	66
भागलपुर	आईओसी	44
उप योग		186
गुजरात		
गांधीनगर*	एचपीसी	18
अहमदाबाद*	आईओसी	34
राजकोट	बीपीसी	22
नवसारी/हजीरा	बीपीसी	22
कांडला	आईओसी	22
उप योग		118
हरियाणा		
गुड़गांव	आईओसी	22
मानेसर	आईबीपी	10
उप योग		32
हिमाचल प्रदेश		
दमताल/सुन्दरनगर	आईओसी	10
बिलासपुर/नालागढ़	एचपीसी	10
उप योग		20

1	2	3
जम्मू और कश्मीर		
जम्मू*	आईओसी	8
उप योग		8
कर्नाटक		
बंगलौर	आईओसी	44
बंगलौर	एचपीसी	22
बेलारी	एचपीसी	10
बंगलौर	बीपीसी	44
धारवाड	बीपीसी	22
मैसूर	बीपीसी	10
शिमोगा	आईओसी	66
उप योग		218
तमिलनाडु		
मन्नागुडी	आईओसी	6
ईरुगुर	एचपीसी	10
इन्नौर	एचपीसी	10
इरोड	आईओसी	34
कोयम्बटूर/चर्मपुरा	आईओसी	34
चेंगलपेट	आईओसी	44
नागापट्टिनम	आईबीपी	10
उप योग		148
उत्तर प्रदेश		
उन्नाव*	एचपीसी	8
लोनी	बीपीसी	44
गोरखपुर	बीपीसी	10
कानपुर/औरैया	बीपीसी	22
जगदीशपुर	एचपीसी	34
लोनी	आईओसी	22
काशीपुर	आईओसी	68
मुजफ्फरनगर	आईओसी	44
लोनी	आईओसी	88
गोंडा	आईओसी	34
लखनऊ	आईओसी	34
अलीगढ़	आईओसी	22
इटावा	आईओसी	34
शाहजहांपुर	आईओसी	34
बलिया	आईओसी	12
खीरी	आईओसी	22
मुगलसराय	आईबीपी	10
उप योग		542
केरल		
कोचीन*	आईओसी	44
कोचीन	बीपीसी	22
उप योग		66
मध्य प्रदेश		
मंगलिया	एचपीसी	10
भोपाल	बीपीसी	22
भोपाल	एचपीसी	44
जबलपुर	एचपीसी	44
उज्जैन	आईओसी	78
बिलासपुर	आईओसी	44
गुना	आईओसी	22
उप योग		264
महाराष्ट्र		
वासी/विरार	बीपीसी	34
कल्याण	बीपीसी	34
नासिक	बीपीसी	22
पुणे	बीपीसी	44
कोल्हापुर	बीपीसी	22
नागपुर	बीपीसी	22
नासिक	एचपीसी	44
शोलापुर	एचपीसी	10

1	2	3
नानदेड	एचपीसी	10
अकोला	एचपीसी	10
मुंबई/विरार	एचपीसी	22
नागपुर	आईओसी	22
वासी	आईओसी	10
नासिक	आईबीपी	10
मुंबई/पालघर	आईबीपी	10
उप योग		326
उड़ीसा		
झारसुगुडा	आईओसी	22
हल्दियागाड	आईओसी	10
उप योग		32
पंजाब		
पटियाला	आईओसी	44
भटिंडा	बीपीसी	22
राजपुरा	एचपीसी	22
उप योग		88
राजस्थान		
जयपुर	आईओसी	44
अजमेर	बीपीसी	44
कोटा	एचपीसी	44
अजमेर	एचपीसी	22
जयपुर	एचपीसी	22
झुनझुनू	आईओसी	22
भीलवाड़ा	आईओसी	22
उप योग		220
पश्चिम बंगाल		
दुर्गापुर*	आईओसी	24
चंदननगर	आईओसी	88
मालदा	आईओसी	22
सिलीगुड़ी	आईओसी	22
कलकत्ता	एचपीसी	34
बर्दवान	एचपीसी	10
हल्दिया	आईबीपी	10
उप योग		210
कुल योग		2686

*विद्यमान संयंत्रों पर क्षमता वृद्धि।

[अनुवाद]

पद-आधारित रोस्टर लागू करना

4743. सरदार बूटा सिंह : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 2 जुलाई, 1997 से आरक्षण प्रणाली को लागू करने के लिए 'रिक्ति-आधारित रोस्टर' के स्थान पर 'पद आधारित रोस्टर' लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 'रिक्ति-आधारित रोस्टर' के स्थान पर 'पद आधारित रोस्टर' लागू करते समय विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के अधीन और सभी स्वायत्तशासी/सांविधिक संगठनों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 1, 2, 3 और 4 श्रेणी के पदों में अधिकता/न्यूनता, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 2 जुलाई, 1997 के का०ज्ञा० सं० 36012/2/96–स्थापना (रेस०) के पैरा 5 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया गया था;

(घ) यदि हां, तो उक्त श्रेणी की सेवाओं के पदों में 2 जुलाई, 1997 को पाई गई अधिकता/न्यूनता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 'रिक्ति-आधारित रोस्टर' के स्थान पर 'पद आधारित रोस्टर' को अधिकता/न्यूनता का पता लगाने के लिए उपरोक्त संदर्भित का०ज्ञा० में निर्धारित प्रक्रिया को पूरा किए बिना ही लागू कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) आर०के० सभरवाल के मामले में, उच्चतम न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए पद-आधारित रोस्टर लागू किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

निजी क्षेत्र में वृहत विद्युत परियोजना को स्वीकृति

4744. श्री दिलीप संघाणी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान गुजरात में निजी क्षेत्र में मंजूर की गई आयातित कोयले पर आधारित तथा एल०एन०जी० आधारित वृहत विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में क्या शर्तें निर्धारित की गईं;

(ग) क्या इनमें से किसी का विस्तार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) भारत सरकार के नवंबर, 1998 में संशोधित वृहद् विद्युत नीति के अनुसार गुजरात में निजी क्षेत्र में वृहद् विद्युत परियोजनाओं की स्थापना संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)
1.	पिपावाव ताप विद्युत परियोजना	2000
2.	नर्मदा ताप विद्युत परियोजना (एलएनजी)	1000

सरकार की संशोधित वृहद् विद्युत नीति के अंतर्गत पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन को दीर्घकालिक विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) के अंतर्गत वृहद् विद्युत परियोजनाओं से विद्युत खरीदने तथा दीर्घकालिक पीपीए के अंतर्गत लाभार्थी राज्यों को विद्युत बेचने हेतु समाविष्ट कर लिया गया है। वृहद् विद्युत परियोजनाओं से विद्युत खरीद की एक शर्त यह होगी कि लाभार्थी राज्यों द्वारा केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार अपना विनियामक आयोग, जिसे टैरिफ निर्धारण की पूर्ण शक्ति प्राप्त हो, का गठन कर लिया हो, उन्हें एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में वितरण केन्द्र का निजीकरण भी करना होगा। टैरिफ को सस्ता बनाने के लिए वृहद् विद्युत परियोजनाओं को कतिपय वित्तीय रियायत जैसे पूंजीगत सामान के आयात को सीमा शुल्क से मुक्त रखना, विभाजित निर्यात लाभ एवं 10 वर्ष की अवधि के लिए आयकर छूट आदि दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

फ्लैट वैगनों के लिए निर्माण-आदेश

4745. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 600 विशेष फ्लैट वैगनों हेतु 'राजस्थान की शाइम्स कंपनी' के पक्ष में निर्माण-आदेश जारी कर दिया गया है जबकि इस संबंध में पश्चिम बंगाल की मै० बर्न स्टैंडर्ड सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी थी; और

(ख) यदि हां, तो न्यूनतम बोली लगाने वाली कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। राजस्थान में 'शाइम्स' नामक कोई मालडिब्बा निर्माता फर्म भी नहीं है।

(ख) रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र इकाई भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कनकोर) ने मै० बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बी०एस०सी०एल०) सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी के पक्ष में ठेका देने की सिफारिश की थी। बहरहाल, विश्व बैंक जिसने परियोजना में वित्त पोषण किया है, बी०एस०सी०एल० को इस आधार पर कंपनी को ठेका देने के पक्ष में नहीं था कि उसकी सुपुर्दगी समय पर नहीं होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के अनुसरण में रेल मंत्रालय ने विश्व बैंक से उसके निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। बहरहाल, विश्व बैंक इस सुझाव से सहमत नहीं था और निविदा रद्द कर दी गई थी।

सशस्त्र बल मुख्यालय में ए०सी०एस०ओ० की पदोन्नति

4746. श्री मनोज सिन्हा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा संवर्ग (ए०एफ० एच०क्यू०सी०एस०) में 1992-93 के दौरान भर्ती किए गए प्रत्यक्ष भर्ती सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों (डी०आर०ए०सी०एस०ओ०) को अब 1998-89 के विभागीय स०सि०स्टा० अधिकारियों के दावों की अनदेखी करके वरिष्ठता-सह-शारीरिक दक्षता के आधार पर सिविलियन स्टॉफ अधिकारी (सी०एस०ओ०) के स्तर पर पदोन्नत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या संगत सिविल सेवा नियम इस स्तर (ग्रेड) में सीधी भर्ती किए गए अधिकारियों और विभागीय पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों के बीच परस्पर-वरिष्ठता के निर्धारण के लिए कुछ विशेष मानदण्डों को विहित करते हैं, जो सहायकों के संदर्भ में अनुप्रयोज्य नहीं हैं, यद्यपि वे भी ए०एफ०एच०क्यू० सिविल सेवा के सदस्य होते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि ये प्रावधान, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दि० 7 फरवरी, 1986 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों के बीच 'रोटा-कोटा' आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण करने के लिए जारी किए गए सरकारी सिद्धांतों से भिन्न है;

(घ) क्या सरकार इस विसंगतिपूर्ण स्थिति का शोधन करने के लिए किसी कार्यवाही पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं। सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968 के नियम 10(2) के अंतर्गत 1988 अथवा 1989 की चयन सूची का कोई विभागीय ए०सी०एस०ओ०, सी०एस०ओ० के ग्रेड की पदोन्नति की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे के फेरीवालों को पहचान-पत्र

4747. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार के फेरीवालों को पहचान-पत्र तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में पनबिजली परियोजना

4748. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बड़ जलाशय है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन जलाशयों से पनबिजली पैदा की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का उड़ीसा में जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जल विद्युत का उत्पादन उड़ीसा में निम्नलिखित जलाशय आधारित जल विद्युत केन्द्रों से किया जा रहा है :-

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे०वा०)		
1.	हीराकुंड-1 और 2	5x37.5+2x24+3x24	=	307.5
2.	अपर कोलाब	4x80	=	320
3.	बालीमेला	6x60	=	360
4.	रेंगाली	5x50	=	250
5.	अपर इन्द्रावती	2x150	=	300
		कुल	=	1537.5 मे०वा०

(ग) से (ङ) उड़ीसा में क्रियान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांचाधीन प्रस्तावों तथा पुन: प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्राधिकारियों को लौटाई गइं परियोजना रिपोर्टों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क) उड़ीसा में क्रियान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

1. अपर इन्द्रवती (2x150 मे०वा०) = 300
2. पोतेरू (1x3+1x3 मे०वा०) = 6
3. बालीमेला बांध टीपीएच (2x30 मे०वा०) = 60

कुल = 366 मे०वा०

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांचाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

1. बालीमेला विस्तार एचईपी 2x75 मे०वा० = 150 मे०वा०

(ग) पुन: प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्राधिकारियों को लौटाई गई जल विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं०	स्कीम का नाम	प्राप्ति की तिथि	लौटाने की तिथि	अभ्युक्ति
1.	भीमकुंड बहुउद्देशीय परियोजना (3x115+3x16=393 मे०वा०)	8/1980	9/1984	अधिक जलमग्नता
2.	हीराकुंड-बी/चिपलिमा-बी (4x52+4x50=408 मे०वा०)	6/1994	7/1996	अंतर्राज्यीय पहलू शामिल हैं।
3.	मणिभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना (24x40=960 मे०वा०)	10/1985	8/1999	अधिक जलमग्नता
4.	सिण्डोल (5x20+5x20+6x20=320 मे०वा०)	4/1994	7/1996	अंतर्राज्यीय पहलू शामिल हैं।

कुल = 2081 मे०वा०

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में कार्यरत एजेंसियों का पुनर्गठन

4749. श्री जोरा सिंह मान :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में कार्यरत एजेंसियों को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) विद्युत क्षेत्र विकास की गति में तेजी लाने में सरकार को सक्षम बनाने के लिए सरकार योजना में प्रदान किए जाने वाली निधियों को पूरा करने हेतु संसाधन जुटाने तथा विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की शक्तियों को बढ़ाने के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की पुनर्संरचना के द्वारा विद्युत क्षेत्र में निवेश हेतु संसाधन जुटाने के विभिन्न विकल्पों का सुझाव प्रदान करने के लिए मै० आईसीआईसीआई

और मै० स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) कैपिटल मार्किट को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारें अपने राज्य विद्युत बोर्डों की पुनर्संरचना/विकेन्द्रीकरण करते रहे हैं ताकि उन्हें वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाया जा सके तथा विद्युत क्षेत्र में कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धा भी लाई जा सके। अभी तक उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने राज्य विद्युत बोर्डों का पृथक निकायों के रूप में विकेन्द्रीकरण कर लिया है।

[अनुवाद]

सियाचिन में सुरक्षा प्रबंध

4750. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 2000 के दौरान उत्तरी सियाचिन क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ भारी गोलाबारी में कई भारतीय सैनिक मारे गए;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान की सैनिक टुकड़ियां भारी मशीनगनों और रॉकेटों का इस्तेमाल कर रही थीं और उन्होंने सियाचिन क्षेत्र में भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण किया जिसके फलस्वरूप कई खंदक ध्वस्त हो गए और कई जवान घायल हो गए;

(ग) यदि हां, तो हताहतों का ब्यौरा क्या है और दोनों ओर कितना नुकसान हुआ;

(घ) सियाचिन क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा हमलों में वृद्धि करने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) इस क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ियां आर्टिलरी और मोर्टारों के अतिरिक्त मशीन गनों और रॉकेटों से फायरिंग कर रही हैं। तथापि, ग्लेशियर क्षेत्र में पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ियों द्वारा मई, 2000 माह में वास्तविक रूप में कोई आक्रमण नहीं किए गए थे। हमारी ओर से किसी के हताहत होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हमारे दुश्मनों की तरफ से होने वाले किसी प्रकार के दुस्साहस को निष्फल करने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन क्षमता

4751. श्री नवल किशोर राय :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विनिर्मित ताप विद्युत सेटों की औसत विद्युत उत्पादन क्षमता तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा इस समय देश में प्रयोग की जा रही औसत विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ताप विद्युत सेटों को बदलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को कितने चरणों में पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान भेल द्वारा आपूर्ति किए गए ताप विद्युत उत्पादन सेटों का औसतन संयंत्र भार अनुपात (पीएलएफ) 67.3% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 68.3% था।

(ग) भेल द्वारा एनटीपीसी को आपूर्ति किए गए ताप विद्युत उत्पादन सेटों ने वर्ष 1999-2000 के दौरान 81.7% का पीएलएफ प्राप्त किया गया है जबकि यही पीएलएफ भेल के सेटों को छोड़कर अन्य सेटों के मामले में 76% रहा है। वर्ष 1999-2000 के लिए एनटीपीसी के कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का समग्र पीएलएफ 80.39% था।

(घ) और (ङ) वर्तमान में विद्युत उत्पादन यूनिटों को प्रतिस्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

4752. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जुलाई, 2000 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'कंपीटिशन पैनल टू डम्पोस स्ट्रिक्ट विजिल ऑन मेगा कारपोरेट डील्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राघवन समिति ने विलयों, अधिग्रहणों और संयुक्त उद्यमों के प्रस्तावों की छानबीन करने हेतु 5,000 करोड़ रुपये की सम्पत्ति होने का मानदण्ड निर्धारित करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पांच हजार करोड़ रुपए या पन्द्रह सौ करोड़ रुपए की परिसम्पत्तियों और कारोबार करने वाले ऐसे निगमों के अधिग्रहण, विलय और संयुक्त उद्यमों की जांच करने हेतु भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी०सी०आई०) का गठन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस आयोग के कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) श्री एस०वी०एस० राघवन की अध्यक्षता में प्रतिस्पर्द्धा कानून पर गठित उच्च-स्तरीय समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सी.सी.आई.) नामक एक स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश की है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि एक विलयन आयोग भी होना चाहिए जो सी.सी.आई. का भाग होगा और यह कि विलयन आयोग पूर्व विलयन जांच के रूप में प्रतिस्पर्द्धा की दृष्टि से कारपोरेट विलयनों/समामेलनों की जांच करेगा।

समिति ने सिफारिश की है कि न्यूनतम सीमा से अधिक सभी विलयनों/समामेलनों को सी.सी.आई./विलयन आयोग को पहले से अधिसूचित करा दिया जाना चाहिए। समिति द्वारा सुझाई गई न्यूनतम सीमा रेखा एकल विलयित सत्ता (एन्टीटी) के मामले में 500 करोड़ रुपए की परिसम्पत्ति है या विलयन के बाद मिश्रित परिसम्पत्तियों के मामले में जहां एक ग्रुप हो, 2,000/- करोड़ रुपए है।

सरकार ने रिपोर्ट को आम जनता, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में परिचालित कर दिया है और उनके मत व सुझाव मांगे हैं। रिपोर्ट को कम्पनी कार्य विभाग के वेबसाइट एच टी टी पी/डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू निक इन/डी सी ए पर रभी रख दिया गया है।

सरकार सभी संबंधितों से प्राप्त फीड बैंक के आधार पर मामले में अन्तिम निर्णय लेगी।

[हिन्दी]

तेलशोधक कारखानों से होने वाला प्रदूषण

4753. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न तेलशोधक कारखानों से होने वाला निस्सरण पानी और जमीन को प्रदूषित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक तेलशोधक कारखाने से होने वाले ऐसे निस्सरणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं। केवल ऐसे उपचारित निस्सारी, जो कि निर्धारित न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं, का रिफाइनरियों से निस्सरण किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

'अकाल तख्त एक्सप्रेस' और 'उपासना एक्सप्रेस' में विक्रय-सेवाएं

4754. श्रीमती आभा महतो : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अकाल तख्त एक्सप्रेस' और 'उपासना एक्सप्रेस' में मुरादाबाद स्टेशन से विक्रय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अकाल तख्त और उपासना एक्सप्रेस गाड़ियों के मार्ग में पर्याप्त लंबे ठहराव हैं और स्थिर इकाइयों के माध्यम से संतोषजनक खानपान व्यवस्था मुहैया कराई जाती है।

[अनुवाद]

नैमित्तिक स्थानापन्न

4755. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के आद्रा डिवीजन में कितने उम्मीदवारों को नैमित्तिक स्थानापन्न के रूप में भर्ती किया गया है;

(ख) क्या उनके रोजगार के संबंध में कोई अधिसूचना जारी की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) रेलों पर 'नैमित्तिक स्थानापन्न' नाम का कोई शब्द नहीं है। बहरहाल, 31.7.2000 तक विगत तीन वर्षों के दौरान आद्रा मंडल में कुल 153 (एक सौ तिरेपन) उम्मीदवार स्थानापन्न के रूप में लगाए गए हैं।

(ख) से (घ) एवजी के रूप में लगाए गए 153 व्यक्तियों में से 17 अनुकम्पा के आधार पर लगाए गए हैं जिसके लिए कोई अधिसूचना अपेक्षित नहीं है। शेष एवजी व्यक्तियों को मौजूदा निमयों के तहत महाप्रबंधक की शक्तियों के अंतर्गत पर्याप्त लीव रिजर्व आदि उपलब्ध न होने के कारण आपातकालीन परिस्थितियों और संरक्षा से संबंधित कार्यों से निपटने के लिए लगाया गया था।

[अनुवाद]

ओ०सी०सी० द्वारा तेल कम्पनियों को अति-भुगतान

4756. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल समन्वय समिति (ओ०सी०सी०) ने 1993-98 के दौरान तेल कम्पनियों को कई करोड़ के अति-भुगतान अथवा अनुचित लाभ की अनुमति दी;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या 12 प्रतिशत के कर-पश्चात् रिटर्न वाले प्रावधान के बजाय, मंत्रालय ने इन तेल कम्पनियों को कर-पूर्व रिटर्न नियत कर दिया; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप कितना घाटा हुआ?

पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगधार) : (क) जी. नहीं।

(ख) से (ङ) तेल कम्पनियों को क्षतिपूर्ति अनुमोदित सरकारी नीतियों के आधार पर की गई थी।

[हिन्दी]

चल टिकट परीक्षकों (टी०टी०ई०) के विरुद्ध शिकायतें

4757. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1998 से जून 2000 तक इलाहाबाद डिवीजन के अंतर्गत कार्य कर रहे प्रथम श्रेणी रेल टिकट परीक्षकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार/कदाचार से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड/उत्तर रेलवे मुख्यालय के संबंधित सतर्कता विभाग द्वारा उक्त शिकायतों की छानबीन की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) प्रथम श्रेणी के टिकट जांचकर्त्ताओं का कोई पद नहीं है। बहरहाल, इस अवधि के दौरान इलाहाबाद मंडल के चल टिकट-परीक्षकों के खिलाफ 37 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) रेलवे सतर्कता विभाग द्वारा इन शिकायतों में से 17 की जांच की गई थी। 7 मामलों में, कर्मचारी दोषी पाए गए थे और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

आई०डी०पी०एल० में कर्मचारियों की संख्या

4758. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई०डी०पी०एल० की प्रत्येक इकाई में कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) जिन इकाइयों के कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है, उनकी संख्या और अवधि का इकाई-वार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) 30.6.2000 को आई०डी०पी०एल० के कर्मचारियों के यूनिटवार ब्यौरे प्रकार हैं :

ऋषिकेश	2678
गुड़गांव	556
हैदराबाद	3199
कारपोरेट आफिस	72
विपणन प्रभाग	650

(ख) कर्मचारियों के वेतन का भुगतान जुलाई, 2000 तक किया जा चुका है।

राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय की स्थापना

4759. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय स्थापित करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किस स्थान का चयन किया गया है; और

(ग) इसके कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) एक राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए इंडिया गेट के पास लगभग 17 एकड़ भूमि के तीन टुकड़ों का चयन किया गया है। इस प्रस्ताव पर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कार्रवाई चल रही है। इस अवस्था में परियोजना के पूरा किए जाने की कोई समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

बंगलौर में पूछताछ सेवाएं

4760. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलौर में रेलवे पूछताछ टेलीफोन लाइनें 131, 132, 133, और 135 शायद ही कभी कार्य करती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या टेलीफोन लाइनों की संख्या को बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) मेनुअल आरक्षण पूछताछ संबंधी पूछताछ लाइन 131 और गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान के संबंध में मेनुअल पूछताछ संबंधी लाइन 132 साधारणत: कार्य कर रही है। बहरहाल इन लाइनों का बहुत अधिक उपयोग होता है। टेलीफोन सं० 133 पर टेप की गई सूचना सेवा तकनीकी खराबियों के कारण

अस्थायी रूप से कार्य नहीं कर रही है। फोन सं० 135 पर सेवा जो बंगलौर छावनी स्टेशन से संबंधित थी वह मौजूदा सेवा 131 और 132 में मिला दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। आरक्षण संबंधी पूछताछ के लिए लाइनों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। इंटररक्टिव वायस रेसपोन्स सिस्टम के माध्यम से स्वचल गाड़ी आगमन/प्रस्थान पूछताछ सेवा शुरू करने का भी प्रस्ताव है। ये दोनों प्रस्ताव इस वित्त वर्ष के अंत से पूर्व शुरू कर दिए जाएंगे। जहां तक टेलीफोन सं० 133 की अस्थायी खराबी का संबंध है उसे सही करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पंजाब को डीजल आपूर्ति का आबंटन

4761. श्री आर०एल० भाटिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष पंजाब को कितना-कितना डीजल आबंटित किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब राज्य में डीजल की विक्रियां निमनानुसार हैं :

वर्ष	मात्रा टी एम टी में
1997-98	2,064
1998-99	2,205
1999-2000	2,331

ओ०एन०जी०सी० के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ योजना

4762. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ०एन०जी०सी०) ने वर्ष 1995 में अपने कर्मचारियों (कार्यकारी अधिकारियों के अलावा) को सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ योजना का विस्तार किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम के वह कर्मचारी जो परिवार पेंशन योजना 1971 के सदस्य थे, को सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ योजना में शामिल होने का विकल्प दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उन कर्मचारियों को इस पर ब्याज के साथ मासिक अंशदान उनकी सेवानिवृत्ति पर वापस किया गया था जो वर्ष 1971 से 1993 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त कर्मचारी जो वर्ष 1973 से 1995 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे, को सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ योजना के तहत पेंशन का लाभ दिया गया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या वह कर्मचारी जो नवम्बर, 1995 से सेवानिवृत्त हुए थे, को सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ योजना के मिलने वाले किसी लाभ से वंचित किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने नवंबर, 1995 के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों के उचित दावों के निपटान के लिए क्या उपाय किए गए या किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां। आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने 16.11.1995 से कार्यकारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों पर सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ योजना (पी आर बी एस) लागू की।

(ख) जी, नहीं। पी आर बी एस 16.11.95 से ओ एन जी सी के सारे कर्मचारियों के लिए लागू की गई है।

(ग) परिवार पेंशन योजना 1971 में ओ एन जी सी के कर्मचारियों द्वारा किए गए अंशदान तथा उस पर ब्याज सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ए पी ई सी) देहरादून द्वारा किया जाना है। ओ एन जी सी ने अपनी तरफ से 1971 से 1993 के बीच सेवानिवृत्त हुए अपने कर्मचारियों से प्राप्त आहरण लाभ दावे ए पी ई सी, देहरादून के कार्यालय को योजना के प्रावधानों के तहत आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर दिए हैं क्योंकि निपटारा उस कार्यालय द्वारा किया जाना है।

(घ) जी, नहीं। ऐसे कर्मचारियों, जो 16.11.1995 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, को पी आर पी एस के तहत पेंशन के लाभ प्रदान नहीं किए गए, क्योंकि योजना विद्यमान नहीं थी।

(ङ) और (च) ऐसे कर्मचारियों, जो 16.11.1995 के बाद सेवानिवृत्त हुए, को पी आर बी एस के तहत पेंशन के लाभ प्रदान किए गए क्योंकि योजना उस तारीख से कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी।

(छ) उन ओ एन जी सी कर्मचारियों के उचित दावे पी आर बी एस के प्रावधानों के तहत निपटा दिए गए हैं या निपटाए जा रहे हैं जो 16.11.1995 की बाद की अवधि में स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए।

[हिन्दी]

पनचक्कियों की स्थापना

4763. श्री सुरेश चंदेल : क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार पनचक्कियों को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत कितनी पनचक्कियां स्थापित की गईं;

(ख) उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और उनकी स्थापित क्षमता कितनी है;

(ग) क्या ये पनचक्कियां चालू हालत में हैं और अपनी स्थापित क्षमता के अनुसार विद्युत उत्पादन कर रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) ऐसी कितनी पनचक्कियों को बंद कर दिया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(च) निजी क्षेत्र में पनचक्कियों को स्थापित करने हेतु किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० कन्नप्पन) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित यू एन डी पी-जो ई एफ पहाड़ी पनबिजली परियोजना के भाग के रूप में 110 पनचक्कियां (प्रदर्शन यूनिटों के रूप में) स्थापित की गई हैं। ये पनचक्कियां जम्मू एवं कश्मीर (15), हिमाचल प्रदेश (20), उत्तर प्रदेश (25) और अरुणाचल प्रदेश (50) राज्यों में स्थापित की गई हैं। इस परियोजना में उपकरण लागत पर प्रति पनचक्की लगभग 8000 रुपये खर्च किए गए हैं और सिविल कार्य लागत की पूर्ति लाभभोगी द्वारा की जा रही है। 5 किवा० की समतुल्य क्षमता वाली ये पनचक्कियां मैकेनिकल संचालन के लिए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। इनमें से अधिकांश पनचक्कियां काम कर रही हैं और अपनी संस्थापित क्षमता के अनुरूप बिजली का उत्पादन कर रही हैं। मोनीटरिंग के अनुवर्ती दौरों के दौरान, कुछ पनचक्कियों में मामूली समस्याओं की सूचना मिली थी जिनका वहीं पर समाधान कर दिया गया।

(ङ) यह अनुमान लगाया गया है कि हिमालयी राज्यों में 1 लाख से भी अधिक पुरानी और पारंपरिक पनचक्कियां हैं जिनका इस्तेमाल पिसाई, तेल निकालने आदि जैसे मैकेनिकल कार्यों के लिए किया जाता रहा है। ऐसी बहुत-सी पनचक्कियां अब बेकार हो रही हैं क्योंकि ये काफी पुराने पारंपरिक डिजाइनों पर आधारित हैं और इनकी विश्वसनीयता निम्न स्तर की है। इन पनचक्कियों के उन्नयन के उद्देश्य से, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है।

(च) इस योजना का कार्यान्वयन राज्य अक्षय ऊर्जा एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय निकायों आदि के माध्यम से किया जा रहा है। पनचक्कियों की स्थापना में निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं है। वे, इन चक्कियों के उत्पादन और आपूर्ति में शामिल हैं।

[अनुवाद]

निजी कंपनियों को पेट्रोल पम्प चलाने की अनुमति प्रदान किया जाना

4764. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी कंपनियों को पेट्रोल पंप चलाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन निजी कंपनियों के कब तक बाजार में आने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सरकार ने निजी तथा संयुक्त क्षेत्र के माध्यम से विनियंत्रित उत्पादों के विपणन की अनुमति दे दी है। समानांतर विपणन योजना (स०वि०यो०) के तहत निजी एवं संयुक्त क्षेत्र के माध्यम से मिट्टी तेल एवं एल पी जी के विपणन की अनुमति दे दी है।

प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था के तहत पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन केवल सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों के द्वारा किया जाता है। यह उत्पाद मोटर स्प्रिट, हाई स्पीट डीजल, एल पी जी (घरेलू), मिट्टी तेल (सा०वि०प्र०), एविएशन टर्बाइन फ्यूल हैं।

[हिन्दी]

भूमि का दुरुपयोग

4765. श्री रामशकल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की भूमि के उपयोग हेतु रेलवे द्वारा जारी किए गए अनेक लाइसेंसों को लाइसेंसधारकों द्वारा लाइसेंस समझौतों का उल्लंघन कर दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन लाइसेंसों को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लोगों की केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति

4766. श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1996 और 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार, वरिष्ठ केन्द्रीय सरकार की स्थायी परिषदों एवं उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में केन्द्रीय सरकार की स्थायी परिषदों की कुल संख्या कितनी है और इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या कितनी है तथा अन्य व्यक्तियों की कुल संख्या की तुलना में इनका प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सांसदों के मंच ने 12 दिसंबर, 1996, 1 सितंबर, 1997 और 23 जुलाई, 1998 को प्रधानमंत्री को उच्च न्यायिक प्रशासन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने संबंधी अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) 1 जनवरी, 1996 और 1 जनवरी, 2000 को उच्चतम न्यायालय

और उच्च न्यायालयों में क्रमशः, कुल 547 और 1136 सरकारी काउंसेल/पैनल काउंसेल थे। चूंकि काउंसेलों की नियुक्ति के मामले में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है इसलिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के काउंसेलों की नियुक्ति के बारे में पृथक् लेखा नहीं रखा जाता।

(ख) मंच द्वारा प्रधानमंत्री को 12 दिसंबर, 1996, 1 सितंबर, 1997 और 23 जुलाई, 1998 को अभ्यावेदन दिए गए थे।

(ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के निबंधनों के अनुसार की जाती है जिनमें किसी जाति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं है। तथापि, सरकार ने राज्य के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को समय-समय पर, यह अनुरोध करते हुए पत्र भेजे हैं कि बार में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्प-संख्यक वर्गों के ऐसे व्यक्तियों और ऐसी महिलाओं का पता लगाएं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 234 और अनुच्छेद 235 के अनुसार, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में व्यक्तियों की नियुक्ति, पदोन्नति और पदस्थापना का विषय संबद्ध राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों की परिधि में आता है।

विद्युत उत्पादन विकास कोष से ऋण

4767. **श्री जी०जे० जावीया :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन विकास कोष से गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन से जुड़े प्रमुख औद्योगिक घरानों को ऋण मंजूर किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इन औद्योगिक घरानों के विरुद्ध मार्च, 2000 तक बकाया धनराशि का औद्योगिक घराना-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विद्युत उत्पादन विकास कोष नामक कोई कोष नहीं है। इसके मद्देनजर, इस कोष से ऋण दिए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

सूती उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार

4768. **श्री राशिद अलवी :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुणवत्ता और मूल्य दोनों की दृष्टि से स्वदेशी कपास की बजाय आयातित कपास को प्राथमिकता दी जा रही है जैसा कि 17 जून, 2000 के 'द इकॉनोमिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन के मामले की तरह क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या कपास और वस्त्रों की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पेस्टरोधी बिनौले की किस्मों की अनुपलब्धता के कारण महाराष्ट्र में मोनसेन्टो की सहयोगी कम्पनी कैफको के माध्यम से बिनौले का आयात करना पड़ रहा है;

(च) यदि हां, तो क्या भविष्य में कपास अनुसंधान का कार्य वस्त्र विभाग करेगा;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार 'कॉयरजीओ-टैक्सटाइल' के विकास पर भी ध्यान देगी; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) अप्रैल, 1994 से कपास का आयात खुला सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत होता है। वर्ष 1999-2000 के बजट से आयात शुल्क 5.5 प्रतिशत लगाया गया है। सरकार की नीति के अंतर्गत प्रयोक्ता मिलें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कपास का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) से (घ) कपास विकास पर प्रौद्योगिकी मिशन 21.2.2000 से कपास की गुणवत्ता और उत्पादकता में संपूर्ण सुधार के लिए अनुसंधान, किसानों को प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार, बाजार अवसंरचना में सुधार तथा जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण के उद्देश्य से शुरू किया गया है। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस) 1.4.1999 से 5 वर्षों की अवधि के लिए वस्त्र और पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई है। वस्त्र की गुणवत्ता की जांच करने के लिए उद्योग की सहायता के लिए एक परीक्षण प्रयोगशालाओं की शृंखला स्थापित की गई है। पूंजीगत सामानों के आयात के लिए, पूंजीगत सामान निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को सरल बनाया गया है।

(ङ) बहुत सी जीवनाशी/बीमारियों जैसे जस्सीड्स, व्हाइट फ्लाई, डोटा कीट, गोल कृमि, वरटीसिलियम विल्ट फुसेरयिम विल्ट, जड सड़न, लीफ कर्ल वाइरस आदि के संबंध में विरोधी/प्रतिरोधी कपास की किस्में और संकर पहले से ही उपलब्ध है।

(च) और (छ) कपास फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने पर अनुसंधान, अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार परियोजना के अंतर्गत की जाती है जो कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। कपास विकास पर प्रौद्योगिकी मिशन के लघु मिशन-1 के अंतर्गत अनुसंधान और विकास पर विशेष बल दिया गया है।

(ज) और (झ) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत गठित कयर बोर्ड कयर-भू-वस्त्र सहित अन्य बातों के साथ-साथ कयर उद्योग के विकास हेतु विभिन्न अनुसंधान और विकास कार्य और विस्तार सेवाएं कर रही है। वास्तव में, भारत कयर जियो वस्त्र का निर्यातक है तथा 1998-99 के दौरान निर्यात 1208 टन का हुआ जिसकी कीमत 546.91 लाख रु० थी, जो मात्रा में 63 प्रतिशत तथा मूल्य में पूर्व वर्ष की

तुलना में वृद्धि थी। प्रमुख देशों जिनको कयर जियो वस्त्र का निर्यात किया जाता है, में यू एस ए, जर्मनी, जापान, यूके, नीदरलैंड्स, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा शामिल हैं।

[हिन्दी]

ताप विद्युत परियोजना में राख रहित कोयले की आपूर्ति

4769. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में जुलाई 2000 तक ताप विद्युत स्टेशनों में राख रहित कोयले की खरीद की गई है;

(ख) यदि हां, तो राख रहित कोयला किस मूल्य पर खरीदा गया था;

(ग) क्या राख रहित कोयले की खरीद वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की करगाली धोवनशाला से की जा रही है और इस श्रेणी के कोयले की खरीद्र चंद्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन के लिए नहीं की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) देश में ताप विद्युत केन्द्रों को राख-मुक्त कोयले की आपूर्ति नहीं की जाती है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के उत्तर के मद्देनज़र प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

डीजल पर प्रभारित उपकर

4770. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति लीटर डीजल पर एक रुपए का उपकर प्रभारित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस शीर्ष के अंतर्गत उक्त उपकर की राशि को रखा गया है; और

(घ) किन मदों पर इस धनराशि को खर्च किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) जी, हां। 1 रुपया प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त सीमा शुल्क और उत्पाद कर क्रमशः आयातित और घरेलू तौर पर उत्पादित डीजल पर वसूल किया जाता है। कभी-कभी 'उपकर' के रूप में उल्लेख किया जाने वाला यह शुल्क केन्द्र के 1999-2000 के बजट में लगाया गया था। 'उपकर' नाम के किसी पृथक शीर्ष का सृजन नहीं किया गया है।

(घ) मोटर स्पिरिट पर 1 रुपया प्रति लीटर के अतिरिक्त सीमा/उत्पाद शुल्क (1998-1999 के बजट में लगाया गया) के साथ-साथ डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहण का उपयोग बजट प्राक्कलन 2000-01 में निम्नानुसार किए जाने का प्रस्ताव है :-

ग्रामीण सड़कें	2500 करोड़ रुपये
राष्ट्रीय [illegible]	2010 करोड़ रुपये
[illegible]	990 करोड़ रुपये
रेल मार्ग	300 करोड़ रुपये
जोड़	5800 करोड़ रुपये

[अनुवाद]

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में अनुबंधित इंजीनियरों की सेवाएं समाप्त करना

4771. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन ने विभिन्न परियोजना स्थलों पर काम करने वाले अनुबंधित इंजीनियरों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने अनुबंधित इंजीनियरों की सेवाएं समाप्त की गईं और वार्षिक मूल्यांकन कार्य-निष्पादन रिपोर्ट के अनुसार उनका कार्य-निष्पादन कैसा था;

(ग) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने उन इंजीनियरों को अनुबंधित इंजीनियरों के रूप में रख लेने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो उनकी सेवाएं समाप्त करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि इन इंजीनियरों को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में तत्काल नौकरी पर वापस ले लिया जाए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) ठेका इंजीनियरों को विभिन्न परियोजना स्थलों पर कार्य पूरा होने और उनके ठेके की अवधि भी पूरी होने पर मानव बल कम करने के कारण विभिन्न परियोजना स्थलों से चरणों में कार्यमुक्त कर दिया गया है।

कार्यमुक्त किए गए ठेका इंजीनियरों का ब्यौरा (15.8.2000 की स्थिति के अनुसार) निम्नानुसार है :-

(1) त्यागपत्र देकर छोड़ने वाले	243
(2) ठेका अवधि पूरी होने पर	71
(3) ठेके का समयपूर्व समाप्त होना	31

विशिष्ट अवधि के लिए ठेके पर होते वार्षिक मूल्यांकन निष्पादन रिपोर्ट के जरिए वार्षिक रूप से इन ठेका इंजीनियरों का मूल्यांकन करने की कोई औपचारिक पद्धति नहीं थी।

ई आई एल के बोर्ड ने निर्णय लिया है कि प्रबंध प्रशिक्षुओं की 50 प्रतिशत रिक्तियां/मांग वार्षिक आधार पर कंपनी में कार्यरत ठेका इंजीनियरों में से अथवा ऐसे इंजीनियरों में से भरी जाएंगी जिन्होंने ठेका अवधि पूरी होने/समय पूर्व ठेका समाप्ति के कारण कंपनी की सेवाएं छोड़ी हों और जो चयन मापदण्डों को पूरा करते हैं।

[हिन्दी]

विद्युत की आवश्यकता

4772. श्री राम टहल चौधरी :
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने अनुमोदन हेतु परियोजनाएं प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कब से सरकार के पास लंबित हैं, तथा इन परियोजनाओं को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या निधियों की कमी के कारण अनेक विद्युत परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य के विद्युत संकट के समाधान हेतु कौन-से उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में के०वि०प्रा० में लम्बित/जांचाधीन नहीं है। तथापि विभिन्न निवेशों/स्वीकृतियों के अभाव में बिहार की निम्नलिखित परियोजनाओं को लौटाया गया था। राज्य सरकारों के माध्यम से परियोजना प्राधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा आवश्यक निवेशों/स्वीकृतियों को सुनिश्चित करने के शीघ्र पश्चात् लम्बित परियोजनाओं पर तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु विचार किया जाएगा।

1. कटीहार (2×250 मे०वा०)	10/95 को लौटा दी गई
2. राय (2×200+4×500 मे०वा०)	8/80 को लौटा दी गई
3. पतरातू विस्तार चरण-V (2×210 मे०वा०)	12/92 को लौटा दी गई
4. खांडवा एचईपी (5×90 मे०वा०)	3/95 को लौटा दी गई
5. बारुन चरण-I (2×500 मे०वा०)	5/89 को लौटा दी गई
6. पटना सीसीजीटी (2×50 मे०वा०-जीटी+2×30 मे०वा०-एसटी	5/89 को लौटा दी गई
7. बरौनी सीसीजीटी (2×50 मे०वा०-जीटी+2×30 मे०वा०-एसटी	5/89 को लौटा दी गई
8. पटना टीपीएस (2×67.5 मे०वा०)	9/90 को लौटा दी गई
9. कर्नहार पम्प स्टोरेज स्कीम (3×100 मे०वा०)	7/77 को लौटा दी गई
10. सनखी चरण-II एचईपी (186 मे०वा०)	1/2000 को लौटा दी गई

निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं योजना आयोग द्वारा निवेश अनुमोदन प्रदान किए जाने के बावजूद भी निधियों की कमियों के कारण अधूरी पड़ी हुई हैं :-

1. तेनूघाट चरण-I (3×210 मे०वा०)—फरवरी, 1989 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित
2. मुजफ्फरपुर टीपीपी विस्तार (2×250 मे०वा०)—दिसम्बर, 1995 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित

राज्य में विद्युत संकट का समाधान करने के लिए के०वि०प्रा० द्वारा निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई और इनको नौवीं योजना में चालू किए जाने का लक्ष्य बनाया गया है।

1. जोजोबीरा टीपीपी यू-1 व 2 (टी)	2×120 मे०वा०
2. पूर्वी गन्डक (एच)	5 मे०वा० (पहले ही चालू की गई)
3. चांडिल एलबीसी (एच)	2×4 मे०वा०
4. नॉर्थ कोयल (एच)	2×12 मे०वा०

उपरोक्त के अतिरिक्त बिहार में 10वीं और 11वीं योजना अवधि में चार अन्तरराज्यीय अन्तरक्षेत्रीय मेगा परियोजनाओं को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)
नॉर्थ करनपुरा (एनटीपीसी)	1980 मे०वा०
बाढ़ (एनटीपीसी)	1980 मे०वा०
कहलगांव चरण-II (एनटीपीसी)	1320 मे०वा०
मैथान राइट बैंक	1000 मे०वा०
(डीवीसी और बीएसईएस की संयुक्त उद्यम कंपनी कोयलकारो (एनएचपीसी)	4×172.5+1×20 मे०वा०

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र की समीक्षा

4773. श्री एन० जनार्दन रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपेक्षित निवेश वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विद्युत क्षेत्र की पूरी समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र में विद्युत निवेशकों के हितों पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) विद्युत क्षेत्र में अधिकाधिक निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 1991 में घोषित नीति की समय-समय पर समीक्षा की गई है ताकि विद्युत परियोजनाओं के त्वरित विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके तथा इन परियोजनाओं से खरीदी जाने वाली विद्युत हेतु एक उचित टैरिफ को सुनिश्चित किया जा सके। नीति की समीक्षा करते समय निजी निवेशकों के हितों को भी ध्यान में रखा जाता है तथा किए गए निवेशों पर लाभांश दर, विद्युत संयंत्र के दक्ष प्रचालन हेतु प्रोत्साहनों इत्यादि की नीति के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) द्वारा कराए गए भावी योजना अध्ययन कार्य, जैसा कि 'पावर ऑन डिमाण्ड बाई 2012' नामक शीर्षक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रकाशन में प्रकाशित किया गया है, यह इंगित करता है कि देश में वर्ष 2012 तक कुल अपेक्षित अधिष्ठापित क्षमता लगभग 2,40,000 मे०वा० होगी। जून, 2000 के अंत में वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता लगभग 98,500 मे०वा० है। इस प्रकार वर्ष 2012 तक लगभग 1,41,500 मे०वा० अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता की आवश्यकता होगी, इसमें लगभग 6,36,750 करोड़ रुपये का निवेश शामिल होगा (4.5 करोड़ रुपये प्रति मे०वा० की दर से) पारेषण एवं वितरण के क्षेत्रों में भी समनुरूपी निवेश की आवश्यकता होगी।

तेल का पता लगाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ समझौता

4774. श्री प्रभात समान्तराय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा महानदी बेसिन में तेल का पता लगाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने तेल का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) भारत सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति, 99 के तहत महानदी गहनजल अपतटीय ब्लाक-एम एन-डी डब्ल्यू एन-98/2 में तेल तथा गैस के अन्वेषण के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा निको रिसोर्सेस, कनाडा के परिसंघ के साथ एक उत्पादन हिस्सेदारी संविदा पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उत्पादन, अन्वेषण के माध्यम से हाइड्रोकार्बनों की वाणिज्यिक खोज के बाद ही आरम्भ हो सकता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को हीराकुड जल विद्युत परियोजना से विद्युत की आपूर्ति

4775. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश को उड़ीसा की हीराकुड जल विद्युत परियोजना से कितने यूनिट विद्युत की आपूर्ति की गई;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को उसके हिस्से की विद्युत की आपूर्ति न करने के कारण मुआवजा दिया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उड़ीसा सरकार पर कितनी राशि बकाया है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है, अथवा करने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) वर्तमान में उड़ीसा, मध्य प्रदेश को उड़ीसा में स्थित हीराकुड जल विद्युत परियोजना (अधिष्ठापित क्षमता 270 मे०वा०) में से मध्य प्रदेश के लिए निर्धारित 5 मे०वा० की आपूर्ति नहीं कर रहा है और न ही इस 5 मे०वा० के प्रतिधारण के लिए कोई क्षतिपूर्ति दे रहा है। मध्य प्रदेश के 5 मे०वा० के हिस्से के लिए उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड (ओएसईबी, अब ग्रिडको) क्षतिपूर्ति का भुगतान ओएसईबी द्वारा एमपीईबी से विद्युत उपयोग करने के समय करता था। जुलाई, 2000 की स्थितिनुसार ओएसईबी के नाम कुल बकाया राशि 59.60 करोड़ रुपये (अनंतिम) है जिसमें से मध्य प्रदेश के 5 मे०वा० हिस्से के प्रतिधारण के कारण दी जाने वाली क्षतिपूर्ति 47.27 करोड़ रुपये है।

यह एक द्विपक्षीय मामला है जिसे सुलझाने के लिए दोनों राज्य विचार-विमर्श कर रहे हैं।

[अनुवाद]

विद्युत की आवश्यकता

4776. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के अंत तक प्रत्येक राज्य में घरेलू खपत कृषि क्षेत्र और औद्योगिक उद्देश्य हेतु विद्युत की राज्य-वार अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या उपरोक्त उद्देश्यों हेतु विद्युत की आवश्यकता अब बढ़ी है;

(ग) यदि हां, तो नौवीं योजना के अंत तक राज्यवार अनुमानित संभावित मांग कितनी है;

(घ) प्रत्येक राज्य में बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) इसे कब तक संभाव्य बनाए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) जुलाई, 1995 से प्रकाशित 15वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित घरेलू कृषि के लिए कन्ज्यूमर एंड पर विद्युत की अनुमानित राज्यवार आवश्यकता और 8वीं (1996-97) और नौवीं (2000-02) योजना के अंत में औद्योगिक उद्देश्यों हेतु विद्युत की आवश्यकता क्रमश: संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 28,907 मे०वा० क्षमता को नौवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में व्यवहार्य पाया गया था। ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

नौवीं योजना के दौरान उपर्युक्त क्षमता अभिवृद्धि के अलावा विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निम्नांकित उपाय किए जा रहे हैं :-

1. नवीकरण/आधुनिकीकरण और कार्यक्रमों के जरिए विद्यमान विद्युत सेंटरों से उपलब्धता में सुधार करना।
2. विभिन्न उपायों को कार्यान्वित करके पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना।
3. ऊर्जा दक्षता और संवर्धन को प्रोत्साहित करना।
4. आवश्यक पारेषण नेटवर्क की स्थापना द्वारा विद्युत का अन्त:क्षेत्रीय अन्तरण सुविधाजनक बनाना।
5. टैरिफ निर्धारण के युक्तिकरण के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की स्थापना।
6. विद्युत उत्पादन पारेषण एवं वितरण में निजी क्षेत्र को समर्थ बनाना।

विवरण-I

आठवीं योजना (1996-97) के अंत में घरेलू, सिंचाई और औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमानित ऊर्जा आवश्यकता (मि०यू० में)

राज्य	घरेलू	सिंचाई	उद्योग
1	2	3	4
दिल्ली	5117.32	47.00	2777.99
हरियाणा	2905.61	5435.80	2989.55
हिमाचल प्रदेश	441.85	17.93	914.55
जम्मू व कश्मीर	629.30	295.49	555.60
पंजाब	3123.62	7383.20	7076.94
राजस्थान	2153.94	4572.32	7564.75
उत्तर प्रदेश	8236.64	11022.80	8246.90
चण्डीगढ़	202.81	2.39	199.62
गोवा	205.78	22.78	440.35
गुजरात	3509.37	10121.99	12496.59
मध्य प्रदेश	4533.39	6360.18	10331.57
महाराष्ट्र	9173.96	11234.81	19949.03
दादरा व नगर हवेली	8.11	0.83	446.08
दमन एवं दीव	14.44	1.82	246.60
आंध्र प्रदेश	4673.37	10556.36	8787.14
कर्नाटक	2877.42	7048.81	7306.78
केरल	3128.92	364.21	3601.38
तमिलनाडु	4801.54	5955.54	11290.06
पांडिचेरी	97.32	127.22	872.59
बिहार	1045.45	2400.15	7187.82
उड़ीसा	1989.12	469.82	4767.56
सिक्किम	39.11	0.00	10.30
पश्चिम बंगाल	3703.67	975.16	7566.61
अरुणाचल प्रदेश	46.16	0.00	14.41
असम	409.76	45.66	1733.79
मणिपुर	146.28	5.85	73.46
मेघालय	57.16	1.50	145.52
मिजोरम	73.51	17.56	18.56
नागालैंड	63.91	0.00	39.70
त्रिपुरा	83.08	44.58	74.91
अंडमान व निकोबार	35.24	0.00	9.89
लक्षद्वीप	9.05	0.00	1.75
अखिल भारत	63536.21	84431.76	127738.15

विवरण-II

नौवीं योजना (2001-02) के अंत में घरेलू, सिंचाई और औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमानित ऊर्जा आवश्यकता (मि०यू० में)

राज्य	घरेलू	सिंचाई	उद्योग
1	2	3	4
दिल्ली	7939.86	52.00	3833.38
हरियाणा	5001.55	6797.79	4360.58

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	645.35	21.12	1609.35
जम्मू व कश्मीर	988.67	643.44	742.93
पंजाब	5025.93	8872.02	9662.40
राजस्थान	4222.86	6209.73	10844.27
उत्तर प्रदेश	16221.90	12555.67	10749.60
चण्डीगढ़	274.40	2.39	229.88
गोवा	278.66	28.08	632.40
गुजरात	5593.33	12828.02	17107.41
मध्य प्रदेश	6849.39	8282.21	14046.85
महाराष्ट्र	14897.53	15551.18	27985.60
दादरा व नगर हवेली	13.52	1.09	783.61
दमन एवं दीव	21.60	2.59	456.86
आंध्र प्रदेश	8178.82	13605.51	10277.44
कर्नाटक	4111.73	9474.00	9702.39
केरल	5044.78	592.89	4560.04
तमिलनाडु	7655.47	6864.19	14217.36
पांडिचेरी	149.58	186.98	1300.56
बिहार	1760.50	3360.45	10216.74
उड़ीसा	3220.80	755.83	8329.90
सिक्किम	58.05	0.00	12.80
पश्चिम बंगाल	5899.72	1331.64	10358.58
अरुणाचल प्रदेश	108.70	0.00	764.62
असम	618.22	55.12	1697.17
मणिपुर	270.91	9.33	241.23
मेघालय	76.67	1.50	148.53
मिजोरम	130.05	94.81	32.35
नागालैंड	106.11	0.00	37.77
त्रिपुरा	146.09	69.61	130.24
अंडमान व निकोबार	61.59	0.00	15.83
लक्षद्वीप	13.22	0.00	4.29
अखिल भारत	105585.52	108249.19	175092.96

विवरण-III

अतिरिक्त क्षमता कार्यक्रम--9वीं योजना (28097.2 मे०वा०)

परियोजना का नाम	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (मे०वा०)
1	2	3
केन्द्रीय क्षेत्र		
ऊंचाहार	उत्तर प्रदेश	420
कायमकुलम	केरल	350
विन्धाचल	मध्य प्रदेश	1000
फरीदाबाद	हरियाणा	430
कवास-II	गुजरात	650
अन्ता-II	राजस्थान	650
औरैया-II	उत्तर प्रदेश	650
सिम्हाद्री	आंध्र प्रदेश	500
गंधार-II	गुजरात	650
कैथलगुढी	असम	90
अगरतला	त्रिपुरा	84
मेजिया	डीवीसी	210
नवेली विस्तार	तमिलनाडु	210
दोयांग	नागालैंड	75
कोपली विस्तार-III	असम	25
रंगानदी	अरुणाचल प्रदेश	405
रणजीत-III	सिक्किम	60
दुलहस्ती	जम्मू एवं कश्मीर	390
नाथपा झाकरी	हिमाचल प्रदेश	1500
टिहरी एचईपी	उत्तर प्रदेश	500
आरएपीपी	राजस्थान	440
कैगा	कर्नाटक	440
राज्य क्षेत्र		
पानीपत	हरियाणा	210
भटिंडा	पंजाब	420
सुरतगढ़	राजस्थान	500

1	2	3
टांडा	उत्तर प्रदेश	110
धांनवी	हिमाचल प्रदेश	22.5
अपर सिन्ध	जम्मू एवं कश्मीर	105
पहलगांव	जम्मू एवं कश्मीर	3
चैंनानी-III	जम्मू एवं कश्मीर	7.5
सीवा-III	जम्मू एवं कश्मीर	9
थीन बांध	पंजाब	600
सोबला	उत्तर प्रदेश	6
कच्छ लिग्नाईट	गुजरात	75
गांधी नगर	गुजरात	210
वनाकबोरी	गुजरात	210
धुवण	गुजरात	110
संजय गांधी विस्तार	मध्य प्रदेश	420
चन्द्रपुर	महाराष्ट्र	500
खापरखेडा	महाराष्ट्र	420
कदाना	गुजरात	60
सरदार सरोवर	मध्य प्रदेश	650
बाणसागर टोन	मध्य प्रदेश	110
राजघाट	मध्य प्रदेश	45
कोयना-IV	महाराष्ट्र	1000
वारना	महाराष्ट्र	16
दूध गंगा	महाराष्ट्र	24
कोठगुड़म	आंध्र प्रदेश	250
रायचूर	कर्नाटक	420
ब्रह्मपुरम	केरल	100
कोझीकोड	केरल	128
नरीमनम	तमिलनाडु	5
कराईकल	पांडिचेरी	32.5
रणजीत वे डीजी	अंडमान एवं निकोबार	5
वेसिन ब्रिज	तमिलनाडु	30
श्रीसेलम	आंध्र प्रदेश	900
सिंगूर	आंध्र प्रदेश	15
शरावती	कर्नाटक	240
कालीनदी कोडासल्ली	कर्नाटक	270
भद्रा	कर्नाटक	6
लोअर पेरियार	कर्नाटक	120
बृन्दावन	कर्नाटक	12
काक्कड़	केरल	50
कोटियाडी विस्तार	केरल	50
पोरंगल्लू कुट्टू	केरल	16
लोअर भिवानी	तमिलनाडु	8
सतनूर डम	तमिलनाडु	7.5
कुंडा वी विस्तार	तमिलनाडु	30
कालपोंग	अ० एवं नि० द्वीपसमूह	5.2
ब्रक्रेश्वर	प० बंगाल	630
पूर्वी गंडक	बिहार	5
नॉर्थ कोयल	बिहार	24
चांदिल	बिहार	8
अपर इन्द्रावती	उड़ीसा	600
कोटारू	उड़ीसा	6
तीस्ता कैनाल	प०बंगाल	67.5
रोखिया	त्रिपुरा	8
लीमाखोंग डीजी	मणिपुर	36
लकवा डब्ल्यूएच	असम	47.5
नूरांग	अरुणाचल प्रदेश	6
लिकिम-रो	नागालैंड	24
निजी क्षेत्र		
गेबल बोर्ड सीसीजीटी	राजस्थान	130
मैग्नम पावर एफओ	हरियाणा	25
पोर्रिंगलकुथू पावर एफओ	हरियाणा	175

1	2	3
बासपा	हिमाचल प्रदेश	300
साबरमती	गुजरात	120
हजीरा सीसीजीटी	गुजरात	185
पगुथन सीसीजीटी	गुजरात	655
सुरत लिग्नाइट	गुजरात	250
जीआईपीसीएल बड़ौदा	गुजरात	167
डाभोल-I	महाराष्ट्र	740
डाभोल-II	महाराष्ट्र	1444
रतलाम डीजीपीपी	मध्य प्रदेश	118
गोदावरी	आंध्र प्रदेश	114
जेगरुपाडू	आंध्र प्रदेश	77
कोंडापल्ली	आंध्र प्रदेश	350
विमागिरि	आंध्र प्रदेश	468
गुमटी सीसीजीटी	आंध्र प्रदेश	358.9
स्नेहलता	आंध्र प्रदेश	200
तोरांगल्लू	कर्नाटक	260
बेलारीहोसपिट	कर्नाटक	27.8
बेसिन ब्रिज	तमिलनाडु	30
तनीर बावी बार्ज माउंटेड	कर्नाटक	200
बिदादी सीसीजीटी	कर्नाटक	200
भारत फोर्ज सीसीजीटी	कर्नाटक	50.8
डीएलएफ पावर सीसीजीटी टुंकुर	कर्नाटक	32.5
एन्नौर (बीएसईएस)	केरल	173
बेसिन ब्रिज डीजी	तमिलनाडु	200
समयानल्लूर डीजी	तमिलनाडु	106
पिल्लईथिरुमलनल्लूर	तमिलनाडु	330.5
सामलपट्टी डीजी	तमिलनाडु	105
बाम्बो फ्लेट डीजी	अ० एवं नि०	20
बुथाथनकेट्टू	केरल	16
जोजोबेरा	बिहार	240
बज-बज	प० बंगाल	500
आदमटिल्ला	असम	9
बनासखांडी	असम	15.5

[हिन्दी]

पारेषण और वितरण दरों में कटौती

4777. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत की पारेषण और वितरण दरों में कमी करने के लिए कोई प्रयत्न किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने जुलाई, 1991 में राज्य विद्युत बोर्डों एवं विद्युत विभागों को पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश जारी किया था। इन दिशानिर्देशों में तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने हेतु विभिन्न अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय बनाए गए हैं।

भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 39 एवं 39ए में संशोधन कर उसकी चोरी एवं उकसाना को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है जिसके लिए कठोर दंड की भी व्यवस्था की गई है।

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन/विद्युत मंत्रियों की बैठक में राज्य सरकारों/राज्य युटिलिटियों ने निम्नलिखित उपायों को अपनाने की वचनबद्धता दर्शाई है :-

- उप केन्द्रों एवं सभी बड़े फीडरों की अनिवार्य मीटरिंग शुरू की जाएगी।
- सभी नए विद्युत कनेक्शनों एवं 10 एचपी से ज्यादा वाले कृषि क्षेत्र की अनिवार्य मीटरिंग की जाएगी जिसे दो वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।
- 2002 तक सभी बिजली आपूर्ति की मीटरिंग की जाएगी।
- बृहत उपभोक्ताओं, अर्थात् 1000 केवीए और इससे ज्यादा बिजली खपत करने वाले की अनिवार्य वार्षिक ऊर्जा ऑडिट शुरू की जाएगी।
- बेहतर भार प्रबंधन के लिए बड़े विद्युत उपभोक्ताओं हेतु टाइम ऑफ दि डे मीटरिंग शुरू की जाएगी।

राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य युटिलिटी पावर फाइनेन्स कॉरपोरेशन द्वारा रियायती ब्याज दरों पर उपलब्ध कराई जा रही निधियों का उपयोग कर तथा निम्नलिखित द्वारा पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी कर सकते हैं :-

(क) उप केन्द्र पर प्रि पेड इलेक्ट्रॉनिक मीटर/इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की संस्थापना।

(ख) उप केन्द्र द्वारा सेवा उपलब्ध कराए जा रहे क्षेत्र के अंदर एलटी लाइन एवं एचटी लाइन का परिवर्तन।

(ग) मौजूदा ट्रॉन्सफॉर्मरों को बदलकर उनकी जगह ऊर्जा सक्षम ट्रॉन्सफॉर्मरों की संस्थापना।

(घ) सभी बड़े फीडरों, उच्च तनाव लाइन से जुड़े उपभोक्ताओं, कृषेय पम्पसेटों एवं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की संस्थापना।

रतलाम और वडोदरा के बीच मेमू रेलगाड़ी

4778. श्री बाबूभाई के० कटारा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के अन्तर्गत प्रतिदिन रतलाम से चलकर वडोदरा को जाने वाली 'मेमू' सवारी गाड़ी प्रत्येक स्टेशन पर ठहरती है तथा वडोदरा पहुंचने में इसे 5 से 6 घंटे का समय लगता है;

(ख) क्या यह रेलगाड़ी रतलाम और वडोदरा रेलवे स्टेशनों पर खड़ी रहती है तथा अगले दिन को उन स्टेशनों से छूटती है;

(ग) यदि हां, तो इस रेलमार्ग पर यात्रियों की भारी संख्या और इन लोगों को सवारी डिब्बे में सीट नहीं मिल पाने की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इस रेलगाड़ी के उसी दिन कुछ समय बाद वापसी यात्रा के लिए न चलाए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या 5 से 6 घंटे की यात्रा पर चलने वाली इस रेलगाड़ी में शौचालय की व्यवस्था नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस रेलगाड़ी में शौचालय की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। रतलाम और वडोडरा के बीच कोई सीधी मेमू गाड़ी नहीं है। बहरहाल, इस खंड पर निम्नलिखित मेमू गाड़ियां चल रही हैं।

1. 717/718 बडोदरा-दाहोद
2. 781/782 दोहोद-रतलाम
3. 719/720 बडोदरा-गोधरा
4. 721/722 बडोदरा-गोधरा

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) मेमू सेवाओं में शौचालयों की व्यवस्था नहीं होती है क्योंकि ये उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में उच्च वहन क्षमता वाली कम दूरी की गाड़ियां हैं।

(च) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में विदेशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

4779. श्री चिंतामन वनगा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में बेहतर सहयोग के लिए कुछ देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक समझौता ज्ञापन में क्या प्रावधान है;

(ग) क्या समझौता ज्ञापन के अनुसार चालू और अगले वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में कुछ विद्युत परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र में अधिकाधिक भागीदारी के लिए जुलाई, 1994 में संयुक्त राज्य अमरीका के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों में वर्तमान तथा भावी ऊर्जा विकासों पर विचार-विमर्श करना, सूचना के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना, विश्वव्यापी मौसमी परिवर्तन सहित ऊर्जा और संबंधित पर्यावरणीय नीति पर विचारों का आदान-प्रदान करना इत्यादि था।

पृथक रूप से कई ऐसे कार्य दल हैं जिन्हें विद्युत क्षेत्र पर प्रभाव रखने वाले अन्य देशों के साथ समन्वय हेतु गठित किया गया है। तुलनात्मक रूप से और अधिक महत्वपूर्ण कार्य दल रूस, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान के साथ हैं।

साथ ही, भारत सरकार ने अक्तूबर, 1999 और मार्च, 2000 से संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ दो संयुक्त समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें पारम्परिक ऊर्जा परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा, साफ कोयला प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता और संबंधित पर्यावरणीय पहलुओं के क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य सहयोग की परिकल्पना की गई है। स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण पर एक संयुक्त परामर्शदात्री दल का गठन किया गया है जैसा कि मार्च, 2000 से हस्ताक्षरित संयुक्त समझौते में प्रस्तावित किया गया था। अभी तक इन संयुक्त समझौतों के संरक्षण के अंतर्गत किसी विशिष्ट परियोजना का गठन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

दवाओं की कीमतों में संशोधन

4780. श्री जी०एस० बसवराज : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दवाओं की कीमतों में संशोधन के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य प्राधिकरण ने हाल ही में दवा-संघटकों की कीमतों में संशोधन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन कैप्सूल और इन्सुलिन दवाओं में भी इस कीमत संशोधन के अधीन परिवर्तन किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वे संशोधन औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अंतर्गत किए गए; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) औषधियों का मूल्य निर्धारण/संशोधन औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के आधार पर किया जाता है।

(ख) अनुसूचीबद्ध औषधियों का मूल्य निर्धारण/संशोधन एक निरन्तर प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) 20 जुलाई, 2000 को किए गए मूल्य संशोधनों में, अन्य दवाओं के साथ-साथ एम्पिसिलिन के 12 पैक तथा क्लोक्सासिलिन कैप्स्यूल/टेबलेट तथा इल्यूसिन का एक पैक शामिल है।

(ङ) और (च) जी, हां। जैसा कि उपर्युक्त (क) में उल्लेख किया गया है, ये संशोधन औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अन्तर्गत किए गए हैं।

सरकारी आवासों को खाली करने हेतु समय-सीमा

4781. डा० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री रामपाल सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अगस्त, 2000 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में 'रेलवे चीफ्स फेयरवेल गिफ्ट ईज ए बंगलो' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के घरों को खाली करने/प्राप्त करने संबंधी एक वर्ष की समय अवधि को समाप्त करने और किराए की बकाया देय राशि के साथ-साथ विद्युत प्रभारों को भी हटाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। प्रेस के माध्यम से एक प्रत्युत्तर जारी कर दिया गया है, जिसमें प्रकाशित समाचार का खण्डन किया गया है।

(ख) जी, नहीं। रेलवे आवासों को रोके रखने के वर्तमान आदेशों अथवा आवासीय मकानों के संबंध में अधिकारियों से किराया/विद्युत प्रभारों की वसूली से संबंधित आदेशों में आशोधन करने का मंत्रालय का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं था/है। अध्यक्ष तथा रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्यों सहित सभी रेलवे अधिकारी अधिकतम 8 महीने की अवधि के लिए रेलवे आवास अपने पास रख सकते हैं। आवासीय मकान का किराया/बिजली प्रभार अधिकारी स्वयं ही अदा करते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हाजीपुर जोन का कार्यकरण

4782. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000-01 के लिए हाजीपुर जोनल आफिस (बिहार) के रखरखाव हेतु अनुमानित व्यय के मुकाबले बहुत कम राशि का आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाजीपुर जोनल आफिस को बंद किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने के पीछे क्या परिस्थितियां रही हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) जोनों के पुनर्गठन संबंधी संपूर्ण मामला समीक्षाधीन है। समीक्षा की समाप्ति के पश्चात् अतिरिक्त धन यदि कोई हो, मुहैया कराने का निर्णय लिया जाएगा।

संतुष्टि कॉम्पलेक्स

4783. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'संतुष्टि कॉम्पलेक्स' नई दिल्ली का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुरक्षा कर्मियों सहित इस कॉम्पलेक्स में पहले से नियुक्त व्यक्तियों को सभी प्रयोजनार्थ सरकारी कर्मचारी समझा जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) संतुष्टि कॉम्पलेक्स की स्थापना सरकार की मंजूरी के बिना की गई थी इसलिए इसके प्रबंध-कार्य को 28 फरवरी, 1998 से रक्षा

संपदा अधिकारी ने अपने हाथ में ले लिया है। जो कर्मचारी इस कॉम्पलेक्स में उस समय से काम कर रहे हैं, जब वह कॉम्पलेक्स एयर फोर्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन/अध्यक्ष, सर्विस इंस्टीट्यूट के प्रबंधाधीन था, उन व्यक्तियों की सेवाएं, इस कॉम्पलेक्स का प्रबंधन रक्षा संपदा अधिकार द्वारा अपने हाथ में ले लेने पर भी पूर्व प्रबंधन द्वारा तय नियम और शर्तों के अनुसार जारी रखी गई हैं। सरकार ने उन्हें भर्ती नहीं किया था और वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। इन कर्मचारियों को वेतन आदि इस कॉम्पलेक्स में स्थित दुकानदारों से संग्रहित रखरखाव फंड से दिया जाता है न कि भारत की संचित निधि से।

[हिन्दी]

कॉनकर कार्यालय को स्थानान्तरित करना

4784. श्री अरुण कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया ने अपना पंजीकृत कार्यालय ली मेरीडियन होटल में स्थानांतरित कर लिया है और किराया प्रति माह लगभग बीस लाख रुपऐ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसके लिए निविदा समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारतीय कंटेनर निगम लि० (कनकोर), रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, ने अपना कार्पोरेट कार्यालय ली-मेरीडियन कमर्शियल टावर में, जो ली-मेरीडियन होटल इमारत से अलग एक अनन्य कार्यालय परिसर इमारत है, में 14.40 लाख रुपए के मासिक किराये पर स्थानांतरित किया है।

(ख) से (च) 29.3.1998 को हिन्दुस्तान टाइम्स में एक समाचार पत्र विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसके प्रत्युत्तर में विभिन्न प्रापर्टी डीलरों के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और एक वरिष्ठ स्तरीय समिति ने परिसरों की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन किया था। चूंकि प्रस्तुत परिसर उपयुक्त नहीं पाए गए थे, प्रापर्टी डीलरों से नए प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा गया था। कार्पोरेट कार्यालय के लिए ली-मेरिडियन कमर्शियल टावर में स्थान का प्रस्ताव उपयुक्त पाया गया था और मोल-तोल करने के बाद यह परिसर पट्टे पर लिया गया था।

[अनुवाद]

कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र

4785. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जो पूर्णतया/आंशिक रूप से आयातित कोयले का उपयोग कर रहे हैं और उनका पीएलएफ कितना है;

(ख) आयातित कोयले के क्या-क्या लाभ हैं; और

(ग) आयातित कोयले और घरेलू कोयले का उपयोग करने वाले प्रत्येक संयंत्र द्वारा उत्पादित प्रति इकाई विद्युत पर अलग-अलग कितनी लागत आती है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) यूटिलिटी क्षेत्र के अधीन कोयला आधारित कोई भी ताप विद्युत केन्द्र पूर्ण रूप से आयातित कोयले का उपयोग कर रहा है। कोयले का आयात ओजीएल के अधीन है, इसलिए कोयला आयात करने वाले विद्युत केन्द्र आवश्यक रूप से आयात संबंधी ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। वर्तमान वर्ष में पांच ताप विद्युत केन्द्र, नामश: दहाणु (महाराष्ट्र), रोपड़ (पंजाब), एई कंपनी (गुजरात), उकई एवं ट्राम्बे (महाराष्ट्र) ताप विद्युत केन्द्र मिश्रण बनाने के उद्देश्य से कोयले का आयात कर रहे हैं। इन विद्युत केन्द्रों का अप्रैल-जुलाई, 2000 के लिए पीएलएफ निम्नानुसार है :-

क्रम सं०	केन्द्र	पीएलएफ (%)
1.	दहाणु	80.8
2.	रोपड़	75.9
3.	एई कंपनी (साबरमती)	87.3
4.	उकई	68.5
5.	ट्राम्बे	79.5

(ख) आयातित कोयले की सामान्यत: कैलोरफिक गुणवत्ता में सुधार करने एवं राख की प्रतिशतता कम करने के उद्देश्य से 10-30% के बीच के अनुपात में स्वदेशी कोयले के साथ मिश्रित किया जाता है।

(ग) के०वि०प्रा० द्वारा प्रत्येक विद्युत केन्द्र द्वारा तैयार की गई विद्युत की प्रति यूनिट लागत मॉनीटरिंग नहीं की जा रही है।

[हिन्दी]

सरकारी मकानों का आवंटन

4786. श्री राजो सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के अंतर्गत मुगलसराय और दानापुर मंडलों में गया-किऊल, मुगलसराय-धनबाद, मुगलसराय पटना और किऊल-हावड़ा रेल लाइनों पर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों को कितने मकान आवंटित किए गए;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान अभी तक कितने मकानों का निर्माण और आवंटन कर्मचारियों को किया गया;

(ग) क्या कुछ कर्मचारियों को बिना बारी के आधार पर मकान आवंटित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

के०आई०एफ०एल० द्वारा जमाराशि को वापिस न करना

4787. **श्री किरीट सोमैया** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य के विभाग को संसद सदस्यों और निवेशक संघों से के०आई०एफ०एल० द्वारा जमा की गई धनराशि को वापिस नहीं किए जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितने जमाकर्ता और कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) इस संबंध में कम्पनी लॉ बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या कम्पनी के प्रवर्तक कम्पनी लॉ बोर्ड के आदेशों का पालन कर रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) कम्पनी एक गैर बैंकिंग वित्त कम्पनी है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए दिशानिर्देशों के द्वारा अधिनियमित की जाती है।

कम्पनी विधि बोर्ड, जो एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 10 (ङ) के अन्तर्गत स्थापित है। उसे के०आई०एफ०एल० द्वारा जमाराशियों का भुगतान न किए जाने संबंधी शिकायतें संसद सदस्यों, निवेशक संघों और वैयक्तिक निवेशकों से प्राप्त हुई हैं। 11.2.2000 तक कम्पनी विधि बोर्ड को लगभग 3.40 लाख रुपए की राशि की जमाराशि का भुगतान न किए जाने की शिकायत वाले 1872 आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) कम्पनी विधि बोर्ड ने सभी जमाकर्ताओं को पब्लिक नोटिस द्वारा एक अवसर प्रदान करने के बाद तथा कम्पनी, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंगलूर, कम्पनी रजिस्ट्रार, बैंगलूर, बहुत से निवेशक संघों और वैयक्तिक निवेशकों की सुनवाई के बाद 21.3.2000 को जमाराशियों के भुगतान का पुनर्निर्धारण करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 क्यू ए के अन्तर्गत आदेश पारित किया है।

(घ) और (ङ) कम्पनी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा पारित आदेश में कतिपय संशोधन करवाने के उद्देश्य से एम०एफ०ए० संख्या 2000 का 2030 के अनुसार एक याचिका दायर की है। इसके अलावा, बैंक आफ इंडिया और यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक ने क्रमशः माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास और कर्नाटक से कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश पर अन्तरिम स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है।

सेना द्वारा चलाए जा रहे कैंटीनों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें

4788. **श्री जय प्रकाश** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेना द्वारा चलाए जा रहे कैंटीनों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार और उन्हें सरकारी सेवा का दर्जा प्रदान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) यूनिट द्वारा चलाई जा रही कैंटीन के कर्मचारियों को न तो भारत की संचित निधि से और न ही रक्षा सेवा प्राक्कलनों से भुगतान किया जाता है। ये कैंटीनें अपने आप में स्वतंत्र यूनिटें हैं तथा संबंधित यूनिट/विरचना की प्रबंधन समिति द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। कर्मचारियों की सेवा-शर्तें संबंधित प्रबंधन समिति तथा इसके कर्मचारियों के बीच पारस्परिक सहमति से तय होती हैं।

विद्युत क्षेत्र में धनराशि जुटाया जाना

4789. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) का विचार अपने संसाधन जुटाने संबंधी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विदेशी बाजारों से धनराशि जुटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जुटायी गई धनराशि का उपयोग किन विद्युत परियोजनाओं के लिए किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) वर्ष 2000-01 के लिए विद्युत मंत्रालय एवं पीएफसी के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार पीएफसी 2000-01 में घरेलू एवं विदेशी वाणिज्यिक ऋण सहित 2200 करोड़ रु० का बाजारी ऋण प्राप्त करने का कार्य शुरू करेगा। विदेशी बाजारों से जुटाई जाने वाली धनराशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ईसीबी के नियंत्रण के लिए तैयार मौजूदा दिशानिर्देश के अनुसार पीएफसी द्वारा विदेशी बाजार से जुटाई गई धनराशि का किसी भी विद्युत परियोजना में पूंजीगत व्यय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तदनुसार पीएफसी द्वारा विदेशी बाजार से प्राप्त निधियों का उपयोग विद्युत परियोजनाओं में पीएफसी के सामान्य क्रम संवितरण कार्यक्रम के लिए पूंजीगत व्यय हेतु विदेशी विनिमय का भारतीय रु० के रूप में किया जाएगा।

1040 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली विजाग विद्युत परियोजना

4790. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुजा की 1040 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली विजाग विद्युत परियोजना की लागत में 1200 करोड़ रुपये की भारी वृद्धि हुई है हालांकि आंध्र प्रदेश सरकार ने फास्टट्रैक परियोजना को कार्यनिष्पादित करने के लिए वित्तीय योजना को अभी तक मंजूरी नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब होने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय प्राधिकरण ने यह कहा है कि वह राज्य सरकार द्वारा एचएनपीसीएल के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बाद ही यह निर्णय लेंगे कि परियोजना लागत में वृद्धि हुई है अथवा नहीं; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) मै० हिन्दुजा नेशनल पावर कार्पोरेशन (एचएनपीसीएल) द्वारा आंध्र प्रदेश में प्रवर्तित की जा रही विशाखापटनम ताप विद्युत परियोजना (1040 मे०वा०) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) ने 25 जुलाई, 1996 को 943.75 मिलियन अमरीकी डॉलर + 1324.993 करोड़ रुपये। (अमरीकी डालर = 35.00 रुपये की दर से) की अनुमानित लागत पर तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी। 16.5.1998 को सरकार ने इस परियोजना को संशोधित प्रक्रिया के जरिए काउंटर गारंटी प्रदान की। उक्त परियोजना के लिए 19 अगस्त, 1998 को काउंटर गारंटी जारी की गई।

मै० एन्एनपीसीएल ने क्रमश: नवम्बर, 1999 के पहले सप्ताह में एवं दिसम्बर, 1999 के दूसरे सप्ताह में आंध्र प्रदेश सरकार/आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कार्पोरेशन (एपीट्रांस्को) को दो भागों में निर्धारित वित्तीय पैकेज दिया है। परियोजना के प्रवर्तकों ने विद्युत मंत्रालय एवं के०वि०प्रा० को भी इसकी प्रति भेजी है। निर्धारित वित्तीय पैकेज, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश सरकार/एपीट्रांस्को के जांचाधीन है, को आंध्र प्रदेश सरकार की सिफारिशों के साथ के०वि०प्रा० भेजा जाना अपेक्षित है। के०वि०प्रा० द्वारा आकलित परियोजना लागत में यदि कोई परिवर्तन अपेक्षित है, तो इसका निर्धारण के०वि०प्रा० द्वारा निर्धारित वित्तीय पैकेज को अनुमोदित किए जाने के बाद ही होगा।

आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि काउंटर गारंटी जारी करने की संशोधित प्रक्रिया के अंतर्गत वे परियोजना की पूंजीगत लागत में कमी पर वार्ता कर रहे हैं।

पावरग्रिड कारपोरेशन का पुनर्गठन

4791. श्री के० येरननायडू : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पावर ग्रिड कारपोरेशन का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसमें संभावित रूप से निवेश की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) विद्युत क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए सरकार को सशक्त बनाने हेतु सरकार, पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सहित विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की शक्तियों को बढ़ाने तथा योजना में प्रावधान किए जाने वाली निधियों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने से संबंधित विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है।

विद्युत क्षेत्र में निवेश हेतु संसाधन जुटाने के विभिन्न विकल्पों का सुझाव देने के लिए परामर्शदाता के रूप में मै० आईसीआईसीआई और मै० स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) कैपिटल मार्किट को नियुक्त किया गया है।

रेल कूपनों का दुरुपयोग

4792. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विशिष्ट व्यक्तियों को जारी किए गए नि:शुल्क रेल पासों/कूपनों/कार्डों का दुरुपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा कितने मामले पकड़े गए;

(ग) इन मामलों में कितनी राशि शामिल है;

(घ) क्या इनमें से कुछ मामलों में रेल अधिकारियों के शामिल होने की बात का भी पता चला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) इस प्रकार के रेल पासों/कूपनों के दुरुपयोग रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हथकरघा और विद्युतरघा बुनकरों की समस्याएं

4793. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक के हथकरघा और विद्युतकरघा बुनकर कपास के मूल्यों में वृद्धि होने और विनिर्मित सामान का निर्यात न होने के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) निर्मित वस्त्रों के गैर-निर्यात तथा कपास की कीमत में वृद्धि के कारण राज्य के बुनकरों को हुई कठिनाइयों के बारे में कर्नाटक सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र में नई रेल लाइनें

4794. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान महाराष्ट्र में नई रेल लाइनों के निर्माण अथवा मौजूदा रेल लाइनों के आधुनिकीकरण के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) 1998-99 और 1999-2000 के दौरान महाराष्ट्र में नई लाइनों के निर्माण और आमान परिवर्तन के लिए निम्नलिखित सर्वेक्षण किए गए हैं। प्रत्येक की स्थिति नीचे दर्शाई गई है :-

1. वाडसा-अरमोरी-गदचिरोली	नई लाइन	75 कि०मी०	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
2. कल्याण-मुरबाद-अहमदनगर	नई लाइन	240 कि०मी०	परियोजना संसाधनों की तंगी और अपर्याप्त यातायात संभाव्यता जैसा कि सर्वेक्षण से पता चला है, के कारण शुरू नहीं की जा सकी।
3. पुनतंबा/कोपरगांव-शिरडी	नई लाइन	16.6 कि०मी०	पुनतंबा-शिरडी नई लाइन का कार्य स्वीकृत।
4. पचोरा जामनेर अजंता गुफाओं तक विस्तार सहित आमान परिवर्तन	आमान परिवर्तन	104 कि०मी०	परियोजना संसाधनों की तंगी और अपर्याप्त यातायात संभाव्यता जैसा कि सर्वेक्षण से पता चला है, के कारण शुरू नहीं की जा सकी।
5. मनमाड़-धुले	नई लाइन	98 कि०मी०	परियोजना संसाधनों की तंगी और अपर्याप्त यातायाता संभाव्यता जैसाकि सर्वेक्षण से पता चला है, के कारण शुरू नहीं की जा सकी।
6. पुर्णा-अकोला-खंडवा-रतलाम-महु	आमान परिवर्तन	625 कि०मी०	पूर्णा अकोला आमान परिवर्तन कार्य बजट 2000-01 में शामिल कर लिया गया है। शेष मार्ग पर आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जाएगा।

कारगिल में घुसपैठ की पूर्व सूचना

4795. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारगिल घुसपैठ के संबंध में सरकार को किस तिथि को सूचना मिली;

(ख) क्या किसी गुप्तचर स्रोत द्वारा सरकार को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी तैयारी की कोई पूर्व सूचना दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) कारगिल में घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तानी तैयारी के बारे में आसूचना एजेंसियों से कोई पूर्व सूचना नहीं मिली थी। सरकार को कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ के बारे में जानकारी मई, 1999 के पहले हफ्ते में मिली थी। सूचना मिलने पर तत्काल सभी आवश्यक उपाय किए गए थे और हमारी सेनाएं सक्रिय हो गई थीं। इस घुसपैठ को अंतत: 26 जुलाई, 1999 को खाली करा दिया गया था।

आगरा कालेज का विधि संकाय

4796. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बार काउन्सिल ऑफ इंडिया ने इस आधार पर कि आगरा कालेज के विधि संकाय का अलग से कोई प्राचार्य नहीं है, कॉलेज के विधि संकाय की संबद्धता को वापस लेने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत विधि शिक्षा प्रदान करने वाले कालेजों की संख्या कितनी है जिनमें आगरा कालेज के विधि संकाय की तरह ये संकाय उन कालेजों के अभिन्न अंग के रूप में हैं; और

(ग) आगरा कालेज के विधि संकाय की तरह अन्य ऐसे कालेजों के विधि संकायों को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) भारतीय विधिज्ञ परिषद् से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उसकी

विधि शिक्षा समिति ने यह विचार अभिव्यक्त किया है कि आगरा कालेज, आगरा की संबद्धता का अनुमोदन वापस लिया जाए क्योंकि भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों द्वारा अधिकथित सन्नियमों के अनुसार, उक्त कालेज स्वतंत्र विधि कालेज नहीं है और उसके पास पृथक् प्राचार्य नहीं है। नियमों में विधि कालेज या किसी विश्वविद्यालय का विधि विभाग परिकल्पित है, न कि किसी कालेज का विधि विभाग। विधि शिक्षा समिति उक्त सिफारिश को भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है और आगरा कालेज को संसूचित कर दिया गया है।

(ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्वतंत्र विधि कालेजों की संख्या 8 है और विभाग संबद्ध बहु-संकाय कालेजों की संख्या 37 है।

(ग) उप-कुलपति, डा० बी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के तारीख 26 जून, 2000 के पत्र और प्राचार्य, आगरा कालेज, आगरा का तारीख 29 जुलाई, 2000 के पत्र को, जिनमें भारतीय विधिज्ञ परिषद् के उपर्युक्त विनिश्चय पर पुन: विचार करने का अनुरोध किया गया है, विधि शिक्षा समिति की आगामी बैठक की कार्यसूची में विचार-विमर्श के लिए सम्मिलित कर लिया गया है।

[हिन्दी]

समझौता एक्सप्रेस

4797. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली 'समझौता एक्सप्रेस' के शुरू होने से आज तक इससे यात्रा करने वाले यात्रियों की माहवार औसत संख्या कितनी है;

(ख) यह ट्रेन सप्ताह में कितने दिन चलती है;

(ग) इसमें कौन-सी सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) क्या सरकार को यात्रियों और संगठनों से समझौता एक्सप्रेस के यात्रियों के समक्ष उत्पन्न असुविधाओं के विषय में पत्र और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सप्ताह में दो बार।

(ग) इस गाड़ी में 10 सामान्य डिब्बे, दो 3-टीयर शयनगान डिब्बे और दो एस०एल०आर० हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

पिछले आठ वर्षों के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्रियों की माहवार औसत संख्या निम्नानुसार है

वर्ष/माह	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
अप्रैल	16693	5011	4196	5492	3156	8107	8032	4573
मई	10985	5335	4174	6206	3364	6593	6093	4263
जून	10865	3605	4575	2717	3486	8422	7276	9516
जुलाई	15057	2224	4819	4652	2124	6586	7704	4173
अगस्त	15260	3314	5696	3971	4757	7780	6997	3890
सितम्बर	16825	4728	5084	4279	5304	8644	6838	5176
अक्तूबर	16355	4628	4656	4352	6519	9509	7766	7302
नवम्बर	12751	4815	4896	2921	7424	11981	6377	10216
दिसम्बर	9077	4767	5813	2806	6098	11331	9059	8483
जनवरी	5548	4578	5862	2793	5170	5136	4496	6500
फरवरी	2902	4102	4812	3264	3740	5234	4390	6391
मार्च	2668	2878	4621	3466	5227	7030	5672	6092

[अनुवाद]

ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना

4798. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे 62,000 किलोमीटर पटरियों के साथ-साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की कुल लागत कितनी है;

(ग) ऑप्टिकल फाइबर केबल कब तक बिछा दिया जाएगा और राजस्व अर्जन शुरू हो जाएगा;

(घ) क्या लागत लाभ की समीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। व्यावसायिक रूप से प्रबन्धित निगम के माध्यम से रेलवे के मार्गाधिकार का उपयोग करके 62,800 रेल पथ मार्ग किमी० के साथ-साथ आप्टिकल फाइबर केबल (ओ एफ सी) बिछाकर राष्ट्र व्यापी ब्राडबैंड टेलीकाम और मल्टीमिडिया नेटवर्क बनाने का मंत्रालय द्वारा एक नीतिगत निर्णय लिया गया है।

(ख) परियोजना की लागत के संबंध में निर्णय इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए जाने वाले परामर्शदाता से कार्य योजना प्राप्त होने पर ही लिया जाएगा।

(ग) पहले चरण में, रेलवे की योजना 4 बड़े शहरों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ते हुए और बेंगलूरू, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद पहले से ही 4 विकसित/तीव्र विकासशील आई टी पोर्टल शहरों में 7,800 किमी लम्बी ओ एफ सी नेटवर्क बिछाने की योजना है। यह आशा है कि निगम वित्त वर्ष 2000-2001 के दौरान रेलवे को 500 करोड़ रुपए के अपफ्रंट प्रभारों का भुगतान करेगा।

(घ) और (ङ) रेलें, रेल राष्ट्रव्यापी ब्राडबैंड टेलीकाम और मल्टीमिडिया नेटवर्क के लिए व्यावसायिक योजना बनाने के लिए परामर्शदाता नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

'स्टेंड अलोन' तेलशोधक कारखाना

4799. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'स्टेंड अलोन' तेलशोधक कारखाने के लिए शेयरधारियों, वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से निवेश के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उक्त तेलशोधक कारखाने को संस्थागत सहायता देकर किस सीमा तक तैयार किया है ताकि यह भविष्य में प्रशासनिक मूल्य प्रणाली की सुविधा के बिना भी कार्य कर सके?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 'स्टेंड अलोन' तेल रिफाइनरियों के संबंध में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) परिशोधन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस क्षेत्र को जून, 1998 में लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है।

सामने आ रहे नियंत्रणमुक्त परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए 'स्टेंड अलोन' रिफाइनरियों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए तेल विपणन कंपनियों के साथ कार्यनीतिक गठबंधन की जरूरत होगी। सरकार ने इस दिशा में उपाय आरम्भ किए हैं।

तटरक्षक बल के पास पोतों और विमानों की कमी

4800. श्री राधा मोहन सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अपने संवैधानिक कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए तटरक्षक बल के पास पोतों और विमानों की कमी है और 1999-2000 के दौरान पोतों या विमानों को प्राप्त करने हेतु किसी भी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए जिन कारणों का पता लगाया गया है, वे क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से सुधारात्मक कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सरकार ने तटरक्षक के लिए 5 वर्ष अर्थात् 1997 से 2000 तक के लिए एक विकास योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 15 पोतों और 13 वायुयानों की अधिप्राप्ति भी शामिल है। 11 पोतों और 7 वायुयानों की अधिप्राप्ति के लिए पहले ही आर्डर दे दिए गए हैं। 1999-2000 के दौरान 7 डोर्नियर वायुयानों की अधिप्राप्ति किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

'नई सहस्राब्दि में भारतीय उर्वरक उद्योग– एक दृष्टि' पर सेमीनार

4801. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजधानी में फिक्की द्वारा 'नई सहस्राब्दि में भारतीय उर्वरक उद्योग–एक दृष्टि' पर एक सेमिनार आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिए गए;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) देश की उर्वरक इकाइयों हेतु नीति को अंतिम रूप देने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो समिति के निदेश पद क्या हैं;

(च) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और उर्वरक उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ज) यदि नहीं, तो समिति कब तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय तथा फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा दिनांक 17.7.2000 को 'इंडियन फर्टिलाइजर इण्डस्ट्रीज–विजन फार न्यू मिलिनियम' शीर्षक पर एक सेमिनार का आयोजन संयुक्त रूप से किया गया था। यह सेमिनार दीर्घावधि उर्वरक नीति के मसौदे पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था। यह सेमिनार, दीर्घावधि उर्वरक नीति को अन्तिम रूप देने के लिए सरकार विचारों से अवगत होने की दृष्टि से दीर्घावधि उर्वरक नीति के मसौदे में निहित प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया जानने के लिए महानगरीय केन्द्रों में आयोजन के लिए प्रस्तावित सेमिनारों की शृंखला में से एक थी।

(घ) से (ज) देश के उर्वरक एककों के लिए नीति को अंतिम रूप देने हेतु सरकार द्वारा हाल ही में कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित नहीं की गई है।

रिफाइनरियों द्वारा नैफ्था का उत्पादन

4802. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश को रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित नैफ्था को कतिपय प्रवर्तकों को बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नैफ्था उत्पादन और प्रयोग करने के लिए किन-किन अनुषंगी उद्योगों को स्थापित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) नैफ्था 1 अप्रैल, 1998 से एक विनियंत्रित उत्पाद है। सरकार ने विभिन्न श्रेणियों अर्थात् उर्वरक, पेट्रोरसायन इकाइयों तथा विद्युत के अलावा इस्पात, कपड़ा, कांच इत्यादि जैसे अन्य क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए तेल कंपनियों द्वारा नैफ्था के आबंटन के विषय में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

सरकार विद्युत उत्पादन के लिए नैफ्था का आबंटन विद्युत मंत्रालय की सिफारिश पर वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार करती है।

एन०सी०सी० शिविर के आयोजन में अनियमितताएं

4803. **श्री रामजी मांझी : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति-वर्ष देश में राज्य-वार एन०सी०सी० द्वारा कितने शिविर लगाए गए और कैडेटों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) क्या इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि कैडेटों को दिया गया भोजन घटिया स्तर का होता है और इस उद्देश्य हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि के अनुरूप नहीं होता है;

(ग) इन शिविरों के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई और इस धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया;

(घ) क्या इन शिविरों पर किए गए व्यय की कभी कोई लेखा-परीक्षा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो अनियमितताओं, धोखाधड़ी के मामलों, धन के दुरुपयोग और धन के गबन के संबंध में दर्ज मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् प्रशिक्षण वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान आयोजित किए गए विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय कैडेट कोर शिविरों की कुल संख्या 2865 है। वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों, राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों, नौसैनिक शिविरों, वायु सैनिक शिविरों, केन्द्रीकृत संगठित शिविरों, सेना/भारतीय सैन्य अकादमी/अफसर प्रशिक्षण अकादमी/सैन्य अस्पताल के साथ संलग्न प्रशिक्षण, ट्रेकिंग/पर्वतारोहण/चट्टान आरोहण शिविरों और गणतंत्र दिवस शिविर के दौरान प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान आयोजित राज्यवार शिविरों को दर्शाने वाला विवरण 'क', 'ख' और 'ग' के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पिछले 3 वर्षों के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा स्वीकृत राशि का ब्यौरा विवरण 'घ' में दिया गया है। कोई धनराशि अप्रयुक्त नहीं पड़ी रही।

(घ) से (च) सभी शिविरों की लेखा-परीक्षा राज्य महालेखाकार द्वारा की जाती है। अब तक अनियमितता कपट/दुर्विनियोजन/गबन का कोई मामला जानकारी में नहीं लाया गया है।

विवरण-'क'

वर्ष 1997-98 के प्रशिक्षण शिविरों का विवरण

निदेशालय	प्राधि०सं०	वा०प्रशि०शि०		रा०एकी०शि०		के०सं० शि०	ग०दि० शि०	यु०वि० का०	प्रशिक्षण/साहसिक कार्य/कार्यकलाप							भाग लेने वालों की सं०	प्रतिशत उपलब्धि
		संख्या	नफरी	संख्या	नफरी				बालक	बालिकाएं	ट्रेकिंग	प०अ०	प०पा०	च०आ० शि०	पै०बे० को०		
आंध्र प्रदेश	44736	74	43232	5	3572	432	117	7	554	47	453	2	16	—	2	48434	108
बिहार	26278	32	16794	4	1167	340	93	—	736	36	600	2	13	—	2	19783	75.28
दिल्ली	11974	14	6622	4	2119	237	52	2	377	—	—	2	45	20	—	10404	87
गुजरात	26575	36	16181	4	3079	427	92	—	420	20	566	4	11	—	2	20802	78
जम्मू-कश्मीर	6400	10	4783	—	529	241	76	2	103	18	135	1	7	—	2	5897	92.14
कर्नाटक	37697	56	33100	3	2620	444	105	1	798	59	3	9	72	—	4	37699	100
केरल	37195	59	30717	4	3024	371	101	7	423	40	704	1	6	72	2	35468	95.35
मध्य प्रदेश	39825	80	31228	5	4521	759	102	2	575	74	534	11	3	3	3	37863	95
महाराष्ट्र	46835	78	40932	5	3496	438	106	4	877	116	821	10	13	20	2	46835	100
पूर्वोत्तर क्षेत्र	28570	29	5808	3	395	171	90	2	130	69	444	4	13	2	3	7214	25.25
उड़ीसा	20649	27	10814	4	2390	369	88	5	170	12	322	1	4	2	5	14182	68.68
पंजाब	53674	100	30267	5	2610	379	120	5	815	108	755	4	9	12	2	34286	43.30
राजस्थान	23340	41	19752	4	2743	387	141	1	370	27	489	—	8	—	1	24043	100
तमिलनाडु	49285	64	38894	5	2992	446	106	16	466	22	1043	2	6	3	2	43998	89
उत्तर प्रदेश	66195	117	55589	6	3647	581	135	6	1987	174	866	2	21	—	6	63020	95.20
पश्चिम बंगाल	46568	85	42399	4	1563	446	145	3	583	30	569	—	14	—	2	45777	98
जोड़	565796	902	427112	65	40467	6468	1669	63	9384	852	8304	55	261	134	40	495705	87.6

संक्षेपण : प्राधि०सं० — प्राधिकृत संख्या
वा०प्राशि०शि० — वार्षिक प्रशिक्षण शिविर
रा०एकी०शि० — राष्ट्रीय एकीकरण शिविर
के०सं०शि० — केन्द्रीकृत संगठित शिवर
ग०दि०शि० — गणतंत्र दिवस शिविर
यु०वि०का० — युवा विनियम कार्यक्रम
प०अ० — पर्वतारोहण अभियान
प०पा० — पर्वतारोहण पाठ्यक्रम
च०आ०शि० — चट्टान आरोहण शिविर
पै०बे०को० — पैरा बेसिक कोर्स

विवरण-'ख'

वर्ष 1998-99 के प्रशिक्षण शिविरों का विवरण

निदेशालय	प्राधि०सं०	वा०प्रशि०शि०		रा०एकी०शि०		के०स० शि०	ग०दि० शि०	यु०वि० का०	संलग्न प्रशिक्षण		साहसिक कार्य				भाग लेने वालों की कुल सं०	प्रतिशत उपलब्धि
		संख्या	नफरी	संख्या	नफरी				बालक	बालिकाएं	ट्रेकिंग	प०अ०	प०पा०	पै०बे० को०		
आंध्र प्रदेश	45290	67	41552	05	3637	492	121	04	470	36	522	01	14	02	46851	103.4
बिहार	23014	39	14121	04	2524	367	97	—	780	38	514	04	08	02	18455	80
दिल्ली	8782	14	3331	04	2920	270	49	—	52	—	163	06	22	02	6815	77.95
गुजरात	26575	34	14862	04	2761	418	89	—	386	20	583	01	13	02	19135	72
जम्मू-कश्मीर	7020	09	4201	—	404	290	76	—	103	08	135	01	07	02	5227	54.45
कर्नाटक	36445	49	27987	04	2442	1708	112	04	655	137	708	01	40	03	33797	92.73
केरल	37195	57	31172	04	2859	341	104	01	424	20	715	—	74	02	35712	96
मध्य प्रदेश	39825	80	34435	05	3496	425	101	01	706	76	568	—	14	03	39825	100
महाराष्ट्र	46900	78	41085	05	3414	464	110	03	826	116	808	03	68	03	46900	100
पूर्वोत्तर क्षेत्र	28570	21	5075	02	538	256	92	01	97	32	493	02	09	02	6597	23.09
उड़ीसा	22000	24	14873	04	2703	432	87	01	154	12	291	01	56	02	18612	84.6
पंजाब	57136	115	26308	05	1247	487	119	01	780	60	718	09	05	01	29735	52.04
राजस्थान	23365	46	20235	04	1947	373	140	—	381	36	350	03	08	03	23476	100.48
तमिलनाडु	49255	70	40775	05	3502	444	108	05	438	46	873	03	18	02	46214	94
उत्तर प्रदेश	66370	112	54803	06	3552	656	133	02	1956	204	904	05	16	05	62236	93.77
पश्चिम बंगाल	46568	68	37429	04	1872	371	143	02	710	36	736	—	06	02	41307	88
जोड़	564310	883	412244	65	39818	7794	1681	25	8495	877	9081	40	378	38	480894	85.22

विवरण-'ग'

शिविर रिक्ति उपयोग 1 अप्रैल, 1999 से मार्च, 2000

निदेशालय	शिविरों में	वा० प्रशि०	वा० प्रशि०	रा०एकी० शि०	रा०एकी० शि० आयोजित	के०सं० शि०	ग०दि० शि०	संलग्न साहसिक कार्यकलाप		ट्रेकिंग	यु०वि० का०	प०अ०	प०पा०	च०आ० शि०	पै०बे० को०	भाग लेने वालों की कुल सं०	उपयोग का प्रतिशत
								बालक	बालिकाएं								
आंध्र प्रदेश	53795	50102	74	3500	05	492	124	—	36	495	04	03	18	—	02	54776	100
बिहार	19474	16051	48	3162	04	471	91	894	—	637	—	05	13	—	02	21326	100
दिल्ली	18290	10386	11	3010	04	322	81	—	—	380	02	03	05	—	03	14192	77
गुजरात	26575	21255	34	1842	04	404	83	—	—	619	02	01	12	01	—	24219	91
जम्मू-कश्मीर	7020	3939	09	423	—	172	71	—	—	120	01	—	02	01	02	4731	67
कर्नाटक	36445	33206	50	2269	05	268	112	357	—	1644	—	—	—	—	02	37858	100
केरल	37195	34400	62	2594	04	415	104	444	37	715	03	—	06	—	02	38720	100
मध्य प्रदेश	39825	32959	72	3321	05	461	106	395	54	490	03	03	20	03	02	37817	94.5
महाराष्ट्र	46900	42750	75	3526	05	464	110	654	116	880	05	05	34	06	03	48553	100
पूर्वोत्तर प्रदेश	25570	19819	54	1726	04	211	86	278	61	545	02	03	07	—	03	22741	88.9
उड़ीसा	22025	14550	25	2015	04	335	85	129	—	217	04	02	06	—	—	17343	78.7
पंजाब	57136	26795	45	2861	05	511	121	318	—	626	04	02	—	03	03	31244	54.6
राजस्थान	23440	20378	39	2180	04	399	141	120	24	399	02	—	13	03	02	23661	100
तमिलनाडु	49255	46142	68	3281	04	469	108	290	25	875	09	05	05	03	03	51215	100
उत्तर प्रदेश	66370	58899	94	3932	06	590	132	1234	154	956	05	02	29	—	09	65942	99.3
पश्चिम बंगाल	46568	39785	60	1950	04	337	145	537	57	833	01	04	18	—	02	43669	93.7
जोड़	575883	471416	820	41592	67	6321	1700	5650	564	10431	47	38	188	20	40	538007	93.42

विवरण-'घ'

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कैडेट कोर शिविरों के लिए बजट संबंधी राज्य सहायता

(रुपये लाख में)

क्रम सं०	राज्यों/संघ शासित प्रशासनों के नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	222.85	246.02	269.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.50	0.50	0.12
3.	असम	32.20	4.91	23.89
4.	मणिपुर	7.50	7.04	5.79
5.	मेघालय	4.02	0.41	3.46
6.	मिजोरम	1.55	4.85	2.45
7.	नागालैंड	0.58	9.81	7.50
8.	त्रिपुरा	4.74	2.31	5.10
9.	बिहार	104.30	155.61	84.18
10.	दिल्ली	100.00	190.00	105.62
11.	गुजरात	141.00	100.00	105.00
12.	दादर और नगर हवेली	0.10	0.08	0.08
13.	दमण तथा दीव	0.15	0.20	0.20
14.	जम्मू और कश्मीर	28.40	22.50	19.08
15.	कर्नाटक	130.64	143.45	168.30
16.	गोवा	3.36	0	4.40
17.	केरल	110.00	130.00	150.00
18.	लक्षद्वीप	4.69	0.06	4.26
19.	मध्य प्रदेश	240.00	240.00	270.00
20.	मध्य प्रदेश	256.24	200.00	200.00
21.	उड़ीसा	81.72	98.72	98.57
22.	पंजाब	45.24	43.31	53.94
23.	हरियाणा	36.68	42.26	47.56
24.	हिमाचल प्रदेश	28.24	33.21	31.30
25.	चंडीगढ़	10.00	7.30	8.95
26.	राजस्थान	93.69	119.25	116.00
27.	तमिलनाडु	135.00	145.00	150.00
28.	अंडमान तथा निकोबार	3.12	3.09	3.09
29.	पांडिचेरी	10.80	3.53	21.31
30.	उत्तर प्रदेश	225.00	265.00	293.00
31.	पश्चिम बंगाल	195.00	181.00	147.00
32.	सिक्किम	4.90	1.50	2.00
	जोड़ :	2262.21	2400.92	2401.35

भारतीय कंटेनर निगम द्वारा मालडिब्बों की खरीद

4804. श्री अनन्त नायक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कंटेनर निगम का विचार नए मालडिब्बों को खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय कंटेनर निगम द्वारा कितने नए वैगनों को खरीदने का विचार है; और

(ग) भारतीय कंटेनर निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु कितना निवेश किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) अपने आधुनिकीकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कनकोर) देश में कंटेनरों के परिवहन के लिए नए मालडिब्बों की खरीद कर रहा है। कनकोर ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 94 मिलियन अमरीकी डालर की कंटेनर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स परियोजना में से दो भिन्न आपूर्तिकर्त्ताओं से इन 3225 मालडिब्बों की खरीद के लिए पहले ही ठेका कर लिया है। आदेशित 3225 मालडिब्बों में से 1185 मालडिब्बे अब सप्लाई कर दिए गए हैं। विश्व बैंक परियोजना के अलावा कनकोर को अपनी निधियों से 90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 600 मालडिब्बों की खरीद करने की योजना है जिसके लिए निविदा अब जारी कर दी गई हैं।

असम और मिजोरम के मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र

4805. श्री राजेन गोहेन : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का असम और मिजोरम में मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को पुन: आरंभ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया को कब तक पुन: आरंभ तथा पूरा किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि वह वर्तमान स्थिति में असम और मिजोरम में मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करने का काम पुन: आरंभ करना उचित नहीं समझता।

[हिन्दी]

कुलियों की गतिविधियां

4806. श्री मानसिंह पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुली स्टेशनों पर खड़ी गाड़ियों में सीट (बर्थ) पर अनधिकृत कब्जा कर लेते हैं और यात्रियों से पैसा लेकर उन्हें सीट देते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में जोनवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) इस प्रकार के कुछ किस्से सरकार के नोटिस में आए हैं।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इस प्रकार की दुर्व्यवस्था को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल तथा राजकीय सुरक्षा बल के सहयोग से वाणिज्यिक व सतर्कता विभागों द्वारा नियमित जांच की जा रही है ताकि कुलियों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा सीटों पर पहले से कब्जा करने को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, अनारक्षित डिब्बों में सीटों पर पहले से कब्जा करने को रोकने के लिए यात्रियों को पंक्ति प्रणाली का प्रयोग करने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

वायु सुरक्षा पोत का विकास

4807. श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड में प्रतिष्ठित वायु सुरक्षा पोत का निर्माण-कार्य शुरू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) हालांकि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में वायु सुरक्षा पोत का वास्तविक निर्माण-कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है, लेकिन वायु सुरक्षा पोत परियोजना के सिलसिले में निम्नलिखित कार्य-कलाप पहले ही आरंभ कर दिए गए हैं :-

(1) भारतीय नौसेना के डिजायन महानिदेशालय द्वारा बेस लाइन ड्राइंगों का निर्माण।

(2) 30 करोड़ रुपये की लागत से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में सुविधाओं में बढ़ोतरी करने की मंजूरी दे दी गई है।

(3) हाइड्रोडायनामिक परीक्षण करने की मंजूरी दे दी गई है।

[हिन्दी]

सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति

4808. श्री रामदास आठवले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालय ने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पुनर्नियुक्ति योजना के कुप्रबंध के बारे में जून, 2000 में उनके मंत्रालय को नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विद्यमान भारी बेरोजगारी को देखते हुए इन नियमों को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) दो पुनर्नियोजित अधिकारियों ने अपनी सेवा शर्तों के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की हैं। इनमें से एक रिट याचिका के संबंध में सरकारी उत्तर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ग) सेना में पुनर्नियोजन योजना को रद्द किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मझगांव डॉक लि० को क्रय आदेश

4809. प्रो० दुखा भक्त : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मझगांव डॉक लि० को नौसेना या किसी अन्य देश से पनडुब्बी संबंधी क्रय आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मझगांव डॉक लि० द्वारा प्राप्त तथा निष्पादित किए गए क्रय आदेशों का ब्यौरा क्या है तथा खरीदने वाले पक्ष का क्या नाम है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) भारतीय नौसेना से दो पनडुब्बियों के निर्माण के लिए फरवरी, 1997 में एक आशय पत्र प्राप्त हुआ था। इस आशय पत्र को आर्डर के रूप में परिवर्तित नहीं किया गया है क्योंकि पनडुब्बियों के डिजाइन और ढांचे का निर्धारण नहीं किया गया है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा प्राप्त किए गए आदेशों तथा इस अवधि के दौरान उनके द्वारा सुपुर्द किए गए पोतों का ब्यौरा इस प्रकार है

प्राप्त किए आदेशों का ब्यौरा

वर्ष	आदेशित पोतों की किस्म	मझगांव डॉक लिमिटेड को भेजे गए आदेश/ आशय-पत्र की तारीख	खरीदार का नाम
1997-98	फ्रिगेट (संख्या 3)	जनवरी, 1998 (आशय पत्र)	भारतीय नौसेना
	टग	मार्च, 1998	जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट
1998-99	ड्रेजर	जुलाई, 1998	मै० मोरटेनल, केस्टियन एंड सागुआ, फ्रांस
1999-2000			

सुपुर्दगी किए गए पोतों के ब्यौरे

वर्ष	सुपुर्द किए गए पोतों की किस्म	सुपुर्दगी की तारीख	खरीदार का नाम
1997-98	(1) ड्रेजर	जून, 1997	मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट
	(2) विध्वसंक	सितंबर, 1997	भारतीय नौसेना
1998-99	बचाव नौका (संख्या 3)	जुलाई, 1998	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश
1999-2000	विध्वंसक	जून, 1999	भारतीय नौसेना

गैस का निकलना

4810. श्री धर्म राज सिंह पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इलाहाबाद जिले की फूलपुर तहसील के अंतर्गत बहादुरपुर ब्लाक के धोकरी गांव में और कुछ अन्य स्थानों पर सिंचाई के लिए ट्यूबवैलों की बोरिंग करते समय बोरिंग पाइप से गैस निकली थी और कई दिनों तक जलती रही थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वहां गैस भंडार की खोज करने के लिए उच्चस्तरीय अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश के जिला इलाहाबाद की फूलपुर तहसील में ग्राम ढोकारी कच्छर में ट्यूबवैल स्थल से कथित गैस रिसाव की जांच आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) से भूवैज्ञानिकों के एक दल द्वारा की गई थी। उक्त गैस के विश्लेषण से पता चला कि इसमें मुख्यत: मीथेन है जिसके साथ थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइआक्साइड और नाइट्रोजन गैस भी है और इसमें हायर हाइड्रोकार्बनों की मौजूदगी नहीं है। गैस रिसाव स्थानीकृत है, बायोजेनिक मूल की है और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है। इस स्थल के समीप वेधन किए गए दो अन्य नलकूपों में से एक नलकूप से पानी निकल रहा है और दूसरा नलकूप सूखा है।

[अनुवाद]

स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना

4811. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन फार्मास्युटिकल एलायंस ने भेषज उद्योग के लिए ट्राई (टी०आर०ए०आई०) और आई०आर०डी०ए० की तरह एक स्वतंत्र विनियामक निकाय स्थापित करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) भारतीय भेषज संघ ने 21 जुलाई, 2000 के अपने पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ टी.आर.ए.आई. और आई.आर.डी.ए. के समान सन् 2010 में भेषज क्षेत्र के लिए एक दृष्टि के रूप में भेषज क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र नियामक निकाय की परिकल्पना की है। पत्र में प्रस्तावित नियामक प्राधिकरण के लक्ष्यों, ढांचा, कार्य और दायित्वों और कर्तव्यों आदि के ब्यौरे नहीं दिए गए हैं।

न्यायालयों में रेलवे के लंबित मामले

4812. श्री भर्तृहरि महताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न जिला न्यायालयों में रेलवे के कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) उक्त मामले कब से लंबित हैं; और

(ग) उक्त मामलों को तुरंत निपटाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेल-मार्ग का परिवर्तन

4813. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें बंगलौर और दक्षिणी तमिलनाडु के बीच चलने वाली गाड़ियों का वर्तमान जोलारपेट और बंगारूपेट मार्ग के बजाय बरास्ता धर्मपुरी व होसूर बड़ी लाइन पर चलाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। इस संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री पी०डी० ऐलानगोवन सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) फिलहाल धर्मपुरी तथा होसूर के रास्ते अतिरिक्त गाड़ियां डायवर्ट करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे के पेंशनभोगियों को चिकित्सा भत्ता

4814. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद स्थित रेलवे संवितरण रेलवे के पेंशनभोगियों और परिवार पेंशनभोगियों को बैंक 1.12.1997 से देय नियत चिकित्सा भत्ते का भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में रेलवे पेंशनभोगी संघ, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) रेलवे पेंशनभोगी संगठन, फर्रुखाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार फर्रुखाबाद में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उनकी शाखाओं को छोड़कर बाकी सभी बैंक, सरकारी कोष तथा डाकघर रेलवे पेंशनभोगियों और परिवार पेंशनभोगियों को 100 रु० प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता दे रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) संबंधित बैंकों को रेलवे पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों को मौजूदा आदेशों के अनुसार चिकित्सा भत्ता देने को कहा गया है।

वातानुकूलित श्रेणी में आरक्षण

4815. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों में यात्रा से 20 दिन पूर्व भी वातानुकूलित श्रेणी में आरक्षण उपलब्ध नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन-से कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) लंबी दूरी की गाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि गाड़ी के आरंभिक स्टेशन से गाड़ी प्रस्थान की तिथि से साठ दिन है। चूंकि वातानुकूलित श्रेणियों में सीमित संख्या में शायिकाएं होती हैं इसलिए व्यस्त अवधि अर्थात् ग्रीष्मकाल, त्यौहार आदि के दौरान वातानुकूलित श्रेणियों में स्थान शीघ्र ही भर जाता है। बहरहाल, कम व्यस्त अवधि के दौरान वातानुकूलित श्रेणियों सहित सभी श्रेणियों में अधिक समय तक स्थान उपलब्ध रहता है। मांग और आपूर्ति में अंतर को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिसमें विशेष गाड़ियां चलाना, मौजूदा गाड़ियों में डिब्बों की संख्या में वृद्धि करना आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रतीक्षासूची की दिन-प्रतिदिन आधार पर निगरानी रखी जाती है और, जहां कहीं औचित्य और व्यावहारिक होता है वहां वातानुकूलित श्रेणी के सवारी डिब्बों सहित अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाए जाते हैं।

तकली की क्षमता

4816. श्री बी० वेंकटेस्वरलु : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल (आई०सी०सी०आई०) ने वर्तमान 11,000 की न्यूनतम तकली (स्पंडल) क्षमता को कम कर 5,000 तकली करने तथा तकली के किफायती आकार ध्यान में रखते समय मिलों की आर्थिक क्षमता की समीक्षा किए जाने की अपील की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस हेतु क्या कार्यवाही की गई है ताकि वित्तीय रूप से मजबूत छोटी मिलों को भी प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि प्राप्त हो सके?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ (आईसीसीआई) से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत तकुए पर विचार करते समय 11,000 की मौजूदा न्यूनतम तकुआ क्षमता को 5000 तकुए तक कम करने तथा मिलों के आर्थिक आकार की समीक्षा करने संबंधी एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। टीयूएफएस के लिए न्यूनतम आर्थिक आकार (एमइएस) तथा संबंधित मामलों पर उचित रूप से विचार किया गया है तथा निर्णय निम्नानुसार हैं :-

लघु एककों का न्यूनतम 12,000 तकुए लेकिन 25,000 तकुए से कम के स्तर तक क्षमता विस्तार (कठोर प्रबंधन तथा वित्तीय साख रिकार्ड के अधीन) की अनुमति दी जा सकती है यदि अनुमति योग्य निम्न प्रवाह मूल्य-वर्द्धन क्रियाकलापों में निवेश विस्तारित कताई क्षमता का 50 प्रतिशत हो। नये कताई एककों अथवा एमइएस से आगे विस्तार के लिए (25,000 तकुए) कताई का केवल वही भाग टीयूएफएस के लिए पात्र होगा जिसके लिए समान निम्न प्रवाह मूल्य वर्द्धन क्षमता सृजित करने में निवेश भी है। यह भी निर्णय लिया गया है कि अन्य वस्त्र खंडों के मामले में न्यूनतम आर्थिक आकार (एमइएस), एमइएस वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंकों की अर्थक्षमता विश्लेषण के अनुसार होना चाहिए।

कोल्लम-सेनगोट्टै रेल लाइन का आमान परिवर्तन

4817. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्लम-सेनगोट्टै रेल लाइन के आमान परिवर्तन के कार्यक्रम में बदलाव करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कुल कितने किलोमीटर लंबी रेल लाइन को बदला जाना है; और

(घ) आमान परिवर्तन का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) बड़े आमान की मालगाड़ियों को पूर्ण भार पर चलाने के लिए खंड पर आसान बनाए जा सकने वाले ढलानों और मोड़ों की जांच करने तथा तत्संबंधी वित्तीय निहितार्थ निर्धारित करने के लिए एक अंतिम स्थान निर्धारण किया गया है। ब्यौरा, अंतिम स्थान सर्वेक्षण के पूरा होने पर ही पता चल पाएगा।

(घ) अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

रेलवे के उत्पादन इकाइयों को पृथक करना

4818. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय भारतीय रेलवे की छः विनिर्माण इकाइयों को अलग-अलग लाभ केन्द्रों के रूप में पृथक करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव को अंतिम रूप से अनुमोदित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित करने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रेल की वर्तमान अवसंरचना के भीतर 6 रेल उत्पादन इकाइयों को पृथक-पृथक लाभ और लागत केन्द्रों में परिवर्तित करने की सिफारिश पर रेलें विचार कर रही हैं।

रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड का कार्यकरण

4819. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल समन्वय समिति (ओ०सी०सी०) ने मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के कार्यकरण में अनियमितताएं पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) किसी अन्य रिफाइनरी की तरह मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित जामनगर रिफाइरी को भी आरम्भ में स्थिरीकरण की कुछ समस्याओं से होकर गुजरना पड़ा। रिफाइनरी को अब स्थिर कर लिया गया है।

[हिन्दी]

आरक्षण लिपिकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

4820. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा इलाहाबाद मंडल में कार्यरत आरक्षण लिपिकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) इनमें प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) पांच वर्षों से अधिक समय से एक ही स्टेशन पर कितने लिपिक तैनात हैं जिनकी दलालों से सांठ-गांठ है; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 66 मामले।

(ख) 9 मामलों में बड़ी शास्ति और 38 मामलों में छोटी शास्ति के लिए विभागीय कार्रवाई की गई थी। शेष 19 मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई यथा चेतावनी आदि दी गई थी।

(ग) उसी स्टेशन पर लंबे समय तक रहने के कारण किसी आरक्षण लिपिक का दलालों के साथ सांठ-गांठ होने का मामला नहीं पाया गया है।

(घ) आरक्षण कार्यालय में कदाचार का पता लगाने के लिए नियमित रूप से निवारक/अचानक जांचें आयोजित की जाती हैं। यातायात के व्यस्त मौसम के दौरान ऐसी जांचें तेज की जाती हैं। अनियमितताओं के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त विभागीय कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

नौवीं योजना के दौरान तेल और गैस के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य

4821. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :
श्री नवल किशोर राय :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं योजना के दौरान तेल और गैस तथा कच्चे तेल के उत्पादन हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हो रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो मार्च, 2000 के अंत तक अलग-अलग उक्त उत्पादों का कितना उत्पादन हुआ और यह निर्धारित लक्ष्यों से कितना कम है?

पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय तेल कंपनियों और निजी/संयुक्त उद्यमों द्वारा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए नौवीं योजना अवधि में निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 180.82 मिलयिन मीट्रिक टन (एम एम टी) और 144.53 बिलियन घन मीटर (बी सी एम) हैं।

(ग) और (घ) मार्च, 2000 तक योजना अवधि के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन निम्नानुसार हैं :-

मद	लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिशत उपलब्धि
कच्चा तेल (एम एम टी)	106.625	98.521	91.91 प्रतिशत
प्राकृतिक गैस (बी सी एम)	84.20	82.272	97.71 प्रतिशत

एड्स से पीड़ित रेल कर्मचारी

4822. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 1800 रेल कर्मचारी एड्स और एच आई वी पाजीटिव लक्षणों से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो रेल कर्मचारियों में एड्स रोग की बढ़ती हुई संख्या के क्या मुख्य कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कर्मचारियों को सहायता देने हेतु क्या प्रावधान किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। आज देश में रेल कर्मचारियों और उनके आश्रितों की लगभग एक करोड़ की जनसंख्या में से 1906 व्यक्ति एच आई वी पॉजिटीव हैं। वर्तमान में क्षय रोग और अन्य संक्रमण के लक्षण के 190 मामले हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। रेल कर्मचारियों और उनके आश्रितों की संख्या में मौजूदा एच आई वी पॉजिटीविटी की दर अनुमानित राष्ट्रीय स्तर से काफी कम है।

(ग) रेलों पर एच आई वी/एड्स को फैलने से रोकने के लिए कदम पहले से ही उठाए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) मौजूदा प्रौद्योगिकी और बचाव की जानकारी ही एड्स पर नियंत्रण का मुख्य साधन हैं। निम्नलिखित के संबंध में स्वास्थ्य शिक्षा देकर बचाव किया जाता है--(i) बीमारियों के संचरण और सुरक्षित यौन संबंध के बारे में जनता को एच आई वी और एड्स के बारे में जागरुकता बढ़ाकर, (ii) कंडोम की आपूर्ति, (iii) खून और खून उत्पादों की अनिवार्यतः जांच, (iv) अस्पतालों में सुरक्षा और खून चढ़ाने और खून उत्पादों को देने में चिकित्सकीय देखभाल सुविधाएं, (v) मेडिकल और पैरा मेडिकल कार्मिकों को प्रशिक्षण, (vi) मेडिकल और पैरा मेडिकल कर्मचारियों की सुरक्षा और अस्पताल के कचरे का समुचित निपटान, और (vii) एच आई वी/एड्स के बारे में जानकारी देने के लिए परिवार परामर्श केन्द्र।

बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना

4823. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगलौर सरकुलर रेल और बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में चर्चा के लिए अधिकारियों का एक दल भेजने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने बंगलौर में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा की है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) बंगलौर के लिए अंतर मॉडल परिवहन प्रणाली की 2/3 लागत वहन करने हेतु कर्नाटक सरकार की सहमति के दृष्टिगत तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करने के लिए बंगलौर में रेलवे अधिकारियों और कर्नाटक सरकार के अधिकारियों के बीच हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस परियोजना के राजस्व और लागत फलितार्थों का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन का प्रस्ताव है। इस परियोजना के कार्यान्वयन की ओर प्रथम चरण के रूप में अध्ययन की लागत में भागीदारी करने के लिए कर्नाटक सरकार से सहमति मांगी गई है।

राजधानी एक्सप्रेस में साधारण प्रथम श्रेणी

4824. श्री पी० कुमारासामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लंबी दूरी की रेलगाड़ियों और सुपर फास्ट रेलगाड़ियों में गैर-वातानुकूलित तथा धूम्रपान निषेध वाले प्रथम श्रेणी के शयनयानों को पुनः शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पड़ोसी देशों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें

4825. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इसके पड़ोसी देशों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भारी अंतर है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) भारत तथा पड़ौसी देशों में मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य नीचे दिए गए हैं :-

(आई एन आर = भारती रुपए)

देश	मिट्टी तेल सा०वि०प्र० आईएन आर/लीटर	डीजल आईएन आर/लीटर	घरेलू एलपीजी आईएनआर/कि०ग्रा०	पेट्रोल आईएन आर/लीटर
भारत (दिल्ली)	5.55	14.04	13.84	26.07
बांग्लादेश	10.91	10.87	16.78	17.62
श्रीलंका	8.98	13.12	21.31	30.91
पाकिस्तान	9.57	10.89	16.17	25.09
नेपाल	8.39	14.85	21.14	25.82

भारत तथा पड़ौसी देशों के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अंतर कच्चे तेल की लागत, संसाधन, विपणन तथा भराई के प्रभारों, भाड़े की लागत, डिस्ट्रीब्यूटरों के कमीशन, करों तथा शुल्कों व राजसहायता जैसे घटकों के कारण है।

[अनुवाद]

बेहतर प्रशासन के लिए अनुशासन और दक्षता

4826. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में सरकारी और न्यायिक अधिकारियों में बेहतर प्रशासन के लिए अनुशासन और दक्षता लाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं० 376/2000—रमेशचन्द्र आचार्य बनाम रजिस्ट्रार, उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक और एक अन्य में, तारीख 26 जून, 2000 के अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि 58 वर्ष के बाद सेवा में बनाए रखना केवल तभी अनुज्ञेय है जब उच्च न्यायालय, सेवा में ऐसे बनाए रखे जाने के लिए, उस अधिकारी के पक्ष में सकारात्मक सिफारिश करता है। अन्यथा, उस न्यायिक अधिकारी को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना ही है। इसका अनुसरण केवल तब नहीं किया जाएगा जब राज्य इससे भिन्न कोई विनिर्दिष्ट नियम बनाता है। उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि उच्च न्यायालय/अधिकरण/अन्य प्राधिकरण निर्णय का अनुसरण करते हुए, मामलों का विनिश्चय कर सकेंगे और अधीनस्थ न्यायालयों/अन्य प्राधिकरणों को भी विनिश्चय संसूचित कर सकेंगे तथा उन्हें तदनुसार कार्यवाही करने का निदेश दे सकेंगे।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं की संविदाओं की स्थिति

4827. श्री विजय गोयल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के लिए किए गए संविदाओं की स्थिति क्या है;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाओं पर कार्य आरंभ कर दिया गया है;

(ग) शेष परियोजनाओं पर कार्य न आरंभ किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार इस परिप्रेक्ष्य में कोई नये दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता

4828. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वर्ष 2000-2001 के दौरान पूरी होने वाली परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति क्या है और क्या सरकार का विचार उनकी अधिष्ठापित क्षमताओं में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके बारे में उक्त निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) 2000-01 के क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में किसी भी ताप विद्युत/जल विद्युत परियोजना को चालू करने का लक्ष्य नहीं है। तथापि, राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र की यूनिट-4 को 2000-01 के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है। यूनिट-3 सहित इस यूनिट की कुल

अनुमानित लागत जिसे 1999 में चालू किया गया था, 2511 करोड़ रुपए है जिसमें 800 करोड़ रुपए का निर्माण के दौरान ब्याज भी शामिल है।

रसायन उद्योगों के लिए लाइसेंस

4829. श्री डा० जसवन्त सिंह यादव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन रसायनों के लिए लाइसेंस लेना अभी भी अनिवार्य है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : इस समय निम्नलिखित घातक रसायनों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है :-

	एच एस कोड	वस्तु
1.	280110.00	क्लोरीन
2.	281119.01	हाइड्रोसाएनिक एसिड तथा इसके व्युत्पाद
3.	281210.01	फोस्जिन तथा इसके व्युत्पाद
4.	2815.11	सोडियम हाईड्राक्साइड : ठोस
5.	2815.12	सोडियम हाईड्राक्साइड : तरल
6.	290121.10	इथएलीन
7.	290122.00	प्रोपेन (प्रोपेलीन)
8.	290124.01	बुटाडाईनस
9.	290220.00	बेंजीन
10.	290230.00	टौलीन
11.	290241.00	ओ-जाएलीन
12.	290242.00	एम-जाएलीन
13.	290243.00	पी-जाएलीन
14.	290244.00	मिक्सड जाएलीन आईसोमर
15.	290531.00	इथाएलीन ग्लाईकोल/इथाएलीन आक्साईड
16.	292229.02	मेटा एमिनो फिनाल
17.	292910.00	किसी अन्य स्थान पर विनिर्दिष्ट नहीं किया गया आईसोसाएनेट्स तथा डाइसोसाएनेट्स
18.	380810.02	एल्युमीनियम फास्फाइड
19.	380810.16	डाईमेथोट
20.	380810.21	कुइनलफोस
21.	380810.29	कार्बेरिल, फोरेट, फेनीट्रोथियोन
22.	390110.00	0.94 से कम विनिर्दिष्ट आकर्षण युक्त पालिइथाएलीन

[अनुवाद]

विद्रोह से निबटने हेतु सेना लगाना

4830. श्री नरेश पुगलिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी कमान के जनरल ऑफीसर कमांडिंग-इन-चीफ ने 'कारगिल दिवस' पर कहा कि विद्रोह से निबटना सेना का दोयम दर्जे का कार्य है जिसके लिए सेना को 'पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध' नहीं होना चाहिए क्योंकि इस कार्य को करने के लिए राज्य की एजेंसियां हैं और विद्रोह का समाधान करने हेतु सेना को आखिरी उपाय के रूप में बुलाया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार का यह मत है कि प्रतिविद्रोह से निबटने के लिए सेना असाधारण परिस्थितियों में ही तभी तैनात की जाए जब ऐसा करना अपरिहार्य हो।

[हिन्दी]

ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का उपयोग

4831. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रदूषणमुक्त धुले हुए कोयले का उपयोग करने वाले विद्युत स्टेशन कौन-कौन से हैं;

(ख) देश के ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोयले की श्रेणियां क्या हैं;

(ग) प्रत्येक श्रेणी के कोयले का मूल्य क्या हैं; और

(घ) प्रत्येक श्रेणी के कोयले की खरीद के कारण ताप विद्युत स्टेशनों को होने वाले लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) वर्तमान में दिल्ली के ताप विद्युत केन्द्र नामश: इंद्रप्रस्थ, राजघाट और बदरपुर तथा कुछ अन्य ताप विद्युत केन्द्र जैसे दादरी स्थित एनटीपीसी एवं दहानू स्थित बीएसईएस स्वच्छ/कच्चे कोयले का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें राख की मात्रा 34% से ज्यादा नहीं है।

(ख) देश में स्थित ताप विद्युत केन्द्र आमतौर से डी से जी ग्रेड के नॉन कुकिंग कोयले का प्रयोग कर रहे हैं जिनमें राख की मात्रा 30% से 50% रहती है। कुछ पुराने और नगर में स्थित विद्युत केन्द्र बी एवं सी ग्रेड के बेहतर कोयले का प्रयोग कर रहे हैं जिनमें राख की मात्रा 30% से भी कम होती है।

(ग) कोयले के दर में कंपनीवार और ग्रेडवार अंतर होता है हालांकि एनटीपीसी विद्युत केन्द्रों में उपयोग किए जा रहे विभिन्न गुणवत्ता वाले कोयलों की दर निम्नानुसार है :-

कोलफिल्ड (कोल कंपनी)	कोयले की गुणवत्ता	मूल कीमत (–) 250 एम एम (रु० प्रति टन)
1. सिंगरोली (एनसीएल)	सी	797.00
	डी	683.00
	ई	492.00
	एफ	396.00
2. कोरबा (एसईसीएल)	एफ	375.00
	जी	274.00
3. राजमहल (ईसीएल)	एफ	563.00
	जी	455.00
4. झरिया (बीसीसीएल)	डी	676.00
	ई	487.00
	एफ	393.00
	जी	287.00
5. नॉर्थ करनपुरा (सीसीएल)	डी	709.00
	ई	510.00
	एफ	412.00
	जी	300.00
6. तालचेर (एमसीएल)	ई	448.00
	एफ	361.00
	जी	263.00
7. गोदावरी खानी (एससीसीएस)	सी	1092.00
	डी	972.00
	ई	786.00
	एफ	663.00
8. वर्धा (डब्ल्यूसीएल)	ई	685.00
	एफ	574.00
	जी	438.00

उपर्युक्त दरों में रॉयल्टी एवं अन्य सांविधिक कर/बिक्री कर आदि शामिल है।

(घ) बिजली की परिवर्तनीय लागत जो मुख्यत: विभिन्न कोयला आधारित विद्युत केन्द्रों की ईंधन लागत है, 50 पैसे प्रति केडब्ल्यूएच से 1.50 रु० प्रति केडब्ल्यूएच तक होता है इससे लाभ/हानि प्रयुक्त कोयले की गुणवत्ता, प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी हुई है क्योंकि एनटीपीसी केन्द्रों के लिए ईंधन लागत टैरिफ में शामिल होती है।

तटरक्षक बलों के लिए आवासों का निर्माण

4832. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कच्छ जिले के जाखू में तटरक्षक बलों के कार्मिकों के लिए आवासों का निर्माण करने हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय की मंजूरी मांगी है;

(ख) यह मामला पर्यावरण मंत्रालय के पास किस तारीख से लंबित है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) तटरक्षक बल ने तटरक्षक स्टेशन की स्थापना के लिए गुजरात में जाखू में तीन भूखण्डों का पता लगाया है। गुजरात सरकार इन तीन भूखण्डों को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है बशर्ते जाखू पोर्ट के पास स्थित एक एकड़ भूमि के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु गुजरात सरकार द्वारा 10 अगस्त, 1999 को भेजा गया प्रस्ताव 17 मई, 2000 को स्वीकृत कर दिया गया है।

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की संभावनाएं

4833. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी राज्यों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की संभावनाओं के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उचित दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस संबंध में नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने पूर्वी राज्यों सहित देश-व्यापी आधार पर बहुत से अध्ययन प्रायोजित/प्रारंभ किए हैं जिनसे विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की व्यापक संभावनाओं के मौजूद होने का पता चलता है। बायोगैस, उन्नत चूल्हा, लघु पन बिजली (15 मेवा० तक) चीनी मिलों में खोई आधारित सह-उत्पादन तथा पवन विद्युत कार्यक्रम के संबंध में बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में अनुमानित संभाव्यता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) से (ङ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे भारत में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों की तकनीकी विश्वसनीयता तथा आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए अपारंपरिक

ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है तथा विभिन्न राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध करा रहा है। नौवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पूर्वी राज्यों में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए संभाव्यता के अनुमान

क्रम सं०	राज्य	अनुमानित संभाव्यता				
		बायोगैस (संख्या लाख में)	उन्नत चूल्हा (संख्या लाख में)	लघु पन बिजली (15 मेवा० तक) (मेवा०)	खोई आधारित सह-उत्पादन (मेवा०)	पवन विद्युत (मेवा०)
1.	बिहार	9.399	123.83	252	200	—
2.	उड़ीसा	6.055	54.55	156	—	840
3.	पश्चिम बंगाल	6.950	98.72	182	—	180

मेवा०—मेगावाट

विवरण-II

9वीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों के ब्यौरे

क्रम सं०	कार्यक्रम/योजना	9वीं योजना वास्तविक लक्ष्य
1	2	3
1.	बायोगैस	10 लाख
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	800
3.	उन्नत चूल्हा	150 लाख
4.	बायोमास/गैसीफायर	40 मेवा०
5.	एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम (आई आर ई पी)	660 (पुराने ब्लॉक) 200 (नए ब्लॉक)
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय (एस पी वी) कार्यक्रम	
	एस पी वी घरेलू रोशनी	2 लाख
	एस पी वी लालटेन	3 लाख
	एस पी वी विद्युत संयंत्र	1.6 मेवा०
7.	एस पी पी पंप	4000
8.	सौर तापीय (एस टी) ऊर्जा	
	सौर जल तापन प्रणालियां (वर्ग मीटर संग्राहक क्षेत्र)	1.5 लाख
	सौर कुकर	1.5 लाख
9.	पवन पंप एवं हाइब्रिड प्रणालियां	1000 250 किवा०
10.	पवन विद्युत	1000 मेवा०
11.	लघु पन बिजली (एस एच पी)	130 मेवा०
	पन चक्कियां	700
	नवीकरण एवं आधुनिकीकरण	65 मेवा०
12.	बायोमास विद्युत	314 मेवा०
13.	सौर विद्युत	141.5 मेवा०
14.	शहरी एवं औद्योगिक एवं राष्ट्रीय बायो-ऊर्जा बोर्ड	42 मेवा०

मेवा०=मेगावाट, किवा०=किलोवाट।

महिला को आरक्षित शायिका से जबरन हटाया जाना

4834. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जुलाई, 2000 को नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर गया है जिसमें महिला को आरक्षित शायिका को छोड़ने पर मजबूर किए जाने संबंधी समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एन०ई०ई०पी०सी०ओ० द्वारा पूरी की गई विद्युत परियोजनाएं

4835. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एन०ई०ई०पी०सी०ओ० द्वारा महाराष्ट्र में कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाएं पूरी की गई;

(ख) चालू और अगले वित्त वर्ष के दौरान एन०ई०ई०पी०सी०ओ० द्वारा कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया जाएगा;

(ग) उक्त (क) में प्रत्येक परियोजना पर कितनी राशि व्यय की गई राशि उक्त (ख) में प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) अब तक पूरी हो चुकी प्रत्येक परियोजना की कुल परिसम्पत्तियां कितनी हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) ने किसी भी विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन कार्य नहीं शुरू किया है और फिलहाल महाराष्ट्र राज्य में किसी विद्युत परियोजना को क्रियान्वित करने का इसके पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) नीपको द्वारा शुरू की जा रही विद्युत परियोजनाओं एवं वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के लिए किए गए आवंटन/जारी की गई राशि का ब्यौरा नीचे बताया गया है। 2000-2001 के लिए आवंटन का निर्धारण निपको द्वारा हासिल की गई प्रगति के मद्देनजर किया जाएगा।

(करोड़ रु० में)

क्रम सं०	संस्थापित क्षमता के साथ परियोजना	जिस राज्य में स्थित है	वर्ष 1999-2000 आवंटन	वर्ष 1999-2000 वास्तविक निर्गमन	वर्ष 2000-2001 आवंटन
1.	कामेंग एचईपी (600 मे०वा०)	अरुणाचल प्रदेश	15.00	15.00	40.00
2.	तुईवई एचईपी (210 मे०वा०)	मिजोरम	30.00	20.00	20.00
3.	लोअर कोपली एचईपी (100 मे०वा०)	असम	—	—	5.00
4.	तिपाईमुख एचईपी (1500 मे०वा०)	मणिपुर	8.39	—	7.00

31.03.1999 की स्थितिनुसार नीपको की परिसंपत्तियों का मूल्य 3843.86 करोड़ रु० है।

[हिन्दी]

नन्दुरबार से दिल्ली तथा मुंबई के लिए रेलगाड़ी

4836. श्री मणिकराव होडल्या गावित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नन्दुरबार स्टेशन से दिल्ली तथा मुंबई के लिए सीधी रेलगाड़ी आरंभ करने हेतु जन-प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) नंदुरबार से दिल्ली तथा मुंबई तक गाड़ियां चलाने के लिए माननीय संसद सदस्य श्री माणिकराव होडल्या गावीत सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) सुझावों की जांच की गई परन्तु परिचालनिक और संसाधन की तंगियों के कारण फिलहाल व्यवहार्य नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

मुरादाबाद के लिए और रेलगाड़ियां

4837. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे लाखों दैनिक यात्री हैं जो प्रतिदिन कुंदराखी, राजा का सहसपुर और चंदौसी से मुरादाबाद जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन मेहनतकश लोगों की भारी भीड़ को सहूलियत से मुरादाबाद पहुंचने की व्यवस्था करने के लिए रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगी के कारण।

दिल्ली के स्टेशनों पर दलाल

4838. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय रेल आरक्षण में विशेषकर दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान सरकार को इस प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं व मामलों का पता लगाया गया है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने और रेलयात्रियों को नुकसान से बचाने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों तथा आरक्षण कार्यालयों पर आरक्षण संबंधी कदाचारों को रोकने के लिए वाणिज्यिक और सतर्कता विभागों द्वारा नियमित जांच करने के अलावा समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं। जब कभी अपेक्षित होता है पुलिस की सहायता भी ली जाती है। अन्य व्यक्तियों के नाम बुक की गई टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ने के लिए गाड़ियों में भी जांच की जाती हैं। कर्मचारियों की गतिविधियों पर निकट रूप से निगरानी रखी जाती है और कदाचार में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

रेल सुरक्षा पर किया गया व्यय

4839. श्री राजो सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रेल सुरक्षा हेतु आवंटन में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवंटित राशि को पूर्णतया सुरक्षा उपायों पर खर्च नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे सुरक्षा पर आवंटित निधियों तथा वास्तविक व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :-

(करोड़ रु० में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
1997-98	574.71	513.84	490.83
1998-99	655.96	642.12	602.88
1999-2000	751.13	656.79	691.86

(ङ) राज्य सरकारों से आदेशित पुलिस के संबंध में महालेखाकार से विधिवत् सत्यापित बिलों की अप्राप्ति के कारण बजट आबंटन का उपयोग नहीं हो पाया है।

विद्युत की आपूर्ति

4840. श्री जयप्रकाश : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय पूल से राज्य को और विद्युत की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्य में वर्तमान विद्युत परियोजनाओं को आधुनिक बनाने/विस्तार करने अथवा कोई विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु भी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) विगत में उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसकी भुगतान क्षमता को समिति करते हुए वित्तीय बाधाओं के कारण उत्तर प्रदेश उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों से अपनी समग्र हिस्सेदारी का आहरण करने में समर्थ नहीं है। अप्रैल-जुलाई, 2000 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन केन्द्रों से उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया आहरण 5639.3 मि०यू० की पात्रता की तुलना में 5265.8 मि०यू० था।

(ग) और (घ) जी, हां। 5251 मे०वा० की कुल क्षमता वाले 8 प्रस्ताव जिनमें एनटीपीसी की 4 ताप विद्युत परियोजनाएं (अनपारा-ग 2×500 मे०वा०, रोसा टीपीपी चरण-1, 2×283.5 मे०वा०, एनटीपीसी की औरैया सीसीजीटी चरण-2, 1×650 मे०वा०, रिहन्द एसटीपीपी चरण-2, 2×500 मे०वा०) और 4 जल विद्युत परियोजनाएं (विष्णुप्रयाग एचईपी-4×100 मे०वा०, टीएचडीसी की टिहरी बांध चरण-2 एचईपी-4×250 मे०वा०, यूपीजेवीएनएल की मनेरी भाली-2 एचईपी 4×76 मे०वा० और श्रीनगर एचईपी-4×82.5 मे०वा०) के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया है और वर्ष 1996 2000 के बीच के०वि०प्रा० से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) प्राप्त हो गई है। 842 मे०वा० की कुल क्षमता वाले दो प्रस्ताव (एक ताप विद्युत जवाहरपुर टीपीपी-800 मे०वा०, एक जलविद्युत टियुनी प्लासू 42 मे०वा०) तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के प्रयोजनार्थ के०वि०प्रा० में जांचाधीन है। 11282 मे०वा० की कुल अधिष्ठापित क्षमता सहित 23 प्रस्ताव (7230 मे०वा० के लिए 12 ताप विद्युत और 4052 मे०वा० के लिए 11 जल विद्युत) के प्रस्ताव 1979-1999 के बीच के०वि०प्रा० में प्राप्त हुए जिन्हें विभिन्न आवश्यक निवेश पूरा करने के लिए वापस कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लि० ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए 1600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर ओबरा ताप विद्युत केन्द्र की 5×50 मे०वा०+3×100 मे०वा०+5×200 मे०वा० यूनिटों के आधुनिकीकरण के लिए के०वि०प्रा० को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उ०प्र० जल विद्युत नगम लि० ने चरण-2 के अंतर्गत नई नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण स्कीमों को अभिज्ञात करने के लिए स्थापित स्थायी समिति को 19 जल विद्युत स्कीमों के नवीकरण, आधुनिकीकरण और उच्चीकरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। चूंकि प्रत्येक स्कीम की अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपये से कम है इसलिए के०वि०प्रा० के तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति अपेक्षित नहीं है।

[अनुवाद]

हैदराबाद-विशाखापत्तनम पाइपलाइन

4841. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण ने एल०एन०जी० की आपूर्ति हेतु हैदराबाद से विशाखापत्तनम के बीच 600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन पर काम शुरू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कब तक कार्य पूर्ण हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने 502 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम से सिकन्दराबाद तक थोक में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) के परिवहन के लिए 600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई है। यह परियोजना अनुमोदन की तारीख से 36 महीनों के भीतर पूरी हो जाने का अनुमान है।

वस्त्र उद्योग में बाल श्रम संघटक के संबंध में विदेशी दलों का दौरा

4842. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वस्त्र निर्यातों की अनुमति प्रदान करने से पूर्व वस्त्र उद्योग में बाल श्रम संघटक की जांच करने हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत का दौरा करने वाले विदेशी दलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दलों का भारतीय वस्त्र उद्योग के प्रति क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसके पश्चात् वस्त्र के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार से सरकार स्तर पर परिधान निर्यात उद्योग में बाल कल्याण संघटक की जांच करने के लिए विदेशी दलों द्वारा भारत में कोई दौरा नहीं किया गया है। अलग-अलग परिधान निर्यातकों तथा उनके क्रेताओं के बीच समझौते के आधार पर यदि कोई निजी दौरा किया गया हो तो उसका ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

कर्नाटक में नई रेलवे लाइनों हेतु सर्वेक्षण

4843. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए कर्नाटक में वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान अब तक सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) अब तक किए गए सर्वेक्षण कार्य के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) इन लाइनों के निर्माण के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन रेल लाइनों का निर्माण कार्य कब से शुरू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) स्थिति इस प्रकार है :-

वर्ष 1998-99 के दौरान पूरे किए गए सर्वेक्षण

क्रम सं०	सर्वेक्षण का नाम	लंबाई कि०मी० में	लागत करोड़ रु० में	प्रतिफल की दर	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
1.	कुनानुर के रास्ते कुशालनगर और चन्नारायापट्टना के बीच नई लाइन का निर्माण	80	107.53	(–) 6.083%	लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल परियोजना को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।
2.	होल नरसीपुर के रास्ते मेडीकेरे और चन्नारायापट्टना के बीच नई लाइन का निर्माण	117	211.96	(–) 5.553%	लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल परियोजना को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।
3.	तुमकुर और देवनगिरी के बीच नई लाइन का निर्माण	195.76	299.59	(–) 51.376%	लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल परियोजना को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।
4.	तालगुप्पा और होन्नावुर के बीच नई लाइन का निर्माण	82.15	411.91	(–) 2.795%	लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल परियोजना को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।
5.	गुलबर्गा के रास्ते बिदर से होस्पेट तक नई लाइन का निर्माण	378.00	740.63	(–) 0.48%	लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल परियोजना को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।

1	2	3	4	5	6
6.	कुडप्पा और बेंगलूरु के बीच नई लाइन का निर्माण	255.40	578.69	(–) 0.49%	लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल परियोजना को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।
7.	चित्तूर और बांगरपेट के बीच नई लाइन का निर्माण	140.40	356.19	(–) 0.43%	लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल परियोजना को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।
8.	अलमाती और यादगिर के बीच नई लाइन का निर्माण	154.77	302.96	(–) 17.26%	लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल परियोजना को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।
वर्ष 1999-2000 के दौरान पूरे किए सर्वेक्षण					
1.	विसनाथम् और मरीकुप्पम के बीच नई लाइन का निर्माण	12.50	31.71	(–) 5.54%	लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल परियोजना को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।
2.	मेनुर और चामराजनगर के बीच नई लाइन का निर्माण	182.00	495.85	(–) 6.58%	लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल परियोजना को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।
3.	पांडवपुरा और श्रवणबेलगोला के बीच नई लाइन का निर्माण	59.50	88.19	(–) 0.074%	लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल परियोजना को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।
4.	विथीरी और पुझीथोडु के रास्ते नंजनगुड और बडगरा के बीच नई लाइन का निर्माण	250.80	835.18	(–) 0.057%	लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और ससाधनों की तंगी के कारण फिलहाल परियोजना को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।
5.	हैदराबाद और रायथूर के बीच नई लाइन का निर्माण	189.41	456.32	(–) 35.03%	लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल परियोजना को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।
वर्ष 2000-01 के दौरान पूरे किए गए सर्वेक्षण					
1.	चिकबल्लापुर और कोलार खंड के बीच आमान परिवर्तन	85.00	63.45	(–) 0.029%	लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल परियोजना को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।
2.	अलथानी के रास्ते बीजापुर और शेडबार के बीच नई लाइन का निर्माण	112.40	213.85	103%	लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल परियोजना को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।
3.	बेलगांव और धारवाड़ के बीच नई लाइन का निर्माण	97.10	228.58	(–) 4.91%	सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। लाइन की लंबाई, लागत, रेलवे द्वारा यथा आकलित प्रतिफल की दर दर्शाई गई है। बहरहाल, सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

1	2	3	4	5	6
4.	निप्पानी और रायबाग के बीच नई लाइन का निर्माण	49.50	106.86	7.52%	सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। लाइन की लंबाई, लागत, रेलवे द्वारा यथा आकलित प्रतिफल की दर दर्शाई गई है। बहरहाल, सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

[हिन्दी]

नंदपुर भरोली में रेलवे विभाग की भूमि का अतिक्रमण

4844. श्री किरीट सोमैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानकोट-जोगिन्दर नगर रेलवे लाइन पर नंदपुर-भरोली रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे भूमि का स्थानीय निवासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दूरसंचार नेटवर्क

4845. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास पहले से ही 20,000 किलोमीटर माइक्रोवेव, 12,000 किलोमीटर कॉपर केबल और 3,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि का व्यय हुआ है;

(ग) रेलवे द्वारा किस उद्देश्य हेतु इतने विस्तृत दूरसंचार नेटवर्क को स्थापित किया गया है; और

(घ) 1999-2000 के दौरान कितना राजस्व अर्जित किया गया और 2000-01 के दौरान कितने राजस्व की उगाही की उम्मीद है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 31.7.2000 को रेलों के पास 19437 मार्ग किमी माइक्रोवेव, 12,897 मार्ग किमी कॉपर केबल और 2921 मार्ग किमी ऑप्टिकल फाइबर केबल है।

(ख) उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर में उल्लिखित परिसंपत्तियों का सृजन प्रणाली के चालू होने के समय लागू लागत के साथ लंबी समयावधि के दौरान हुआ है।

(ग) और (घ) रेलें अपने दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग रेलों की अपनी संचार आवश्गकता यथा रेलों का गाड़ी नियंत्रण, परिचालन, संरक्षा, दुर्घटना/आपदा प्रबंध प्रणाली और प्रशासनिक ट्रंक संचार को पूरा करने के लिए करती है। चूंकि रेलों की संचार अवसंरचना का सृजन केवल आंतरिक मांग की पूर्ति के लिए किया जाता है, इसलिए इन परिसंपत्तियों से राजस्व अर्जित करने के लिए पहले कोई प्रयास नहीं किया गया था। बहरहाल, ऑप्टिकल फाइबर केबल/डिजिटल माइक्रोवेव प्रणाली के आगमन के साथ उत्तरोत्तर यह समझा जा रहा है कि कुछ राजस्व अर्जित करने के लिए अधिशेष क्षमता को पट्टे/किराये पर दिया जा सकता है। इस दिशा में एक शुरूआत की जा चुकी है और रेलों ने कुछ संचार चैनल पट्टे पर दिए हैं। जिन्होंने 1999-2000 में 6.08 लाख रुपए की और 2000-20001 में अभी तक 10.76 लाख रुपए की राजस्व आमदनी दी है।

भारतीय तेल निगम द्वारा निवेश

4846. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम विभिन्न परियोजनाओं में पूंजी लागने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे निवेश के पीछे क्या औचित्य है;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम की अतिरिक्त निधियों का तेल की खोज जैसी गतिविधियों में निवेश नहीं किया जा सकता;

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है कि भारतीय तेल निगम अपनी अतिरिक्त निधियों का उपयोग स्टॉक-ब्रोकर के रूप में न करे; और

(ङ) भारतीय तेल निगम द्वारा विशेष रूप से विज्ञापन, पेट्रोल बिक्री केन्दों की सजावट और गैर-सामरिक महत्व वाली कंपनियों में निवेश जैसी गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) ने संगठन का सतत विकास करने के लिए अन्य संगठनों के साथ निम्न संयुक्त उद्यमों में इक्विटी ली है :-

– स्नेहक व्यवसाय के लिए इन्डो-मोबिल लिमिटेड।

– एविएशन स्नेहकों के लिए एवी-आयल इंडिया लिमिटेड।

– पी ओ एल उत्पादों के भंडारण के लिए बुनियादी सुविधाओं हेतु इंडियन-आयल टैंकिंग लिमिटेड।

– पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड।

– विद्युत संयंत्रों को वैकल्पिक ईंधन के रूप में एल एन जी के आयात, भंडारण तथा आपूर्ति के लिए पेट्रोनेट-एल एन जी लिमिटेड।

– हल्दिया में एल पी जी के आयात के लिए इंडियन आयल पेट्रोनास लिमिटेड।

– वाडीनार-कांडला पाइपलाइन के लिए पेट्रोनेट-वी के लिमिटेड।

– चेन्नई-त्रिची-मदुरई पाइपलाइन के लिए पेट्रोनेट-सी टी एम लिमिटेड।

– पानीपत विद्युत परियोजना के लिए इंडियन आयल पानीपत विद्युत परिसंघ।

– पेट्रोरसायनिक व्यवसाय के लिए इंडियन आयल टी सी जी पेट्रोकेम लिमिटेड।

– स्नेहक योगजों के लिए लुब्रीझाल इंडिया लिमिटेड।

(ग) और (घ) जी, हां। नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के तहत दो ब्लाक ओ एन जी सी तथा इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के परिसंघ को प्रदान कर दिए गए हैं।

(ङ) आई ओ सी के क्रियाकलापों की नवरत्न बोर्ड द्वारा समीक्षा तथा व्यवस्था की जा रही है।

विंडमिल स्टेशन से वेडी पोर्ट रेल मार्ग की परियोजना रिपोर्ट

4847. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा पश्चिम रेलवे के राजकोट मंडल के अंतर्गत विंडमिल स्टेशन से वेडी पोर्ट तक रेल लाइन के निर्माण की परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) उक्त परियोजना को कब तक शुरू और परिपूर्ण किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार

4848. श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत परियोजनाओं को अंतिम रूप देते समय इस बात पर जोर दिया कि निजी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी परियोजनाएं स्थापित करें; और

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार मंजूर की गई परियोजनाओं में से कुल कितनी परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जा रही हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं। निजी क्षेत्र के द्वारा विकसित की जाने वाली प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु परियोजना स्थलों को आमतौर पर संबंधित राज्य सरकार प्राधिकरणों द्वारा अभिज्ञात किया जाता है जिनका कार्य-स्थल का चुनाव कई कारणों जैसे ईंधन की उपलब्धता, मांग आपूर्ति की स्थिति तथा भार केन्द्रों की अवस्थिति पर आधारित होता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आई बी पी में सरकारी शेयर का आई ओ सी को बेचा जाना

4849. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, इंडो-बर्मा पेट्रोलियम में अपने शेयरों को इंडियन आयल कार्पोरेशन को बेचने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एल एन जी टर्मिनल स्थापित किया जाना

4850. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन में संयुक्त उद्यम में एल०एन०जी० टर्मिनल स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इसकी संस्थापित क्षमता कितनी होगी; और

(ग) इसके कारण जी०ए०आई०एल०, आई०ओ०सी० तथा बी०पी०एल० के अनुमानित लाभों में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगावार) : (क) और (ख) गैस अथारिटी आफ इंडिया लि०, आयल एंड नेचुरल गैस

कार्पोरेशन लि०, इंडियन आयल कार्पोरेशन लि० तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० का संयुक्त उद्यम पेट्रोनेट एल एन जी लि० (पी एल एल) कोची (केरल) में एल एन जी टर्मिनल की स्थापना कर रहा है। पी एल एल ने कोचीन टर्मिनल के लिए जनवरी, 2005 से 2.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एम एम टी पी ए) एल एन जी की आपूर्ति हेतु कतर की मैसर्स रास गैस के साथ दीर्घकालिक एल एन जी क्रय-विक्रय करार पर हस्ताक्षर किए हैं। टर्मिनल की अनुमानित लागत 360 मिलियन अमेरीकी डालर है।

(ग) एक उचित अवधि के लिए टर्मिनल के प्रचालन के बाद प्रवर्तक कंपनियों द्वारा अपनी इक्विटी प्रतिभागिता के अनुपात में लाभांश के माध्यम से लाभ कमाने की संभावना है।

पारादीप पत्तन और रांची के बीच पाइपलाइन

4851. **श्री अनन्त नायक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पारादीप पत्तन और रांची के बीच पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) उक्त परियोजना के पूर्ण होने के लिए निर्धारित तिथि क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) पारादीप बन्दरगाह तथा रांची के बीच पाइपलाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पारादीप से राऊरकेला तक पाइपलाइन बिछाने का एक प्रस्ताव है। इस परियोजना की पूंजीगत लागत 581.1 करोड़ रुपए होने का अनुमान है तथा परियोजना आर्थिक बंदी की तारीख से 36 माह के भीतर पूरी किए जाने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा जाने वाले यात्रियों की आरक्षण-समस्या

4852. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा जाने वाले रेल यात्रियों को रेल-आरक्षण मिलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो आरक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने और यात्रियों की समस्या को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) उड़ीसा की ओर जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण लोकप्रिय गाड़ियों के कुछ यात्री विशेष रूप से व्यस्त अवधि के दौरान, प्रतीक्षा सूची में रह जाते हैं। मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय किए जाते हैं जिनमें विशेष गाड़ियां चलाना, मौजूदा गाड़ियों के भार में वृद्धि करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, प्रतीक्षा सूची स्थिति दर दिन-प्रतिदिन के आधार पर नजर रखी जाती है और जहां कहीं औचित्य बनता है और व्यावहारिक पाया जाता है अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाए जाते हैं।

ए०जे०टी० की खरीद

4853. **श्री अजय सिंह चौटाला :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायुसेना के लिए 'एडवांस्ड जेट ट्रेनर्स' (ए०जे०टी०) की खरीद में विलंब होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या 2 अगस्त, 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार, सरकार ने ए०जे०टी० की खरीद की प्रक्रिया को त्वरित बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निदेश-पद क्या हैं; और

(घ) ए०जे०टी० की खरीद कब तक की जाएगी?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) विश्व बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रशिक्षक विमानों का सरकार द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा था। मैसर्स ब्रिटिश एयरोस्पेश के साथ उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान हॉक के लिए बातचीत शुरू हो गई है।

(ख) और (ग) उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान की अधिप्राप्ति की प्रगति का निरीक्षण करने तथा इसकी शीघ्र खरीदारी को सुकर बनाने के संबंध में समय-समय पर त्वरित तथा आवश्यक निदेश देने के लिए दिनांक 14.12.1999 को निम्नानुसार एक विशेष समिति का गठन किया गया था :-

रक्षा मंत्री	–	अध्यक्ष
वायुसेनाध्यक्ष	–	सदस्य
रक्षा सचिव	–	सदस्य
सचिव (उत्पादन एवं पूर्ति विभाग)	–	सदस्य
रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार	–	सदस्य
वित्त सलाहाकर (डी एस)	–	सदस्य

(घ) मूल्य वार्ताएं सफलतापूर्वक पूरी हो जाने के बाद संविदा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

'ओपेक' की तेल कीमतें

4854. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 2000 के अंतिम सप्ताह में 'ओपेक' की तेल कीमतों में लगातार गिरावट रही;

(ख) यदि हां, तो इस गिरावट का भारत में तेल की कीमतों पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार देश में तेल की कीमतों में कमी करने की सोच रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जुलाई, 2000 के तीसरे सप्ताह की तुलना में जुलाई, 2000 के अंतिम सप्ताह के दौरान दुबई तथा ब्रेन्ट कच्चे तेल के औसत मूल्य में कुछ मंदी थी।

(ख) से (ङ) वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत कच्चे तेल के मूल्य अस्थिर हैं और इनमें व्यापक उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। सरकार कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के रुझानों की लगातार निगरानी करती है। नियंत्रित उत्पादों पर राजसहायताओं एवं प्रति राजसहायताओं पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में हुए परिवर्तनों के प्रभाव की नियमित आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में संशोधन करने के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तमिलनाडु में हथकरघा बुनकरों की सहकारी संस्थाओं को प्रशिक्षण

4855. श्री पी० कुमारासामी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हस्तकरघा बुनकरों की सहकारी संस्थाओं को आधुनिक प्रशिक्षण देने के लिए तमिलनाडु के चेन्नीमलई में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है जिससे कि निर्यात योग्य हस्तकरघा वस्त्रों का उत्पादन किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

'गेल' द्वारा सी एन जी बिक्री केन्द्रों की स्थापना

4856. श्री के० येरननायडू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण (गेल) ने बंगलौर और हैदराबाद में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) के फुटकर वितरण केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना में 'गेल' द्वारा कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विसंगति समिति का गठन

4857. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक निदेशक (हस्तशिल्प) और हस्तशिल्प संवर्धन अधिकारी के वेतनमानों में वृद्धि संबंधी मामला सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी विसंगति समिति का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जी, हां। वस्त्र मंत्रालय में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय के कर्मचारियों की पांचवीं वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में उनके वेतनमानों के निर्धारण के मामले के अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए एक आनोमली कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी ने दो बैठकें कीं तथा विचारार्थ मुद्दों का अध्ययन करने तथा उसे एनोमली कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक उप समिति गठित की। उप समिति ने कार्य पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) समिति ने समय निर्धारित नहीं किया है जिसके अंतर्गत सिफारिशों को प्रस्तुत किया जा सके।

[अनुवाद]

भेषज उद्योग हेतु अनुसंधान कोष

4858. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भेषज उद्योग हेतु एक अनुसंधान कोष स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्देश्य क्या है;

(ग) इसकी समय निधि कितनी है;

(घ) क्या इस निधि से गैर-सरकारी क्षेत्र के भेषज उद्योग के अनुसंधान संबंधी प्रस्तावों का भी वित्तपोषण किया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा कोई अनुसंधान किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ङ) भेषज अनुसंधान तथा विकास समिति (पी आर डी सी) का गठन मार्च, 1999 में भारत में भेषज उद्योग के अनुसंधान तथा विकास क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए उपायों का सुझाव देने तथा भारतीय भेषजीय कम्पनियों द्वारा स्वदेशी अनुसंधान तथा विकास कार्यों के लिए अपेक्षित सहायता की पहचान करने के लिए किया गया था। सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ,

ऐसे अनुसंधान तथा विकास की प्रोन्नति के लिए औषध विकास संवर्धन प्रतिष्ठान स्थापित करने का सुझाव दिया है। इस कार्य के लिए इसने 'फार्मास्यूटिकल्स और एंड डी सपोर्ट फंड' नामक निधि स्थापित करने का सुझाव दिया जो औषध विकास संवर्धन प्रतिष्ठान के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा। इसने कई राजकोषीय तथा गैर-राजकोषीय उपायों का भी सुझाव दिया है। सरकार सामान्यत: समिति द्वारा सुझाए गए उपायों के समर्थन में है।

(च) और (छ) गैर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उनकी क्षमता तथा वाणिज्यिक आधार पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। सरकार गैर सरकारी क्षेत्र के ऐसे अनुसंधान की मानिटरिंग नहीं करती है।

अवैध कब्जों को हटाना

4859. श्री नरेश पुगलिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा और सफाई सुनिश्चित करने हेतु रेल लाइन के दस मीटर के अन्दर-अन्दर रेलवे की भूमि से अवैध कब्जों को हटाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) रेलवे की भूमि से अवैध कब्जों को हटाना एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें वह भूमि भी सम्मिलित है जो परिचालनिक दृष्टि से संरक्षा क्षेत्र में आती है। इसके संबंध में कार्रवाई सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगी बैदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

[हिन्दी]

ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला की आपूर्ति

4860. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जुलाई, 2000 तक दामोदर घाटी निगम के ताप विद्युत संयंत्रों, विशेषकर बोकारो ताप विद्युत स्टेशन, चन्द्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन और पश्चिम बंगाल के मिक्षिया ताप विद्युत स्टेशन को संचालित करने हेतु कितने कोयले की खरीद की गई और किस तरीके से उक्त कोयले का परिवहन किया गया;

(ख) उक्त विद्युत स्टेशनों के लिए कोयला किन-किन कोयला खानों से खरीदा गया और प्रति टन कोयले का खरीद मूल्य और इस कोयले की किस्म क्या थी;

(ग) उक्त ताप विद्युत स्टेशनों को कितनी मात्रा में कोयले का परिवहन रेल मार्ग और सड़क द्वारा किया गया और रेल और सड़क द्वारा अलग-अलग प्रति टन कोयले के परिवहन शुल्क क्या हैं;

(घ) क्या रेल द्वारा परिवहन सस्ता होने के बावजूद चन्द्रपुरा और बोकारो ताप विद्युत स्टेशन को कोयले का परिवहन सड़क मार्ग से किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष में दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के बोकारो ताप विद्युत केन्द्र, चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र एवं मेजिया ताप विद्युत केन्द्र को प्रचालित करने के लिए खरीदे गए कोयले की मात्रा एवं परिवहन माध्यम को विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) उन कोयला खानों का नाम जहां से उक्त विद्युत केन्द्रों के लिए कोयला खरीदा गया है तथा प्रति टन कोयले की खरीद मूल्य एवं कोयले की किस्म का विवरण-II में दर्शाया गया है।

(ग) रेल एवं सड़क द्वारा उक्त ताप विद्युत केन्द्रों तक ले जाए गए कोयले की मात्रा एवं प्रति टन कोयले का रेल एवं सड़क का अलग-अलग परिवहन प्रभार संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र एवं बोकारो ताप विद्युत केन्द्र के मामले में दूरी के आधार पर कोयले के लिए रेल की परिवहन लागत कभी सड़क से अधिक या कम रही है। औसतन रूप से रेल एवं सड़क के परिवहन प्रभार लगभग बराबर हैं। अत: डीवीसी एक योजनाबद्ध तरीके से 60% कोयला रेल के जरिए तथा 40% कोयला सड़क माध्यम से ले रहा है।

विवरण-I

ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला की आपूर्ति के बारे में लोक सभा में दिनांक 24.8.2000 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं० 4860 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

क्रम सं०	अवधि/वर्ष	बीटीपीएस	सीटीपीएस	एमटीपीएस	कुल
1.	1997-98	2078768	1279565	362565	3720898
2.	1998-99	1796041	1154302	819450	3769793
3.	1999-2000	1758543	1178036	1499061	4435640
4.	2000-2001 (जुलाई, 2000 तक)	684147	401205	420339	1505691

प्रत्येक विद्युत केन्द्र के लिए कोयला संवहन का माध्यम निम्न प्रकार है :-

ताप विद्युत केन्द्र का नाम	संवहन का माध्यम
बोकारो	रेल और सड़क
चन्द्रपुर	रेल, सड़क और बेल्ट
मेजिया	रेल और सड़क

विवरण-II

जिस कोयला खान से कोयला खरीदा गया है उसका नाम और कोयले का प्रति टन खरीद मूल्य (औसतन) और कोयले की किस्म

बीटीपीएस (i) (क) बीसीसीएल—रामकनाली, पश्चिम मुडिडीह, मुरईडीह, बरौरा, दमौदा, केशालपुर, बेनीडीह, जमुरिया, साइडिंग।

(ख) सीसीएल—सेल दहोरी, कारे, कारगली, कठारा, अमलो, गोलपहाड़ी, धोरी, कुजु, तरमी, कल्याणी इत्यादि।

(ii) कोयले का प्रति टन औसत खरीद मूल्य सीसीएल-635/- रुपये—कोयले का प्रकार डब्ल्यू-4, डीई।

(iii) कोयले का प्रति टन औसत खरीद मूल्य सीसीसीएल-635/- रुपये—कोयले का प्रकार—डब्ल्य-4, डीई।

सीटीपीएस (i) (क) सीसीएल—धोरी

(ख) बीसीसीएल—केसुरगढ़, डब्ल्यू/एम, रामकनाली, लोहापट्ट, परौरा टैंड तेलुलमारी, निचितपुर, ई/कटरास, बंसजोरा, मुधुवन, केशालपुर, भोवनरा, मुरईडीह।

(ii) कोयले का प्रति टन औसत खरीद मूल्य सीसीएल-635/- रुपये—कोयले का प्रकार—डब्ल्यू-4, डीई।

(iii) कोयल का प्रति टन औसत खरीद मूल्य बीसीसीएल-635/- रुपये—कोयले का प्रकार डब्ल्यू-4, डीई।

एमटीपीएस (i) (क) ईसीएल कालीदासपुर, अर्धग्राम, मोहमपुर, चापापुर

(ख) सुदामडीह, पाथेरडीह, गोलुकडीह, बरौरा, जोनागोर, मुरईडीह, भोजाडीह, पश्चिम मुडिडीह (डब्ल्यू/एम), दामागोरिया, फुलारीटांड।

(ii) कोयले का प्रति टन औसत खरीद मूल्य ईसीएल-1000/- रुपये—कोयले का प्रकार—बीसीडी।

(iii) कोयले का प्रति टन औसत खरीद मूल्य बीसीसीएल-635/- रुपये—कोयले का प्रकार—डब्ल्यू-4, डीई।

विवरण-III

ताप विद्युत संयंत्रों कोयला की आपूर्ति के बारे में लोक सभा में दिनांक 24.8.2000 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं० 4860 के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

रेल और सड़क मार्ग से ले जाए गए कोयले की मात्रा

बीटीपीएस

क्रम सं०	अवधि/वर्ष	रेल मात्रा	औसत परिवहन प्रभार/टन	सड़क मात्रा औसत परिवहन प्रभार टन	रेल मात्रा	औसत परिवहन प्रभार/टन	सड़क मात्रा औसत परिवहन प्रभार	रेल मात्रा	औसत परिवहन प्रभार/टन	सड़क मात्रा औसत परिवहन प्रभार/टन
1.	1997-98	1247670	98/- रुपये	831098 सीसीएल-52 बीसीसीएल-132/-	656958	98/- रुपये	622607	शून्य	98/- रुपये	362565 283/-बीसीसीएल 87.5/- ईसीएल
2.	1998-99	1089453	110/- रुपये	706588 सीसीएल-54/- बीसीसीएल-132/-	508691	110/- रुपये	645611 74/-	71169	110/- रुपये	748281 310/-बीसीसीएल 90/-ईसीएल
3.	1999-2000	936713	118/- रुपये	821830 सीसीएल-57/- बीसीसीएल-161/-	657047	118/- रुपये	520989 87/-	564603	118/- रुपये	934458 330/-बीसीसीएल 93/-ईसीएल
4.	2000-2001 (जुलाई, 2000 तक)	343391	130/- रुपये	340756 सीसीएल-64/- बीसीसीएल-177/-	204482	130/- रुपये	196723 92/-	230587	130/- रुपये	189752 337/-बीसीसीएल 95/-ईसीएल

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों की समीक्षा

4861. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सस्ती दरों पर तेल उत्पादों का उत्पादन करने हेतु भारतीय स्वामित्व के तेलशोधक कारखानों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई प्रयास किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों की पुनरीक्षा एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) सरकार ने प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति को चरणों में समाप्त करने का निर्णय नवंबर, 1997 में लिया था और कार्रवाई 1.4.1998 से आरंभ हो गई थी। तदनुसार, सभी रिफाइनरियों के लिए प्रतिधारण मूल्यनिर्धारण की पद्धति समाप्त कर दी गई है और नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के रिफाइनरी द्वार मूल्यों का निर्धारण अब आयात समता के सिद्धांत के आधार पर किया जा रहा है।

रेलवे माल बुकिंग कार्यालय में दलालों की सक्रिय भूमिका

4862. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली और नई दिल्ली के रेलवे माल बुकिंग कार्यालय में दलालों की सक्रिय भूमिका की ओर आकर्षित किया गया है जैसा कि 11 अगस्त, 2000 को 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता लगाया है;

(ग) इसमें कितने रेलवे कर्मचारी/दलाल शामिल पाए गए हैं और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पार्सलों की बुकिंग नियमानुसार प्रेषकों या उनके प्राधिकृत एजेंटों द्वारा की जाती है और इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस की आपूर्ति

4863. श्री राजो सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाइपलाइन के जरिए घरों में रसोई गैस की आपूर्ति करने की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत किन-किन शहरों में इस तरह रसोई गैस की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) फिलहाल देश में पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस (एल पी जी) की आपूर्ति करने के लिए कोई योजना नहीं है। तथापि गेल ने अपनी संयुक्त उद्यम कंपनियों अर्थात् इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड तथा महानगर गैस लिमिटेड के माध्यम से क्रमशः दिल्ली व मुंबई में घरेलू उपभोक्ताओं को पाइप द्वारा गैस का वितरण आरंभ किया है।

[अनुवाद]

वातानुकूलित डिब्बों में सुरक्षा अभियान

4864. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वर्कशाप और आर०डी०एस०ओ० दुर्घटना, टक्कर और रेल संबंधी अन्य दुर्घटनाओं के समय वातानुकूलित डिब्बों के लिए सुरक्षा उपकरण बनाने में सक्षम नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे के अनुसंधान और तकनीकी कर्मचारियों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण बनाने के लिए जरूरी ज्ञान या प्रेरणा की कमी है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे ने दुर्घटना के समय वातानुकूलित डिब्बों के लिए सुरक्षा उपाय और उपकरण के लिए किसी बाहरी एजेंसी पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वातानुकूलित डिब्बों में सुरक्षा उपकरण लगाने के लिए कौन-से कदम प्रस्तावित हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वातानुकूल सवारीडिब्बों सहित रेलवे सवारीडिब्बे दुर्घटना और टक्करों के मामले में रेलवे यात्रियों की संरक्षा के लिए एंटी-टेलीस्कोपिक विशेषताओं और दोनों छोरों पर डेस्ट्रक्शन जोनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय (यू आई सी) संरक्षा मानकों के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

(ख) रेलवे की अनुसंधान और तकनीकी इकाइयों में नियुक्त कर्मचारी पूर्णतः सक्षम और प्रेरित हैं। रेलवे द्वारा किए गए सतत् अनुसंधान के परिणामस्वरूप वर्षों के दौरान सवारी डिब्बों के कई नए डिजाइनों यथा वातानुकूल-2 टियर, वातानुकूल-3 टियर, डबल डेकर, राजधानी और

शताब्दी सवारीडिब्बों, स्वर्ण शताब्दी सवारीडिब्बों आदि और उच्च तन्य कपलिंग, आधुनिक यू आई सी गलियारेदार मार्ग, वात ब्रेक, छत आरोहित वातानुकूल इकाइयां, 110 वोल्ट प्रकाश प्रणाली आदि का विकास किया गया है।

(ग) से (ङ) लखनऊ में स्थित अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन (अ०अ०मा०स०) भारतीय रेलों की भलीभांति सुसज्जित और स्वत:पूर्ण अनुसंधान इकाई है। बहरहाल, सवारी डिब्बा विनिर्माण प्रौद्योगिकी के पूर्णरूपेण ग्रेडोन्नयन के लिए रेलों के मैसर्स एलस्टोम एल एच बी, जर्मनी के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं आपूर्ति संविदा की है। नए डिजाइन के अनुसार तैयार किए जाने वाले सवारीडिब्बों में बेहतर संरक्षा के लिए वातानुकूल सवारीडिब्बों सहित भविष्य के सवारीडिब्बों में संस्थापित की जाने वाली प्रमुख विशेषताओं का विवरण निम्नानुसार है :-

(i) एंटी टेलीस्कोपिक, स्टेनलैस स्टील गाड़ी।

(ii) दुर्घटना होने पर डिब्बा पर डिब्बा चढ़ने से बचने के लिए एंटी क्लाइम्बिंग विशेषता सहित सेंटर बफर कपलिंग।

(iii) आधुनिकतम बोगी और सस्पेंशन जिसमें बेहतर यात्रा गुणवत्ता के साथ 200 किमी प्रति घंटा तक की गति पर चलने की क्षमता है।

(iv) अग्निरोधी अपहोल्स्टरी और साज सज्जा।

(v) आधुनिक डिस्क किस्म के माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित ब्रेक प्रणाली।

(vi) आपातकाल में खुलने वाली खिड़कियां।

(vii) बेहतर यात्री चेतावनी प्रणाली।

कताई मिल

4865. श्री अनन्त नायक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उड़ीसा में कताई मिलों की संख्या कितनी है और इनमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या मिल-वार कितनी है;

(ख) इसमें से बंद पड़ी/रुग्ण/घाटे में चल रही मिलों की संख्या, राज्य-वार अलग-अलग कितनी है;

(ग) क्या मिलों के बंद होने के कारण इनमें काम कर रहे कामगारों को नौकरी से निकाल दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो मिल-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मिलों को पुन: चालू करने और बेरोजगार हुए कामगारों के पुनर्वास हेतु कौन-से कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) 30.6.2000 तक की स्थिति के अनुसार देश में सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र कताई मिलों की कुल संख्या 1569 थी। इनमें से 15 सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र कताई मिलें उड़ीसा राज्य में थीं। उड़ीसा राज्य में सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र कताई मिलों (गैर एस०एस०आई०) के कामगारों की संख्या के साथ मिल-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

मिल का नाम	नामावली में कामगार
उड़ीसा स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, सुन्दरगढ़	384
लिंगनराज टैक्सटाइल्स प्रा० लि०, भुवनेश्वर	48
उत्कल वीवर्स को-ऑप० स्पि० मिल्स लि०, पुरी	1258
जगन्नाथ वीवर्स को-ऑप० स्पि० मिल्स, कटक	953
दि उड़ीसा वीवर्स को-ऑप० स्पि० मिल्स लि०, बारगढ़	1067
उड़ीसा कॉटन मिल्स, कटक	386
बरीपाड़ा स्पिनिंग मिल्स, मयूरभंज	1215
भास्कर टैक्सटाइल मिल्स, झारसुगुड़ा	1943
अस्का स्पिनिंग मिल्स, गंजाम	548
कलिंग वीवर्स को-ऑप० स्पिनिंग मिल्स लि०, धेनकानल	1358
श्री सरला वीवर्स को-ऑप० स्पिनिंग मिल्स लि०, जगतसिंहपुर	1194
सोनेपुर स्पिनिंग मिल्स, सुबारनपुर	731
श्री गोपीनाथ वीवर्स को ऑप० स्पि० मिल्स लि०, बालासोर	439
अशोका सिंथगेटिक्स लि०, सुदेरगढ़	436
अखंडलमणि स्पिनर्स एंड एक्सपोर्टर्स लि०, कटक	57

(ख) से (घ) 31.6.2000 तक की स्थिति के अनुसार देश में बंद पड़ी सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र कताई मिलों की कुल संख्या 252 थी। उड़ीसा राज्य सहित देश में बंद सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र कताई मिलों (गैर एस०एस०आई०) के कामगारों की संख्या के साथ राज्य-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

राज्य	बंद मिलों की सं०	नामावली में कामगारों की सं०
1	2	3
आंध्र प्रदेश	31	48161
असम	4	1595
बिहार	5	3541
गुजरात	21	28962
हरियाणा	10	20437
कर्नाटक	11	23149
केरल	4	13836

1	2	3
मध्य प्रदेश	4	24154
महाराष्ट्र	28	64508
उड़ीसा	6	12017
पंजाब	6	53042
राजस्थान	9	45406
तमिलनाडु	82	173045
उत्तर प्रदेश	24	55767
पश्चिम बंगाल	7	16395

(ङ) भारत सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, एस०आई०सी०ए० 1985 बनाया है और औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) की स्थापना की है जिसका उद्देश्य रुग्ण और संभावित रूप से रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाना और साथ ही ऐसी कंपनियों के संबंध में किए जाने वाले निषेधात्मक, सुधारात्मक और उपचारात्मक उपायों का तेजी से निर्धारण करना है। बी०आई०एफ०आर० द्वारा स्वीकृत पुनर्वासन योजनाओं में विभिन्न उपाय शामिल हैं जैसे कि पूंजी का पुनर्निर्माण, प्रवृत्तकों द्वारा नई निधियां जुटाना, अन्य कंपनियों में समामेलन, प्रबंधन में परिवर्तन, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यशील पूंजी और आवधिक ऋणों की व्यवस्था करना।

सरकार ने देश में केवल निजी क्षेत्र में वस्त्र मिलों के आंशिक रूप से अथवा स्थाई रूप से बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना को भी स्थापना की है। वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना का उद्देश्य पात्र कामगारों को योजना के मानदण्डों के अनुसार केवल तीन वर्ष की अवधि के लिए ही टैपरिंग आधार पर अर्थात् प्रथम वर्ष में वेतन के 75% के बराबर, द्वितीय वर्ष में 50% और तृतीय वर्ष में 25% के बराबर अंतरिम राहत प्रदान करना है।

सरकारी मामले

4866. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय में मुकदमे लड़ने में करीब 100 करोड़ रुपये खर्च करती है; और

(ख) यदि हां, तो मुकदमेबाजी कम करने और इस खर्च पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) जहां तक उच्चतम न्यायालय में लंबित ऐसे मामलों का संबंध है, जिनमें भारत संघ का प्रतिनिधित्व इस विभाग के केंद्रीय अभिकरण अनुभाग द्वारा किया जाता है, उनमें वकीलों की फीस के संदाय के लिए प्रति वर्ष कुल बजट आबंटन (लगभग) 3.61 करोड़ रुपए है। उच्चतम न्यायालय में तुच्छ मुकदमेबाजी से बचने के लिए विशेष इजाजत याचिका/अपील फाइल करने से पहले विधि अधिकारियों (महान्यायवादी/महा-सालिसिटर और अपर महासालिसिटर) से बराबर सलाह ली जाती है।

अच्छी गुणवत्ता वाले रेशम केन्द्रों की स्थापना

4867. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को अपने संबंधित राज्यों में अच्छी गुणवत्ता वाले रेशम केन्द्रों की स्थापना करने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य हेतु कोई सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे रेशम इकाइयों का ब्यौरा क्या है जिनका देश में, विशेषकर कर्नाटक में आधुनिकीकरण किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सरकार ने राज्य सरकारों को संबंधित राज्यों में गुणवत्ता केन्द्र स्थापित करने के निदेश नहीं दिए हैं। तथापि, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने नौवीं योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु एक उत्प्रेरक विकास योजना नामत: सभी राज्यों को उच्च कोटि के रेशम के उत्पादन के लिए विकास केन्द्र के सृजन का प्रस्ताव किया है। इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों को विकास केन्द्र नामक एक छत के नीचे सामान्य सुविधाएं प्रदान करते हुए मल्टी एंड रिलिंग मशीन पर उच्च कोटि के रेशम का उत्पादन करना है। केन्द्रों की स्थापना के लिए मूलभूत सुख-सुविधाओं के साथ-साथ स्थान व भवन भागीदारी करने वाले राज्यों के द्वारा प्रदान की जाएगी, जबकि केन्द्रीय रेशम बोर्ड उपकरण व मशीनरी प्रदान करता है। नौवीं योजना के दौरान 28 लाख रु० प्रति केन्द्र के परिव्यय पर 10 ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। अब तक केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने इस योजना के तहत 96.03 लाख रु० खर्च किया है।

(ङ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम एककों के आधुनिकीकरण में निम्नानुसार सहायता दी है :-

(1) 8वीं योजना में केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने उड़ीसा राज्य को नवपल स्थित इसके फिलेचर एकक के उन्नयन के लिए 5.74 लाख रु० की लागत पर सहायता प्रदान करने की पेशकश की है।

(2) के०रे०बो० ने प० बंगाल सरकार को भी बेरहामपुर में रिलिंग व ट्विसटिंग सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए 20.75 लाख रु० की लागत पर सहायता प्रदान की।

(3) के०रे०बो० ने हिमाचल प्रदेश में नूरपुर में रीलिंग एकक को उनकी रीलिंग ट्यूबस्टिंग एकक के उन्नयन के लिए 20 लाख रु० लागत की सहायता प्रदान की।

(4) के०रे०बो० ने जम्मू व कश्मीर सरकार को राजभ्वाग स्थित उनकी फिलेचर व रेशम बुनाई फैक्ट्री के आधुनिकीकरण के लिए एक परियोजना/व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में 10 लाख रु० की सहायता प्रदान की।

(5) स्विस-सहायित सेरी-2000 के तहत कर्नाटक में गुणवत्ता क्लबों की स्थापना के लिए 70.28 लाख रु० का प्रावधान किया गया है।

(6) विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जाने वाली राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के तहत कर्नाटक, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में रेशम उत्पादन विभागों ने रीलिंग व ट्विसटिंग रेशम उत्पादन विभागों ने रीलिंग व ट्विसटिंग परिसरों के उन्नयन/स्थापना के लिए सहायता प्राप्त की। कर्नाटक सरकार ने 10.8 करोड़ रु० की कुल लागत से 7 विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त की। तमिलनाडु सरकार ने 0.49 करोड़ रु० की लागत से 7 क्षेत्रीय रीलिंग प्रशिक्षण केन्द्रों के उन्नयन के लिए सहायता प्राप्त की। आंध्र प्रदेश सरकार ने 0.946 करोड़ रु० की लागत पर 10 रीलिंग परिसरों के उन्नयन के लिए सहायता पाई।

[हिन्दी]

कोयले से मिथेन गैस

4868. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में कोयले से मिथेन गैस निकालने की किसी योजना के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना विशेषकर पश्चिम बंगाल और बिहार में झरिया की कोयला खानों के संबंध में इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में देश में कोल बेड मीथेन (सी बी एम) के अन्वेषण और दोहन की नीति का अनुमोदन कर दिया है। इस नीति में खुली वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से सी बी एम के अन्वेषण और दोहन के लिए ब्लाकों को दिए जाने का प्रावधान है। पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों सहित देशभर में नौ ब्लाकों की पहचान की गई है। इन ब्लाकों के प्रस्ताव के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श आरंभ कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

उर्वरकों की जमाखोरी

4869. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में उर्वरकों की जमाखोरी के मामले आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) उर्वरकों की जमाखोरी की कोई भी रिपोर्ट भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फास्फोरिक एसिड बनाने हेतु संयुक्त उद्यम

4870. श्री नरेश पुगलिया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फास्फोरिक एसिड के उत्पादन हेतु कोई संयुक्त उद्यम मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयुक्त उद्यमों से क्या अनुभव प्राप्त हुए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) उर्वरक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा फासफोरिक एसिड का निर्माण करने के लिए विदेश में स्थापित किए गए संयुक्त उद्यमों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

क्रम सं०	परियोजना का नाम	देश का नाम	भारतीय भागीदार/ प्रवर्तक	फास्फेटिक एसिड की क्षमता लाख मी० टन में	स्थिति
1.	इंडस्ट्रीज चीम्कस डूयू सेनेगल (आईसीएस)	सेनेगल	भारत सरकार इफको एसपीआईसी	3.30	1984 से प्रचालन में
2.	इंडस्ट्रीज चीम्कस डूयू सेनेगल का विस्तार	सेनेगल	वही	3.30	2001 से शुरू होनी प्रत्याशित
3.	इन्डो-जोर्डन केमिकल्स कम्पनी लि०	जोर्डन	एसपीआईसी	2.24	1997 से प्रचालन में
4.	इन्डो मारोक फास्फोर सा	मोरक्को	चम्बल फर्टि० एंड केमिकल्स लिमिटेड	3.30	अक्टूबर, 1997 से प्रचालन में

(ग) इन संयुक्त उद्यमों ने भारतीय कम्पनियों को सुस्थिर आधार पर फासफेरिक एसिड जुटाने में समर्थ बना दिया है जिससे फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन अधिकतम हो गया है। इन उद्यमों ने भारतीय कम्पनियों को विदेश में बड़ी उर्वरक कम्पनियों की स्थापना, प्रबन्ध और प्रचालन में भी मूल्यवान अनुभव प्रदान किया है।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० के आंध्र प्रदेश में उप-काउंटर खोलने पर प्रतिबंध लगाना

4871. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) जैसी कंपनियों द्वारा काउंटर पर ही घरेलू गैस-कनेक्शन प्रदान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एच पी सी एल द्वारा उप-काउंटर खोलने पर प्रतिबंध के कारण आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में घरेलू गैस नहीं मिल रही है; और

(घ) यदि हां, तो एच पी सी एल से रिपोर्ट प्राप्त करने और राज्य के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में घरेलू गैस कनेक्शन प्रदान करने हेतु निर्देश देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सरकार ने देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास 1.12.1999 की स्थिति के अनुसार मौजूद प्रतीक्षा सूची को वर्ष 2000 के अंत तक निपटाने की योजना बनाई है। तदनुसार आंध्र प्रदेश में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) सहित तेल विपणन कंपनियों द्वारा एल पी जी कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश राज्य में एच पी सी एल सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में नए कनेक्शन जारी करने के लिए 30 किलोमीटर के अर्धव्यास तक के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार पटल खोलने के लिए अधिकृत किया गया है। सरकार ने 'दीपम योजना' के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख एल पी जी कनेक्शन जारी करने की अनुमति भी दे दी है।

सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों के मुख्य कार्यकारियों को सेवा विस्तार

4872. प्रो० ठम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री सरकारी क्षेत्र की तेल इकाइयों के मुख्य कार्यकारियों और अध्यक्ष को दिए गए सेवा विस्तार के बारे में 27 जुलाई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 840 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की तेल इकाइयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सेवा विस्तार प्रदान करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित है; और

(ख) 58 वर्ष की आयु के बाद सेवा विस्तार प्रदान करने के सभी मामलों की सामान्य तरीके से समीक्षा करने हेतु कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) बोर्ड स्तर पर नियुक्त किसी व्यक्ति को 5 वर्ष के सामान्य कार्यकाल के आगे सेवा विस्तार सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड एवं प्रशासनिक मंत्रालय के द्वारा उस व्यक्ति के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर तथा नियुक्तियों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन से प्रदान किया जाता है।

(ख) 30.5.1998 से बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति की आयु सरकार द्वारा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई थी। तदनुसार तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अंतर्गत मुख्य कार्यकारियों समेत उन बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों, जिन्होंने 58 वर्ष की आयु अथवा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया था, को 60 वर्ष की आयु तक अथवा 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने तक, इनमें जो भी पहले हो, सेवा में रहने की अनुमति दी गई थी।

[हिन्दी]

सामान की चोरी

4873. श्री राजो सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष रेलवे विशेषरूप से मुगलसराय से पटना सेक्टर, गया, धनबाद, आसनसोल और हावड़ा में सामान का लदान करने और उतारने के दौरान चोरी की घटनाओं में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो जोनवार/मंडलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चोरी किए गए सामान का मूल्य कितना है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी की जिम्मेदारी नियत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को जिम्मेवार पाया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। मुगलसराय-पटना खंड, गया, धनबाद, आसनसोल और हावड़ा सहित पूर्व रेलवे में बुक परेषण के संबंध में अपराधों में कमी आ रही है। पूर्व रेलवे पर हुई घटनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	हुए मामलों की संख्या	चुराई गई सम्पत्ति की कीमत
1997-98	2039	97,19,260
1998-99	1533	76,59,344
1999-2000	1172	66,34,972
2000-20001 (अप्रैल-जुलाई)	315	13,41,236

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विजाग-विजयवाड़ा पाइपलाइन

4874. श्री कृष्णमराजू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजाग (विशाखापत्तनम)-विजयवाड़ा पाइपलाइन की लंबाई (किलोमीटर में) और क्षमता कितनी है;

(ख) इस पाइपलाइन को कब तक चालू कर दिया जाएगा; और

(ग) इससे कितनी इकाइयों/उपभोक्ताओं को लाभ होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पाइपलाइन की लम्बाई तथा क्षमता क्रमश: 348.8 किलोमीटर व 4.1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है।

(ख) पाइपलाइन मई, 1998 से चालू रही है।

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्व तथा पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, गुन्टूर, प्रकाशम, नालगोंडा, वारंगल, करीमनगर, खम्माम, मेडक, महबूबनगर, रंगा रेड्डी, हैदराबाद तथा आदिलाबाद के जिलों के उपभोक्ता इस पाइपलाइन से लाभान्वित होंगे।

रेनीगुंटा में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली

4875. डा० एन० वेंकटस्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपति के समीप रेनीगुंटा में जिन उद्देश्यों से कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली शुरू की गई थी, उनको हासिल करने में सफलता मिली है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह प्रणाली कब शुरू की गई थी; और

(घ) क्षेत्र के विकास और प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रेणिगुंटा में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र 31.3.1998 से कार्य कर रहा है तथा यह केन्द्र जनता को अपेक्षित सेवाएं प्रदान कर रहा है।

तेहरान से प्राकृतिक गैस

4876. श्री कमलनाथ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्री की ईरान यात्रा के दौरान तेहरान से भारत को पाकिस्तान के रास्ते प्राकृतिक गैस बेचने के लिए सहमत होने का अनुरोध किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में आगे क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) विदेश मंत्री के मई, 2000 में ईरान के दौरे के समय भारत को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के ईरान सरकार के प्रस्ताव के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए ईरान एवं भारत की सरकारों के प्रतिनिधियों को लेकर एक भारत-ईरान संयुक्त समिति गठित करने के विषय में सहमति हुई थी। इस संयुक्त समिति की प्रथम बैठक 18-20 अगस्त, 2000 के दौरान तेहरान में हो चुकी है।

डीलरों का कमीशन निश्चित करने वाले कारक

4877. श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर पी ओ डीलरों से प्रति किलोमीटर आधार पर एस एस एल एफ/एल एफ आर वसूल करने का क्या उद्देश्य है;

(ख) क्या विस्फोटक विभाग को इस वाणिज्य के राष्ट्रीयकृत होने से पहले 'बी' साइट पेट्रोल डीलरों से वास्तविक भुगतान के आधार पर उपरोक्त प्रभार वसूल कर दे दिया गया था;

(ग) क्या डीलरों का कमीशन निश्चित करते समय उपरोक्त लागत को लागत के अलग-अलग ब्यौरे में शामिल कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो डीलरों के कमीशन ढांचे को तर्कसंगत/औचित्यपूर्ण बनाने के लिए कब तक सुधार किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) डीलरों से एस एस एल एफ/एल एफ आर की वसूली भूमि, भवन, पंप टैंक आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तेल कंपनियों द्वारा किए गए निवेश के लिए की जाती है।

(ख) जुलाई 1976 से पहले विशिष्ट तेल कंपनियां अपने स्वयं के मानकों के अनुसार डीलरों से लाइसेंस शुल्क वसूल कर रही थीं।

(ग) और (घ) लाइसेंस शुल्क वसूली के रूप में डीलरों से वसूल की गई धनराशि, औसत आधार पर निवेश की लागत पर प्रत्याय के रूप में उनको संदेय कमीशन में समाविष्ट कर ली गई है।

'स्प्रिंग स्टील' की आपूर्ति

4878. श्री पवन कुमार बंसल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा की दृष्टि से चल (रोलिंग) स्टाक के लिए 'स्प्रिंग स्टील' के 'अनुमोदित' आपूर्तिकर्ताओं को इस्पात उत्पादन के संयुक्त एकक तथा 'रोलिंग' को एक ही स्थान पर तथा एक ही प्रबंध के अन्तर्गत रखना होता है; और

(ख) यदि हां, तो 'इलास्टिक रेल क्लिप्स' के मामले में ऐसी आवश्यकता पर जोर न देने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। रेलों के पास इस्पात के निर्माण की एकीकृत सुविधा वाले तथा

स्प्रिंग स्टील प्लेटों के रोलिंग तथा विभिन्न किस्म के स्प्रिंगों के निर्माण के लिए अपेक्षित राउंड्स के लिए अनुमोदित वैंडर्स हैं।

(ख) इलास्टिक रेल क्लिप के निर्माण के लिए स्प्रिंग स्टील के सभी आपूर्तिकर्त्ताओं को एक ही स्थान पर और उसी प्रबन्धन के अधीन इस्पात बनाने तथा रोलिंग मिल्स संबंधी कार्य करने भी होते हैं।

[हिन्दी]

रेलवे द्वारा दावों की अदायगी

4879. श्री रमाकांत यादव : क्या रेल मंत्री रेलवे द्वारा दावों की अदायगी करने के बारे में दिनांक 10 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2868 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी दावा कार्यालय ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित अपील मामला संख्या एफ ए एफ ओ 38/97, ओ ए 1/509 और 40/97, ओए 1/510/93-डी एस डी आर सी टी, गोरखपुर की समीक्षा करने के बाद उन्हें वापस ले लिया है और 30 दिसम्बर, 1997 को इन मामलों के दावों की अदायगी कर दी है;

(ख) क्या वाराणसी दावा कार्यालय ने माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में लंबित अपील मामला संख्या ओ ए/1800015, 17, 41, 102, 103 और 127 की भी समीक्षा करने के बाद उन्हें अप्रैल, 2000 में वापस ले लिया है और उसकी अदायगी कर दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेल मंत्रालय का विचार माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से ऐसे दूसरे अपील मामलों की समीक्षा करने के बाद उन्हें वापस लेने का है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और उन मामलों को कब तक वापस लेने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में इसी प्रकार का कोई अपील का मामला लंबित नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण में संकट

4880. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण में संकट पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 100,000 मगोवाट की स्वतंत्र विद्युत उत्पादक परियोजना में से लगभग 2700 मेगावाट की क्षमता वाली मात्र 9 स्वतंत्र विद्युत उत्पादक इस समय कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने राज्य सरकारों को उन परियोजनाओं जिनका वित्तपोषण नहीं किया जाता है के लिए ऋण को व्यवहार्य बनाने हेतु एक वैकल्पिक ऋण तंत्र विकसित करने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) सरकार के पास भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) पर किया गया विश्लेषण मौजूद है। अपनी रिपोर्ट में सीआईआई ने निजी विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की कठिनाइयों का पता लगाने का प्रयास किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य विद्युत बोर्डों की खराब वित्तीय स्थिति तथा आईपीपी परियोजनाओं के वित्त पोषण में ऋणदाताओं की हिचकिचाहट को सबसे बड़ी कठिनाई दर्शाया गया है। रा०वि०बो० के वित्त की खराब हालत को देखते हुए ऋणदाता आमतौर पर जोर दे रहे हैं।

(ग) अभी तक के०वि०प्रा० ने 29362.3 मे०वा० की कुल क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए 57 स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की है। इनमें से 3210.70 मे०वा० वाली 9 परियोजनाओं को चालू किया गया है। इनके अलावा, 1465 मे०वा० क्षमता वाली 5 लाइसेंसधारी परियोजनाओं को भी चालू किया गया है और कुल 5096 मे०वा० वाली 17 विद्युत परियोजनाएं निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(घ) और (ङ) अपनी रिपोर्ट में सीआईआई ने सुझाव दिया है कि विभिन्न ऋणदाता एजेंसियों के साथ परामर्श करके वैकल्पिक सुरक्षा तंत्रों को तैयार किया जाना चाहिए। इस समस्या का समाधान खोजने तथा निजी विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने/विकेन्द्रीकृत करने के लिए और विद्युत क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश को आकर्षिक करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है :-

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निजी विद्युत परियोजनाओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ प्राप्त की जाने वाली अपेक्षित स्वीकृतियों की संख्या कम करना।
- इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए स्वचालित अनुमोदन हेतु प्रावधानों में वृद्धि करके तथा चयनित श्रेणियों में विदेशी इक्विटी हेतु स्वचालित प्रावधान करके विदेशी निवेश सम्प्रवर्तन बोर्ड की भूमिका कम करना तथा विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में (परमाणु रियेक्टर विद्युत संयंत्रों को छोड़कर) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अपनी सीमा को समाप्त करके विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व्यवस्था को उदारीकृत करना।
- पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य सरकारों को और शक्तियां प्रदान करना।

– जिन परियोजनाओं को के०वि०प्रा० की स्वीकृति अपेक्षित है उनके लिए वित्तीय सीमा में वृद्धि करना।

– परियोजनाओं का एक कार्यक्रम तैयार करना ताकि शीघ्र क्रियान्वयन किया जा सके और तैयारी हेतु अपेक्षित समय में कमी की जा सके।

– स्वीकृतियों में तेजी लाने, समस्याओं को दूर करने और वित्तीय समापन प्राप्त करने में अनंतिम समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सघन मॉनीटरिंग करना।

– विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 का अधिनियम पारित कर दिया गया है जिससे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना की जा सकेगी। निर्णय लेने में और अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सकेगा। ग्यारह राज्यों ने विनियामक आयोगों की स्थापना कर दी है और तीन राज्यों ने आयोगों को अधिसूचित कर दिया है।

– निजी क्षेत्र में और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पारेषण को विभिन्न कार्य-कलाप का रूप देने हेतु विद्युत कानून संशोधन अधिनियम, 1998 को लागू किया गया।

– विशाल जल विद्युत संभावना संदोहन निजी निवेश बढ़ाने तथा लघु एवं मिनी जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जल विद्युत विकास की गति को तेज करने के लिए विद्युत विकास पर एक नीति तैयार की गई है।

– अन्य क्षेत्रों को विद्युत निकासी के लिए पारेषण सुविधाओं सहित सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में माइन पिटहैड्स तथा तटवर्ती क्षेत्रों पर मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास किया गया है।

– वैकल्पिक सुरक्षा तंत्र को खोज करना जिसमें आईएफआई वित्तपोषण को राज्य सरकारों द्वारा आरंभ किए गए सुधारों की प्रगति के साथ जोड़े जाना शामिल है।

एल एन जी नीति संबंधी समिति

4881. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्रीमती रीना चौधरी :
श्री अरुण कुमार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल०एन०जी०) संबंधी नीति बनाने हेतु सचिवों की उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) समिति में वित्त सचिव और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विद्युत, उर्वरक विभाग और नौवहन विभाग के सचिव शामिल हैं।

(ग) समिति ने 28 जुलाई, 2000 को अपनी सिफारिशें सचिवों की समिति को सौंप दी हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली और उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं

4882. डा० बलिराम : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए धनराशि देने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) केन्द्रीय योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार आमतौर पर जब भी आवश्यकता होती है, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को निधियां प्रदान करती है। जहां तक राज्य क्षेत्र परियोजनाओं का संबंध है, निधियां आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य योजना के अंतर्गत आवंटित की जाती हैं।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन क्षमता

4883. श्री जी०एस० बसवराज : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता के कम-से-कम आने वाले पांच वर्षों में यथावत बने रहने की संभावना है;

(ख) क्या लम्बे समय तक विद्युत उत्पादन यथावत बने रहने की स्थिति तथा राज्य विद्युत बोर्डों के असंतोषजनक ट्रैक रिकार्ड के कारण विद्युत क्षेत्र में कुछ बड़े विदेशी निवेशकों का भारत के प्रति आकर्षण कम हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 31 मार्च, 1997 की स्थितिनुसार आठवीं योजना के अंत में अधिष्ठापित क्षमता 85742 मे०वा० थी जो कि 31 जुलाई, 2000 को बढ़कर 99121 मे०वा० हो गई है। नौवीं योजना के क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम की 28097.2 मे०वा० की क्षमता नौवीं योजना के अंत तक (31.3.2002) संभव हो सकेगी। कुल 51500 मे०वा० क्षमता के लिए विभिन्न परियोजनाओं को दसवीं योजना हेतु अभिज्ञात किया गया है।

(ख) और (ग) रा०वि० बोर्डों के खराब आर्थिक स्थिति से कई निजी विद्युत परियोजनाओं का वित्तीय समापन प्राप्त करने में विलम्ब हुआ है। इस समस्या का समाधान करने और पद्धति को सरल बनाने के लिए सरकार ने पहले ही कई उपाय आरंभ कर चुकी है जिसमें निम्न शामिल हैं :-

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निजी विद्युत परियोजनाओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ प्राप्त की जाने वाली अपेक्षित स्वीकृतियों की संख्या कम करना।
- इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए स्वचालित अनुमोदन हेतु प्रावधानों में वृद्धि करके तथा चयनित श्रेणियों में विदेशी इक्विटी हेतु स्वचालित प्रावधान करके विदेशी निवेश सम्प्रवर्तन बोर्ड की भूमिका कम करना तथा विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में (परमाणु रियेक्टर विद्युत संयंत्रों को छोड़कर) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अपनी सीमा को समाप्त कर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व्यवस्था को उदारीकृत करना।
- पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य सरकारों को और शक्तियां प्रदान करना।
- जिन परियोजनाओं को कें०वि०प्रा० की स्वीकृति अपेक्षित है उनके लिए वित्तीय सीमा में वृद्धि करना।
- परियोजनाओं का एक कार्यक्रम तैयार करना ताकि शीघ्र क्रियान्वयन किया जा सके और तैयारी हेतु अपेक्षित समय में कमी की जा सके।
- स्वीकृतियों में तेजी लाने, समस्याओं को दूर करने और वित्तीय समापन प्राप्त करने में 'अनंतिम समस्याओं' को सुलझाने के लिए विभिन्न स्तरों पर घन मॉनीटरिंग करना।
- विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 का अधिनियम पारित कर दिया गया है जिससे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना की जा सकेगी। ग्यारह राज्यों ने विनियामक आयोगों की स्थापना कर दी है ओर तीन राज्यों ने आयोगों को अधिसूचित कर दिया है।
- निजी क्षेत्र में और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पारेषण को विभिन्न कार्य-कलाप का रूप देने हेतु विद्युत कानून संशोधन अधिनियम, 1998 को लागू किया गया।
- विशाल जल विद्युत संभावना संदोहन निवेश बढ़ाने तथा लघु एवं मिनी जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जल विद्युत विकास की गति को तेज करने के लिए जल विद्युत विकास पर एक नीति तैयार की गई।
- अन्य क्षेत्रों को विद्युत निकासी के लिए पारेषण सुविधाओं सहित सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में माइन पिटहैड्स तथा तटवर्ती क्षेत्रों पर मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास किया गया है।
- वैकल्पिक सुरक्षा तंत्रों की खोज करना जिसमें राज्य सरकारों द्वारा आरंभ किए गए सुधार कार्यों की प्रगति को आईएफआई वित्त पोषण से जोड़ना शामिल है।

[हिन्दी]

कुंभ मेला के व्यवस्थापन में सेना को लगाया जाना

4884. श्री धर्म राज सिंह पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2000 के नवंबर-दिसंबर तथा 2001 के जनवरी-फरवरी के दौरान इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम में महाकुंभ-मेला का आयोजन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मेला आने वाले लोगों की सुरक्षा हेतु इलाहाबाद में यमुना नदी पर एक कामचलाऊ पुल बनाए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सेना इस उत्तरदायित्व से मुख मोड़ लेगी?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) कुंभ मेला के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने की जिम्मेवारी वस्तुत: राज्य सरकार की है। तथापि, सेना ने विगत में सिविल प्राधिकारियों की सहायता के रूप में अर्द्ध कुंभ/कुंभ मेला के अवसर पर यमुना पर बेली पान्टुन पुल बनाए हैं।

2. सेना ने विगत में पुल निर्माण के लिए किस उपस्कर का प्रयोग किया है, वह पुराना हो गया है तथा इसको लगाना खतरे से खाली नहीं समझा जाता है। तदनुसार, सेना की केन्द्रीय कमान ने मई, 2000 में मेला प्राधिकारियों को आगामी कुंभ मेला के दौरान बेली पान्टुन पुल बनाने में अपनी असमर्थता की सूचना दे दी थी।

3. आगामी कुंभ मेला के दौरान बेली पुल बनाने के लिए जुलाई, 2000 में प्राप्त राज्य सरकार के अनुरोध के संदर्भ में उक्त मामले पर पुनर्विचार किया गया है तथा यह बात सामने आई है कि सेना मुख्यालय के भंडार से फ्लोटिंग पुल का एक वैकल्पिक सेट निर्मित किया जा सकता है। उपस्कर की ठीक-ठीक उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

[अनुवाद]

'कोको' खुदरा बिक्री केन्द्र

4885. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में 'कोको' खुदरा बिक्री केन्द्र शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बिक्री केन्द्र की अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) कोको खुदरा बिक्री केन्द्र समय-समय पर स्थानीय परिस्थितियों आदि को ध्यान में रखते हुए तेल कंपनियों द्वारा खोले जाते हैं। प्रत्येक खुदरा बिक्री केन्द्र की लागत संबंधित स्थान, क्षेत्र और स्थल की परिस्थितियों और उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं पर निर्भर करती है।

उत्तर प्रदेश में एल०एन०जी० के लिए प्राकृतिक गैस संबंधी कोर अध्ययन दल

4886. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक गैस/पुन: गैसीकृत एल०एन०जी० की मांग का अनुमान लगाने हेतु एक कोर अध्ययन दल की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस दल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सरकार को सौंप दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को उसी मूल्य पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने का है जिस पर राज्य के बाहर स्थित अन्य इकाइयों को इसकी आपूर्ति की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्रियान्वयन की समय सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भू-उतराई केन्द्र पर प्राकृतिक गैस का उपभोक्ता मूल्य सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए समान होता है। फिर भी, उसके परिवहन शुल्क स्थल दर स्थल अलग-अलग होते हैं।

बजट की मांग

4887. श्री रामजी मांझी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व और पूंजी खण्ड के अंतर्गत किए गए हजारों करोड़ रुपये के प्रावधान को खर्च नहीं किया गया है जिससे कि बजट एक मजाक बनता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) बजट मांगों को तैयार करते समय इसे सटीक और यथार्थवादी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) जी, नहीं। विद्युत मंत्रालय ने 1996-97, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान अपने बजट के क्रमश: 97%, 85%, 98% और 95% का समुपयोजन किया है। इन वर्षों के दौरान अनुमोदित बजट, प्राप्त किए गए अनुपूरक अनुदान तथा वास्तविक व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विद्युत मंत्रालय के बजट अनुमान/अनुपरक अनुदान एवं वास्तविक व्यय को वर्ष-वार दर्शाने वाला ब्यौरा

		योजनेत्तर राजस्व	योजनेतर पूंजी	योजना राजस्व	योजना पूंजी	कुल योजना	कुल जोड़
1996-97	बजट अनुमान	451.03	0.00	117.61	2455.20	2572.81	3023.84
	अनुपूरक	69.08	0.00	0.01	0.02	0.03	69.11
	कुल बजट	520.11	0.00	117.62	2455.22	2572.84	3092.95
	वास्तविक	516.08	0.00	110.29	2370.29	2480.58	2996.66
1997-98	बजट अनुमान	453.49	0.00	76.31	2717.23	2793.54	3247.03
	अनुपूरक	184.33	0.00	217.37	697.50	914.87	1099.20
	कुल बजट	637.82	0.00	293.68	3414.73	3708.41	4346.23
	वास्तविक	638.44	3.77	291.41	2727.36	3018.77	3660.98
1998-99	बजट अनुमान	641.57	0.00	472.06	2691.94	3164.00	3805.57
	अनुपूरक	2.50	0.00	0.00	0.02	0.02	2.52
	कुल बजट	644.07	0.00	472.06	2691.96	3164.02	3808.09
	वास्तविक	620.42	0.00	417.45	2691.00	3108.45	3728.88

		योजनेत्तर राजस्व	योजनेत्तर पूंजी	योजना राजस्व	योजना पूंजी	कुल योजना	कुल जोड़
1999-2000	बजट अनुमान	601.81	0.00	425.78	2974.22	3400.00	4001.81
	अनुपूरक	214.94	0.00	0.00	1.51	1.51	216.45
	कुल बजट	816.75	0.00	425.78	2975.73	3401.51	4218.26
	वास्तविक	848.29	0.00	374.42	2797.06	3171.48	4019.77

रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड को टर्मिनल प्रभार

4888. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड को टर्मिनल प्रभार का भुगतान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का बकाया

4889. श्री अधीर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया राशि का कब तक भुगतान कर दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) भूतल परिवहन मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय को तेल समन्वय समिति और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल कंपनियों के प्रति भारतीय जहाजरानी निगम (एस सी आई) के बकायों का भुगतान करने के लिए लिखा है।

(ख) से (ग) भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचनानुसार भारतीय जहाजरानी निगम की 492.82 करोड़ रुपये की धनराशि तेल पूल खाते की ओर बकाया है। देय राशियों के पूरे भुगतान के लिए कोई सीमा बताना संभव नहीं है।

मिलावटी पेट्रोल की बिक्री

4890. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल कंपनियों के अधिकारियों की सहायात से गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में पेट्रोल पंपों द्वारा मिलावटी पेट्रोल बेचे जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों और पेट्रोल पंपों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) तेल विपणनकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को तेल कंपनियों के पदाधिकारियों की सहायता से गुजरात और महाराष्ट्र में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों द्वारा बेचे जा रहे मिलावटी पेट्रोल की जानकारी नहीं है।

तेल विपणन कंपनियां मिलावट सहित विभिन्न कदाचारों की रोकथाम करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित/औचक निरीक्षण करती हैं। इसके अलावा तेल कंपनियों द्वारा अपने आप और सरकार के निर्देशों के अंतर्गत भी कदाचारों की रोकथाम करने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मिलावट की रोकथाम करने के लिए तेल कंपनियों द्वारा मिट्टी तेल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) को नीला रंगने, फर्फरल डोपिंग, फिल्टर पेपर परीक्षण, सचल प्रयोगशालाओं द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों की जांच किए जाने आदि जैसे विभिन्न उपाय किए जाते हैं।

तरलीकृत प्राकृतिक गैस के उपयोग द्वारा रुग्ण उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार

4891. श्री सुनील खां : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल०एन०जी०) के उपयोग द्वारा एच०एफ०सी०आई० और एफ०सी०आई० की रुग्ण उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के नामरूप एककों का पुनरुद्धार 350 करोड़ रुपए की लागत पर अनुमोदित कर दिया है जो कार्यान्वयनाधीन है। एककवार प्रौद्यो-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर एचएफसी और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेष एककों के पुनर्वास पैकेज सरकार में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत

किए जाने हैं तत्पश्चात औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड मे मंजूरी ली जाएगी। उर्वरक एककों में फीडस्टाक के रूप में तरलीकृत प्राकृतिक गैस के प्रयोग के प्रस्ताव अभी भी प्रारंभिक स्तर पर हैं।

हॉल मैक्स जिस्ट ब्रोकेड

4892. श्री पी०एच० पांडियन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हॉल मैक्स जिस्ट ब्रोकेड (एच०एम०जी०बी०) संयुक्त उद्यम जो अन्य लोक उद्यमों के लिए आदर्श स्वरूप है, गत तीन वर्षों से घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितना घाटा हुआ है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एच०एम०जी०बी० की साझेदार कंपनी मैक्स जीबी गत दो वर्षों से भी अधिक समय से अनुबंध-पत्र पर किए गए इकरारनामा के अनुसार पट्टे की राशि का भुगतान नहीं कर रही है और अधिमान्य मूल्य पर पेन जी खरीद रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) एच एम जी बी को गत तीन वर्षों में हुई हानि निम्न प्रकार है :-

1997-98	1998-99	1999-2000
21.13 करोड़ रुपए	22.57 करोड़ रुपए	38.20 करोड़ रुपए

एच एम जी बी द्वारा हुई हानियों का मुख्य कारण भारत में और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेन्सिलीन जी की कीमतों में भारी कमी होना है।

(ग) और (घ) चूंकि एच एम जी बी को पेन्सिलीन जी की कीमतों में तेजी से कमी के कारण रोकड़ हानि हो रही है, इसलिए एच एम जी बी अपने परिचालन को बनाए रखने के लिए दो वर्ष से पेन्सिलिन जी की सप्लाई के रूप में एच ए एल को केवल 50% लीज किराया का भुगतान कर रहे हैं। एच एम जी बी, मैक्स जी बी को अधिमान कीमत पर पेन्सिलीन जी बी लिमिटेड को सप्लाई कर रहा है। इसका कारण यह है कि मैक्स जी बी, एक प्रोमोटर, एच एम जी बी से पेन्सिलीन जी का बल्क और नियमित खरीदार है, मात्रा संबंधी 5% की छूट दी जाती है। ऐसा ही आफर कैप्टिव उपभोग के लिए अन्य प्रोमोटर एच ए एल को दिया गया था। एच एम जी बी से अन्य छोटे क्रेता की तुलना में अधिमानत कीमत, जो एच एम जी बी से सतत क्रय प्रबन्ध के बगैर कम मात्रा में सामग्री खरीदता है।

(ङ) एच एम जी बी ने क्षमता बढ़ाने और हानि कम करने के लिए लागत घटाने का उपाय शुरू किया है।

[हिन्दी]

जोधपुर-कोलायत-बीकानेर-नागौर रेल लाइन का निर्माण

4893. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जोधपुर जिले के फलौदी कस्बे को रेलमार्ग द्वारा कोलायत, बीकानेर और नागौर से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त रेल लाइन के संबंध में सर्वेक्षण कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) हाल ही में कोलायत से फलौदी तक और नागौर से फलौदी तक बड़ी आमान लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराया गया है। सर्वेक्षणों से पता चला है कि ऋणात्मक प्रतिफल दर से 111 कि०मी० तथा 147 कि०मी० लाइनों के लिए क्रमशः 123 करोड़ रु० तथा 162 करोड़ रुपए की लागत आएगी। फिलहाल सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

जी०एल० एक्सप्रेस में बम-विस्फोट के पीड़ितों को मुआवजा

4894. श्री राममोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 2000 को असम के कामरूप जिले में खांडीकर और गढ़ेश्वर स्टेशनों के बीच जी०एल० एक्सप्रेस में हुए बम-विस्फोट में कितने लोग मारे गए/घायल हुए और इसमें कितनी रेल-संपत्ति की क्षति हुई;

(ख) इस बम-विस्फोट के कारण कितनी रेलगाड़ियों का आवागमन प्रभावित हुआ और उनका मार्ग परिवर्तित करना पड़ा;

(ग) क्या सरकार ने उस दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने की घोषणा कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पीड़ितों को मुआवजे के रूप में अभी तक कितनी राशि का भुगतान किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 31.7.2000 को 5716 अप कटिहार-तेजपुर एक्सप्रेस में हुए बम विस्फोट में 9 व्यक्ति मारे गए थे तथा 12 व्यक्ति घायल हुए थे। इस घटना में लगभग 5,50,000/- रु० मूल्य की रेल सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

(ख) अलीपुरद्वार मण्डल के असम क्षेत्र में बम विस्फोट और रात्रिकालीन गाड़ियों के निलंबन के कारण निम्नलिखित गाड़ियां प्रभावित हुईं :-

मीटर लाइन	–	12 गाड़ियां
बड़ी लाइन	–	12 गाड़ियां

(ग) जी, हां।

(घ) अभी तक क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया है। क्षतिपूर्ति का भुगतान दावाकर्त्ताओं द्वारा दर्ज किए दावों का रेल दावा अधिकरण द्वारा डिक्री किए जाने के बाद शीघ्र किया जाएगा।

पवन ऊर्जा इकाइयों की स्थापना

4895. **श्री कृष्णम राजू :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितनी पवन ऊर्जा इकाइयों की स्थापना की गई;

(ख) वर्ष 2000 2001 के दौरान कितनी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया गया और अगले तीन वर्षों में कितनी पवन ऊर्जा का उत्पादन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या देश में पवन ऊर्जा के उत्पादन की तुलना डेनमार्क जैसे उन्नत देशों द्वारा किए जा रहे उत्पादन से की जा सकती है;

(घ) तो क्या तटवर्ती क्षेत्रों में विशेषकर आंध्र प्रदेश जो पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है, में और अधिक पवन ऊर्जा जनरेटर संस्थापित करने के लिए कोई विशेष प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) 31 मार्च, 2000 तक देश में 1167 मेवा० की समग्र पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई। वर्ष 2000-2001 के दौरान अब तक 16 मेवा० की और क्षमता जोड़ी गई है। राज्यवार स्थापित क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1000 मेवा० क्षमता के संयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क और स्पेन के बाद भारत दुनिया में पवन विद्युत स्थापना में पांचवें स्थान पर है। डेनमार्क में लगभग 1750 मेवा० की क्षमता स्थापित की गई है।

(घ) और (ङ) 13 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में तटीय क्षेत्रों सहित 192 संभाव्यता स्थलों की पहचान पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए की गई है। इनमें से, 29 स्थल, आंध्र प्रदेश में हैं। पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना निजी निवेशों द्वारा मुख्य रूप से वाणिज्यिक परियोजनाओं के रूप में की जा रही है। आंध्र प्रदेश में 88 मेवा० की क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है। एक अन्य 44 मेवा० क्षमता स्थापनाधीन है।

विवरण

राज्यवार पवन विद्युत स्थापित क्षमता

(31.07.2000 के अनुसार)

राज्य	कुल क्षमता (मेवा०)
आंध्र प्रदेश	88
गुजरात	167
कर्नाटक	37
मध्य प्रदेश	23
महाराष्ट्र	88
तमिलनाडु	772
अन्य	8
कुल	1183

बिजली की मांग

4896. **श्री साहिब सिंह** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बिजली की वर्तमान मांग कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली तथा क्षेत्रों नामत: नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लोनी, सोनीपत, गुड़गांव, मानेसर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ अथवा दिल्ली के आसपास के अन्य स्थानों में विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दिल्ली का समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा समीपवर्ती राज्यों के दिल्ली से जुड़े क्षेत्र शामिल हैं। एनसीआर क्षेत्रों के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्यों व विद्युत यूटिलिटियों द्वारा की जाती है तथा राज्य के भीतर क्षेत्रवार विद्युत की मांग का आंकलन पृथक रूप से नहीं किया जाता है, 1 अप्रैल-जुलाई, 2000 के दौरान दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा निकटवर्ती राज्यों में विद्युत आपूर्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

ऊर्जा (मि०यू०)

राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%
दिल्ली	6665	6431	234	3.5
उत्तर प्रदेश	14970	12980	1990	13.3
राजस्थान	8005	7707	298	3.7
हरियाणा	5520	5478	42	0.8

व्यस्ततमकालीन (मे०वा०)

राज्य	व्यस्ततमकालीन मांग	व्यस्ततमकालीन पूर्ति	कमी	%
दिल्ली	2940	2670	270	9.2
उत्तर प्रदेश	6760	5793	967	14.3
राजस्थान	3490	3370	120	3.4
हरियाणा	2619	2619	0	0.0

(ख) और (ग) दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्रों में निम्नलिखित परियोजनाएं क्रियान्वयन हैं/स्थापित करने का प्रस्ताव है :-

1. प्रगति सीसीपीपी (2×104.6 मे०वा० जीटी+1×121.18 मे०वा० एसटी) इस परियोजना का समस्त लाभ दिल्ली को मिलेगा।

2. फरीदाबाद सीसीजीटी (2×143 मे०वा० जीटी+1×141 मे०वा० एसटी) इस परियोजना से समस्त विद्युत हरियाणा राज्य को समर्पित है।

3. तरल ईंधन आधारित विद्युत परियोजना (2×50 मे०वा०) (फीनिक्स पावर डेवलेपमेंट)। इस परियोजना से समस्त विद्युत हरियाणा को मिलेगी।

4. पानीपत ताप विद्युत यूनिट (210 मे०वा०)। इस परियोजना से समस्त विद्युत हरियाणा को मिलेगी।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) में हथकरघा क्षेत्र को शामिल न किया जाना

4897. श्री पी० कुमारासामी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघा क्षेत्र को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना में सम्मिलित न किए जाने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुख्यत: अत्याधुनिक अथवा लगभग अत्याधुनिक मशीनों और उपस्करों की स्थापना द्वारा प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए दी जाती है। चूंकि यह ऋण मशीनों के उन्नयन के लिए दिया जाता है और हथकरघा क्षेत्र किसी प्रकार की विद्युत द्वारा चलने वाली अथवा उन्नत मशीनों का प्रयोग नहीं करता है, इसलिए क्षेत्र को टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तथापि, हथकरघा क्षेत्र द्वारा प्रयुक्त अथवा निर्मित फाइबर/यार्न/फैब्रिक/परिधान आदि का प्रसंस्करण टीयूएफएस के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र है।

रक्षा अकादमी, देहरादून द्वारा अपूर्ण प्रशिक्षण

4898. श्री विजय गोयल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीडिया की कुछ रिपोर्टों में यह प्रकाशित समाचार कहां तक सच है कि भारतीय सेना में अधिकारियों की कमी के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, देहरादून ने अपने प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण निर्धारित समय से पहले समाप्त कर दिया है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में से प्रत्येक में अधिकारियों की अनुमानित कमी कितनी है और इसके लिए उत्तरदायी मुख्य कारण कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या इससे भारतीय सेना की रक्षा क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति का मुकाबला करने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सेना में अफसरों की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षण अवधि को 1 जनवरी, 2000 से 31 दिसंबर, 2001 तक दो वर्ष की अवधि के लिए नीचे दिए अनुसार कम कर दिया गया है :-

भारतीय सैन्य अकादमी में भरती का तरीका	पूर्व प्रशिक्षण अवधि	संशोधित प्रशिक्षण अवधि
सीधी भरती	18 माह	12 माह
राष्ट्रीय रक्षा अकादमो से	12 माह	6 माह
सेना कैडेट कोर से	12 माह	6 माह

2. फिलहाल सेना, नौसेना और वायुसेना में क्रमश: 1285, 1068 और 591 अफसरों की कमी है जिससे संभवत: भारतीय सशस्त्र सेनाओं की समग्र क्षमता प्रभावित हो सकती है। अफसरों की कमी विभिन्न कारकों जैसे कि इस कैरियर का अत्यधिक श्रमसाध्य स्वरूप, सेवानिवृत्ति की अल्प आयु, सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले वेतन में विषमता आदि के कारण हो सकती है।

3. अफसरों की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं :-

(i) भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षण अवधि में कमी।

(ii) भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे और अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई की प्रशिक्षण क्षमताओं में वृद्धि।

(iii) मास मीडिया के माध्यम से छवि प्रस्तुतीकरण अभिमान को जारी रखना ताकि सशस्त्र सेनाओं में अफसरों की भरती बढ़ाई जा सके।

गैस आधारित विद्युत गृह

4899. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितनी गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं हैं;

(ख) राजस्थान में इन गैस आधारित विद्युत गृहों/परियोजनाओं के लिए प्रतिदिन कितनी गैस की आवश्यकता होती है;

(ग) क्या इन विद्युत गृहों को इनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में गैस की आपूर्ति की जा रही है;

(घ) क्या रामगढ़ (जैसलमेर) स्थित गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा गैस उपलब्ध कराई जाती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो पश्चिमी राजस्थान में रामगढ़ स्थित गैस आधारित विद्युत परियोजना में हाई स्पीड डीजल के उपयोग की स्वीकृति देकर इस समस्या के समाधान हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) राजस्थान में गैस आधारित दो विद्युत परियोजनाएं हैं। गैस की आवश्यकता एवं इन विद्युत केन्द्रों को वास्तविक रूप से आपूर्ति किए जा रहे गैस का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	गैस की आवश्यकता (एमसीएमडी)	वास्तविक आपूर्ति (एमसीएमडी)
1.	रामगढ़ जीटीपीपी (35.5 मे०वा०) आरएसईबी	0.5	0.40 से 0.45
2.	अंता गैस आधारित विद्युत परियोजना (413 मे०वा०)-एनटीपीसी	2	1.90

(घ) और (ङ) वर्तमान में विद्युत संयंत्रों की मौजूदा आवश्यकता के अनुसार राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड (आरएसईबी) को रामगढ़ विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन के लिए 0.40 से 0.45 एमसीएमडी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा रही है। साथ ही, आरएसईबी को अपने राज्य में स्थित विद्युत परियोजना को आपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त गैस के रूप में 2 लाख एमसीएमडी प्राकृतिक गैस का आवंटन भी किया गया है। हाल ही में विद्युत उत्पादन के लिए हाई स्पीड डीजल के प्रयोग की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

हिजबुल द्वारा युद्धविराम

4900. श्री ए० नरेन्द्र : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा युद्ध विराम की घोषणा किए जाने के पश्चात् आतंकवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई रोक देने के आरोप का खंडन किया है;

(ख) क्या सरकार उपर्युक्त गिरोहों की आतंकवादी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अपनी गतिविधियां बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) युद्ध विराम की घोषणा किए जाने के पश्चात् हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई थी। तथापि, अन्य सभी आतंकवादी ग्रुपों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रही।

(ख) और (ग) हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा युद्ध विराम समाप्त कर दिए जाने के बाद भीतरी क्षेत्रों में सभी आतंकवादियों के विरुद्ध, चाहे वे किसी भी ग्रुप के हों, उपलब्ध सूचना तथा मौजूदा संक्रियात्मक स्थिति के आधार पर तीव्र कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण का गठन

4901. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे रेल टैरिफ के निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ किसी समिति अथवा पैनल का गठन हुआ था;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त समिति या पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। एक स्वतंत्र रेलवे टैरिफ विनियामक प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव पर विचार किया गया था और फिलहाल ऐसे प्राधिकरण का गठन न करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं में किया गया निवेश

4902. श्री पी०आर० किन्डिया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में कितनी विद्युत परियोजनाएं आरंभ की गई हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र में परियोजना-वार और राज्य-वार कितना निवेश किया गया;

(ग) क्या इस मामले में धनराशि का एक बड़ा भाग खर्च नहीं हो पाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) धन के उपयोग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम में गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित नई केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं।

क्रम सं०	अधिष्ठापित क्षमता समेत परियोजन का नाम	अनुमोदित लागत (करोड़ रु० में)	राज्य जिसमें अवस्थित है	क्रियान्वयन एजेन्सी	निर्णय की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	कोपली एचईपी चरण-I (25 मे०वा०)	76.09	असम	नीपको	27.7.99
2.	तुरीयल एचईपी (60 मे०वा०)	368.72	मिजोरम	नीपको	16.7.98
3.	लोकतक डी/एस (90 मे०वा०)	578.62	मणिपुर	एनएचपीसी	30.12.99
4.	तीस्ता-V (510 मे०वा०)	2198.04	सिक्किम	एनएसपीसी	1.2.2000

इसके अतिरिक्त वर्ष 1999-2000 में प्रस्तावित नई परियोजनाओं नामश: मिजोरम में तुईवई एच ई परियोजना (210 मे०वा०) और अरुणाचल प्रदेश में कामेंग एच ई परियोजना (600 मे०वा०) के संबंध में निर्माण पूर्व क्रियाकलापों के लिए नीपको को क्रमश: 20 करोड़ रुपये और 15 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं; अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरि लोअर साइड (600 मे०वा०) की डीपीआर तैयार करने के लिए जांच व सर्वेक्षण कार्य हेतु भी एन एच पी सी को वर्ष 1999-2000 के दौरान 9.75 करोड़ रु० मुहैया कराए गए थे।

(ख) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान ऊपर उल्लिखित परियोजनाओं के लिए बजटीय आवंटन तथा वास्तविक मुहैया राशि नीचे इंगित की गई है।

(करोड़ रु० में)

क्रम सं०	परियोजनाओं का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
1.	कोपली एचईपी चरण-II	—	—	25.38	25.00	25.00	20.86
2.	तुरीयल एचईपी (100 मे०वा०)	—	—	28.00	42.08	29.00	47.86
3.	लोकतक एचईपी (90 मे०वा०)	5.00	—	5.00	5.00	5.00	30.00
4.	तीस्ता-V (510 मे०वा०)	—	—	5.00	5.00	5.00	5.00
	कुल	5.00	—	63.38	77.08	64.00	103.72

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम में विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मानीटरिंग सचिव विद्युत मंत्रालय द्वारा ली जाने वाली त्रैमासिक कार्यनिष्पादन बैठकों तथा विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में जल विद्युत कृतक बल की बैठकों में की जाती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम में विद्युत परियोजनाओं की वित्तपोषण आवश्यकताओं को सम्पूर्ण रूप में पूरा करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं। सरकार द्वारा अक्टूबर, 1996 से नये पहलों की घोषणा की गई है।

[हिन्दी]

मृतकों के आश्रितों को नौकरी

4903. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र और बोकारो ताप विद्युत केन्द्र के कितने कर्मचारियों की मौतें हुई हैं और कितने मृतकों के आश्रितों को नौकरियां दी गई हैं, तथा ऐसे कितने मामले लंबित हैं;

(ख) इन मामलों के लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मृतकों के आश्रितों को उनकी नियुक्ति संबंधी मामलों का निपटारा हो जाने तक आवास रखे रहने की अनुमति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दामोदर वैली कार्पोरेशन के चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र और बोकारो ताप विद्युत केन्द्र में मारे गए कर्मचारियों की संख्या निम्नवत है :-

	1997	1998	1999	2000
(i) बीटीपीएस	11	11	1	शून्य
(ii) सीटीपीएस	6	4	7	शून्य

इन मामलों में से किसी भी मामले में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति नहीं की गई है। तथापि, उन लोगों को नियुक्ति प्रदान की गई है जिनके

माता-पिता की वर्ष 1997 से पहले मृत्यु हो गई है। अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति रिक्तियों की उपलब्धता और निगम द्वारा निर्धारित कोटे के आधार पर की जाती है। मामले मूलत: समूह 'घ' पद में रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण लम्बित पड़े हुए हैं।

(ग) और (घ) मृत कर्मचारियों के आश्रितों को कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के पश्चात् एक वर्ष के लिए आवास रखने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी विमान कंपनियों को एटीएफ की बिक्री की जांच

4904. श्री विनय कुमार सोराके : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने गैर-सरकारी विमान कंपनियों को विमानन टर्बाइन ईंधन की बिक्री इनकी उधार क्षमता की जांच किए बगैर की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इन गैर-सरकारी विमान कंपनियों के विरुद्ध कितनी धनराशि का बकाया है;

(ग) क्या इन गैर-सरकारी विमान कंपनियों में से अधिकांश का अस्तित्व समाप्त हो गया है;

(घ) क्या तेल कंपनियों के अधिकारियों की कंपनियों के साथ सांठ-गांठ के संबंध में जांच शुरू कराए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा एविएशन टर्बाइन ईंधन (ए टी एफ) की बिक्री के बतौर निजी एयरलाइनों पर बकाया राशि 40.89 करोड़ रुपए (लगभग) है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी बी आई) ने निजी घरेलू एयरलाइनों तथा अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों से बकाया राशि की गैर-वसूली के मुद्दों के संबंध में एक आरंभिक जांच शुरू की है।

सऊदी अरब के पेट्रोलियम मंत्री के साथ पेट्रोलियम मंत्री की बैठक

4905. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री ने उत्पादन बढ़ाने और कच्चे तेल के मूल्यों को कम करने के लिए भारत तथा अन्य विकासशील देशों की मांग पर जोर देने के लिए हाल ही में सऊदी अरब के पेट्रोलियम मंत्री के साथ मुलाकात की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सऊदी अरब के मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं। तथापि, कालगेरी, कनाडा में 11 जून से 15 जून, 2000 तक आयोजित विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने सऊदी अरब के युवराज, श्री फैजल बिन तुर्की बिन अब्दुल अजीज अल साऊद, जो कि सऊदी अरब पेट्रोलियम और खनिज संसाधन मंत्रालय में सलाहकार भी हैं, के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हस्तशिल्पों में सुधार

4906. श्री के० येरननायडू : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 75 बिलियन डालर के विश्व हस्तशिल्प बाजार में चीन द्वारा 20 प्रतिशत बाजार पर कब्जा किए जाने की तुलना में भारत का हिस्सा मात्र दो प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो हस्तशिल्पों के निर्यात से ज्यादा राजस्व अर्जित करने हेतु भारत के हस्तशिल्पों के पैकेजिंग की गुणवत्ता तथा सौन्दर्य में सुधार हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) निर्यात हेतु उत्पादन किए गए वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार तथा डिजाइन केन्द्रों की स्थापना हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) वस्त्र मंत्रालय द्वारा हस्तशिल्प के विश्व-बाजार के आकार संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, भारत के निर्यात-आयात बैंक द्वारा 'इंडिया हैण्डीक्राफ्ट—ए न्यू डायरेक्शन' नामक प्रकाशन के अनुसार वर्ष 1999 में हस्तशिल्प के विश्व बाजार का आकार 75 बिलियन डालर आंका गया है। वर्ष 1999-2000 में कालीनों को छोड़कर हस्तशिल्प निर्यात 1367.01 मिलियन डालर का हुआ जो हस्तशिल्प के विश्व बाजार का लगभग 2 प्रतिशत बैठता है।

(ख) और (ग) हस्तशिल्प मदों का सौन्दर्य बढ़ाने, निर्यात से अधिक राजस्व अर्जित करने और कारीगरों की सहायता करने हेतु डिजाइन केन्द्रों की स्थापना के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं—कारीगर और निर्यातक समुदाय को डिजाइन और प्रौद्योगिकी संबंधी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाग्री से सुसज्जित राष्ट्रीय डिजाइन और उत्पाद विकास केन्द्र की (उत्तर प्रदेश) मुरादाबाद में और नई दिल्ली में स्थापना, डिजाइन सहायता देने हेतु राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डिजाइनरों को आमंत्रित करना, भारतीय पैकेजिंग संस्थान के माध्यम से विनिर्माताओं व निर्यातकों को प्रशिक्षण देना, पैकेजिंग पर कार्यशालाएं आयोजित करना, डिजाइन और प्रौद्योगिकी संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान जैसे विख्यात संस्थानों की सेवाएं किराए पर लेना। इसके अतिरिक्त उत्पादों को और अधिक विपणन प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उनकी गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने हेतु नई दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, बंगलौर और गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्रों को कम्प्यूटर से डिजाइन बनाने की सुविधाएं और आधुनिक/नए औजार उपलब्ध कराकर उन्नत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त धातु शिल्प मदों की सतह

के परिष्करण के लिए बेहतर प्रणाली मुहैया कराने हेतु धातु हस्तशिल्प सेवा केन्द्र का उन्नयन, आई०आई०टी०, दिल्ली द्वारा काष्ठ एवं धातु शिल्प हेतु उन्नत औजारों का विकास, बेंत एवं बांस शिल्प हेतु आई०आई० टी०, मुम्बई द्वारा टूल ट्रीटमेंट प्रोसेस और परिष्करण की तकनीकों का विकास, अच्छी गुणवत्ता वाले काष्ठ उत्पाद बनाने हेतु सीजण्ड वुड मुहैया कराने के लिए त्रिवेन्द्रम, जोधपुर और सहारनपुर में वुड सीजनिंग पलांट की स्थापना, अच्छी काष्ठ/बेंत एवं बांस प्रोसेसिंग मशीनों सहित काष्ठ शिल्प में त्रिवेन्द्रम और जोधपुर में और बेंत एवं बांस शिल्प के लिए अगरतला और गुवाहाटी में सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना जैसे उपायों के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि कारीगरों की दरिद्रता में कमी आएगी, हस्तशिल्प की सुन्दरता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी जिससे निर्यात में वृद्धि होगी और प्रति इकाई मूल्य की तुलना में अधिक वसूली होगी।

निम्न जल स्तर

4907. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न जल स्तर के कारण आंध्र प्रदेश सरकार को राज्य की दो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में उत्पादन को रोकने के लिए मजबूर किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निम्न जल स्तर की समस्या से जल विद्युत परियोजनाओं पर कहां तक असर पड़ा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में जलाशय आधारित दो जल विद्युत केन्द्र हैं। नामश: नागार्जुन सागर (810 मे०वा०) एवं श्रीशेलम (770 मे०वा०) अप्रैल-जुलाई 2000 के दौरान जलाशय का स्तर 1999-2000 के इन्हीं महीनों की तुलना में कम है जून-जुलाई, 2000 में जलाशय के कम स्तर होने के कारण आन्ध्र प्रदेश के दो महत्वपूर्ण जल विद्युत केन्द्रों नामश: नागार्जुन सागर एवं श्रीसेलम का विद्युत उत्पादन अपेक्षाकृत कम रहा, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

जल विद्युत परियोजना केन्द्र का नाम	क्षमता मे०वा०	उत्पादन (मि०यू०)					
		जून, 2000			जुलाई, 2000		
		लक्ष्य	वास्तविक	कमी (%)	लक्ष्य	वास्तविक	कमी (%)
श्रीसेलम	770.0	80	0	80 (100%)	380	256	124 (32.6%)
नागार्जुन सागर	810.0	90	88	42 (2.2%)	250	207	43 (17.2%)

ताप विद्युत केन्द्र

4908. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम अपने विद्युत केन्द्रों, विशेषकर ताप विद्युत केन्द्रों का अधिकतम संभाव्य सीमा तक परिचालन कर रहा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने कोयला की अबाध आपूर्ति के अनुबंध को मंजूरी दी थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) चालू वर्ष (अप्रैल-जुलाई 2000) के दौरान आंध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत स्टेशनों का संयंत्र भार घटक 80% से अधिक रहा है सिवाय नैल्लोर ताप विद्युत स्टेशन के जिसने कि 67.2% का पां एल एफ प्राप्त किया है।

(ख) और (ग) जुलाई-सितम्बर, 2000 तिमाही के लिए आंध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी की आंध्र प्रदेश के ताप विद्युत स्टेशनों के लिए कायला लिंकेजों जैसा कि स्थाई लिंकेज समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(आंकड़े 000 टन में)

ता०वि०के० का नाम	अनुमोदित तिमाही लिंकेज जुलाई-सितम्बर 2000	रेल मार्ग से	अन्य मार्ग से	कम्पनी का नाम	फील्ड
1. कोठागुडम एडी	450	425	25 रोड	एससीसीएल	सिंगरेनी
2. रामागुण्डम-बी	40		40 रोड	एससीसीएल	सिंगरेनी
3. विजयवाड़ा	550	550		एमसीएल	तलचेर
4. मडन्नूर	270	170 रेल (समुद्र)		एससीसीएल	सिंगरेनी
5. नैल्लोर	15	15		एससीसीएल	सिंगरेनी

विद्युत क्षेत्र में निवेश

4909. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने विद्युत क्षेत्र के लिए कोई नीति/दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विद्युत क्षेत्र में निवेश लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) से (ङ) सरकार के पास उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) संबंधी रिपोर्ट मौजूद है। अपने विश्लेषण में सीआईआई ने निजी विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है।

विद्युत क्षेत्र में पर्याप्त घरेलू अथवा निवेश के न होने के कारण अनेक हैं जिनमें मुख्यत: अधिकांश राज्य विद्युत बोर्डों की खराब वित्तीय स्थिति का न होना है जिनके पास उनके द्वारा आईपीपी से खरीदी गई विद्युत के बिलों के नियमित भुगतान के रूप में एक परियोजना से अधिक को सहायता प्रदान करने की वित्तीय क्षमता नहीं है। राज्य बिजली बोर्डों की खराब वित्तीय तथा ऋणदाताओं द्वारा सशक्त भुगतान सुरक्षा पैकेजों पर जोर दिया जाना है वित्तीय समापन करने वाली निजी विद्युत परियोजनाओं की मुख्य समस्या है। इस समस्या का समाधान खोजने तथा निजी विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रक्रियाओं को सरल बनाने/विकेन्द्रीकृत करने के लिए और विद्युत क्षेत्र में और निवेश को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- केंन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निजी विद्युत परियोजनाओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ प्राप्त की जाने वाली अपेक्षित स्वीकृतियों की संख्या की संख्या कम करना।
- इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए स्वचालित अनुमोदन हेतु प्रावधानों में वृद्धि करके तथा चयनित श्रेणियों मे विदेशी इक्विटी हेतु स्वचालित प्रावधान करके विदेशी निवेश सम्प्रवर्तन बोर्ड की भूमिका कम करना तथा विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में (परमाणु रियेक्टर विद्युत संयंत्रों को छोड़कर) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अपनी सीमा को समाप्त करके विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व्यवस्था को उदारीकृत करना।
- पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य सरकारों को और शक्तियां प्रदान करना।
- जिन परियोजनाओं को के०वि०प्रा० की स्वीकृति अपेक्षित है उनके लिए वित्तीय सीमा में वृद्धि करना।
- परियोजनाओं का एक कार्यक्रम तैयार करना ताकि शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके और तैयारी हेतु अपेक्षित समय में कमी की जा सके।
- स्वीकृतियों में तेजी लाने, समस्याओं को दूर करने और वित्तीय समापन प्राप्त करने में 'अनंतिम समस्याओं' को सुलझाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सघन मानीटरिंग करना।
- विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 का अधिनियम पारित कर दिया गया है जिससे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना की जा सकेगी ताकि स्वतंत्र विनियामकों द्वारा टैरिफ निर्धारण जैसे निर्णय को और अधिक पारदर्शी तथा उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके। ग्यारह राज्यों ने विनियामक आयोगों की स्थापना कर दी है और तीन राज्यों ने आयोगों के गठन को अधिसूचित कर दिया है।
- निजी क्षेत्र में और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पारेषण को विभिन्न कार्य-कलाप का रूप देने हेतु विद्युत कानून संशोधन अधिनियम, 1998 को लागू किया गया।
- विशाल जल विद्युत संभावना संदोहन निजी निवेश बढ़ाने तथा लघु एवं मिनी जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जल विद्युत विकास की गति को तेज करने हेतु जल विद्युत विकास पर एक नीति तैयार की गई।
- अन्य क्षेत्रों को विद्युत की निकासी के लिए पारेषण सुविधाओं सहित सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में माइन पिटहैड्स तथा तटवर्ती क्षेत्रों पर मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास किया गया है।
- निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए वैकल्पिक सुरक्षा तंत्रों की खोज करना।

[हिन्दी]

सूती वस्त्र बाजार को चुनौती

4910. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंथेटिक वस्त्र-सामग्री, सूती वस्त्र बाजार के समक्ष एक चुनौती पेश कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सूती वस्त्र उद्योग और राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) वस्त्र बाजार में विभिन्न प्राकर की वस्त्र मदें शामिल होती हैं जिनका उत्पादन विभिन्न शृंखला के वस्त्र फाईबरों/यार्न अर्थात् सूती, सेल्यूलोसिक, सिंथेटिक, ऊनी, पटसन और फाईबर/यार्न जैसे बहुविध मिश्रणों से होता हे। सिंथेटिक सामग्री सहित वस्त्र सामग्री की विविध शृंखला विभिन्न उपभोक्ताओं की मांगों और अभिरुचियों के परिप्रेक्ष्य में एक-दूसरे की पूरक और संपूरक होती हैं। तथापि, सरकार नीतिपरक उपायों से सभी प्रकार की वस्त्र सामग्री का उत्पादन करने को प्रोत्साहन देती है ताकि उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर ऐसी वस्त्र सामग्री की उपलब्धता बढ़ाई जा सके।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा के बीच पाइपलाइन

4911. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा के बीच पाइपलाइन बिछाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पाइपलाइन वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बिछाने पर इतना अधिक निवेश करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ताप विद्युत संयंत्रों का निजीकरण

4912. श्री अनन्त नायक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ ताप विद्युत संयंत्रों के निजीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं। वर्तमान में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के किसी भी ताप विद्युत संयंत्र का निजीकरण करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अल्पसूचना प्रश्न

रेल समपारों पर दुर्घटनाएं

1. श्री नरेश पुगलिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जुलाई, 2000 को महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में मुल नगर के निकट बिना चौकीदार वाले समपार पर तेजी से आती हुई चांदाफोर्ट-गोंदिया रेलगाड़ी के एक ट्रैक्टर ट्राली से टकरा जाने के कारण हुई दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कुल कितने बिना चौकीदार वाले समपार हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक इन बिना चौकीदार वाले रेल समपारों पर कितनी दुर्घटनाएं हुईं और इनमें कितने व्यक्तियों की मौत हुई और कितने घायल हुए;

(ङ) क्या बिना चौकीदार वाले रेले समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया जाता है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार बिना चौकीदार वाले रेल समपारों पर चौकीदार तैनात करने और दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा और इनमें मारे गए लोगों के निकट संबंधियों को नौकरी उपलब्ध कराने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) 28.7.2000 को लगभग 7.22 3जीसी अप पैसेंजर गाड़ी की दक्षिण-पूर्व रेलवे के नागपुर मंडल के नागभीर-चांदाफोर्ट खंड के मूलमरोड़ा-राजोली ब्लाक खंड के बीच बिना चौकीदार वाले समपार सं. 44 पर एक ट्रैक्टर ट्राली से भिड़ंत हो गई थी। इस दुर्घटना में 7 व्यक्ति मारे गए थे और 13 व्यक्ति घायल हुए थे। प्रारंभ में घायल व्यक्तियों को मूलमरोड़ा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तत्पश्चात चन्द्रपुर सिविल अस्पताल में भेज दिया गया था। 13 घायलों में से 2 को राजकीय मेडिकल कॉलेज, नागपुर में शिफ्ट कर दिया गया था।

(ग) 31.3.1999 को देश में 24049 बिना चौकीदार वाले समपार थे।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान और आज तक बिना चौकीदार वाले रेल समपार के परिणामस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं, मृत और घायल व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल हुए व्यक्तियों की संख्या
1997-98	50	126	129
1998-99	48	138	107
1999-2000*	67	167	246
2000-01 जुलाई, 2000 तक*	23	48	39

*इन वर्षों के आंकड़े अनंतिम हैं।

(ङ) से (ज) अगले पांच वर्षों के दौरान 4449 बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने का प्रस्ताव किया गया है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

यद्यपि रेलें बिना चौकीदार वाले समपारों पर रेलगाड़ियों और सड़क वाहनों के बीच हुई टक्कर के मामले में कोई क्षतिपूर्ति देने के लिए

उत्तरदायी नहीं हैं तो भी मानवीय दृष्टि से मामले के आधार पर अनुग्रही अदायगी की जाती है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 131 और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 161 के तहत बिना चौकीदार वाले समपार को पार करने के इच्छुक वाहन के ड्राइवर को दुर्घटनाओं से बचने के लिए समपार पार करने से पूर्व कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं।

बिना चौकीदार वाले समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने या उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 25 अगस्त, 2000 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.42 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 25 अगस्त, 2000/ 3 भादपद, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
गुरुवार, 24 अगस्त, 2000/2 भाद्रपद, 1922 (शक)

का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
30	6	आई·सी·पी·एल·	आई·पी·सी·एल·
35	26	हतांतरित करना	हस्तांतरित करना
97	16	निमनानुसार	निम्नानुसार
104	6	राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्ग
104	7	राज्य	राज्य सड़कें
104	8	रेल मार्ग	रेल मार्ग
107	28	श्री प्रभात समान्तराय	श्री प्रभात सामन्तराय
148	नीचे से 4	रेल लइान का आमान परिवर्तन	रेल लाइन का आमान परिवर्तन
149	16	रेलवे के उत्पादन इकाईयों को पृथक करना	रेलवे की उत्पादन इकाइयों को पृथक करना
202	1	सहायात	सहायता

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।